खण्ड-212, अंक-4
गुरूवार, 18 चैत्र, शक संवत् 1882
(7 अप्रैल, 1960 ई0)

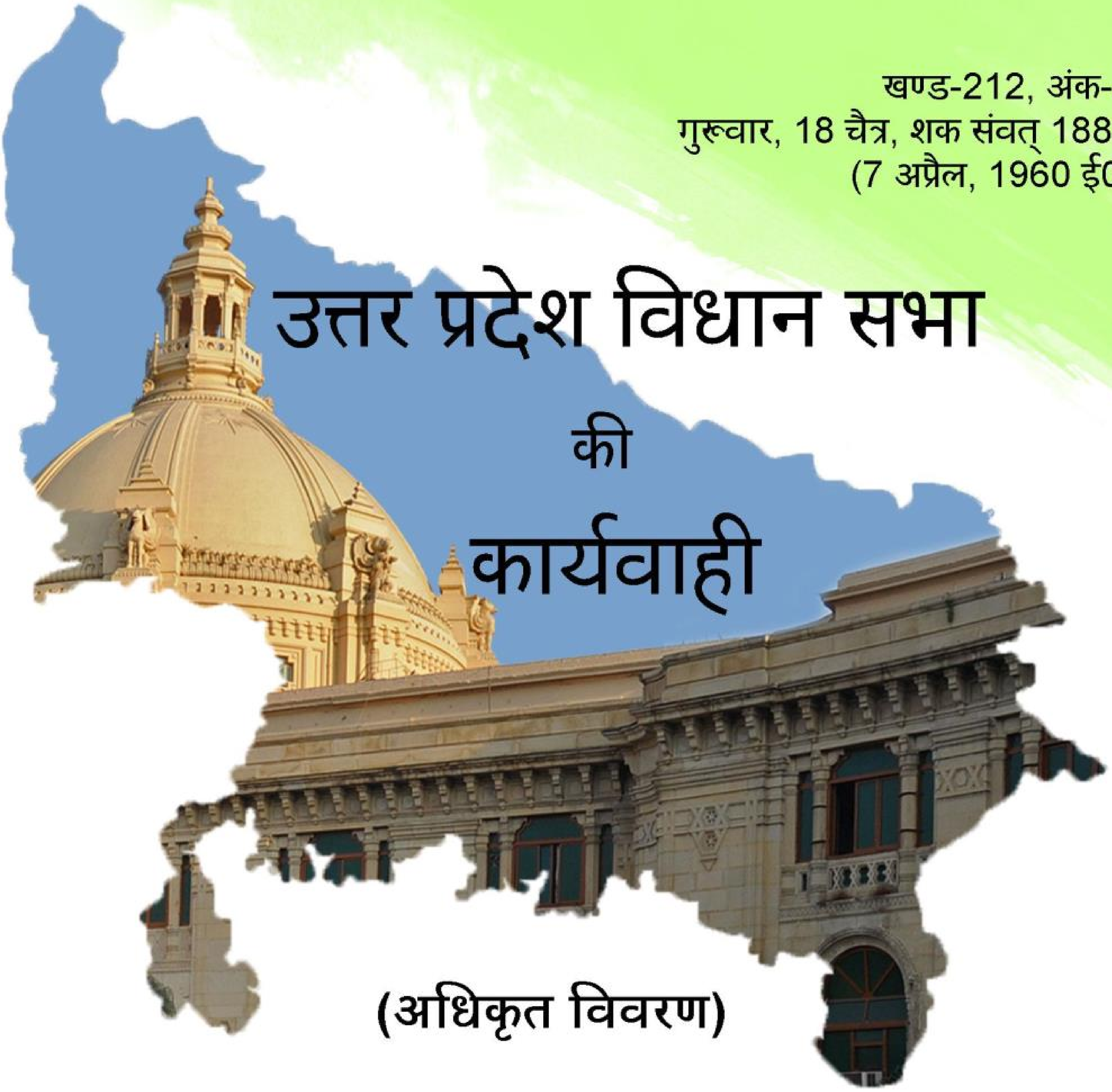

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 212 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६१

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार ७ अप्रैल, १९६०

विधान सभा की बैठक सभा मन्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में, उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३४४

अक्षयवरसिंह, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री,
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पाण्डेय, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
उदयशंकर, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हुसन, श्री
ओंकारनाथ, श्री,
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पाण्डेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयूर अली खां, श्री
ग़रीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आज़ाद, श्री

गोविन्दनारायण तिवारी, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर राय, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव,
छत्तरसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री (बदायूं)
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पाण्डेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री

बालकराम, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजवासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद पाण्डेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पाण्डेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महाबीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटबिहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथराय, श्री
मुजफ्फर हुसन, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरली धर , श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनासिंह श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पाण्डेय, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र उनियाल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री

रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रुकनुद्दीन खां, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लखमीसिंह, श्री
लालबहादुर, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती बाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
ब्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पाण्डेय, श्री
शिववचनराव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्यामसनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीनाथ श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सरवस्तीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानी देवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुल्तान आलम खां, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सूर्यबली पाण्डेय, श्री

विधान सभा प्रदेश

सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खाँ, श्री
हरकेशबहादुर, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, (राहत मौलाई), श्री
हिम्मतसिंह श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट :—सार्वजनिक निर्माण उपमन्त्री, श्री महावीरसिंह भी उपस्थित थे।

घंटी न बजने की सूचना

श्री उपाध्यक्ष—आज बिजली खराब होने से घंटी नहीं बज सकी।

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, ७ अप्रैल, १९६०

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

शाहगंज तहसील में आंधी व उपलवृष्टि से क्षति

**१—कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले की तहसील शाहगंज में पिछले १० दिनों में (१३ मार्च से २२ मार्च, १९६० तक) कितनी बार अन्धड़, तूफान, वर्षा तथा उपलवृष्टि हुई तथा उससे कितने गांव प्रभावित हुए और कितने की क्षति हुई?

राजस्व उपमंत्री (श्री महावीरप्रसाद शुक्ल)—प्रश्नांकित अवधि के अन्तर्गत उक्त तहसील में केवल २१ मार्च को तेज हवा के साथ वर्षा हुई और २२ मार्च को पानी के साथ ओले गिरे जिससे ७४० गांव प्रभावित हुए किन्तु फसल को रुपए में केवल दो आने क्षति हुई है।

**२—कुंवर श्रीपालसिंह—क्या सरकार उपर्युक्त क्षति को देखते हुए वहां पर हर प्रकार की वसूली रोकने का विचार कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—क्षति की मात्रा इतनी अल्प है कि उस पर नियमानुसार सरकारी पावनों की वसूली को रोकने का प्रश्न नहीं उठता, फिर भी मार्च के महीने मे ओले और वर्षा से जिन खेतों में क्षति की मात्रा आठ आना अथवा उससे अधिक हुई है उनकी मालगुजारी एवं तकावी के बकाए की वसूली स्थगित कर दी गई है।

कुंवर श्रीपालसिंह—श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने उत्तर में कहा है कि ७४० गांव प्रभावित हुए हैं और इस तहसील में कुल ७५० गांव हैं तो क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि वह दस गांव कौन से हैं जो प्रभावित नहीं हुए हैं?

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—माननीय प्रश्नकर्त्ता हमसे ज्यादा जानते हैं।

श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वे कौन-कौन गांव हैं जहां आठ आने या इससे अधिक क्षति हुई है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—मैंने कुछ गांव बताये थे। इस वक्त जबानी याद नहीं हैं।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिले की अन्य तहसीलों में कहां-कहां अधिक नुकसान हुआ है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—यह सवाल शाहगंज तहसील के बारे में पूछा गया था। नोटिस की जरूरत होगी।

कुंवर श्रीपालसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो दो तारीखें बतायी गयी हैं इनके अलावा ६–३–६० की रात में गैरवाह, संसारपट्टी, असइथा, बांधगांव, सांडी आदि गांवों में बारिश से बहुत हानि हुई ?

श्री उपाध्यक्ष—यह कहिए कि "क्या सरकार जांच करवाने की कृपा करेगी ?"

कुंवर श्रीपालसिंह—क्या सरकार इसकी जांच करवाने की कृपा करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—६ मार्च की ओलाबारी के सम्बन्ध में यहां बयान दे चुका हूं।

बिसई निवासी छोटेलाल गुराव तथा बसन्तपुर की श्रीमती फुलेसरा की हत्या

३—श्री जंगबहादुर वर्मा (जिला बाराबंकी) (अनुपस्थित)—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बाराबंकी के अन्तर्गत ग्राम धौरहरा के पुरवा व ग्राम बिसई, थाना कुर्सी तथा बसन्तपुर, थाना कोठी में इसी साल मार्च, सन् १९६० में कत्ल हो गया है ? यदि हां, तो जिनका कत्ल हुआ है उनका नाम क्या है और उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—ग्राम बिसई, थाना कुर्सी में दिनांक ५–६ मार्च, १९६० की रात को छोटेलाल मुराव की हत्या हो गई। इस घटना की पुलिस द्वारा जांच जारी है।

ग्राम बसन्तपुर, थाना कोठी में दिनांक ३–४ मार्च, १९६० की रात को श्रीमती फुलेसरा की हत्या हो गई। इस घटना में भी जांच जारी है। एक अभियुक्त भी पकड़ा गया है।

४—श्री जंगबहादुर वर्मा (अनुपस्थित)—क्या गृह मंत्री कृपया यह भी बतायेंगे कि जिला बाराबंकी, थाना रामनगर के अन्तर्गत ग्राम लड़हरा, गेह दबरदुर्गापुर में डकैती माह मार्च, १९६० में पड़ी थी ? यदि हां, तो उसकी रिपोर्ट लिखी गई कि नहीं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी, नहीं। माह मार्च में उक्त ग्रामों में डकैती की कोई घटना नहीं हुई। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

५—श्री जंगबहादुर वर्मा (अनुपस्थित)—क्या गृह मंत्री कृपया यह भी बतायेंगे कि उक्त डकैती किसके-किसके यहां पड़ी और कितने का माल गया तथा सरकार द्वारा उसमें क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—प्रश्न नहीं उठता।

दुगनपुर स्टेशन के करीब ट्रेन में सशस्त्र राहजनी

**६—श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली एवं मुरादाबाद रेलवे स्टेशन के बीच में किसी ट्रेन में भीषण डकैती मार्च, १९६० के द्वितीय सप्ताह में हुई है?

गृह उपमंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)—डकैती तो नहीं किन्तु एक सशस्त्र (robbery) राहजनी की घटना ९ मार्च, १९६० को बरेली एवं मुरादाबाद के बीच दुगनपुर स्टेशन के करीब एक ट्रेन में हुई थी।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस राहजनी की घटना में कितने डकैत शामिल थे और कितने रुपये की हानि हुई?

श्री रामस्वरूप यादव—दो व्यक्ति थे जो इसमें शामिल थे। २०३ रु० २ आने, दो घड़ियां, तथा एक अटैची केस, जिनकी कुल कीमत ६२२ रुपये थी, यात्रियों का गया।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—माननीय मंत्री जी ने उत्तर में बतलाया कि डकैती नहीं हुई बल्कि राबरी हुई, तो वह स्पष्ट करने की कृपा करेंगे कि दोनों में क्या फर्क है?

श्री रामस्वरूप यादव—राबरी पांच से कम आदमियों की होती है। उसकी धारा ३९४ है और डकैती की धाराएं १९५, १९६, १९७ हैं।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो व्यक्ति लूटे गये थे उनमें से कितनों को चोटें आयीं और कैसी चोटें आयीं?

श्री रामस्वरूप यादव—चांटे मारे। वैसे कोई चोट की सूचना नहीं है। लेकिन पिस्तौल जरूर दिखाया।

इलाहाबाद गोलीकाण्ड पर भार्गव कमीशन की जांच रिपोर्ट

**७—श्री गौरीशंकर राय (जिला बलिया), श्री होरीलाल यादव (जिला फर्रुखाबाद)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उसने इलाहाबाद गोलीकांड पर हुई भार्गव कमीशन की जांच की रिपोर्ट पर विचार कर लिया है? यदि हां, तो क्या वह उक्त रिपोर्ट की एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखेगी?

श्री रामस्वरूप यादव—भार्गव कमीशन की रिपोर्ट अभी सरकार के विचाराधीन है। रिपोर्ट पर विचार कर लेने के बाद ही आगे की कार्यवाही के बारे में निश्चय किया जायगा।

श्री गौरीशंकर राय—उपाध्यक्ष महोदय, मैंने सवाल में पूछा है कि क्या उक्त रिपोर्ट की एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर सरकार रखेगी, तो मैं जानना चाहता हूं कि इस जांच की रिपोर्ट जो आई है उसके सिलसिले में जांच करने के बाद रिपोर्ट की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने में सरकार को क्या परेशानी है? वह क्या कोई गोपनीय वस्तु है?

श्री रामस्वरूप यादव—उस रिपोर्ट पर, श्रीमन्, जब विचार हो जायगा, अन्तिम निर्णय हो जायगा कैबिनेट का, उसके बाद इसके ऊपर विचार किया जायगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी उस रिपोर्ट के मुख्य-मुख्य अंश बतलाने की कृपा करेंगे?

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमन्, रिपोर्ट तो बड़ी है। संक्षेप में मैं निवेदन यही कर सकता हूं कि कमीशन ने यह पाया है कि फायरिंग जस्टीफाइड था और एक्सेसिव फोर्स का प्रयोग नहीं हुआ।

अन्तरिम जिला परिषद्, मेरठ के कर्मचारियों की सिटी एलाउन्स के लिये मांग

८—आचार्य दीपङ्कर** (जिला मेरठ) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अन्तरिम जिला परिषद्, मेरठ के कर्मचारियों की ओर से उसे इस प्रकार का आवेदन-पत्र हाल में मिला है जिस में मांग की गई है कि ये कमेटी के रेजोल्यूशन नम्बर २२६१/IX ७१८, तारीख २९-४-४९ के अनुसार लखनऊ, नैनीताल और मसूरी आदि के चपरासी, दफ्तरी एवं चौकीदार आदि अल्पवेतन जीवी कर्मचारियों की भांति मेरठ के पूर्वोक्त कर्मचारियों को भी दो रुपये सिटी एलाउन्स दिया जाय?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)—जी हां।

९—आचार्य दीपङ्कर** (अनुपस्थित)—यदि हां, तो सरकार उस मांग पर क्या कर रही है?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—शासन द्वारा उस पर विचार किया जा रहा है।

१०-११—श्री गोविन्दसिंह बिष्ट** (जिला अल्मोड़ा)—[स्थगित किये गये।]

मुजफ्फरनगर जिले में उपलवृष्टि से फसल को क्षति

१२—श्री राजेन्द्रदत्त** (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या सरकार को ज्ञात है कि जिला मुजफ्फरनगर के कुछ ग्रामों में २८/२९ मार्च, १९६० के बीच की रात्रि में ओला वृष्टि के कारण रबी की फसल बिलकुल नष्ट हो गई है? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—उक्त जिले के कुछ ग्रामों में २८ मार्च, १९६० को तीसरे पहर वर्षा के साथ ओला वृष्टि हुई जिससे फसल को कुछ हानि हुई है। हानि की जांच की जा रही है।

श्री राजेन्द्रदत्त—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इसकी रिपोर्ट कब तक आ जायगी और आने पर वह हाउस के सामने रखी जायगी या नहीं?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—आशा की जाती है कि रिपोर्ट शीघ्र ही आ जायगी और सदन के सामने रखने का तो कोई विचार है नहीं।

१३—श्री प्रतापसिंह** (जिला नैनीताल)—[स्थगित किया गया।]

तारांकित प्रश्न

[समाज कल्याण मंत्री से सम्बन्धित ६ अप्रैल, १९६० के प्रश्न]

* * * *

जौनपुर जिला जेल के गैरसरकारी निरीक्षक

*२४—**राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे** (जिला जौनपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जौनपुर जेल के गैर-सरकारी (नान-आफीशियल) विजिटर्स कौन-कौन लोग हैं? वे कितने समय के लिये नियुक्त हुए हैं और कब नियुक्त हुए हैं?

*२५—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जो लोग नियुक्त किये गये हैं उनकी योग्यतायें क्या हैं तथा नियुक्तियों का आधार क्या है ?

समाज कल्याण मंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)—जिला जेल जौनपुर के गैर सरकारी निरीक्षकों के नाम तथा उनकी योग्यताएं संलग्न तालिका में दी हुई हैं। वे गैर सरकारी निरीक्षक १ जुलाई, १९५९ से ३१ मार्च, १९६१ की अवधि के लिये नियुक्त किए गए हैं। नियुक्ति की तिथि ६ जुलाई, १९५९ है।

नियुक्ति जेल मैनुअल के पैराग्राफ ६६९ में दिए हुए आधारों पर की गई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ३७८ पर)

*२६—**श्री टीकाराम** (जिला बदायूं)—[२१ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

बदायूं जेल में बिजली के कुयें से पानी देने की प्रार्थना

*२७—**श्री टीकाराम**—क्या सरकार जेल बदायूं में बिजली के कुयें द्वारा कैदियों को पानी देने का प्रबन्ध करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

संसदीय विषयक उपमंत्री (श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट)—यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है किन्तु सरकार क्या निर्णय करेगी यह कहना सम्भव नहीं है। प्रश्न का अन्तिम भाग नहीं उठता।

श्री टीकाराम—यह कब तक विचाराधीन रहेगा ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—जितना समय उसके लिये आवश्यक होगा।

* * * *

विलीन समथर राज्य के मन्दिरों के पुजारी

*३०—**श्री लक्ष्मणराव कदम** (जिला झांसी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि समथर (झांसी) के उत्तर प्रदेश में विलीन होने के समय से वहां के जिन मन्दिरों के पुजारियों को रियासत द्वारा जो जमीनें लगी थीं तथा जितने रुपये मासिक दिये जाने का बन्धान था क्या वह भी उसे बदस्तूर जारी रक्खे हुए हैं ?

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट—समथर के विलीन होने के समय से वहां के जिन मन्दिरों के नाम पुजारियों द्वारा प्रबन्ध के लिये जो भूमि सरकारी कागजात में दर्ज थी वह अब भी बदस्तूर दर्ज हैं। पुजारियों को व्यय के लिये मासिक सहायता भी मिलती है।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या माननीय मन्त्री जी उक्त पुजारियों की तरह महारानी लक्ष्मी बाई, झांसी की रानी के झांसी के मन्दिर के पुजारी को भी सहायता जारी करने की कृपा करेंगे जो कि उनको महारानी लक्ष्मीबाई के वक्त में मिलती थी ?

श्री उपाध्यक्ष—समथर से और महारानी लक्ष्मीबाई के झांसी के मन्दिर से इसका क्या सम्बन्ध है ?

श्री लक्ष्मणराव कदम—एक ही जिले का है।

श्री उपाध्यक्ष—उसके लिये अलग सवाल दीजिए। जल्दी में कोई जवाब दे दिया गया तो नुकसान हो सकता है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस जायदाद से कितनी आमदनी होती है और मन्दिर पर कितना खर्च किया जाता है ?

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट—मन्दिरों के पास १०८०.९१ एकड़ भूमि है जिसका लगान सारा ४,६१८.३७ न०पै० है और जो समयर के ३६ पुजारी हैं उनको मन्दिर के प्रबन्ध के लिये २४४.१५ न० पै० मासिक सहायता सरकार से मिलती है और इसके अलावा राजमन्दिर, समयर के पुजारी व अन्य कर्मचारियों के लिये निम्नलिखित सहायता ट्रस्ट से मिलती है। पुजारी को ३५ रुपया मासिक, पंडा को १५ रुपया, धोमर को १० रुपया और चौकीदार को २५ रुपया।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये ७ अप्रैल, १९६० के तारांकित प्रश्न।]

असिंचित क्षेत्रों में रबी को क्षति

*१—**श्री चन्द्रजीत यादव** (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि राज्य के कुछ जिलों में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई है ? यदि हां, तो वे कौन-कौन जिले हैं और उत्पन्न स्थिति का सामना करने के लिये सरकार की ओर से क्या कदम उठाये गये हैं ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—जी नहीं, केवल कुछ असिंचित क्षेत्रों में जाड़े के अवर्षण से रबी की फसल को कुछ क्षति हुई है परन्तु सूखे की स्थिति कहीं उत्पन्न नहीं हुई है। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

श्री चन्द्रजीत यादव—क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि पिछले साल बरसात बहुत कम हुई थी और प्रदेश में ऐसी जगहों में, जहां सिंचाई का बिलकुल साधन नहीं है, वहां फसल बिलकुल सूख गई तो सरकार को इस बात की क्या सूचना है कि प्रदेश में इस प्रकार की कितनी हानि हुई और सरकार ने उनकी सहायता करने के लिये क्या किया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जांच-पड़ताल हो रही है। हो जाने के बाद मुनासिब कार्यवाही की जायगी।

श्री झारखंडेराय—क्या सरकार को इस बात की सूचना है कि प्रदेश के मध्य के जिलों में पिछले जाड़े में पानी न बरसने के कारण सूखे की हालत रही और उसका प्रभाव फसलों पर बहुत बुरा पड़ा है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—रिपोर्ट आ जाने पर ही पूरी इत्तला हो सकती है। इस वक्त हम नहीं कह सकते हैं।

बनवारीपुर के अग्निपीड़ितों को सहायता

*२—**श्री शिवप्रसाद नागर** (जिला खीरी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला खीरी के ग्राम बनवारीपुर में जो नगर लखीमपुर से १ मील उत्तर की ओर स्थित है दिनांक २२/२३-२-६० को आग लग जाने के कारण तीन प्राणी भस्म हो गये हैं और गांव को क्षति पहुंची है ? यदि हां, तो सरकार ने क्या सहायता पहुंचाई है ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—उक्त अग्निकांड में एक औरत आग से जल कर तथा एक धुंयें से घुट कर मर गई और एक पुरुष घायल हो गया। गांव को अनुमानतः ४८,६०० रु० की क्षति पहुंची है।

पीड़ित व्यक्तियों को ६० रु० अहेतुक सहायता तथा १,२५० रु० तकावी के रूप में बांटे गये। १२४ मन टीन की चादरों के लिये तथा रियायती मूल्य पर बल्ली व फूस दिये जाने के आदेश भी दे दिये गये हैं।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या माननीय मंत्री जी को यह मालूम है कि १२४ मन टीन जिन लोगों को दी गई उनको तकावी का एक पैसा भी नहीं दिया गया। जहां पर ४८ हजार रुपये का नुकसान हुआ और तीन आदमी मर गये वहां पर तकावी क्यों नहीं दी गई ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—जितने लोगों ने तकावी के लिये प्रार्थना-पत्र दिया उन लोगों को दी गई।

श्री प्रतापसिंह—क्या मंत्री महोदय बतलायेंगे कि जब किसी गांव में आग लग जाती है और नुकसान हो जाता है तो किस रेशियो से सरकार वहां पर मदद करती है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—कोई रेशियो नहीं है। डूबते हुये को तिनके का सहारा काफी है।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जिस गांव में ४८ हजार का नुकसान हुआ और ३ प्राणी हत हुये वहां पर एक मील के फासले पर अधिकारियों के रहते भी कोई अधिकारी आज तक देखने के लिये नहीं गया कि उनकी क्या हालत है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—ऐसा मैं खयाल नहीं करता कि कोई आदमी नहीं गया। मेरा ऐसा खयाल है कि जरूर कोई न कोई आदमी वहां गया होगा।

लखीमपुर जिले का अभिकथित भवानीपुर अग्निकाण्ड

*३—**श्री ऊदल** (जिला वाराणसी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ६ मार्च, १९६० को जिला लखीमपुर-खीरी के परगना मुंड व श्रीनगर के गांव पकरिया में आग लग जाने से पूरा गांव जल कर राख हो गया तथा ग्राम भवानीपुर में ५० घर जल गये और दो औरतें जल कर मर गयीं ? यदि हां, तो उपरोक्त अग्निकांड में कितने धन की हानि हुई ? क्या सरकार वहां के लोगों को कोई सहायता दे रही है ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—जिला लखीमपुर खीरी के ग्राम पकरिया, परगना मुंड में कोई अग्निकांड ६ मार्च, १९६० को नहीं हुआ। परगना मुंड व श्रीनगर में 'भवानीपुर' नाम का कोई ग्राम नहीं है। अतएव वहां आग लगने, क्षति पहुंचने का तथा किसी प्रकार की सहायता दिये जाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)—मंत्री जी ने कहा कि भवानीपुर नाम का कोई गांव नहीं है। वह एक मौजा है लेकिन नम्बरी नहीं है। वह दूसरे मौजे के मातहत है तो मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि भवानीपुर में चाहे नुकसान नहीं हुआ हो लेकिन जब ६ आदमी वहां पर मर गये और उसमें स्त्री भी जल गई है और जानवरों का तो पता नहीं कि कितने मरे हैं, ऐसी स्थिति में भी सरकार का कोई आदमी अभी तक वहां पर नहीं पहुंचा है और न कोई सहायता मिली है तो सरकार के आदमी वहां पर कुछ कर रहे हैं या नहीं ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—मैंने बताया कि भवानीपुर कोई गांव उस परगने में नहीं है जहां का प्रश्न है। दूसरे प्रश्न के उत्तर में कहा गया है कि बनवारीपुर में आग लगी है जिसके सम्बन्ध में क्षति होने का जिक्र किया गया है। उसका उत्तर प्रश्न नम्बर २ के उत्तर में दे दिया गया है।

जोगिया एलोपैथिक अस्पताल में डाक्टर का न होना

*४—**श्री प्रभुदयाल** (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)—क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जोगिया एलोपैथिक अस्पताल, जिला बस्ती में वे कब से डाक्टर भेजवाने का प्रबन्ध कराने जा रहे हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—क्योंकि जोगिया अभी छाया ब्लाक ही है और स्टेज (१) ब्लाक नहीं हुआ है अतः वहां अभी तक एलोपैथिक अस्पताल नहीं खोला जा सका है। जब वह स्टेज (१) ब्लाक हो जायगा तब डाक्टर भेजा जायगा। यह कहना सम्भव नहीं कि वह स्टेज (१) ब्लाक कब होगा।

[७ अप्रैल, १९६० के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*१–२—**श्री ताराचन्द माहेश्वरी** (जिला सीतापुर)—[१३ अप्रैल, १९६० के लिये प्रश्न ८–९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*३–४—**श्री लक्ष्मणराव कदम**–[१३ अप्रैल, १९६० के लिये प्रश्न नं० १०–११ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*५–७—**श्री मदन पांडेय** (जिला गोरखपुर) तथा **श्री अमरनाथ** (जिला गोरखपुर)—[१३ अप्रैल, १९६० के लिये प्रश्न १२–१४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*८—**श्री लक्ष्मणराव कदम**—[११वें बुधवार के लिये प्रश्न ७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*९—**श्री ताराचन्द माहेश्वरी**—[१३ अप्रैल, १९६० के लिये प्रश्न १५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*१०–११—**श्री अमरनाथ**—[१३ अप्रैल, १९६० के लिये प्रश्न १६–१७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*१२–१४—**श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी** (जिला बस्ती)—[१३ अप्रैल, १९६० के लिये प्रश्न १८–२० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*१५–१६—**श्री रामसुन्दर पांडेय**—[१३ अप्रैल, १९६० के लिये प्रश्न २१–२२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*१७–१८—**श्री मुक्तिनाथराय** (जिला आजमगढ़)—[१३ अप्रैल, १९६० के लिये प्रश्न २३–२४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*१९—**श्री लक्ष्मणराव कदम**—[१३ अप्रैल, १९६० के लिये प्रश्न २५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*२०–२१—**श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल** (जिला आगरा)—[१३ अप्रैल, १९६० के लिये प्रश्न २६–२७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*२२–२४—**श्री गेंदासिंह** (जिला देवरिया)—[२७ अप्रैल, १९६० के लिये प्रश्न ८–१० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*२५–२६—**श्री प्रतापसिंह**—[१३ अप्रैल, १९६० के लिये प्रश्न २८–२९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*२७–२८—**श्री शिवप्रसाद नागर**—[१३ अप्रैल, १९६० के लिये प्रश्न ३०–३१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*२९—**श्री रामसुन्दर पांडेय**—[१३ अप्रैल, १९६० के लिये प्रश्न ३२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*३०–३१—**श्री गनेशीलाल चौधरी** (जिला सीतापुर)—[२९ अप्रैल, १९६० के लिये प्रश्न ४०–४१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किय गय।]

*३२—श्री मुक्तिनाथराय—[१ अप्रैल, १९६० के लिये प्रश्न ६८ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है।]

*३३—श्री शिवप्रसाद नागर—[१३ अप्रैल, १९६० के लिये प्रश्न ३३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*३४—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—[१२ अप्रैल, १९६० के लिये प्रश्न ४८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*३५—श्री कल्याणचन्द मोहिले—[१३ अप्रैल, १९६० के लिये प्रश्न ३४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*३६—श्री कल्याणचन्द मोहिले—[१ अप्रैल, १९६० को प्रश्न ६९ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है।]

सन्त जोजेफ कैथेडरल सोशल वेलफेयर, इलाहाबाद में गल्ले तथा दूध का निःशुल्क वितरण

*३७—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इलाहाबाद नगर सन्त जोसेफ कैथेड्रल सोशल वेलफेयर, ३२, थार्न हिल रोड पर मल्ला तथा दूध का वितरण किया जाता है? यदि हां, तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस निःशुल्क वितरण में सरकार कितना योग देती है?

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट—जी हां।

इस निःशुल्क वितरण में सरकार कोई मदद नहीं करती है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि जिस संस्था के द्वारा यह दूध और गल्ले का वितरण हो रहा है उन्होंने इलाहबाद के जिलाधीश से कुछ सहायता मांगी थी?

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट—इसकी कोई सूचना नहीं है। यह जरूर है कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट से वह रेलवे की सुविधा मांगते हैं और वहां की लोकल बाडीज से प्रावट्राय उनको नहीं देनी पड़ती। लेकिन सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है।

नैनी सेण्ट्रल जेल

*३८—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि नैनी सेन्ट्रल जेल (Naini Central Jail) को उस स्थान से हटा कर दूसरे स्थान पर बनवाने की योजना है? यदि हां, तो क्यों?

श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट—जी नहीं।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या यह सही है कि नैनी जेल को बेंचने के लिये किसी मिल मालिक से बातचीत हो रही है कोई इंडस्ट्री खोलने के लिये?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है।

*३९-४०—श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)—[१३ अप्रैल, १९६० के लिये प्रश्न ३५-३६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*४१—श्री ऊदल—[हटा दिया गया।]

*४२—श्री ऊदल—[१३ अप्रैल, १९६० के लिये प्रश्न ३८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

उत्तर रक्षा योजनान्तर्गत महिलाओं के लिए शरणालय एवं प्रवेशालय

*४३—श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ३१-१२-५९ तक राज्य में कहां After-Care Programme के अन्तर्गतS helter Home खुले और उनमें महिलाओं का admission किस आधार पर होता है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—वांछित सूचना संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ३७९ पर)

*४४—श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि साधारणतया कितने दिन तक एक महिला को उस Home में रक्खा जा सकता है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—साधारणतया जिला शरणालय एवं प्रवेशालयों में एक महिला को तीन महीने तक रखा जा सकता है। उत्तर रक्षा गृहों में महिलाओं को उस अवधि तक रखा जाता है जब तक कि उनके पुनर्वास का प्रबन्ध न हो जाय।

*४५—श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रति महिला और यदि उनके साथ बच्चे हों तो प्रति बच्चे पर कितना धन प्रति माह खर्च होता है और क्या इसका कुछ अंश किसी भी रूप में admit की गई महिला को देना पड़ता है ? यदि हां, तो किस अनुपात में ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—उपर्युक्त संस्थाओं में रहने वाली प्रत्येक महिला पर ३० रुपये की धनराशि प्रति माह खर्च की जाती है। यदि उनके साथ बच्चे हों तो प्रत्येक बच्चे पर भी ३० रु० प्रतिमाह खर्च किया जाता है। इस धनराशि का कोई भी अंश किसी भी रूप में संस्था में रहने वाली महिला से नहीं लिया जाता है।

परगनाधीशों व तहसीलदारों को दौरे के समय मुकदमों की तारीख देने के सम्बन्ध में आदेश

*४६—श्री गनेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)—क्या सरकार इस पर विचार करने की कृपा करेगी कि हाकिम परगना या तहसीलदार दौरे के समय मुकदमों में उसी तरफ के लोगों की तारीखें लगाया करें जिस तरफ कि वह दौरे पर हुआ करें ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—हाकिम परगना तथा तहसीलदारों को यह हिदायत पहले से है कि वे जब जिस जवार में दौरे पर जायं, उस जवार के मुकदमे सुनवाई के लिये वहीं रखे जायं।

श्री गनेशचन्द्र काछी—क्या सरकार ने कभी इस बात का पता लगाया है कि इस हिदायत का पूर्ण रूप से पालन हो रहा है या नहीं ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—ऐसी कोई शिकायत नहीं आई, अगर आयेगी तो जरूर पता लगाया जायगा।

मैनपुरी के राजनीतिक पीड़ितों को काशीपुर के ऐडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर से रुपया वापस न मिलना

*४७—श्री गनेशचन्द्र काछी—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ऐडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर, काशीपुर कालोनाइजेशन स्कीम, काशीपुर, जिला नैनीताल के पास जिला मैनपुरी के राजनीतिक पीड़ितों ने ६-२-५२ ई० को पुस्तक संख्या ८,५१२ में जमीन खरीदने के लिये रुपये जमा किये थे ? जिन लोगों को जमीन नहीं मिल सकी है उनके रुपये वापस कर दिये गये हैं या नहीं ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल---जिला मैनपुरी के राजनैतिक पीड़ितों ने ६-२-५२ ई० को जमीन खरीदने के लिए ऐडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर, काशीपुर के पास कोई रुपया नहीं जमा किया।

*४८---**श्री गनेशचन्द्र काछी**---यदि नहीं, तो कब तक वापस कर दिये जायेंगे ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल---प्रश्न नहीं उठता।

श्री गनेशचन्द्र काछी---जिला मैनपुरी के राजनीतिक पीड़ितों की रसीदें मेरे पास हैं, क्या उनको देख कर उनको रुपया वापस करने की कृपा की जायगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जो तारीख प्रश्न में दी गयी है उस तारीख को कोई डिपाजिट नहीं हुआ। १०० रुपया कांट्रीब्यूशन मांगा गया था और उसके बाद कब्जा लेने नहीं आये और न दरख्वास्त देने आये। वह आयें और दरख्वास्त दें तो फौरन रुपया वापस कर दिया जायगा।

जेड० ए० सी० विभाग के कर्मचारी

*४९---**श्री रामसुन्दर पांडेय**---क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जेड० ए० सी० विभाग के कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारियों की नियुक्ति तथा सेवा मुक्ति के आदेश देने का आधार क्या है ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल---जेड० ए० सी० के विभाग के कार्यालयों में काम करने के लिये कर्मचारियों की नियुक्ति तथा सेवा मुक्ति का आधार वही है जो राज्य के अन्य अस्थायी कर्मचारियों के लिये लागू है। वे अस्थायी हैं और उनकी नियुक्ति तथा सेवा मुक्ति कार्यभार के अनुसार होती है। कोई विशेष आदेश इस विभाग के कर्मचारियों के लिये अलग से नहीं है।

*५०---**श्री रामसुन्दर पांडेय**---क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जेड० ए० सी० विभाग के कार्यालयों में काम करते हुये कर्मचारियों की सेवा मुक्ति २५ वर्ष की अवस्था के बाद हो जाती है ? यदि हां, तो क्या उनकी अवस्था की गणना अन्य नौकरी में होगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल---जी हां, सेवा मुक्ति करते समय अवस्था का कोई विचार करने का प्रश्न नहीं उठता। अस्थायी विभाग होने के कारण, जब कार्यभार कम होता है और कर्मचारियों की आवश्यकता नहीं समझी जाती, तभी उन्हें सेवा मुक्ति दे दी जाती है। उनकी अवस्था की गणना अन्य नौकरियों में करने का प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि शासन के अधीन किसी भी अस्थायी विभाग में ऐसा नहीं होता।

*५१---**श्री रामसुन्दर पांडेय**---क्या सरकार जेड० ए० सी० विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों की नियुक्त तथा सेवा मुक्ति के सम्बन्ध में समय-समय पर जो आदेश सरकार की ओर से भेजे गये हैं उनकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल---जैसा कि प्रश्न संख्या ४९ के उत्तर में बताया जा चुका है इन कर्मचारियों की नियुक्ति तथा सेवा मुक्ति के सम्बन्ध में कोई अलग से विशेष आदेश नहीं जारी किये गये हैं। अतः इस सम्बन्ध में आदेशों की प्रतिलिपियां सदन की मेज पर रखने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री रामसुन्दर पांडेय---न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि इस विभाग से जो कर्मचारी निकाले जाते हैं उन्हें और अन्य विभागों में रखने के लिये सरकार की ओर से कोई आदेश नहीं हैं ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—यह सही नहीं है। सरकार की तरफ से ऐसे आदेश हैं कि इस विभाग से जो कर्मचारी निकाले जायं वे माल विभाग के अन्य विभागों में अस्थायी पदों पर नियुक्त किये जायं और नियुक्तियां करते समय उनका खयाल रखा जाय।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सरकार ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं कर रही है कि इस विभाग में जिन कर्मचारियों ने काम किया हो उनको दूसरे विभागों में जब पद रिक्त हों तो रखा जाय ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—अस्थायी कर्मचारियों के लिये ऐसा कोई नियम अभी तक सरकार का नहीं है किसी विभाग के कर्मचारी के लिये।

महाराजगंज तहसील में लेखपालों के विरुद्ध शिकायतें

*५२—**श्री अमरनाथ**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले की महाराजगंज तहसील के कितने लेखपालों के विरुद्ध वर्तमान वित्तीय वर्ष में जनता द्वारा लिखित शिकायतें जिला अधिकारियों को प्राप्त हुईं और उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई तथा उपर्युक्त शिकायतें किस प्रकार की थीं ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—१२ लेखपालों के विरुद्ध लिखित शिकायतें प्राप्त हुईं जिनका विवरण सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ३८०–३८१ पर)

श्री अमरनाथ—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि गोरखलाल और शिवनरेश लाल, लेखपाल के विरुद्ध यह शिकायतें किन तारीखों में प्राप्त हुईं और उनमें जांच में विलम्ब होने का क्या कारण है और जांच रिपोर्ट आने पर क्या मंत्री जी उसे सदन की मेज पर रखेंगे ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—मान्यवर, उस पर जांच हो रही है और तारीख की सूचना तो इस समय मेरे पास नहीं है। जब रिपोर्ट आ जायगी तो उस पर आवश्यक कार्यवाही की जायगी ।

श्री मदन पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि १२ शिकायतें हुईं और वे सभी खारिज कर दी गईं या अभी तक उन पर जांच जारी है, तो इतनी अधिक तादाद में शिकायतों का खारिज होने का क्या कारण है जबकि उन शिकायत करने वालों के बयान उस समय नहीं लिये गये ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जो ज्यादा तादाद में खारिज होती हैं वे अदम सबूत में खारिज हुई हैं और कुछ पर ऐक्शन लिया गया और कुछ जेरे तजवीज हैं।

श्री उपाध्यक्ष—सवाल यह है कि जिन लोगों ने शिकायत की उनसे सम्पर्क स्थापित किया गया या नहीं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—मेरा खयाल है इन्क्वायरी जरूर करते होंगे।

श्री अमरनाथ—क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि जिन लेखपालों के विरुद्ध यह शिकायतें प्राप्त हुईं क्या उनकी जांच उनको मुअत्तल करके की गई या मुअत्तल नहीं किया गया, और अगर नहीं तो क्यों ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—ऐसी सूचना नहीं है कि किन-किन को मुअत्तल किया गया, लेकिन आरोप की गम्भीरता के अनुपात से उन पर कार्यवाही की गई। जो आरोप गम्भीर होते हैं उन पर मुअत्तल करके कार्यवाही की जाती है और जो मामूली होते हैं उन पर वैसे ही कार्यवाही की जाती है ।

*५३–५४—**श्री अमरनाथ**—[२८ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

बीबीपुर के किसानों का कथित प्रार्थना-पत्र

*५५--कुंवर श्रीपालसिंह--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला आजमगढ़ की तहसील मुहम्मदाबाद के ग्राम बीबीपुर के किसानों का कोई प्रार्थना-पत्र सरकार को १९५९ में मिला है जिसमें वहां के कुर्क अमीन को अनैतिकता का सप्रमाण उल्लेख है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल--ऐसा कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुआ।

*५६--श्री ताराचन्द माहेश्वरी--[१४ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

लेप्रोसी हास्पिटल, नैनी के विरुद्ध शिकायत

*५७--श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा) (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सरकारी सहायता प्राप्त लेप्रोसी हास्पिटल (नैनी), इलाहाबाद के मरीजों के द्वारा सरकार के पास सन् १९५९ में इस प्रकार की शिकायतें आई हैं कि वहां हास्पिटल के अधिकारी मरीजों को ठीक प्रकार से भोजन नहीं देते हैं बल्कि भोजन का सामान चोर बाजार में विक्रय कर लेते हैं? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जी नहीं।

*५८-- श्री भुवनेशभूषण शर्मा (अनुपस्थित)--क्या सरकार को यह विदित है कि लेप्रोसी हास्पिटल, नैनी (इलाहाबाद) के मरीजों ने भोजन की खराबी तथा अधिकारियों के दुर्व्यवहार के विरोध-स्वरूप दिनांक २०-६-५९ से २८-६-५९ तक हड़ताल रखी?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जी नहीं।

सगड़ी तहसील में लगान में छूट देने की प्रार्थना तथा टेस्ट वर्क की मजदूरी

*५९--श्री मुक्तिनाथराय--क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गत वर्ष आजमगढ़ जिले में सगड़ी तहसील के ओलाग्रस्त ग्रामों में जो भयंकर रूप से पीड़ित थे उनका सरकारी लगान माफ नहीं किया गया और इस वर्ष गत वर्ष का भी लगान वसूल करने का विचार सरकार का है?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल--गत वर्ष रबी १३६६ फसली में कुछ ग्रामों में ओलावृष्टि से फसल को हानि पहुंची थी। नियमानुकूल जिन ग्रामों में मालगुजारी व लगान में छूट दी जा सकती थी उनमें छूट दे दी गई है। छूट की धनराशि को इस वर्ष वसूल करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है।

*६०--श्री मुक्तिनाथ राय--क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार टेस्ट वर्क में दी जाने वाली मजदूरी की मात्रा को कुछ बढ़ाने एवं टेस्ट वर्क की पुरानी नियमावली में कुछ परिवर्तन का विचार कर रही है? यदि हां, तो क्या?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल--टेस्ट वर्क पर मजदूरी की दर से संबंधित फेमीन कोड के नियमों में पहले, ही परिवर्तन किया जा चुका है और इस समय मजदूरी की दर फेमीन कोड में निर्धारित दर से अधिक है। वर्तमान दर में वृद्धि करने का इस समय सरकार का कोई विचार नहीं है।

श्री मुक्तिनाथराय--क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यह सही है कि ओलावृष्टि क्षेत्रों में कुछ ग्राम जैसे सरंमागर, सरंगाजमुनीभानि आदि तथा मधनापुर का कुछ हिस्सा है, वहां मालगुजारी की कोई छूट नहीं दी गई है जिसकी सूचना सरकार को दी गयी थी?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल---गांव का नाम इस समय हमारे पास नहीं हैं लेकिन जहां ८ आने से अधिक क्षति हुई है वहां छूट दी गई है और जहां कम है वहां नहीं दी गयी है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या न्याय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि इस मजदूरी के सम्बन्ध में नियमों में कब परिवर्तन हुआ है?

श्री हुकुमसिंह विसेन---आखिरी परिवर्तन सन १९५८ में हुआ है।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---इस परिवर्तन के फलस्वरूप जो टेस्ट वर्क में काम करते हैं उनकी मजदूरी में भी क्या कुछ बढ़ोत्तरी हुई है?

श्री हुकुम सिंह विसेन---अब बढ़ोत्तरी का हिसाब तो वह समझें। गोरखपुर में नया तरीका अख्तियार किया गया है कि ७ रुपये १ हजार क्यूबिक फीट पर अदायगी की जाती है। जहां-जहां यह नियम नहीं है वहां १० आना मिट्टी खोदने वालों को, ८ आना मिट्टी उठाने वालों को ६ आना जो लड़के काम करते हैं उनको दिया जाता है।

श्री राजनारायण---क्या यह जो नियम हैं वे मर्द, औरत और बच्चे के लिये, तीनों के लिये समान हैं?

श्री हुकुमसिंह विसेन---वह समान नहीं हैं। १० आना, जो खोदते हैं उनके लिये है, बच्चों के लिये ६ आना है।

श्री राजनारायण---और औरत अगर मिट्टी खोदने लगे तो उसको भी १० आना मिलेगा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जी हां, लेकिन वे यह काम करती नहीं हैं।

श्री मदन पाण्डेय---स्त्री और बच्चों के लिये जो ७ रुपये हजार क्यूबिक फीट दिया जाता है उसमें औरतों के लिये क्या व्यवस्था है ?

श्री हुकुम सिंह विसेन---वह तो काम के हिसाब से होता है। वह अलग-अलग नहीं होता है। ७ रुपया दिया जाता है एक हजार क्यूबिक फिट पर जब जमीन खोदी जाती है। उसका मेजरमेंट कर के दिया जाता है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि गोरखपुर में जो नया काम लागू किया गया है इसको सारे प्रदेश में न लागू करने के क्या कारण हैं?

श्री हुकुम सिंह विसेन--- मैं समझता हूं कि देवरिया में बड़ा एतराज हुआ था, इसलिये जहां जरूरत होगी वहां लगाया जायगा।

श्री मुक्तिनाथराय---मुझे निवेदन यह करना है कि हम लोगों के जो मशहूर प्रश्न होते हैं उनके लिये पूरक प्रश्न करने का हमको अवसर नहीं दिया जाता, एक पूरक प्रश्न के अलावा हम अधिक प्रश्न नहीं कर पाते हैं। ऐसे प्रश्नों के किये हमें अवश्य समय दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष---आज तो आप को नहीं करना है ?

श्री मुक्तिनाथराय---आज तो नहीं लेकिन....

श्री उपाध्यक्ष---अब क्या दिक्कत हो गयी? मगर आप को तो अध्यक्ष की कार्यवाही पर टीका-टिप्पणी करने का शौक है।

श्री मुक्तिनाथराय---मुझे प्रश्न ५९ पर अनुपूरक प्रश्न करना था।

श्री उपाध्यक्ष---वह तो मेरा निर्णय है, मेरा डिस्क्रिशन है, हर एक माननीय सदस्य की इच्छा के अनुसार तो कार्य नहीं हो सकता ।

गोरखपुर जिले में टेस्ट वर्क पर व्यय

*६१—श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस साल (१९५९-६०) गोरखपुर जिले में कहां-कहां टेस्ट वर्क हो रहे हैं और उन पर अब तक कुल कितना रुपया खर्च हो चुका है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—प्रश्न में वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी गई है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ३८२ पर)

*६२—श्री अब्दुल रऊफ लारी (अनुपस्थित)—क्या यह सही है कि फरेन्दा तहसील में घोंघी नदी के किनारे एक बांध टेस्ट वर्क में बन रहा है ? यदि हां, तो उस पर अब तक कितना खर्च हो चुका है और उसके बन जाने से कितने एकड़ खरीफ की फसल बच सकेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी हां, गत वित्तीय वर्ष में, उक्त बांध पर टेस्ट वर्क द्वारा काम हो रहा था, व्यय का उल्लेख पूर्ण प्रश्न के क्रम में कर दिया गया है। बांध के बन जाने पर लगभग १,३१० एकड़ खरीफ की फसल की रक्षा होने की आशा है।

*६३—श्री अब्दुल रऊफ लारी (अनुपस्थित)—क्या सरकार चकदह मनिकापुर, सीहाभार, मानिक तालाब, बसन्तपुर, रानीपुर, राजापुर, रघुनाथपुर, और खालिकगढ़ (तहसील फरेन्दा, जिला गोरखपुर) ग्रामों की फसल की बचत के लिये भी कोई टेस्ट वर्क द्वारा कोई बान्ध बनाने की योजना बना रही है ? यदि हां, तो वह कब तक कार्यान्वित होगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी नहीं, इस प्रकार का एक सुझाव जिले की आयात सहायता समिति (Emergency Relief Committee) के सम्मुख आया था परन्तु सम्बन्धित क्षेत्र के अभावग्रस्त न होने के कारण प्रस्तावित स्थानों पर टेस्ट वर्क चालू नहीं किये गये।

झांसी के न्यायालयों में स्थानाभाव

*६४—श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि झांसी में ऐसे अतिरिक्त सेशन जज, मुंसिफ व जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कितने हैं जिनकी अदालतें स्थान की कमी के कारण मोटर गैरेज और अर्जीनवीसों के बैठने के बरामदों में स्थान रोक कर लगायी जा रही हैं ?

स्वास्थ्य उपमंत्री (श्री बलदेवसिंह आर्य)—स्थान की कमी के कारण झांसी में केवल एक अदालत सेकेन्ड टेम्पोरेरी सिविल ऐण्ड सेशन्स जज की हाल गव हों के बैठने के स्थान के एक भाग में लगायी जा रही है, एक अदालत द्वितीय अतिरिक्त मुंसिफ की मोटर गैरेज में लगाई जा रही थी परन्तु यह अदालत अप्रैल, १९६० में समाप्त हो जाने वाली है ?

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी—क्या सरकार को ज्ञात है कि जो उन्होंने हाल बताया है वह केवल १० फीट चौड़ा बरामदा है और उसमें कोई चौखट और दीवारें नहीं हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—उसकी पैमाइश मेरे पास नहीं है। आप कहते हैं तो ठीक है।

गोरखपुर जिले में डी० डी० टी० का छिड़काव अधिक करने की प्रार्थना

*६५—श्री गौरीराम गुप्त (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार को पता है कि गोरखपुर जिले की फरेंदा तहसील में आनन्दनगर उर्फ रुदलापुर सेखुई और गोरखपुर शहर में बहुत जोरों से हर मौसम में मच्छर लगते हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—जी हां।

*६६—श्री गौरीराम गुप्त—अगर हां, तो सरकार उपरोक्त जगहों के मच्छरों के मारने के लिये डी० डी० टी० का छिड़काव बराबर जारी रखने का विचार कर रही है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन योजना के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त जिलों में, जिसमें जिला गोरखपुर भी शामिल है, आवश्यकतानुसार डी० डी० टी० का छिड़काव साल में दो बार किया जाता है ।

श्री गौरीराम गुप्त—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले में अधिक मच्छर लगते हैं ? यदि हां, तो डी० डी० टी० का छिड़काव बराबर जारी रखने की कृपा सरकार करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—वह तो प्रोग्राम के मुताबिक जरूर जारी रखेंगे, वह बहुत ज्यादा टेस्टफुल उनको मालूम होता है ।

श्री केशव पांडेय (जिला गोरखपुर)—क्या मंत्री जी को पता है कि डी० डी० टी० से जो छिड़काव होता है उससे मच्छर घट नहीं रहे हैं, इसकी क्या वजह है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—वहां पैदाइश ज्यादा होती है । (हंसी)

श्री मदन पांडेय—क्या मंत्री जी इस बात की जांच विशेषज्ञों द्वारा कराने की कृपा करेंगे कि जो वर्तमान डी० डी० टी० छिड़का जा रहा है उसका इच्छित प्रभाव नहीं हो रहा है, इसका कारण क्या है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—काफी मरते हैं, लेकिन वहां फेमिली प्लानिंग नहीं है । (हंसी) पैदा ज्यादा होते हैं, यह एक दिक्कत है ।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)—क्या डी० डी० टी० के साथ गैमेक्सीन मिलाकर छिड़कने पर सभी प्रकार के मच्छर मर जाते हैं ? इस प्रकार की योजना सरकार के सामने है जिसमें केवल डी० डी० टी० छिड़कने पर तो १०० रुपया और दोनों को मिलाकर छिड़कने पर ११५ रुपया खर्चा होता है—केवल १५ रुपये का फर्क है ? क्या इस पर सरकार विचार करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता ।

आजमगढ़ जिले में अवर्षण से फसलों को क्षति

*६७—श्री चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस वर्ष आजमगढ़ जिले में खरीफ की जो फसल अवर्षण से नष्ट हो गई है, वह किस तहसील में कितनी हानि हुई, इसका ब्योरा क्या है ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—आजमगढ़ जिले में पिछली खरीफ १३६७ फसली में अवर्षण के कारण जो हानि हुई है उसका तहसीलवार ब्योरा संलग्न तालिका में दिया हुआ है ।

(देखिए नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ३८३ पर)

स्वास्थ्य विभाग, जिला पीलीभीत के कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतें

*६८—श्री देवनारायण भारतीय—क्या सरकार के पास ९-८-५८ के बाद जिला स्वास्थ्य विभाग पीलीभीत के कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो कितने कर्मचारियों के विरुद्ध और उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—जी हां । दस कर्मचारियों के विरुद्ध सरकार के पास शिकायतें आई थीं । उचित जांच के बाद निम्नलिखित कार्यवाही की गई :—

(क) दो कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतें असत्य सिद्ध हुईं । इसलिये कोई कार्यवाही नहीं की गई ।

(ख) दो कर्मचारियों का स्थानान्तरण कर दिया गया ।

(ग) एक कर्मचारी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही होने जा रही है ।

(घ) एक कर्मचारी के पदावनति (रिवर्जन) के आदेश दिये गये हैं ।

(ङ) एक कर्मचारी को जो अन्तरिम जिला परिषद् का कर्मचारी था, जिलाधीश ने बर्खास्त किया ।

(च) बाकी तीन कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतों पर अभी जांच हो रही है ।

श्री देवनारायण भारतीय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिन दस कर्मचारियों के खिलाफ शिकायतें आई हैं उनमें कितने सेनिटरी इन्सपेक्टर्स हैं, कितने एपिडेमिक असिस्टेन्ट्स और कितने अन्य प्रकार के कर्मचारी हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—इस समय यह सूचना मेरे पास नहीं है ।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय मंत्री जी उस अधिकारी का पद और नाम बताने की कृपा करेंगे जिसको कि रिवर्ट किया गया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—अगर आपको कुछ इन्टरेस्ट हो तो मैं बता दूं ।

श्री देवनारायण भारतीय—क्या किसी ऐसे सेनिटरी इन्सपेक्टर के खिलाफ भी शिकायत हुई है जिसके मामला की दो वर्षों से जांच की जा रही है और अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—सेनिटरी इन्सपेक्टर के खिलाफ इन्क्वायरी हो रही है, लेकिन वह बड़ा चतुर आदमी है इसलिये उसकी इन्क्वायरी में ज्यादा समय लगेगा ।

लखनऊ तथा कानपुर में चेचक

*६९—**श्री मदन पांडेय**—क्या सरकार को ज्ञात है कि राज्य के लखनऊ, कानपुर स्थानों पर चेचक का भयंकर प्रकोप है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि कितने मरीज इस समय तक लखनऊ तथा कानपुर के शहरों में मरे तथा अस्पतालों में भरती हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—कानपुर और लखनऊ शहर में चेचक का प्रकोप नहीं है ।

श्री मदन पांडेय—क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि कानपुर और लखनऊ शहर के अस्पतालों में मार्च, १९५९ और मार्च, १९६० के महीनों में कितने-कितने चेचक के मरीज भर्ती हुये और मरे ?

श्री उपाध्यक्ष—इसके लिये फिर से नोटिस दीजिये ।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—क्या मन्त्री जी कृपया बतायेंगे कि चेचक आदि ऐसी बीमारियों के भयंकर प्रकोप को देखते हुये सरकार अनिवार्य रूप से टीका लगवाने की योजना सोच रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—हमारा ड्राइव चल रहा है । अगर हम देखेंगे कि कहीं रुकावट पड़ रही है तो हम अनिवार्य रूप से टीका लगवाने की भी चेष्टा करेंगे ।

*७०–७१—श्री प्रतापसिंह—[२८ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किये गये ।]

*७२–७४—श्री गयाप्रसाद (जिला प्रतापगढ़) तथा श्री राजनारायण—[२८ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किये गये ।]

*७५—श्री राजनारायण—[२८ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किया गया ।]

सहायता तथा पुनर्वासन विभाग के कर्मचारी

*७६—श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सहायता तथा पुनर्वासन विभाग कब तक समाप्त कर दिया जायेगा ? इसमें कितने कर्मचारी हैं और उनमें से ५ व १० वर्ष से अधिक वाले कितने हैं तथा इस विभाग के कर्मचारियों को अन्यत्र नौकरी में लिये जाने पर सरकार ने क्या विचार किया है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस प्रश्न का जो पहला भाग है कि सहायता तथा पुनर्वासन विभाग कब तक समाप्त कर दिया जायगा, उसकी सूचना कहां से एकत्रित होगी, कौन अधिकारी इस बात को बतायेगा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—हम पीस–मील जवाब देना नहीं चाहते थे, इसलिये हमने तमाम अफसरों का पता लगाया और वह मालूम हो जाता तो इकट्ठा जवाब दे देते ।

श्री प्रतापसिंह—क्या सरकार इस बात को स्पष्ट करेगी कि वह पुनर्वास विभाग को समाप्त करने पर विचार भी कर रही है या नहीं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—सेन्ट्रल गवर्नमेंट के आदेशानुसार हम करेंगे ।

[उपर्युक्त प्रश्न २८ अप्रैल, १९६० की कार्य सूची में पुनः रख दिया गया ।]

बलरामपुर तहसील में लगान में छूट

*७७—श्री दशरथ प्रसाद (जिला गोंडा) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला गोंडा की तहसील बलरामपुर में इस वर्ष (१९५९–६०) में कितने गांवों को लगान में छूट मिली है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जिला गोंडा की तहसील बलरामपुर में वित्तीय वर्ष १९५९–६० में १४१ गांवों में खरीफ की मालगुजारी में छूट दी गई है ।

प्रतापगढ़ सिविल अस्पताल में बिजली न होना

*७८—श्री नन्दराम (जिला प्रतापगढ़)—क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन्हें ज्ञात है कि प्रतापगढ़ सिविल अस्पताल में बिजली नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—जी हां । प्रतापगढ़ शहर में तीन साल से बिजली आई है । अस्पताल में बिजली लगाने की स्वीकृति वित्तीय वर्ष (१९५९–६०) में प्रदान की जा चुकी है । आशा है कुछ ही दिनों में यह काम पूरा हो जायगा ।

श्री नन्दराम—क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बिजली लगने में विलम्ब होने का क्या कारण है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—अभी तो प्रतापगढ़ में बिजली ही नहीं थी, कुछ समय से वहां पर बिजली लगी है । अब हम अस्पताल के लिये भी प्रबन्ध कर रहे हैं । वहां पर २८ हजार से अधिक रुपया मंजूर किया गया है ।

श्री राजनारायण—वहां पर तीन वर्ष पूर्व बिजली आ चुकी है और वित्तीय वर्ष १९५९-६० में वहां पर बिजली लगाने की इजाजत दी जा चुकी है तो क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जब १९५९-६० में बिजली लगाने की इजाजत दी जा चुकी थी और वहां पर बिजली आ चुकी थी पहले, तो फिर अब तक न लगने का क्या कारण है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—बहुत सी स्टेजेज होती हैं और उसमें कुछ वक्त लगता है। हमारा प्रयास तो यह है ही कि अस्पताल में जल्द से जल्द बिजली लग जाय।

*७९—**श्री नन्दराम**—[२८ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

पट्टी सेण में आयुर्वेदिक चिकित्सालय खोलने का विचार

*८०—**श्री प्रतापसिंह**—क्या न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक १७-९-१९५९ को गढ़वाल की जनता ने अपने जिले में अस्पताल बनाने के लिये आवेदन-पत्र दिया है ? यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या किया ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—जी हां, सरकार पट्टी सेण में एक आयुर्वेदिक चिकित्सालय खोलने के प्रश्न पर विचार कर रही है।

श्री प्रतापसिंह—क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह विचार कब तक कार्य-रूप में परिणत हो जायगा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जब अंतिम फैसला हो जायगा।

*८१-८२—**श्री कोतवालसिंह भदौरिया** (जिला फर्रुखाबाद)—[२८ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

*८३-८४—**श्री जगन्नाथप्रसाद** (जिला खीरी)—[२८ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

बरेली अस्पताल में मरीज

*८५—**श्री शिवराजबहादुर** (जिला बरेली)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सरकारी अस्पताल, जिला बरेली में इस वक्त कितने तपेदिक के मरीज भर्ती हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—सरकारी अस्पताल, जिला बरेली में इस समय तपेदिक का कोई मरीज भर्ती नहीं है।

*८६—**श्री शिवराजबहादुर**—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि उपरोक्त अस्पताल में फ्रैक्चर (fracture) के कितने मरीज जनवरी, १९५९ से जनवरी, १९६० तक भरती हुये ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—उक्त अस्पताल में जनवरी, १९५९ से जनवरी, १९६० तक १,८१९ फ्रैक्चर के मरीज भर्ती हुए।

*८७—**श्री शिवराजबहादुर**—क्या सरकार कृपया यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त अस्पताल में जनवरी, १९५८ से जनवरी, १९६० तक कुल कितनी मृत्यु हुई ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—उपरोक्त अस्पताल में जनवरी, १९५८ से जनवरी, १९६० तक कुल ७१४ मृत्यु हुईं।

श्री शिवराजबहादुर—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि फ्रैक्चर के कितने मरीजों का सही एडमिटेन्स हो सका ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि चिकित्सा कराने वाले व्यक्तियों की परसेंटेज क्या है ?

श्री हुकुमसिंहविसेन—परसेंटेज इस समय नहीं बता सकता हूं ।

श्री हरदयालसिंह (जिला शाहजहांपुर)—मृत व्यक्तियों में अधिकांश किस मर्ज के थे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—असली मर्ज तो यह था कि उनका वक्त आ गया था ।

*८८-८९—श्री ताराचन्द माहेश्वरी—[२८ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किये गये ।]

*९०-९१—श्री भजनलाल (जिला इटावा)—[२८ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किये गये ।]

*९२—श्री रामअधार तिवारी (जिला प्रतापगढ़)—[२८ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किया गया ।]

झांसी क्लेक्टरी के क्लार्क

*९३—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि झांसी जिले के कलेक्टरी दफ्तर में Revenue Establishment में सन् १९४७ में कितने-कितने स्थाई व अस्थायी क्लर्क थे तथा उस समय से अब तक बढ़ने वाले नये-नये मुकदमों व काम के अनुपात से उनमें कितनी-कितनी वृद्धि की गई ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—झांसी जिले के कलेक्टरी दफ्तर में सन् १९४७ में ८१ स्थायी तथा १७ अस्थायी क्लर्क थे । उस समय से अब तक बढ़े हुये नये-नये महकमों व कार्यों को देखते हुये सन् १९४७ की संख्या में ७ स्थायी तथा १२५ अस्थायी क्लर्कों की वृद्धि की गयी है और इस प्रकार अब ८८ स्थायी तथा १४२ अस्थायी क्लर्क कार्य कर रहे हैं ।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अस्थायी लोगों को स्थायी न करने के क्या कारण हैं ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—स्थायी स्थान रिक्त नहीं हैं ।

ओखल कांडा तथा धीमावर्ती में अस्पताल की आवश्यकता

*९४—श्री प्रतापसिंह—क्या न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ओखलकांडा जिला नैनीताल में अस्पताल खुल गया है ? यदि नहीं, तो कब तक खुल जायगा ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—जी नहीं । अस्पताल खोलने के सम्बन्ध में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है ।

*९५—श्री प्रतापसिंह—क्या न्याय मंत्री को ज्ञात है कि धीमावर्ती पट्टी दारमा, जिला अल्मोड़ा में अस्पताल नहीं है ? यदि हां, तो कब तक खुल जायेगा ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—जी हां । अस्पताल के खुलने के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता ।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय स्वास्थ्य मंत्री माननीय नियोजन मंत्री से पूछ कर कि वहां अस्पताल की इमारत बन चुकी है और जबकि हर ब्लाक में एक सेंटर खोला जा रहा है तो फिर देर क्यों कर रहे हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—उसके नजदीक बहुत-सी डिस्पेंसरीज हैं और यह प्रश्न जेरे-गौर है ।

परिवार नियोजन क्लिनिक केन्द्र

*९६—श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि ३१-१२-५९ को राज्य में कुल कितने परिवार नियोजन क्लिनिक केन्द्र थे और उनमें से कितने शहरों में और कितने गांवों में थे ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—कुल १०५ केन्द्र स्थापित किये जा चुके थे जिनमें १५ शहरों में और ९० गांवों में थे ।

*९७—श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी—क्या सरकार उपरोक्त परिवार नियोजन क्लीनिकों की जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—सूची† संलग्न है ।

*९८—श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इन परिवार नियोजन क्लीनिकों से १-१-५९ से ३१-१२-५९ तक राज्य में district-wise कितने (१) व्यक्तियों को निःशुल्क कन्ट्रासेप्टिव्स बांटे गये व, (२) कितने व्यक्तियों ने मूल्य देकर कन्ट्रासेप्टिव्स खरीदे ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—सूचना† संलग्न है ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या मंत्री जी बतावेंगे कि कितने व्यक्तियों ने कन्ट्रासेप्टिव्स प्राप्त किये और कितनों ने मूल्य देकर लिये ?

श्री हुकुम सिंह विसेन—नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री उपाध्यक्ष—यह तो जवाब में है ।

श्री मोतीलाल अवस्थी—इनसे कितने लोगों ने फायदा उठाया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—हम मोतीलाल जी को मुफ्त दे सकते हैं ।

खीरी जिले में गांव समाजों की भूमि

*९९—श्री जगन्नाथप्रसाद (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला खीरी में किन-किन गांव सभाओं की कितने-कितने एकड़ भूमि १ जनवरी, १९५९ से ३१ दिसम्बर, १९५९ तक वन विभाग द्वारा लेने की घोषणा की गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जिला खीरी में प्रश्नांकित अवधि के भीतर किसी भी गांव समाज की भूमि वन विभाग द्वारा लेने की घोषणा नहीं की गई है ।

*१००—श्री जगन्नाथप्रसाद (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि किन-किन गांव समाजों में कितने-कितने एकड़ भूमि (जो अब तक वन विभाग द्वारा ली जा रही है) किसानों के कब्जे में रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—यह प्रश्न नहीं उठता ।

*१०१—श्री जगन्नाथप्रसाद (अनुपस्थित)—क्या यह सत्य है कि जो गांव समाजों की भूमि वन विभाग के पास चली गई है उसकी पड़ताल लेखपालों द्वारा नहीं कराई जाती ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—यह पड़ताल वन विभाग द्वारा कराई जाती है और यदि वन विभाग आवश्यक समझता है तो लेखपाल की सहायता से यह काम होता है ।

---

† सूची छापी नहीं गई ।

सलेमपुर तहसील के समक्ष किसानों का प्रदर्शन

*१०२—श्री उग्रसेन (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)—क्या न्याय मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक २५ जनवरी, १९६० को सलेमपुर तहसील, जिला देवरिया के किसानों ने सोशलिस्ट पार्टी के नेतृत्व में तहसील के समक्ष प्रदर्शन किया और सरकार को एक मांग-पत्र दिया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी हां ।

*१०३—श्री उग्रसेन (अनुपस्थित)—क्या न्याय मंत्री उक्त मांगों को बताने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—उक्त मांग-पत्र की एक प्रतिलिपि संलग्न अनुसूची 'क' पर है ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ३८४–३८५ पर)

*१०४—श्री उग्रसेन (अनुपस्थित)—मांग पत्र में उल्लिखित मांगों के सम्बन्ध में सरकार ने कौन-सी कार्यवाही की ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—मांग-पत्र में उल्लिखित मांगों में से मांग संख्या १ (क), (ख) और (ग) (प्रथम खण्ड), मांग संख्या २, मांग संख्या ४, (प्रथम खण्ड) मांग संख्या ५, और मांग संख्या ७ (प्रथम और द्वितीय खण्ड) के बारे में आवश्यक सूचना संलग्न अनुसूची 'ख' में दी हुई है ।

शेष मांगों के बारे में अभी सूचना एकत्र नहीं हो पाई ।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ३८६ पर)

लखीमपुर तहसील में मालगुजारी में छूट

*१०५—श्री छेदीलाल (जिला खीरी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि तहसील लखीमपुर जिला खीरी में सन् १९५९ ई० में किन-किन गांवों में ओला पड़ा और किन-किन गांवों में आठ आने से अधिक का रबी की फसल में नुकसान हुआ ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—सन् १९५९ ई० में तहसील लखीमपुर, जिला खीरी के जिन-जिन गांवों में ओला पड़ा है उनकी एक सूची संलग्न है। संलग्न सूची के प्रथम ५१ गांवों में रबी की फसल को रुपये में आठ आना से अधिक का नुकसान हुआ है।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ३८७–३८९ पर)

*१०६—श्री छेदीलाल—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि उपर्युक्त किन-किन गांवों में मालगुजारी में छूट के आदेश हुये हैं ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—संलग्न सूची के प्रथम ५१ गांवों में मालगुजारी में छूट देने के आदेश हुये हैं।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ३८७–३८९ पर)

*१०७—श्री छेदीलाल—क्या यह सत्य है कि जिन गांवों में ओले से हानि हुई है, उनमें मालगुजारी वसूल की जा रही है ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—सम्बन्धित गांवों में छूटशुदा मालगुजारी की वसूली नहीं की जा रही है । छूट की धनराशि को छोड़ कर बाकी मालगुजारी की वसूली की जा रही है ।

श्री छेदीलाल—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन ५० गांवों के अलावा और बहुत से गांवों के लिए जिलाधीश महोदय ने स्वयं जांच करके अपनी डायरी में लिखा है कि वहां ८ आन से ज्यादा हानि हुई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जो रिपोर्ट आयी है उसी से हमने जवाब दिया है।

श्री शिवप्रसाद नागर—क्या जहां आठ आने से ज्यादा हानि हुई है वहां बीज की वसूली बदस्तूर जारी है और वह रोकी नहीं गयी है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—तकावी और मालगुजारी हमने स्थगित की है।

श्री सुरथबहादुरशाह (जिला खीरी)—क्या सरकार की दृष्टि में यह बात है कि जहां भारी क्षति पहुंची है वहां तकावी और मालगुजारी की वसूली फौरन सस्पेंड की जाय ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—८ आने से ज्यादा हानि में स्थगित की जाती है।

श्री बंशीधर शुक्ल—८ आने से ज्यादा हानि सरकार ने कैसे आंकी है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—मौके पर जाकर अन्दाजा किया जाता है।

श्री छेदीलाल—क्या यह सही है कि जहां छूट दी गयी है वहां १ अमीन के बजाय ३ अमीन लगान वसूल कर रहे हैं और वह भी जबरदस्ती ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—अगर ऐसी कोई शिकायत माननीय सदस्य भेजेंगे तो उसकी जांच करा ली जायगी।

मैनपुरी क्लेक्टरी में अनुसूचित जाति के कर्मचारी

*१०८—**श्री रामदीन** (जिला मैनपुरी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला मैनपुरी की कलेक्टरी में इस समय कितने कर्मचारी किन किन पदों पर कार्य कर रहे हैं ?

*१०९—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मैनपुरी की कलेक्टरी में काम करने वाले विभिन्न कर्मचारियों में कितने अनुसूचित जातियों के हैं ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—वांछित सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री रामदीन—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इन प्रश्नों को १ माह से अधिक हो गया तो कलेक्टर से सूचना मंगाने में क्या दिक्कत है ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—विभिन्न कर्मचारियों के बारे में सूचना इकट्ठा करने में समय लगेगा ही।

श्री रामदीन—यह सूचना कब तक एकत्र हो जायगी ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—शीघ्र ही आ जावेगी।

श्री उपाध्यक्ष—नियमानुकूल ये प्रश्न १५वें दिन फिर सूची में आ जायेंगे। तब तक सूचना आ जानी चाहिए।

सीतापुर जिले में चकबन्दी विभाग में लिये गये हरिजन व पिछड़ी जाति के कर्मचारी

*११०—**श्री मूलचन्द** (जिला सीतापुर) (अनुपस्थित)—क्या न्याय मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जिले में अभी शुरू साल (१९६०) में चकबन्दी विभाग में क्लर्क और चपरासियों का चुनाव हुआ है ? यदि हां, तो कुल कितने क्लर्क और चपरासी चुने गये और उनमें कितने हरिजन तथा पिछड़ी जाति के हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इस वर्ष सीतापुर जिले में चकबन्दी विभाग में कुल ३३ क्लर्कों और ४९ चपरासियों की नियुक्ति हुई है, जिनमें से क्लर्कों में १ हरिजन व २ पिछड़ी जाति के तथा चपरासियों में ५ हरिजन व १२ पिछड़ी जाति के हैं।

गौरन ग्राम की भूमि पर अनधिकृत अधिकार का मामला

*१११—श्री गोविन्दनारायण तिवारी (जिला जालौन)—क्या सरकार को पता है कि तारीख २१-१-१९६० को जिला जालौन के प्रजा समाजवादी कार्यकर्त्ताओं का एक शिष्ट मण्डल झांसी डिवीजन के कमिश्नर से उरई में मिला और ग्राम गौरन, जिला जालौन के लेखपाल के कागजात तथा अन्य कागजात दिखाकर यह मांग की कि गौरन ग्राम की लगभग ४० एकड़ भूमि पर ग्राम जैसारी कलां तथा ग्राम गौरन के कुछ लोगों ने माल विभाग के अधिकारियों से मिलकर अनधिकृत रूप से कब्जा कर लिया है। उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करके उन्हें बेदखल किया जाये और उक्त भूमि भूमिहीनों को दी जाये?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—जी हां।

*११२—श्री गोविन्दनारायण तिवारी—यदि उपरोक्त प्रश्न का उत्तर 'हां' में हो तो क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस सम्बन्ध में कमिश्नर, झांसी डिवीजन, व कलेक्टर जिला जालौन ने सरकार से आदेश चाहा है कि इस भूमि की बेदखली की कानूनी कार्यवाही की जावे अथवा नहीं? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में आज तक सरकार के द्वारा क्या कार्यवाही की गयी?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—जिलाधीश ने सरकार को इस मामले के बारे में लिखा है। मामला अभी विचाराधीन है।

श्री गोविन्दनारायण तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि विचाराधीन मामले को वह कब तक फैसल कर लेंगे?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—अनुमान है कि शीघ्र ही इसका फैसला हो जायगा।

श्री गोविन्दनारायण तिवारी—बेदखली की मियाद के अन्दर फैसला हो जायगा या बाद में होगा?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—इन्हीं बातों पर विचार हो रहा है कि विधि के अनुसार क्या आदेश दिये जायें?

हरैया तहसील में कुछ गांव समाजों का धन

*११३—श्री रणबहादुर सिंह (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)—क्या न्याय मन्त्री कृपया बतायेंगे कि तहसील हरैया (बस्ती) के अन्तर्गत सिकन्दरपुर, बभनान, रमधरिया और दुबौलिया ग्राम समाज के पास कितना धन १५ जनवरी, १९६० को था? क्या समाज ने कुछ धन १९५९ और १९६० में व्यय किया है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—१५ जनवरी, १९६० को गांव समाज, सिकन्दरपुर, बभनान, रमधरिया और दुबौलिया के पास क्रमशः ६,१२३ रु० १८ न०पै०, १,३४२ ० ७६ न०पै०, ३,४८३ रु० ७५ न०पै० और १११ ० की धनराशि थी। गांव समाज, रमधरिया और दुबौलिया ने १९५९ और १९६० में कोई व्यय नहीं किया। गांव समाज, सिकन्दरपुर ने १९५९ में १५९ ० ९२ न०पै० व्यय किये और १९६० में कुछ व्यय नहीं किया। गांव समाज, बभनान ने १९५९ में ३,००३ ० ९० न०पै० और १९६० में १,०८६ ० व्यय किये।

ग्राम समाज, मथुरपुर की कछारी भूमि

*११४—श्री गुप्तार सिंह (जिला रायबरेली)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जनपद रायबरेली के थाना सरेनी के अन्तर्गत ग्राम समाज मथुरपुर की कछार में सन् १३६५ व सन् १३६६ फसली में कितने बीघा कछार की भूमि बोयी गयी थी और कितने किसानों के नाम जिन्सवार दर्ज की गयी?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—सन् १३६५ फसली में २६७ बीघा ३ बिसवे १६ बिसवान्सी भूमि बोयी गयी थी और ५२ किसानों के नाम जिन्सवार दर्ज की गयी तथा १३६६ फसली में ३२० बीघा १२ बिसवा १८ बिस्वान्सी भूमि बोयी गयी तथा ७० कृषकों के नाम जिन्सवार दर्ज की गयी।

*११५—**श्री गुप्तारसिंह**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त भूमि के किसानों से ग्राम समाज, मथुरपुर ने सम्बन्धित लगान भी वसूल कर लिया था?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—जी हां।

श्री गुप्तारसिंह—क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह जमीन भूमिहीन हरिजनों को दी गयी?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—मान्यवर, इसकी सूचना हमारे पास इस समय नहीं है।

स्वास्थ्य विभाग के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का स्मृतिपत्र

*११६—**श्री रामस्वरूप वर्मा**—क्या न्याय मंत्री कृपया बतायेंगे कि सरकार के पास कोई मांग एवं स्मृति-पत्र चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ, स्वास्थ्य विभाग, उत्तर प्रदेश रजिस्टर्ड नं० १८४२/१९५७, १९५८ का १९६० में प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो सरकार ने क्या निर्णय उस सम्बन्ध में किया है?

श्री बलदेवसिंह आर्य—जी हां। चूंकि उक्त स्मृति-पत्र पर किसी के हस्ताक्षर नहीं थे और हस्ताक्षर रहित पत्रों पर सरकार द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जाती अतः इस पर कोई कायवाही किया जाना आवश्यक नहीं समझा गया।

श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी इस बात को देखते हुए कि यह पत्र एक रजिस्टर्ड संघ द्वारा, रजिस्ट्री से उनके पास आया है, उस पर विचार करने की कृपा करेंगे?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जब तक उस पर किसी के हस्ताक्षर न हों, उस पर किस प्रकार से विचार करें?

श्री रामस्वरूप वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी इस बात को देखते हुए कि अब यह बात इस सदन में आ गयी है और मैं उसको प्रमाणित करता हूं, अब उस पर विचार करने की कृपा करेंगे?

श्री हुकुमसिंह विसेन—अगर हमारे मित्र उस पर दस्तखत करा कर भिजवा दें तो बड़ी सहूलियत हो जायगी।

मलेरिया विभाग में अनुसूचित जाति के कर्मचारी

*११७—**श्री रामदीन**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगा कि उत्तर प्रदेश में मलेरिया विभाग में जनवरी, १९६० में कुल कितने तथा किस-किस पद पर पदाधिकारी कार्य कर रहे थे और उनमें कितने अनुसूचित जाति के कर्मचारी थे?

श्री बलदेवसिंह आर्य—सूचना अभी एकत्र की जा रही है।

श्री रामदीन—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि सूचना एकत्रित न होने का कारण क्या है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—काम बहुत है, लंबा चौड़ा है, इन्क्वायरी करनी पड़ती है, उसमें देर लग जाती है।

हैदरगढ़ व रामसनेहीघाट के तहसीलदारों व नायब तहसीलदारों के घर पर पहरा

*११८---श्री जंगबहादुर वर्मा---क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बाराबंकी के अन्तर्गत तहसील हैदरगढ़, रामसनेहीघाट में रात्रि को तहसीलदार व नायब-तहसीलदार के क्वार्टर्स (मकान) की रखवाली के लिये ३ चपरासियों से नित्यप्रति ओसराबन्दी समेत पहरा दिलाया जाता है? यदि हां, तो क्यों?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल---जी नहीं।

श्री जंगबहादुर वर्मा---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि तहसील रामसनेहीघाट का तहसीलदार मारा गया और तहसील हैदरगढ़ के तहसीलदार के यहां चोरी हो गयी, तब से दोनों तहसीलों में ३-३ चपरासी ओसराबन्दी से पहरे पर लगाये जाते हैं?

श्री हुकुमसिंह विसेन---हम इसका पता लगायेंगे।

प्रतापगढ़ जिले के कलेक्शन विभाग में हरिजन व पिछड़ी जाति के कर्मचारी

*११९---श्री हरकेशबहादुर (जिला प्रतापगढ़) (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि माल विभाग, जिला प्रतापगढ़ के कलेक्शन विभाग में १९५८-५९ और उसके पश्चात् १-१-६० तक कितनी नई नियुक्तियां की गई हैं और उनमें कितने हरिजन और कितने पिछड़ी जाति के व्यक्ति नियुक्त हुए हैं?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जिला प्रतापगढ़ के कलेक्शन विभाग में १९५८-५९ में कुल ४२ नियुक्तियां की गईं जिनमें २ हरिजन और २ पिछड़ी जाति के थे। अप्रैल, १९५९ से १ जनवरी, १९६० तक कुल २३ नियुक्तियां की गईं जिसमें २ हरिजन और ३ पिछड़ी जाति के हैं।

कुमायूं के भूमिहीन हरिजनों को माल धन चौड़ में भूमि देना

*१२०---श्री खुशीराम (जिला अल्मोड़ा)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला नैनीताल के माल धन चौड़ में कुमायूं के भूमिहीनों के २०० मवासों को जिन्हें दो साल पूर्व दो सौ प्लाट एलाट हो चुके थे भूमि अभी तक नहीं मिली है? इसका क्या कारण है?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल---जिला नैनीताल के मालधन चौड़ क्षेत्र में कुमायूं के भूमिहीन हरिजनों को बसाने के लिये ३, ३०० एकड़ भूमि वन विच्छेद (disforest) की गई थी। भूमि की वास्तविक नाप होने पर वह भूमि केवल ३,१५८ एकड़ निकली, जो ५९७ हरिजन परिवारों को दो वर्ष पूर्व अलाट भी कर दी गई थी, किन्तु बाद में उक्त ३,१५८ एकड़ भूमि में से ५४८ एकड़ भूमि नदी नालों के रूप में तथा कृषि के अयोग्य निकली। इसके अतिरिक्त ६३० एकड़ भूमि तुमड़िया बांध में जो मालधन चौड़ क्षेत्र के समीप बन रहा है, कट गई। इस प्रकार लगभग १,३२० एकड़ भूमि वन विच्छेद की गई (disforested) भूमि में से कम पड़ गई। फलतः केवल १,९८० एकड़ भूमि ३८३ भूमिहीन हरिजन परिवारों को दी जा सकी और लगभग २१४ परिवार भूमिहीन रह गये।

श्री खुशीराम---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन भूमिहीनों को जमीन नहीं मिली है, उनको कब तक मिलेगी और वह कहां से दी जायगी?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल---अभी तो ऐसी कोई भूमि नहीं है। जब कोई रिक्त भूमि होगी तो सरकार इस प्रश्न पर विचार करेगी।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---वहां पर १,३०० हरिजन परिवार भूमिहीन हैं जिन्होंने जमीन पाने के लिये वन मंत्री महोदय के सामने जलूस निकाला था, प्रदर्शन किया था, उसको देखते हुए माल मंत्री महोदय इस बात पर विचार करेंगे कि जो १,४२० एकड़ जमीन बची है उसको १,३०० परिवारों को देने की व्यवस्था सरकार करेगी ?

श्री हुकुमसिंह बिसेन---जमीन की ख्वाहिश तो बहुत है और जमीन है कम। अगर जमीन फालतू होगी तो विचार किया जायगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या मंत्री जी को मालूम है कि हाफिज मुहम्मद इब्राहीम जी ने ३-४ साल पहले यहां दौरा किया था और उन्होंने आज्ञा दी थी फारेस्ट विभाग को डिफारेस्ट करने के लिये ?

श्री हुकुमसिंह बिसेन---मुझे इस समय याद नहीं है।

श्री प्रतापसिंह---माननीय खुशीराम जी के प्रश्न की पृष्ठभूमि में, यह देखते हुए कि वे १९३६ से हरिजनों को भूमि दिलाये जाने के लिये लड़ रहे हैं, नैनीताल की तराई में जो 'बी' क्लास का फारेस्ट है उसको रेवेन्यू विभाग कटाव कर भूमिहीनों को देने की कृपा करेगा ?

श्री हुकुमसिंह बिसेन---अभी तो हमारे यहां वैसे ही फारेस्ट की तादाद बहुत कम है, इसलिये फारेस्ट को कटवाना हम मुनासिब नहीं समझते हैं। नेशनल पालिसी के खयाल से भी फारेस्ट के रहने की जरूरत है।

बदायूं जिले में सिंघाड़े के तालाबों के गलत इन्दराज

*१२१---श्री टीकाराम---क्या सरकार बदायूं जिले में सिंघाड़े के उन तालाबों के किसानों का जो सीरदार या भूमिधर दर्ज हैं और उनमें सिंघाड़ा आदि की खेती नहीं करते हैं, नाम इन्दराज खारिज करेगी ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल---जी नहीं।

श्री टीकाराम---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि पंचायतराज ऐक्ट के मुताबिक सिंघाड़ा के तालाबों पर किसी का मौरूसी हक नहीं हो सकता, इस बात को मद्देनजर रखते हुए ये जो इन्दराज हुए हैं उनको सरकार खारिज करायेगी ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल---किसी के नाम को सरकार स्वयं खारिज नहीं कराती है। कानून में जो विधि विहित है उसी के अनुसार ऐसी कार्यवाही हो सकती है और सरकार इस पर विचार कर रही है।

श्री रामस्वरूप वर्मा---क्या माननीय मंत्री जी इस प्रश्न का उत्तर देंगे कि जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम के अनुसार सिंघाड़े वाले तालाब की जमीन का कोई आसामी हो सकता है, उसका कोई भूमिधर या सीरदार नहीं हो सकता, तो यह जो गलत इन्दराजात हुए हैं उनको वे दुरुस्त कराने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह बिसेन---जैसा कि डिप्टी मिनिस्टर साहब ने बतलाया कि सरकार उसको दुरुस्त नहीं करती है। उसके लिये अदालतें मौजूद हैं, कानून मौजूद है, उस कानून की रू से उसके लिये कार्यवाही हो सकती है तथा दुरुस्ती हो सकती है।

*१२२---श्री यमुनासिंह (जिला गाजीपुर)---[२१ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

झांसी जिला अस्पताल का उच्चस्तरीकरण

*१२३—श्री गज्जूराम (जिला झांसी)—झांसी सिविल अस्पताल में इन-डोर मरीजों के लिये कमरों की संख्या में वृद्धि के सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता के दिनांक ७-१२-५५ के तारांकित प्रश्न संख्या ६३-६४ के उत्तर के क्रम में क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि झांसी सिविल अस्पताल को द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कमिश्नरी स्तर पर निर्माण करने, १५० मरीजों के लिये पलंग व कमरों का निर्माण करने और प्रत्येक रोग के विशेषज्ञों की नियुक्ति करने के बारे में अभी तक क्या-क्या प्रगति हुई है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—जिला अस्पताल झांसी के उच्चस्तरीकरण के सम्बन्ध में वहां पर अनेक विशेषज्ञ विभागों के भवन निर्माण के लिये १९५९-६० में स्वीकृति दी जा चुकी है। इसके अतिरिक्त वहां पर केन्द्रीय सरकार के ढंग (Government of India pattern) पर एक टी० बी० क्लीनिक के भवन निर्माण की भी स्वीकृति पिछले वित्तीय वर्ष में दी जा चुकी है। इस अस्पताल में कुछ शैय्यायें बढ़ाने के प्रश्न पर भी सरकार विचार कर रही है।

जहां तक विशेषज्ञों की नियुक्ति का प्रश्न है, अभी तक केवल एक एलोपैथिक पैथालोजिस्ट की ही नियुक्ति की जा सकी है। अन्य विशेषज्ञ अस्पताल में आवश्यक भवनों के निर्माण हो जाने पर ही किये जा सकेंगे।

श्री गज्जूराम—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि जब सरकार का यह आदेश हो चुका कि सन् ५९-६० तक भवन का निर्माण किया जाय, तो अभी तक उसके न निर्माण होने के क्या कारण हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—बड़ा काम होता है, इसका ठेका होता है, टेंडर बुलाये जाते हैं, प्लान मंजूर होता है, एस्टीमेट मंजूर होता है, इसमें टाइम लगता है। लिहाजा सरकार ने सैंक्शन दे दिया है तब तो वह बन जायगा ही। उसे तो हम करना चाहते ही हैं।

*१२४-१२५—श्री सोहनलाल धुसिया (जिला बस्ती)—[२८ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

किछा के निकट अग्निपीड़ित बंगाली शरणार्थियों को सहायता

*१२६—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार को ज्ञात है कि जनवरी, १९६० में जिला नैनीताल में किछा के पास बसाये गये बंगाली शरणार्थी परिवारों की कई झोपड़ियां जल गईं, और अनेक शरणार्थी परिवारों को जान व माल की क्षति पहुंची ? यदि हां, तो क्या सरकार तत्संबंधी क्षति विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—जनवरी, १९६० में तो नहीं, किन्तु फरवरी, ४-५, १९६० की रात्रि को रतन फार्म में बसाये गये बंगाली शरणार्थियों की झोपड़ियों में आग लग गई थी, जिसके फलस्वरूप एक ११२ वर्ष के व्यक्ति की मृत्यु हुई, ११ बड़ी झोपड़ियां जल कर राख हो गईं और वस्तु, अन्न आदि घरेलू सामान जल जाने के कारण ४९ परिवारों को लगभग २४,०११ रु० की क्षति पहुंची। क्षतिग्रस्त सामान का विवरण देना संभव नहीं है परन्तु उसके अनुमानित मूल्य का विवरण-पत्र सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ ३९० पर)

*१२७—श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त पीड़ित परिवारों के पुनर्वास के हेतु क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—उक्त पीड़ित परिवारों के पुनर्वास के हेतु उनको २५ रु० प्रति परिवार की दर से अनुदान दिया गया, ५० रु० प्रतिमास प्रति-परिवार के दर से दो-दो माह के लिये जीवन निर्वाह भत्ता दिया गया, उनको आर्थिक सहायता के निमित्त अनुदान देने हेतु भारत सरकार से ९,९०० रु० की मांग की गई है, दान से प्राप्त धनराशि से क्रय किया गया, १७ मन चावल बांटा गया जिससे उन्हें भूखा न रहना पड़े, १६२ पौण्ड दूध का पाउडर निःशुल्क बांटा गया, रजाइयां दी गईं, इन परिवारों की झोपड़ियों की मरम्मत करवा दी गई, उधर से पुराने वस्त्र एकत्र करके उन्हें बांटे गये, इन परिवारों के सदस्यों को आजीविका कमाने के लिये समुचित व्यवसाय दिलाने की व्यवस्था की गई है तथा रतन फार्म पर बसाये गये सब ही परिवारों के रहने के लिये पक्के मकानों का निर्माण हो रहा है। उन्हें ५ एकड़ प्रति परिवार की दर से भूमि देने के लिये भूमि तोड़ी जा रही है तथा सड़कें, कुयें, पाठशाला भवन बनाये जाने की व्यवस्था की जा रही है।

*१२८—**श्री नारायणदत्त तिवारी**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि रतन तथा शक्ति फार्म में अब तक कितने शरणार्थी बसाये जा चुके हैं तथा उन्हें क्या-क्या पुनर्वासन सुविधायें अब तक दी गई हैं ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—अब तक शक्ति फार्म में ५२८ और रतन फार्म में २४० शरणार्थी परिवार बसाये जा चुके हैं। शक्ति फार्म में बसाये गये सब परिवारों को रहने के लिये पक्के मकान दिये गये हैं। ४१५ परिवारों को ५ एकड़ प्रति परिवार की दर से भूमि दी जा चुकी है। प्रत्येक परिवार को बैल तथा खेती के औजार क्रय करने के लिये ५,०० रु० ऋण के रूप में दिये जा चुके हैं। भारत सरकार द्वारा स्वीकृत जीवन निर्वाह भत्ता अनुदान के रूप में दिया गया है। प्रत्येक परिवार को सदस्यों की संख्या के आधार पर २ अथवा ३ रजाइयां भी दी गई हैं। इसके अतिरिक्त पीने के पानी की व्यवस्था के लिये १४ हैन्ड पम्प, बच्चों की शिक्षा के लिये ३ प्राइमरी पाठशालायें, चिकित्सा हेतु एक औषधालय तथा सुविधा के लिये एक ब्रांच पोस्ट आफिस का आयोजन किया गया है। रतन फार्म पर बसाये गये परिवारों को निर्धारित दरों पर जीवन निर्वाह भत्ता अनुदान के रूप में मिल रहा है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब भारत सरकार ने और प्रादेशिक सरकार ने वहां पक्के मकान बंगाली शरणार्थियों के लिये बनाये थे तो झोपड़ियों के लिये कौन स्थान और जरूरत थी वहां कि जिनमें आग लगी और इतनी हानि हुई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—मकान बन रहे हैं, वह धीरे-धीरे बनते हैं। शुरू में फौरी इंतजाम झोपड़ियों का होता है, यह तो अक्ल की साधारण बात है।

*१२९—**श्री रामस्वरूप वर्मा**—[गृह मंत्री से संबंधित नवें शुक्रवार के प्रश्न ७१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*१३०-१३१—**श्री जगन्नाथ चौधरी** (जिला बलिया)—[२१ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

बरेली में अतिरिक्त मुन्सिफ की आवश्यकता

*१३२—**श्री जगदीशशरण अग्रवाल** (जिला बरेली) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बरेली नगर-न्यायाधीश (सिटी मुंसिफ) के यहां कितने मुकदमे और कितनी इजराय विचाराधीन हैं और उनमें से कितने एक साल से ज्यादा और कितने दो साल से ज्यादा पुराने हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—२४ मार्च, १९६०, को ५७३ मुकदमे और ३११ इजराय सिटी मुंसिफ बरेली की अदालत में विचाराधीन थे।

२०० मुकदमें एक साल से ज्यादा और ११७ मुकदमे दो साल से ज्यादा पुराने थे। ३० इजराय १ साल से ज्यादा पुरानी और २८ इजरायें दो साल से ज्यादा पुरानी थीं।

*१३३—**श्री जगदीशशरण अग्रवाल** (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पिछले ३ वर्षों में उक्त न्याय लय में मुकदमों और इजराओं (Suits and Execution Applications) के दायरों और निर्णय की संख्या क्या रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—पिछले तीन वर्षों में उक्त न्यायालय में १९६४ मुकदमे और १७३५ इजराय दायर हुये। २०२१ मुकदमे और १४७६ इजराओं पर निर्णय हुआ।

*१३४—**श्री जगदीशशरण अग्रवाल** (अनुपस्थित)—क्या सरकार कोई अतिरिक्त नगर न्यायाधीश नियुक्त करने का विचार रखती है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी हां, हाई कोर्ट का यही प्रस्ताव है कि जब कोई मुंसिफ उपलब्ध होगा वहां भेज दिया जायगा।

स्वदेशी बीमा कम्पनी, अलीगढ़, को कथित सहायता

*१३५—**श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी** (जिला हमीरपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार के पुनर्वास विभाग ने कुछ वर्ष पूर्व 'स्वदेशी बीमा कम्पनी' अलीगढ़ को कोई आर्थिक सहायता दी थी ? यदि हां, तो क्यों और कितनी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी नहीं।

*१३६—**श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी** (अनुपस्थित)—क्या उपरोक्त कम्पनी ने सरकार को वह रुपया वापस कर दिया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—प्रश्न नहीं उठता।

कुम्हारपुर ग्राम के अग्नि-पीड़ितों को सहायता

*१३७—**श्री रमेशचन्द्र शर्मा**—क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिले की मड़ियाहूं तहसील में कुम्हापुर ग्राम के तमाम काश्तकारों की रबी की फसल व चारा मार्च १९५९ में आग लग जाने के कारण जल कर राख बन गया था ? यदि हां, तो कितने किसानों का ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—उक्त आग दिनांक ४-४-५९ को लगी थी, जिसमें १४ किसानों की रबी की रक्खी हुई फसल तथा भूसा जल गया था।

*१३८—**श्री रमेशचन्द्र शर्मा**—क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या कुम्हापुर के उपर्युक्त किसानों को सरकार द्वारा किसी प्रकार की सहायता की गयी थी ? यदि हां, तो किस-किस प्रकार की ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—क्षतिग्रस्त व्यक्तियों को सरकारी सस्ते गल्ले की दूकान से गल्ला खरीदने की व्यवस्था की गई तथा तकावी के रूप में १३७० रु० बांटे गये।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा—क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि यह तकावी सूद पर दी गई है या उन्हें अनुदान के रूप में बांटी गई है ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—यह अनुदान के रूप में नहीं बल्कि यह तकावी ऐक्ट १२ के अन्तर्गत ऋण के रूप में दिया गया है।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन किसानों की सारी फसल जल गई उन्हें किसी प्रकार का अनुदान नहीं दिया गया और केवल तकावी ही बांटी गई है ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—इसमें अनुदान नहीं दिया जाता। बाकी जो बहुत ही असमर्थ होते हैं उनको तात्कालिक अहेतुक सहायता दी जाती है। वैसे, तकावी देने की ही व्यवस्था है।

खेड़ा बझेड़ा परगने में चिकित्सालय न होना

*१३९—**श्री रूमसिंह** (जिला शाहजहांपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या परगना खेड़ा बझेड़ा, तहसील तिलहर, जिला शाहजहांपुर, में कोई अस्पताल नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार वहां अस्पताल खोलने की कृपा करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—यहां पर कोई चिकित्सालय नहीं है, और अभी कोई चिकित्सालय खोलने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

*१४०—**श्री रूमसिंह** (अनुपस्थित)—[२८ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किया गया।]

*१४१-१४२—**श्री होरीलाल यादव**—[२८ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

पडरौना के स्त्री चिकित्सालय में बिजली की आवश्यकता

*१४३—**श्री चन्द्रदेव** (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)—क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले के अन्तर्गत पडरौना में स्त्रियों के राजकीय अस्पताल में कब तक बिजली लगा दी जावेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—इस सम्बन्ध में निश्चित तारीख अभी नहीं बताई जा सकती है। परन्तु हां, इस अस्पताल में बिजली लगाने के लिये सार्वजनिक निर्माण विभाग (विद्युत) से तखमीने मांगे गये हैं। तखमीने बनने के उपरान्त बिजली लगाने का कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

पल्हरी ग्राम के सार्वजनिक मार्ग पर मकान बनाने की शिकायत

*१४४—**श्री रामसनेही भारतीय** (जिला बांदा)—क्या सरकार के पास जनता की ओर से इस बात की शिकायत आई है कि ग्राम पल्हरी हल्का मुरबल, तहसील बबेरू (बांदा), के उस सार्वजनिक स्थान पर जहां गांव के मवेशी खड़े होते हैं उससे लगे हुये तालाब में पानी पीते हैं तथा वहां से होकर एक सार्वजनिक मार्ग जाता है, होली जलाई जाती है, चन्द आदमी अनधिकृत तरीके से मकान बना रहे हैं ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—सरकार के पास ऐसी कोई शिकायत नहीं आई परन्तु जिलाधीश बांदा के पास अवश्य कुछ ऐसा शिकायतें आई थीं। जांच से पता चला कि मकान अनधिकृत तरीके से नहीं बल्कि ग्राम समाज के पट्टे की बुनियाद पर बन रहे हैं। सरकार की ओर से किसी कार्यवाही की जरूरत प्रतीत नहीं हुई।

श्री रामसनेही भारतीय—क्या सरकार बतायेगी कि ग्राम समाज को रास्ता आदि की जमीन देने का अधिकार है ?

श्री महावीरप्रसाद शुक्ल—यह भूमि रास्ते की भूमि नहीं है। ग्राम के सरकारी अभिलेखों में बंजर भूमि करके दर्ज है और गांव समाज की सम्पत्ति है और नियमानुसार उसको किसी को भी देने का अधिकार है।

नोट—तारांकित प्रश्न १४४ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

पट्टी तहसील में डेस्ट वर्क का अनुदान

*१४५—श्री हरकेशबहादुर—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि तहसील पट्टी, जिला प्रतापगढ़ में कितना रुपया १ साल को अन्दर टैस्ट-कार्य के लिये दिया गया था, और उसमें कितना रुपया व्यय किया गया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—गत वित्तीय वर्ष में जिला प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी के लिये अलग से कोई अनुदान टैस्ट वर्क के लिये स्वीकृत नहीं किया गया था, अतः व्यय का प्रश्न नहीं उठता।

*१४६—श्री हरकेशबहादुर—क्या जिला प्रतापगढ़ में उपरोक्त टैस्ट-वर्क चलाने के लिये कोई सलाहकार समिति बनाई गई थी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जी नहीं।

सहारनपुर सदर अस्पताल के डाक्टरों व हेल्थ आफिसर के विरुद्ध शिकायतें

*१४७—श्रीमती शकुन्तलादेवी (जिला सहारनपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनवरी सन् १९५८ से अब तक जिला सहारनपुर के सरकारी सदर चिकित्सालय के डाक्टरों के व हेल्थ आफिसर के खिलाफ सरकार के पास कितनी शिकायतें आई हैं और वह किस प्रकार की हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जिला सहारनपुर के सदर चिकित्सालय के डाक्टरों के व हेल्थ आफिसर के खिलाफ जनवरी १९५८ से अब तक जो शिकायतें आई हैं, वे निम्नलिखित हैं :—

१—एक मेडिकल आफिसर इंचार्ज, जिला अस्पताल, सहारनपुर, के खिलाफ एक जनता के सेवक के प्रति अशिष्ट व्यवहार के लिये,

२—एक पी० एम० एस० (द्वितीय) डाक्टर के खिलाफ एक आनरेरी आंख के सर्जन के साथ ठीक बर्ताव न करने के लिये,

३—एक मेडिकल आफिसर, स्त्री चिकित्सालय, सहारनपुर, के खिलाफ एक गर्भवती स्त्री व उसके बच्चे की मृत्यु के बारे में,

४—एक जिला स्वास्थ्याधिकारी, सहारनपुर, के खिलाफ उनके भ्रष्ट चाल-चलन के बारे में, और

५—दो स्वास्थ्याध्यक्ष, नगरपालिका, सहारनपुर, के खिलाफ प्रेसीडेंट, म्युनिसिपल बोर्ड से सहयोग न करने और अपना कार्य ठीक ढंग से न करने के लिये।

*१४८—श्रीमती शकुन्तलादेवी—क्या इन शिकायतों पर सरकार ने कोई ध्यान दिया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—उपरोक्त सभी शिकायतों पर ध्यान दिया गया है और यथोचित कार्यवाही भी की गई है।

*१४९-१५१—श्री सुक्खनलाल (जिला मुरादाबाद)—[२८ अप्रैल, १९६० के लिये प्रश्न १०६-१०८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

करछना क्षेत्र में नवीन चिकित्सालय न खुलना

*१५२—कुमारी कमलकुमारी गोईन्दी (जिला इलाहाबाद)—क्या न्याय मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि वह करछना क्षेत्र जिला इलाहाबाद, में कोई आयुर्वेदिक या एलोपैथिक औषधालय खोलने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--तहसील करछना में करछना शंकरगढ़ में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र योजना के अन्तर्गत एलोपैथिक अस्पताल नियोजन विभाग द्वारा खोले गये हैं और जसरा तथा मानपुर में आयुर्वेदिक चिकित्सालय भी स्थापित हैं। इसलिये निकट भविष्य में कोई और चिकित्सालय खोलने का विचार नहीं है।

*१५३--**कुमारी कमलकुमारी गोइंदी**--क्या सरकार इस प्रश्न पर विचार कर रही है कि उत्तर प्रदेश में गांवों में Medical Outposts खोले जायें?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जी नहीं।

*१५४-१५५--**श्री ब्रजनारायण तिवारी** (जिला देवरिया)--[२० अप्रैल, १९६० के प्रश्न ६९-७० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*१५६--**श्री ब्रजनारायण तिवारी**--[हटा दिया गया।]

सदर तहसील में चकबन्दी

*१५७--**श्री विश्रामराय** (जिला आजमगढ़)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि आजमगढ़ जिले की सदर तहसील में चकबंदी कब तक समाप्त हो सकेगी और अब तक इस तहसील के कितने गांवों में चकबंदी हो चुकी है?

श्री हुकुमसिंह विसेन--आजमगढ़ जिले की सदर तहसील में चकबंदी का कार्य इस वर्ष के अंत तक प्रायः समाप्त हो जायगा। २९ फरवरी, १९६० तक इस तहसील के किसी भी गांव की चकबंदी पूर्णतया समाप्त नहीं हो पाई थी। परन्तु ५९३ गांवों में खातेदारों को उनके नये चकों पर कब्जा दिलाया जा चुका था।

*१५८--**श्री विश्रामराय**--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि आजमगढ़ जिले में किसी अन्य तहसील में चकबंदी योजना लागू की जाने वाली है? यदि हां, तो किस तहसील में और कब से?

श्री हुकुमसिंह विसेन--चकबंदी का कार्य आरम्भ करने के लिये आजमगढ़ जिले की किसी अन्य तहसील का चुनाव अभी नहीं किया गया है।

बरेली जिला जेल में विचाराधीन तथा तीन वर्ष से अधिक अवधि के दण्डित बन्दी

*१५९--**श्री शिवराजबहादुर**--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बरेली डिस्ट्रिक्ट जेल में कुल कितने ऐसे undertrials हैं जो चार महीने से अधिक होने पर भी बिला जमानत जेल में बन्द हैं?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--८६।

*१६०--**श्री शिवराजबहादुर**--क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि जिला जेल बरेली में ऐसे कितने कैदी हैं जिनको तीन साल से अधिक की सजायें दी गई हैं?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--५९।

*१६१-१६३--**श्री रामदास आर्य** (जिला मुजफ्फरनगर)--[२८ अप्रैल, १९६० के लिये स्थगित किये गये।]

अतारांकित प्रश्न

खुटहन ग्राम के अस्पताल का भवन

१--कुंवर श्रीपालसिंह--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जौनपुर जिले की तहसील शाहगंज के ग्राम खुटहन में बने ऐलोपैथिक अस्पताल के भवन के निर्माण का ठेका किस सन् में तथा किसको दिया गया था ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--भवन का निर्माण ठेके द्वारा नहीं किया गया।

२--कुंवर श्रीपालसिंह--यह ठेका कितने रुपये का था तथा क्या टेंडर पर दिया गया था ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--प्रश्न नहीं उठता।

३--कुंवर श्रीपालसिंह--क्या भवन पूर्णरूपेण तैयार हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जी नहीं। भवन निर्माण कमेटी के पास धनाभाव था।

४--कुंवर श्रीपालसिंह--क्या ठेके का रुपया ठेकेदार को दिया जा चुका है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--प्रश्न नहीं उठता।

दहगवां ग्राम समाज के प्लाट

५--श्री उल्फतसिंह (जिला बदायूं)--क्या सरकार १२-२-६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ६ के उत्तर के सिलसिले में यह बताने की कृपा करेगी कि ग्राम समाज में निहित होने की तिथि से ही जिन व्यक्तियों के कब्जे में प्लाट हैं क्या उनमें से एक प्रधान है और शेष दो उनके भाई हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जी हां, लेकिन इन व्यक्तियों का कब्जा ग्राम समाज में भूमि निहित होने की तिथि के पहले से ही है।

६--श्री उल्फतसिंह--क्या यह प्लाट ग्राम समाज में निहित होने के बाद नीलाम किये गये थे ? यदि हां, तो कम से कम और अधिक से अधिक बोली क्या बोली गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--जी नहीं। प्रश्न का दूसरा भाग उठता ही नहीं।

लखनऊ में समाज कल्याण विभाग से अंधों को कथित सहायता

७--श्री हरदयालसिंह--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राज्य समाज कल्याण विभाग की ओर से कितने अन्धों को लखनऊ स्थित केन्द्र पर सहायता मिल रही है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--लखनऊ में अन्धों के लिये राज्य समाज कल्याण विभाग ने कोई केन्द्र स्थापित नहीं किया है। अतः किसी प्रकार की सहायता का प्रश्न नहीं उठता।

बाराबंकी जिले में चकबन्दी में ली जाने वाली तहसील

८--श्री जंगबहादुर वर्मा--क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बाराबंकी के अन्तर्गत तहसील रामसनेहीघाट में चकबन्दी समाप्त हो जाने के बाद जिले में कौन सी तहसील में चकबन्दी करने का उनका विचार है और कब तक ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--इस विषय में अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है।

ीमती राजेन्द्र किशोरी द्वारा ८ सितम्बर, १९५९ को अभिसूचित विषय पर नियम ५२ के अन्तर्गत राजस्व उप मन्त्री का वक्तव्य

श्री उपाध्यक्ष--अब माननीय न्याय मंत्री श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी द्वारा नियम ५२ के अन्तर्गत दी गई सूचना के सम्बन्ध में वक्तव्य देंगे ।

राजस्व उप मंत्री (श्री महावीरप्रसाद शुक्ल)--मान्यवर, यह सत्य नहीं है कि जिला बहराइच स्थित तालाब बघेल में पूर्वी बंगाल के शरणार्थियों के पुनर्वास के सिलसिले में निहित स्वार्थों के लोगों द्वारा षड़यंत्र करके पुनर्वास के बहाने सुमेरपुर, फरेंदा, तिरकौलिया, मुहम्मदपुर, ककरहा, इमिलियागंज, झाला तरहर, नूरपुर, कोट, पयागपुर, काशीजोत, गंगापुर, भगतपुरवा, राजापुर, मोहनपुर-प्राफो नामक गांव के किसानों को उनकी भूमि से बेदखल किया जा रहा है ।

ग्राम तालाब बघेल का कुल क्षेत्रफल ५१०५.५३ एकड़ है जिसमें एक नम्बर "२६५०" है जिसका क्षेत्रफल २४०५ एकड़ है जिसमें से १२३४ एकड़ तालाब बघेल दर्ज है तथा शेष रानी चन्द्रावती के नाम से है । रानी चन्द्रावती के दूसरे खाते की भूमि से भी लगभग ५०० एकड़ भूमि तालाब है और इस प्रकार लगभग १७३५ एकड़ भूमि तालाब की दशा में है । राजा पयागपुर तथा उनके परिवार के अन्य सदस्यों के नाम ग्राम तालाब बघेल में जो भूमि है वह इस प्रकार है :

	एकड़
श्रीमती रानी चन्द्रावती देवी	१३६४
श्री युवराजकुमार	९०१
श्री छोटेलाल साहब	७४९
राजा बीरेन्द्र विक्रम सिंह	२९

यह भी सत्य नहीं है कि इस क्षेत्र में रिकर्ड आपरेशन के सिलसिले में फर्जी इन्दराज कराये गये या किसानों ने कोई प्रदर्शन किया । उपमंडलाधीश के सन्मुख कुछ किसानों ने कुछ इस आशय के आवेदन-पत्र अवश्य दिये कि तालाब बघेल की कुछ भूमि का कब्जा बहुत दिनों से उनका चला आ रहा है लेकिन जांच करने पर यह बात भी असत्य प्रमाणित हुई । ऐसी शिकायत किसी ने भी नहीं की कि कागजों की नकलें नहीं दी गईं या उनको यह धमकी दी गई कि वे अपनी भूमि से त्याग-पत्र दे दें । कागजों के लापता होने की कोई रिपोर्ट शासन के पास नहीं आयी ।

शरणार्थियों के पुनर्वासन के लिये १५५९.१४ एकड़ भूमि इस ग्राम में ली गई है, जिस पर किसी आसामी का अधिकार नहीं था । इस ग्राम के २२३ खाते, जो ३०१ एकड़ भूमि के हैं, असामियों के नाम श्रेणी ७ में दर्ज हैं । शरणार्थियों के पुनर्वास के लिये न तो इन खातों की एक भी बिस्वा भूमि ली गई है और न वह भूमि ली गई है जिस पर सन् १३६६ तक किसी का कब्जा दर्ज हो या रहा हो । शरणार्थियों को दी गई भूमि न चरागाह थी और न उससे पशुओं के आने-जाने में अड़चन होगी ।

जमवार नदी के टेढ़ी नदी में मिला देने की कोई योजना नहीं है ।

तालाब बघल की इस भूमि का बैनामा १८ तथा १९ अगस्त, १९५९ को हुआ है । न तो किसी भी किसान ने इसके पूर्व इस भूमि के सम्बन्ध में कोई अर्जी दी थी और न ऐसी

[श्री महावीरप्रसाद शुक्ल]

कोई भूमि ली गई है जिस पर किसी भी किसान का अधिकार हो। बैनामे उन लोगों ने किये हैं जिनके नाम खाते हैं। उन लोगों के नाम इस प्रकार हैं :

१—बड़े युवराज कुमार साहब, छोटे युवराज कुमार साहब, पुत्र कौशलेन्द्र विक्रम सिंह, द्वारा श्रीमती लल्ली कुमारी देवी	१८ अगस्त, १९५९।
२—उपरोक्त	१९ अगस्त, १९५९।
३—श्रीमती रानी चन्द्रावती देवी, पत्नी राजा वीरेन्द्र विक्रम सिंह, पयागपुर	१८ अगस्त, १९५९।
४—छोटेलाल साहेब पुत्र राजा वीरेन्द्र विक्रम सिंह पयागपुर द्वारा रानी चन्द्रावती देवी	१८ अगस्त, १९५९।

शरणार्थियों के पुनर्वास हेतु सरकार द्वारा राजा साहेब पयागपुर तथा उनके परिवार से खरीदी गई भूमि के अधिकांश भाग को जलप्लावित रहने से बचाने के लिये तालाब बघेल के पानी को खेती की हुई जमीन के बीच से निकाल कर टेढ़ी नदी में मिलाये जाने तथा इस प्रकार राजकीय कोष के दुरुपयोग करने के सम्बन्ध में जो शिकायत की गई है उसमें कोई तथ्य नहीं है। जो भूमि ली गई है उसमें ८६५.६३ एकड़ में खरीफ व रबी दोनों फसलें होती हैं और ६९३.३१ एकड़ भूमि ऐसी है जिसमें केवल खरीफ की फसल होती है और धान पैदा किया जाता है। इस कथन में तथ्य नहीं है कि उक्त भूमि का अधिकांश भाग जलमग्न रहता है। न कोई योजना पानी निकालने की बनी है न उसकी कोई आवश्यकता ही है। तालाब बघेल टेढ़ी नदी से अब भी मिला हुआ है इसलिये तालाब को नदी में मिलाने का कोई प्रश्न नहीं उठता और न नदी का बहाव बदलने का ही कोई प्रश्न उठता है।

माताटीला बांध पर सीमेंट उखड़वा कर टीप कराने आदि से हुई धन-हानि के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना

श्री उपाध्यक्ष—मेरे पास नियम ५२ के अन्तर्गत आज भी करीब ७ प्रश्न उपस्थित किये गये हैं। उनमें सबसे महत्वपूर्ण मेरी राय में श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी का है जो इस प्रकार है :—

"नियम ५२ के अनुसार मैं माननीय सिंचाई मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि माताटीला बांध (जिला झांसी) पर बांध के ऊपर सड़क के दोनों ओर डौला (पेरापिट) हाल ही में पत्थर का बनवा कर उस पर सीमेंट का प्लास्टर करवाया गया था और अब उसके प्लास्टर को गिरवा कर उस पर टीप कराई जा रही है, इस कार्य में अकारण ही लगभग ५० हजार रु० का खर्च किया गया है तथा बांध बनते समय बांध के मुख्य द्वारों के नीचे ४ सलूस बनवाये गये थे उन्हें मशीनों द्वारा तुड़वा कर उनके फाटक निकाले जा रहे हैं। इन फाटकों को इस वर्ष लग सकने की संभावना नहीं है। (मैं स्वयं ४ अप्रैल को माताटीला बांध पर गया था और यह सब कार्य स्वयं देख कर आया हूं) इन फाटकों के न लग सकने से बांध में इस वर्ष पानी नहीं भरा जा सकेगा। परिणामस्वरूप हजारों किसानों की कई लाख एकड़ जमीन सूखी रह जायगी और लाखों मन रबी की पैदावार की हानि उठानी पड़ेगी।

माताटीला बांध के इंजीनियर के उक्त कार्यों द्वारा इस प्रकार से सार्वजनिक धन का अपव्यय होने से तथा सलूसों के तोड़े जाने से उस क्षेत्र के हजारों निवासियों में तथा झांसी जिला के हजारों किसानों में भयंकर चिन्ता व्याप्त हो गयी है। अतएव माननीय सिंचाई मंत्री महोदय से निवेदन है कि इस सम्बन्ध में वह अपना स्पष्टीकरण इस माननीय सदन में देने की कृपा करें ताकि जनता में फैली हुई आशंका दूर हो सके।"

इस सम्बन्ध में माननीय सिंचाई मंत्री अपना वक्तव्य तैयार करें; इसके लिये मैं ११ तारीख निश्चित कर देता हूं।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री गिरधारीलाल)—बजाय ११ के १२ रख दी जाय। उस दिन सवालों का भी मेरा दिन है जिससे ज्यादा सहूलियत हो जायगी।

श्री उपाध्यक्ष—१२ के बाद फिर मुल्तवी नहीं किया जा सकेगा।

श्री गिरधारीलाल—नहीं, बिलकुल नहीं।

सदन में "वन विभाग नष्ट करो" नामक पुस्तिका के वितरण पर आपत्ति

श्री उपाध्यक्ष—"वन विभाग नष्ट करो" नामक पुस्तिका, जिसके लेखक माननीय बंशीधर शुक्ल हैं, सदन के काफी माननीय सदस्यों की मेज पर पाई गयी और मंत्रियों की मेजों पर खास कर। यह अनियमित है। कोई भी सूचना या इस किस्म की पुस्तिका बिना माननीय अध्यक्ष की आज्ञा के सदन में नहीं बांटी जा सकती और अगर ऐसी आवश्यकता पड़े तो माननीय सदस्य स्वयं सदन के बाहर जिसको चाहें उसे दे सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्यगण इस सम्बन्ध में भविष्य में ध्यान देंगे।

नियम ५२ के अन्तर्गत दिये वक्तव्य के सम्बन्ध में जानकारी

श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)—श्रीमन्, अभी जो माननीय मंत्री जी ने नारायणदत्त जी के प्रश्न के सम्बन्ध में उत्तर दिया है उसमें मेरा पूछना यह है कि जो बंगालियों के गांव जल जाते हैं....

श्री उपाध्यक्ष—यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। काफी विस्तृत माननीय मंत्री जी का वक्तव्य होने के कारण मैंने नारायणदत्त जी को भी प्रश्न करने की इजाजत नहीं दी। अब भी जरूरत महसूस हो तो अल्पसूचित तारांकित प्रश्न के द्वारा आप पूछ सकते हैं। अब आप स्थान ग्रहण करें।

सदन में "वन विभाग नष्ट करो" नामक पुस्तिका के वितरण के सम्बन्ध में जानकारी की मांग

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि माननीय बंशीधर शुक्ल जी ने जो पुस्तिका बांटी है वह अगर बाहर बांटी है और सदन में आते हुए सदस्य उसे ले आये और सदन की मेज पर उसे वे रख दें और रख कर कुछ काम करने लगें और वह सदन की मेज पर दिखाई पड़े तो उस समय ऐसा दिखाई पड़ेगा कि वह सदन की मेज पर बांटी गयी।

श्री उपाध्यक्ष—मेरे कामों के बारे में आप अनुचित सलाह न दिया करें। मैंने पूरी जानकारी के बाद ऐसा कहा था और हर मामले में कुछ न कुछ बोलने की माननीय सदस्यों को जरूरत नहीं है।

प्रश्न संख्या १२९ के सम्बन्ध में जानकारी

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---श्री रामस्वरूप वर्मा का १२९ नम्बर का जो प्रश्न यद्यपि लिखा नहीं गया कि हटा दिया गया लेकिन आपने कहा कि हटा दिया गया है।

श्री उपाध्यक्ष---वह हटा दिया गया है और फिर आ जायगा ।

श्री राजनारायण---इससे गृह मंत्री का सम्बन्ध कैसे है, यह बात समझ में नहीं आई। माननीय मुख्य मंत्री ने उत्तर दिया था ।

श्री उपाध्यक्ष---ठीक है, मालूम हो गया । उसमें गलत प्रिन्ट हो गया है । अगले शुक्रवार को नई व्यवस्था हो रही है, उस दिन आ जायगा ।

श्री राजनारायण---गृह मंत्री से संबंधित नहीं है न ?

श्री उपाध्यक्ष---उन्हीं का है, सोमवार को हो जायगा ।

उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड विधेयक, १९६० *(क्रमागत)

श्री उपाध्यक्ष---अब माननीय प्रतापसिंह के भाषण करने के पहले मैं सदन की यह राय ले लेना चाहता हूं कि आज शाम तक चूंकि इस विधेयक को पारित हो जाना है तो ऐसी दशा में आप लोग सुझाव दें कि कब तक साधारण वाद-विवाद चले और कब तक खंडों और संशोधनों पर।

श्री सुरथबहादुरशाह (जिला खीरी)---श्रीमन्, मेरा यह सुझाव है कि १ बजे तक, या अगर एक घंटा आप देना चाहें तो सवा बजे तक, तो साधारण वाद-विवाद हो और उसके बाद खंडों पर विचार शुरू हो जाय ।

श्री उपाध्यक्ष---तो १ बजे तक साधारण वाद विवाद रखा जाय क्योंकि बीच में दिक्कत पैदा होती है ।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)---मैं चाहता हूं कि २ १/२ बजे तक साधारण वाद विवाद रखा जाय और उसके बाद खंडों पर विचार हो ।

श्री उपाध्यक्ष---तो २ १/४ बजे तक तो आम वाद-विवाद रहेगा और उसके बाद खंडों पर बहस चलेगी ।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय अवस्थी जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन के समर्थन में खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, ताज्जुब इस बात का है कि जिस समय स्वतंत्रता-संग्राम की लड़ाई महात्मा जी के नेतृत्व में लड़ी जा रही थी तो महात्मा गांधी ने खादी को भी उसका एक विशेष अंग बनाया था । उस समय हम यह कभी नहीं सोचते थे कि खादी का भी सरकारीकरण होगा और उसके लिये भी कोई बिल यहां पर आयेगा । जहां तक मैं समझता हूं महात्मा जी ने खादी को भी स्वतंत्रता संग्राम का एक प्रमुख अंग इसलिये बनाया था क्योंकि खादी के पीछे एक भावना निहित थी । वह थी भारतीय परम्परा, यानी सिम्पिल लिविंग ऐंड हाई थिंकिंग (Simple living and high thinking); दूसरी थी सच्चाई और नेकनीयती । ग्रामोद्योग के द्वारा सर्व प्रथम इसको कार्यरूप में परिणत किया गया । आपकी आज्ञा से मैं महात्मा जी की डायरी का कुछ भाग सम्बन्ध में पढ़ना चाहता हूं :

"मैंने कई बार कहा है कि चरखा मध्य-बिन्दु है, सूर्य है और दूसरे ग्रामोद्योग उसके इर्द-गिर्द घूमने वाले ग्रह हैं । अगर सूर्य नहीं चलता, तो ग्रह नहीं चल सकते । आपके

---

*६ अप्रैल, १९६० की कार्यवाही से ।

झंडे में चक्र है। उसे सुदर्शन चक्र कहो या अशोक का धर्म चक्र कहो, वह चरखे की निशानी है। जैसे सूर्य न हो तो ग्रह नहीं रह सकते उसी तरह मैं मानता हूं कि अगर ग्रह न रहें तो सूर्य को भी कुछ न कुछ नुकशान होगा। मगर इसे वैज्ञानिक दृष्टि से सिद्ध नहीं कर सकता।"

आगे उन्होंने कहा है—

"ग्रामोद्योग-संघ चला तो कांग्रेस की तरफ से मगर वह है स्वावलम्बी। चक्की का उद्योग बन्द होने से आज अच्छा आटा नहीं मिलता। क्या सब जगहों पर आटा पीसने की मशीन जायगी? क्यों जाय? दिल्ली के आस-पास बहुत से देहात हैं। दिल्ली को उनका आश्रय लेना है और उनको आश्रय देना है।"

"चरखा ग्रामोद्योग है। वह तभी चल सकता है जब करोड़ों उसमें हिस्सा लें, मदद दें। तभी बड़ा नतीजा आ सकता है। यह पूंजी और श्रम का बुनियादी भेद है।"

ये सारी चीजें महात्माजी ने कहीं। इसमें जो 'स्वावलम्बन' शब्द है उसकी ओर मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आज मंत्री जी एक बोर्ड के द्वारा खादी के गृह उद्योग को संचालित कराना चाहते हैं। इससे पहले कि मैं इस बिल पर और कुछ कहूं, मैं ग्रामोद्योग संघ, गांधी नीति और गांधी आश्रम के कार्यों के प्रति उनको बधाई देता हूं। मैं समझता हूं कि यही एक ऐसा उद्योग था जोकि जनता के हाथ में था। मान्यवर, प्रथम पंचवर्षीय योजना जब लिखी गई थी तो कहा गया था कि यह प्यूपिल्स प्लान है और दूसरी पंचवर्षीय योजना में कहा गया कि पहली पंचवर्षीय योजना में सरकारीकरण ज्यादा हुआ लिहाजा सकी जनता के हाथ में दिया जायगा। हम समझते थे कि खादी उद्योग और गृह उद्योग ऐसे उद्योग हैं जो जनता के हाथ में होने चाहिये। लेकिन इस बिल को देखकर हमें ताज्जुब इस बात का है कि इस बिल के द्वारा खादी उद्योग तथा ग्रामोद्योगों का सरकारीकरण किया जा रहा है या जो बोर्ड बनाया जा रहा है उसमें सरकारी अफसरों की तादाद बहुत ज्यादा है, यानी अफसरों के द्वारा ही यह कार्य चलाया जायगा। मैं समझता हूं कि तृतीय योजना से पहले सरकार का यह कदम उचित नहीं है।

दूसरे, खादी उद्योग एक ऐसा उद्योग है जिसमें सरकार यह नहीं कह सकती है कि रा मैटीरियल नहीं मिलता है या फारेन एक्सचेंज की दिक्कत है। यह एक ऐसा उद्योग है जिसमें प्रदेश के बेकार लोगों को लगाया जा सकता है और किसानों को भी उनके खाली समय में लगाया जा सकता है। यह एक ऐसा उद्योग है जिसमें रा मैटीरियल की आवश्यकता नहीं होती। पहली पंचवर्षीय योजना समाप्त हो गई और दूसरी पंचवर्षीय योजना का अंतिम चरण चल रहा है तो सरकार की ओर से जो इस संबंध में कार्य चलाये गये उनको क्या-क्या मदद दी गई या क्या प्रोत्साहन दिये गये, मैं यह जानना चाहता हूं।

मान्यवर, मैं आपके जरिये कहना चाहता हूं कि खादी के संबंध में यह एक किताब है "काटेज इंडस्ट्रीज एन्ड प्लान्ड इकोनामी"। इसमें यह कहा गया है कि यह एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें रा मैटीरियल की आवश्यकता नहीं होती। इसलिये मैं समझता हूं कि जहां खादी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिये जो प्रोत्साहन मिलना चाहिये था वह नहीं मिल रहा है। सरकार की ओर से लोगों से कहा गया कि खादी का प्रचार करो। मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूं कि खादी का अधिक से अधिक इस्तेमाल करना यह एक भावना का प्रश्न है और सरकार ने ग्रामीण जनता में दिलचस्पी पैदा कराने के लिये क्या कोशिश की, मैं इसको जानना चाहता हूं। सब से पहले जो खादी का ऐक्ट १९५६ में बना उसके सेक्शन २ (डी) में और इस बिल की धारा २ (३) में जो परिभाषा लिखी है वह यह है कि खादी का तात्पर्य भारत में हाथ से काते गये रूई, रेशम या ऊन के तागे से अथवा इनमें से किन्हीं दो या सब तागों के मिश्रण से भारत में हथकरघों से बुने हुये तथा उचित मजदूरी दिये हुये, कपड़े से है। एक अखबार "थंडर" में लिखा है कि खादी की जो परिभाषा माननीय मंत्री जी

[श्री प्रतापसिंह]

ने दी है और जो १९५६ के ऐक्ट में दी हुई है, क्या बड़े-बड़े मिलों में उसके मुताबिक कपड़ा नहीं बनाया जाता है जो कपड़े के रूप में आता है। क्या वह मशीनों पर बना हुआ नहीं होता है, मैं यह जानना चाहता हूं।

दूसरे, कर्वे कमेटी ने कहा था कि डिसेंट्रेलाइजेशन फैक्टर से तीन लाख गज कपड़ा अम्बर चरखे से काता जा सकता है। मैं समझता हूं कि इसकी ओर हमारी सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है और आज केवल बोर्ड को लाकर अपना आधिपत्य कायम करना चाहती है। मेरा ऐसा विश्वास है कि ---

"Cottage Industry is the only solution of economic evils."

हम अपने यहां की अर्थ-व्यवस्था को ठीक कर सकते हैं तो ग्रामोद्योगों से ही कर सकते हैं, जैसाकि मैंने गांधी जी की डायरी से पढ़कर सुनाया था।

दूसरे, मैं "काटेज इंडस्ट्रीज ऐन्ड प्लान्ड इकोनामी" के पृष्ठ ३९ पर जो कहा गया है, उसका उद्धरण आपके सामने रखना चाहता हूं। वह इस प्रकार है कि :---

"An industry for which raw materials are available in enormous quantities and which has an internal market and which has the necessary means of production may be taken up by the Government seriously."

इसमें कहा गया है कि जिस उद्योग के लिये हमारे पास कच्चा माल है और हमारे देश में बाजार भी बहुत है उसके लिये सरकार को गम्भीरता से सोचना चाहिये। मैं समझता हूं कि इस पर अभी तक नहीं सोचा गया है।

दूसरी चीज यह है कि इस काटेज इंडस्ट्री की महत्ता इसलिये भी है कि हमारे यहां लोगों को ९ महीने बेकार रहना पड़ता है। ग्रीन की एक किताब में लिखा है कि उनको सोचना पड़ा कि जब इंग्लैंड में मौसम खराब हो जाता है और वहां के आदमी बेकार बैठते हैं तो यह सोचना पड़ा कि उस समय का सदुपयोग कैसे किया जाय। और यहां नौ महीने आदमी बेकार रहता है।

दूसरे, बोर्ड के सदस्यों में अफसर ज्यादा रखे गये हैं। मैं जानना चाहता हूं कि अफसरों को क्यों ज्यादा रखा गया, कल कहा गया कि इसमें गैर सरकारी सदस्य नहीं होंगे। लेकिन इसका कारण नहीं बताया गया। मैं इससे इत्तफाक नहीं करता कि गैर सरकारी सदस्य नहीं होने चाहिये। होने चाहिये लेकिन ऐसे हों जो इसमें अधिक से अधिक लाभ पहुंचा सकें। दूसरे इसमें चुनाव के जरिये से लोगों को लिया जा सकता है। ऐसी व्यवस्था हो ताकि लोगों को यह कहने का मौका न मिले कि सरकार ने लोगों को सनमाने तौर पर रख दिया।

इस बिल में कहा गया है कि गैर सरकारी सदस्यों का दिमाग वगैरह जब गड़बड़ हो जाय तो उनको निकाला जा सकता है। मैं पूछना चाहता हूं कि मनुष्य की शरीर रचना क्या अलग-अलग होती है, सरकारी आदमी और गैर सरकारी आदमी में फर्क होता है। अगर एक ही तरह का इंसान होता है तो केवल गैरसरकारी आदमियों के लिये यह प्रतिबन्ध क्यों रखा गया? इसका मतलब यह है कि सरकारी आदमी हमेशा बोर्ड में बने रहेंगे और जिस गैरसरकारी आदमी से मंत्री जी की सरकार नाराज हो गयी, उसको निकालने का प्रयत्न किया जाय। इस ओर ज्यादा ध्यान दिया जाय।

हमारे डिप्टी मिनिस्टर साहब काटेज इंडस्ट्रीज और कोआपरेटिव इंडस्ट्रीज को ज्यादा चलाना चाहते हैं, जिसका ज्वलंत उदाहरण मझौला की फैक्टरी है। लेकिन यह जो बोर्ड आ रहा है इसके पीछे एक षड्यन्त्र है। अगर खादी उद्योग और ग्राम उद्योग ठीक नहीं चलेंगे तो माननीय मंत्री और उप-मंत्री जी कहेंगे कि यह हमारी जिम्मेदारी नहीं है। यह बोर्ड का काम है, जैसा कि एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के बारे में कहा जाता है कि यह बोर्ड का काम है। आज यही सवाल है। सरकार अपनी जिमेदारी से बचना चाहती है। इसीलिये यह बिल आया

है और बोर्ड कायम किया जा रहा है। यह मेरा चार्ज सरकार के ऊपर है। एक किताब गेंदासिंह जी ने मुझे दी। उनका मैं बड़ा आभारी हूं। उसमें गुड़ के विकास के बारे में कहा गया है। उसका नाम है—'गुड़ डेवलपमेंट स्कीम इन उत्तर प्रदेश'। उद्योग विभाग ने इस किताब को बांटा है। जैसा कि माननीय अध्यक्ष ने कहा है ये किताबें हमें मिलनी चाहिये, जो विभागों की तरफ से छपती हैं। लेकिन किसी भी सदस्य को नहीं दी गयी। माननीय गेंदासिंह ने बरेली में जा कर उस किताब को पाया।

गुड़ और खांडसारी उद्योग में हमारे यहां बहुत से लोग लगे हुए हैं। उसके बढ़ाने के लिये सरकार ने कोई काम नहीं किया। यह जरूर किया कि कोल्हुओं पर टैक्स जरूर लगा दिया। मैं जगदीश शरण जी का आभारी हूं। उन्होंने गुड़ और खांडसारी का एक सम्मेलन बुलाया; और पाटिल साहब ने भी इस बात को महसूस किया कि गुड़ और खांडसारी हमारा एक बड़ा उद्योग है जिसकी बढ़ोत्तरी होनी चाहिये। इस पर हमारी विलेज इकानोमी आधारित है यह उन्होंने कहा है। हमारे प्रदेश में ७० शकर की मिलें हैं जिसमें केवल ३५ प्रतिशत गन्ना जाता है। १५ फीसदी बीज आदि में जाता है और बाकी ५० प्रतिशत गन्ना खांडसारी और कोल्हुओं के द्वारा पेरा जाता है। इसलिये इस मामले में इस उद्योग की बहुत महत्ता है। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि इस उद्योग को जितनी सीरियसली लेना चाहिये था क्या उतनी सीरियसली सरकार ने इसको लिया है? मुझे उम्मीद है कि इस गुड़ और खांडसारी के उद्योग को बढ़ाने में सरकार की तरफ से पूरा पूरा प्रयत्न होगा। दूसरे माननीय, यह जो हमारी काटेज इंडस्ट्री है, गुड़ को लें चाहे खांडसारी को लें, यह इन्फेंट स्टेज में चल रही हैं। सरकार की तरफ से कोई भी टेक्नालाजी का फायदा उनको नहीं मिला, न उनको स्टोर मिलता है न मार्केटिंग व्यवस्था उनके लिये है। इन तमाम चीजों को देखते हुए इस इंडस्ट्री को लगभग ३० करोड़ रुपये का नुकसान सहन करना पड़ रहा है।

दूसरी चीज जो आज यहां पर इस ऐक्ट में सूची दी गई है ग्रामोद्योगों की, उसमें १३ आइटम्स हैं। इस प्रकार की परिभाषा और कहीं देखने को नहीं मिलती है। फर्स्ट फाइव-ईयर प्लान में भी उसकी परिभाषा दी गई है। क्या यह परिभाषा उस फर्स्ट फाइव ईयर प्लान की डेफीनीशन से ली गई है? या यह परिभाषा गोविन्द सहाय कमेटी से ली गई है? या सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो एक कमेटी बनाई थी उससे ली गई है? इसमें तो केवल जो आइटम्स रखाये गए हैं उन्हीं को कहा गया है या और जिनको सरकार समझेगी वही आइटम आयेंगे। मैं समझता हूं कि फर्स्ट फाइव ईयर प्लान तो माननीय मन्त्री जी ने पढ़ा होगा। उसमें कई जगह परिभाषा उसकी है। आपकी आज्ञा से थोड़ा-सा मैं पढ़ देना चाहता हूं—

"The list of village industries selected for action through the Board included handmade paper, palm gur, ghani oil, handpounding of rice, cottage match, soap making with non-edible oils, fibre industries, bee-keeping, pottery, village leather industry and gur and khandsari."

इसके अलावा गोविन्द सहाय कमेटी की जो रिपोर्ट है उसमें जो परिभाषा है उसमें भी २२ आइटम्स आते हैं। समय की कमी की वजह से मैं उसे पढ़ना नहीं चाहता हूं। मुझे उम्मीद है कि माननीय मन्त्री जी उस ओर ध्यान देंगे।

दूसरे, जो आज सबसे बड़ा एक उद्योग है लीसे का उसका जिक्र इसमें कहीं नहीं है। मैं तो माननीय मन्त्री जी को बहुत बहादुर और दिलेर समझता हूं और सोचता था कि लीसा उद्योग को भी वह इसमें जरूर रखेंगे लेकिन वह इसमें कहीं नहीं रखा गया है। जो लीसा आज बरेली फैक्ट्री को दिया जा रहा है १५ रुपये मन पर बाजार में उसकी कीमत ३० रुपया मन है और इस तरह से लगभग ६० लाख रुपये का लास हो रहा है गवर्नमेंट का। हमारे पास आल राउंड डेवलपमेंट आफ कुमायूं की एक रिपोर्ट है। उसमें लिखा है—

"Pine is the main forest produce of the hill district. Lisa tapping is done by Forest Department as a commercial proposition. The Lisa produce is

[श्री प्रतापसिंह]

given to Government Turpentine Factory, Bareilly. The net-work of cottage industries can be established throughout hill districts."

यह सरकार की रिपोर्ट है। खुद सरकार के लोग लिखते हैं कि लीसे का ऐसा उद्योग है कि जिसके कारखाने सारे पर्वतीय क्षेत्र में खोले जा सकते हैं। इस ओर भी माननीय मन्त्री जी ने ध्यान दिया होगा । लेकिन उसका कहीं जिक्र तक नहीं है।

दूसरी बात यह है कि बम्बई की स्टेट ने लीसे के मजदूरों के लिए एक अलग कमेटी सहकारी संघ के लिये बनायी । मैं समझता हूं कि जिस तरीके से उन्होंने इस ग्रामोद्योग के लिए कमेटी का निर्माण किया उसी तरीके से कोई कमेटी अपने यहां भी बननी चाहिए ताकि भविष्य में हम इस तरह के मजदूरों के लिए ऐसे कारखाने खोल सकें ।

इसके अलावा, मान्यवर, यह भी कहा गया है कि बोर्ड कोई कार्य नहीं कर सकता जब तक कि सरकार न कहे। यह अध्याय ३ की धारा १६ में कहा गया है। दूसरे श्रीमन्, इसमें हैंडमेड पेपर के बारे में कहा गया है, इसी रिपोर्ट में लिखा है कि जो हाथ से बने हुये कागज हैं, वे हजारों वर्ष से बने हुये हमारे रिकार्ड के लिये बहुत जरूरी हैं । इसलिये जरूरत है कि हाथ के बने हुये कागज को बढ़ाया जाय । लेकिन यह रिपोर्ट यह कहती है कि आज हैंड मेड पेपर को नहीं बनाया जा रहा है । इसकी बहुतायत पर्वतीय इलाके में है । मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मन्त्री जी इस रिपोर्ट को पढ़ने की कृपा करेंगे ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हम सिर्फ बोर्ड या ऐक्ट से ही काम नहीं चला सकते हैं । इसके लिये स्वदेशी स्प्रिट की भी आवश्यकता है । इस स्प्रिट की मैं इसमें कमी समझता हूं । इस स्प्रिट को लाने की कोशिश होनी चाहिये । मैं समझता हूं इस स्प्रिट को लाने के लिये न तो बोर्ड की आवश्यकता है और न ऐक्ट की आवश्यकता है। मान्यवर, आज यदि मैं यह कहूं कि राष्ट्रीय भावना का ह्रास हो रहा है तो उचित ही है। इस भावना को लाने के लिये किसी बोर्ड या ऐक्ट की आवश्यकता नहीं है । इसके लिये ऐसा प्रयत्न होना चाहिये जिससे लोगों का हममें यकीन हो और लोगों में राष्ट्रीय विचार-धारा बनती रहे ।

एक और बात मैं यह कहना चाहता हूं कि ग्राम उद्योग के लिये जितना रुपया दिया जाता है वह खर्च नहीं होता है । माननीय मन्त्री जी शायद जानते हों कि खासकर जिलों में ऐसा होता है कि १५ मार्च से ३१ मार्च तक रुपया खर्च न होने के कारण ग्राम उद्योग का बहुत-सा रुपया पड़ा रह जाता है । खर्च नहीं होता है । मेरी जानकारी है कि यहां डाइरेक्टर आफ इंडस्ट्रीज की तरफ से इस दरमियान यहां से रुपया दिया गया और कहा गया कि इस रुपये को किसी काम में लगा दो, किसी स्कीम में लगा दो । इस तरह से स्कीम नहीं चल सकती है । यह रुपया लैप्स होने का डर रहता है । मेरा सुझाव है कि एक विलेज डेवलपमेंट फंड होना चाहिये जिसके पास यह रुपया रहे । जहां पर ग्राम उद्योग की उन्नति के लिये आवश्यकता हो तो इस फंड से निकालकर रुपया दिया जाय । भविष्य में यदि ऐसा कर दिया जाय तो रुपया बरबाद नहीं होगा और रुपये में बचत होगी ।

मैं चाहता हूं कि इस लिस्ट में सोप स्टोन को भी शामिल किया जाय । वह भी काटेज इंडस्ट्री में आता है। इसके साथ ही इसमें ऊन उद्योग को शामिल नहीं किया गया है। मैं चाहता हूं कि आज ऊलन इंडस्ट्री को भी इसमें रखना बहुत जरूरी है इसलिये कि यह ऊन का उद्योग सीमान्त इलाके के लिये बहुत आवश्यक है। सीमान्त इलाके में ऊलन का उद्योग बहुत जमाने से चला आ रहा है । मैं मन्त्री जी से कहूंगा कि आज सीमान्त इलाके में एक-एक गांव में और एक एक घर में ऊलन इंडस्ट्री का सेन्टर है। तिब्बत से उनका व्यापार चलता था लेकिन अब वह बन्द हो गया है। इसलिये मैं उम्मीद करता हूं

कि भविष्य में वह इस लिस्ट के अन्दर सम्मिलित किया जायगा क्योंकि अब उनका व्यापार बन्द हो गया है । इस वजह से वे लोग इस बुलन व्यापार को चलाकर अपनी रोजी का प्रबन्ध कर सकते हैं । मुझे आशा है माननीय मन्त्री जी इस ओर ध्यान देने की कृपा करेंगे ।

बहुत से लोग यह समझते हैं कि महात्मा गांधी मशीन के खिलाफ थे । मैं समझता हूं कि ऐसी बात नहीं थी । एक बात सोचने की यह है कि हम यह चाहते हैं कि अधिक से अधिक आदमी जो गांव में बेकार हैं वह काम पर लगें और साथ ही टेक्नालाजी में जो हम आगे बढ़े हैं उसका भी फायदा उठा सकें । इसके बीच का रास्ता हमें निकालना होगा । महात्मा गान्धी ने २२ अक्तूबर, १९३५ के हरिजन में लिखा था कि :—

"If you could have electricity in every village home, I shall not mind villagers plying implements and tools with electricity."

महात्मा गान्धी ने कहा था कि देहात के उद्योग-धन्धों को चलाने के लिये बिजली होनी चाहिये लेकिन आज देहात के उद्योग-धन्धे उसी प्रकार से चल रहे हैं जिस प्रकार से पहले चलते थे । हमको बीच का कोई रास्ता निकालना होगा जिससे कि जो ज्यादा लोग बेकार हैं, या परम्परागत उस तरह से काम करने में ज्यादा समय लगाते हैं, उसमें कमी हो । इसलिये मैं आपका ध्यान मिस्टर डी० एल० मोर्स की रिपोर्ट की तरफ दिलाना चाहता हूं, जो उन्होंने टोकियो में सन् १९५३ में कहा था :

"More specifically the problem will be to develop a new type of industry radically different both from the present cottage and handicraft industries and from the present large-scale factory industries which, for the same amount of capital investment, can at the same time produce more than the former and provide more employment than the latter."

हमको इंडस्ट्री इस तरीके से चलानी पड़ेगी कि अधिक समय बरबाद न हो सके और कम पैसे में ज्यादा आमदनी हो सके, पैदावार बढ़ सके और बड़ी-बड़ी मशीन से जो हमारे आदमी बाहर निकलते जा रहे हैं, उस डर से भी बच सकें । इन शब्दों के साथ मैं फिर माननीय मंत्री से चाहूंगा कि ग्रामोद्योग की तरफ वे विशेष ध्यान दें । एग्रीकल्चर में जो व्यक्ति काम करता है वह ६ महीने बेकार रहता है । उनको अगर काम में लगाना है, अर्थ-व्यवस्था को देहात की अगर ठीक करना है, तो आपको ग्रोमोद्योग को प्राथमिकता देनी होगी और इसे और मशीन को अलग-अलग करना होगा । पिछली सरकारी जितनी रिपोर्टें हम पढ़ते हैं उनसे पता लगता है कि सारा कर्जा, सारा रुपया प्राइवेट सेक्टर को चला जाता है, छोटे उद्योगों को कुछ नहीं मिलता । तो अगर इसमें दो सेक्टर न बनाये गये और इसको अलग न किया गया तो मंत्री जी का स्वप्न पूरा नहीं हो सकता । इन शब्दों के साथ मुझे उम्मीद है कि मंत्री जी ग्रामोद्योग के प्रति विशेष दिलचस्पी लेंगे और देहात के गरीबों की कठिनाइयों को दूर करने में सहायक होंगे और इस काम में विरोधी दलों का भी सहयोग लेने की कृपा करेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष—त्रिपाठी जी, आप कम से कम समय लेने की कृपा करें ।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी—बहुत अच्छा, मैं १५, २० मिनट में समाप्त कर दूंगा ।

मान्यवर, इस बिल का समर्थन दोनों पक्षों से हुआ है और इसलिये मैं इस पर ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता । दो-एक मौलिक प्रश्न हैं जिनकी ओर मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा ।

वर्तमान युग वैज्ञानिक युग कहलाता है और इस युग में सूर्य और चन्द्रमा के पास विज्ञान की सहायता से पहुंचा जा रहा है । इस मशीन युग में खादी और ग्रामोद्योग की बात करना

[श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी]

केवल एक आस्था का प्रश्न है और यहां पर महात्मा गांधी के वचनों और कांग्रेस सरकार के मौलिक विचारों को प्रतिपादित करने का प्रश्न आता है। कांग्रेस ने जो बहुत पहले निश्चय किया था उसको इस बिल के द्वारा यहां प्रतिपादित किया जा रहा है और उसी योजना और विचारधारा का पुष्टीकरण इसने किया है। यह हमारी स्वराज्य की कल्पना के साथ एक कल्पना थी और जिसका प्रतिपादन देश के कई विचारकों ने किया है। दादा धर्माधिकारी ने अपनी "ग्रामोद्योग" नामक पुस्तक में इसका काफी जिक्र किया है। संत विनोबा ने भी इस विचारधारा को अपनाया है, प्रोत्साहित किया है और बतलाया है कि गांव की समस्या का एक मात्र हल यही है कि गांवों में छोटे-छोटे उद्योगों को बढ़ाया जाय, पनपाया जाय, यही एक तरीका है उनकी उन्नति का; और वह इसके लिये सारे देश में प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस सरकार ने इस बिल के द्वारा उस विचार को एक शकल दी है। हमारी जो स्वराज्य की कल्पना थी उस पर हम दृढ़ हैं और जब इस विज्ञान के युग में हजारों-लाखों आदमियों को हम रोजगार देने की बात करते हैं, तो वह इसी प्रकार की किसी पद्धति द्वारा सम्भव हो सकता है।

इस बिल में दो-एक मौलिक बातें हैं और वह यह कि इसके उद्देश्य और कारण में लिखा हुआ है : "प्रक्रिया संबंधी विलम्ब से बचने तथा रचनात्मक कार्यकर्ताओं को ग्राम उद्योग कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सम्मिलित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने खादी तथा ग्राम उद्योग आयोग संघटित किया है, जो कि एक परिनिर्गमित निकाय है। इस आयोग को भारत सरकार प्रतिवर्ष तदर्थ धनराशियां देती है। आयोग सम्पूर्ण देश के लिये खादी तथा ग्राम उद्योग का एक कार्यक्रम तैयार करता है और विभिन्न राज्यों में तथा उन संस्थाओं तथा संघटनों में बांटता है जो खादी तथा ग्राम उद्योग विकास का कार्य करते हैं। और इसी के आधार पर यह खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड इस सरकार ने बनाने का विचार किया है और उसके लिये यह बिल प्रस्तुत है।" यह सही है, मान्यवर, कि उद्योगों के लिये हमारे पास बहुत-सा धन था और आजकल उद्योग विभाग बहुत से कार्य कर रहा है। और सब से बड़ी बात यह थी कि आज से तीन साल पहले जो हमारे उद्योग विभाग का केन्द्रीय आफिस कानपुर में था, उससे प्रदेश के दूरवर्ती इलाके के लोगों को परेशानी होती थी। सलाह लेने या अपना काम चलाने के लिये उनको कानपुर से अपना सम्पर्क स्थापित करना पड़ता था और उसमें काफी विलम्ब भी लगता था और कठिनाई भी पड़ती थी। मैं इसके लिये बहुगुणा जी और उनके विभाग को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने क्षेत्रीय स्तर पर समितियां बना दी हैं तथा ७ या ८ क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं और उनसे बहुत काफी सुविधा हो गयी है। क्षेत्रीय समितियों से इस उद्योग के काम में बड़ी सहूलियत हुई है और काफी आसानी से काम हो रहा है। लेकिन इस से गांव की समस्या का हल नहीं हो पाता। हमारे बहुत से सदस्यों ने कहा कि हमारे गृह, मध्यम और बड़े उद्योग . . . .

श्री उपाध्यक्ष—सदन में यह स्वामी जी कौन बैठे हैं ? मैं पहचान नहीं सका।

श्रम उप मंत्री (श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा)—श्रीमान, यह श्री रामलक्षण तिवारी जी हैं।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी—तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि ये एक ही विभाग के कर्मचारी हैं जिनका कि कोई उसमें बहुत अधिक प्रशिक्षण नहीं है, जिनको कोई टेक्निकल जानकारी भी नहीं हो सकती है, उनसे कोई लाभ होने वाला नहीं। हम चाहते हैं इसके लिये केन्द्रीय स्तर पर बोर्ड की स्थापना हो तथा जो उप-क्षेत्र बनाये गये हैं उनके ही स्तर पर बोर्ड बनाये जायं। इससे ही सुविधा हो सकेगी।

(इस समय बिजली की करेंट फेल हो गयी।)

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—माननीय सदस्य क्या कह रहे हैं, यह सुनाई ही नहीं पड़ रहा है ? लाइट नहीं है, माइक काम नहीं कर रहा है, तो जरा जोर से तो बोल ही सकते हैं।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी—तो जब इस तरह से बोर्ड की स्थापना होगी तभी आपकी योजनायें चल सकेंगी और वे सफल होंगी। इस वैज्ञानिक युग में इतनी बड़ी योजना चलाना आसान नहीं है। इस वैज्ञानिक युग में जहां लाखों गज कपड़ा जरा सी देर में तैयार होता है वहां इस योजना को कार्यान्वित करने के लिये एक विशेष आस्था की आवश्यकता है।

एक सदस्य—माननीय सदस्य कह क्या रहे हैं, यह तो समझ में आता ही नहीं।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी—तो मैं यह कह रहा था कि . . . . .

श्री उपाध्यक्ष—बात आपकी कुछ अब तक समझ में नहीं आ रही है।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी—श्रीमन्, मैं क्या करूं ? माइक, लाइट चली जाने के कारण काम ही नहीं कर रहा है।

मेरा कहना यह है कि जिन लोगों को कुछ तजुर्बा हो, जो ऐसी विचारधारा के लोग हों, उन्हीं को बोर्ड में रखना चाहिये। तभी आपकी योजना सफलीभूत हो सकती है। वरना लाखों रुपये बरबाद होने के बाद भी आपकी योजना सफल नहीं होगी। उससे कभी आपको फायदा नहीं होगा। देश का उससे लाभ नहीं होगा। मैं देखता हूं कि जहां पर बड़े बड़े उद्योगों का सवाल है वहां पर उनके बीच छोटे उद्योगों का विकास नहीं हो पाता है। जब आप गांव-गांव में छोटे-छोटे उद्योगों का विकास करेंगे तभी हमारी योजनायें सफल हो सकेंगी। मैं माननीय मंत्री जी से यह प्रार्थना करूंगा कि वह इस तरफ भी ध्यान दें।

इसके अलावा, हमारे यहां ट्यूबवेल के लिये बिजली मांगी गयी है। यहां सदन के लोगों का विचार था कि रिहन्ड बांध की बिजली सस्ती की जाय जिससे छोटे उद्योग चल सकें। मैं यह निवेदन करूंगा कि उन छोटे उद्योगों को चलाने के लिये ऐसा होना चाहिये कि उनमें लोगों को वास्तविक आस्था हो। केवल बोर्ड बना देने से ही हमारी योजना सफल नहीं हो सकती। मैं यह निवेदन करूंगा कि महात्मा गांधी जी ने उस समय घर घर यह कहा था कि हमारे प्रदेश में ८०-८५ फी सदी किसान हैं और यह प्रदेश खेतिहर मुल्क है। और हमने यह निश्चय कर लिया है कि हम अपनी आर्थिक स्थिति को उठावेंगे और जन-कल्याण का हमारा लक्ष्य है। तो जन-कल्याण तभी होगा जब घर घर में हर एक को सुख मिलने लगेगा और वह तभी हो सकता है जब आर्थिक स्थिति उठे। उसमें छोटे उद्योग ही सफलीभूत हो सकते हैं।

मैं निवेदन कर रहा था कि जो निष्ठावान लोग हैं उनको लेना आवश्यक है। मैं यह नहीं मानता कि जितने सरकारी कर्मचारी हैं वे किसी काम के नहीं हैं और उनका रहना जरूरी नहीं है। हम जानते हैं कि बहुत सी स्वायत्त शासन की संस्थाएं हैं जहां सरकारी लोग नहीं हैं, जिसकी वजह से उनको हिसाब-किताब की कठिनाई पड़ती है, क्योंकि वेतन भोगी जितने नियंत्रण में रह सकते हैं उतने दूसरे नहीं रह सकते। लेकिन फिर भी उसमें निष्ठावान व्यक्ति रहें।

इसमें एक धारा में लिखा है कि बोर्ड के सभापति और उसके अन्य गैरसरकारी सदस्यों की पदावधि ऐसी अवधि या अवधियों के लिए होगी जो नियत की जायं। अब मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि ऐसी अवधि रखें कि जो योजना चले उसको चलाने के लिए कम से कम ४-५ वर्ष के लिए वह सदस्य रह सकें, वरना अगर २-३ वर्ष के बाद बदल जायंगे तो कठिनाई पड़ेगी और जो आस्थावान लोग हैं और दो टर्म्स से ज्यादा नहीं रह सकते तो उतनी कम अवधि में क्या काम करके दिखा सकते हैं ?

[श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी]

एक बात और आपके द्वारा लाना चाहता हूं । हमारे स्कूलों में जब बेसिक एजूकेशन चली तो महात्मा जी की विचारधारा थी कि छोटे-छोटे उद्योगों को आधार मान कर गांव में जो छोटे-छोटे स्कूल हों उनमें बच्चों की उस ओर रुचि पैदा करें और जब बच्चा प्राइमरी शिक्षा से आगे बढ़े तो उन्हीं उद्योगों को आधार मानकर आगे बढ़े । लेकिन उसमें एक आध उद्योग होते हैं, क्षेत्रीय उद्योगों का अभाव है तो बेसिक शिक्षा में कला को आधार मान लिया गया, क्राफ्ट का रूप स्कूलों तक सीमित रहा, आगे सफलीभूत न हो सका । इसलिए अगर मंत्री जी शिक्षा में उद्योग को लाना चाहते हैं और चाहते हैं कि देहातों में उद्योग बढ़े तो देहातों में विद्यालयों को उद्योगों के केन्द्र बनाकर बच्चों को शुरू से सिखायें, इससे उनका विकास ज्यादा हो सकेगा और उस शिक्षा के द्वारा अगर दसवीं और ग्यारहवीं क्लास कोई बच्चा पास करेगा तो वह बड़ा भारी योग दे सकेगा, अपनी फीस ही निकाल ले तो बड़ा भारी काम हो गया, और यह बिना ऐप्टिट्यूड के बहुत मुश्किल है । बचपन से ५–७ वर्ष की उम्र से अगर कोई उद्योग लिया हो तो उसका विकास आगे हो सकता है और वह अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है ।

पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो बराबर बढ़ती हुई, आबादी की बात आती है जिसमें बलिया में तो १,००० आदमी प्रति वर्गमील में बसे हुए हैं, वहां कितने लोगों को खेती पर निर्भर रखा जा सकेगा और किस तरह से कल्याण हो सकेगा ? तो जो बहुत घनी आबादी के जिले हैं वहां छोटे उद्योगों की एक प्लानिंग बनाकर १०–५–७ जिलों के २–३ यूनिट बनाकर उन्हीं में छोटे उद्योगों का एक्सपेरिमेंट करें, उनका स्तर उठावें और उनके सफलीभूत बनावें तब वह योजना कहीं और कार्यान्वित करें । चीन में जैसा कि हमने सुना, देखा तो नहीं, कि उन्होंने पुस्तकों से रीजनल प्लानिंग की थी । छोटे छोटे एरियाज़ को लेकर वह उद्योगों को सफल बना सके थे, उसी तरह अगर यहां भी स्कूलों के माध्यम से इसका प्रयास किया जाय तो मुझे विश्वास है कि जिस उद्देश्य से यह बिल इस सदन में प्रस्तुत किया गया उसकी पूर्ति हो सकेगी ।

मान्यवर, एक बात और है । इस बिल में जो सूची लगी है उसमें कुछ उद्योग छूट गये हैं ? उसमें १२ उद्योग रखे गये हैं लेकिन मैं समझता हूं कि बहुत से ऐसे उद्योग हैं जिनका कि सारे प्रदेश में सर्वे होकर उसमें जोड़े जा सकते हैं । यह सूची एग्जास्टिव नहीं होनी चाहिये । इसमें एक धारा ऐसी भी है जिसके अन्तर्गत आवश्यकतानुसार इस सूची को बढ़ाया जा सकता है । मेरी राय में इस सूची में कुछ उद्योगों को बढ़ाया जाना चाहिये जैसे कि पीतल के बर्तन का उद्योग है, साइकिल के पुर्जों का बनाना है, फल संरक्षण है और वेहिकिल्स वगैरह हैं । स्थानीय स्तर पर भी जो उद्योग किये जा सकते हैं, मैं निवेदन करूंगा कि उनको भी इस सूची में शामिल किया जाय । जब भी जरूरत पड़े, जिले के स्तर पर, डिवीजन के स्तर पर या जो भी औद्योगिक स्तर बनें, उनमें सर्वे कराकर उद्योगों को शामिल किया जाय । मेरी राय में एक ही सूची सारे प्रदेश के लिये काफी नहीं होगी ।

श्री प्रताप सिंह जी ने यह कहा कि सरकार अपने दायित्व से भागती है, ऐसी बात नहीं है । अगर ऐसा होता तो आज के इस वैज्ञानिक युग में जबकि एक मिनट में लाखों गज कपड़ा बन सकता है, सरकार इस तरह का बिल क्यों लाती । इससे स्पष्ट हो जाता है कि सरकार के लिये अपने दायित्व से भागने का कोई प्रश्न नहीं उठता । इसलिये उनका जो चार्ज है वह तथ्यहीन है ।

मान्यवर, पूर्वी उत्तर प्रदेश में चर्खे के बहुत से केन्द्र खुले थे । बस्ती, गोरखपुर, देवरिया और आजमगढ़ में कताई-बुनाई सिखाई जाती थी लेकिन उद्योग विभाग ने कहा कि यह अनएकोनामिक है । उसमें ५–६ सौ आदमी आठ-दस वर्षों से बाढ़

के समय में हजारों लोगों को सहायता करते थे । चर्खा, तकुली, सूत खरीदते थे और कताई बुनाई की मदद करते थे । लेकिन उद्योग विभाग ने कह दिया कि यह अनार्थिक है इसलिये उसको बन्द कर दिया गया । फिर गांधी आश्रम ने कहा कि हमको दो । वह काम गांधी आश्रम को दिया गया । उद्योग विभाग की सहमति से वह दो तीन महीने चला लेकिन फिर वह बन्द हो गया और सैकड़ों आदमी बेकार हो गये । कुछ लोग ऐसे थे जो खादी में आस्था रखते थे, ऐसे भी कार्यकर्ता उसमें थे, उनको भी अलग कर दिया गया । तो मैं समझता हूं कि अगर उद्योग विभाग के सहारे से ही हमें चलना है तो यह योजना सफल नहीं हो सकेगी । इसलिये गैर सरकारी लोग उद्योग विभाग का नियन्त्रण करें, ऐसा कोई प्राविधान इसमें होना चाहिये । इन शब्दों के साथ में इस बिल का स्वागत करता हूं ।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—मान्यवर, मोतीलाल जी अवस्थी ने जो संशोधन पेश किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । श्रीमन्, यहां पर कई प्रकार के तर्क उपस्थित किये गये, यह जो आज यहां पर विधेयक प्रस्तुत है उसके पक्ष में और विपक्ष में । गांधी जी को भी लाया गया और उद्योगीकरण को भी लाया गया, छोटे-छोटे गृह कुटीर उद्योगों को भी लाया गया, हमारे माननीय त्रिपाठी जी जो देवरिया से आते हैं, उन्होंने अपने यहां की समस्या का भी वर्णन कर दिया कि वहां पर बहुत से लोग चर्खे चला रहे हैं । मैं पहले भ्रम का निवारण कर देना चाहता हूं और उस सम्बन्ध में श्रद्धेय स्वर्गीय महादेव भाई को नाम लेना चाहता हूं । उन्होंने खादी की आर्थिकता बहुत ही स्पष्ट ढंग से बतायी और कहा कि अगर चर्खे को आर्थिकता की कसौटी पर कसा जायगा तो उसकी आर्थिकता सिद्ध न होगी । इसलिये केवल गांधी जी का नाम लेकर गांधीवाद पर बैठ जाने, उस पर लेट जाने की प्रवृत्ति जो आज सरकारी पक्ष में दिखायी पड़ती है, मैं उसकी घोर निन्दा करना चाहता हूं । अगर ये गांधीवाद पर खड़े होते तब तो तारीफ भी की जा सकती थी, लेकिन यह तो उस गांधीवाद पर बैठ गये हैं । क्या इस विधेयक के सिलसिले में किसी भी तरह से गांधी जी का नाम लेना सार्थक था ? माननीय बहुगुणा जी जो उपमंत्री हैं उनकी भृकुटी की विलासिता से यह ज्ञात होता है कि वे गांधी जी का नाम नहीं लेंगे लेकिन जो लोग उनका नाम लेने के लिये उद्विग्न है, परेशान हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं । महात्मा गांधी जी ने स्वयं कहा था कि वे गांधीवाद ऐसी कोई चीज नहीं जानते संप्रदायवाद के रूप में गांधीवाद को चलाना नहीं चाहते, इसलिये मैं गांधीजी को इस तरफ खींचना नहीं चाहता ।

यह जो विधेयक आया है, इसका मूल उद्देश्य इसमें रखा गया है—हमारे प्रदेश में बढ़ती हुई बेकारी है और उन बेकारों को काम में खपाने का यह नियोजन है, उसी के लिये यह विधेयक लाया जा रहा है । अब देखना यह है कि क्या यह विधेयक उसकी तनिक भी पूर्ति कर पायेगा ? मैं बड़े अदब के साथ सदन को यह बताना चाहता हूं कि आचार्य विनोबा ने भूमिदान आन्दोलन चलाया । आपको मालूम होगा कि भूमिदान में मिली भूमि को बांटने के लिये समिति गठित की गयी सरकार की ओर से । हमने उसके सिलसिले में बार-बार कहा कि इस सम्बन्ध में आचार्य भावे की सम्मति आनी चाहिये कि आचार्य विनोबा भावे किस प्रकार की समिति चाहते हैं । लेकिन क्या जो समिति गठित की गयी वह उनकी कल्पना को मूर्तिमान करने में समर्थ हो पायेगी ? कई बार कहा गया कि विनोबा जी की सम्मति ले ली गयी है । पत्र दिखाने की बात कही गयी तो नहीं दिखाया गया । अब हमारे सम्मानित सदस्य इस बात से अवगत होंगे कि जो भूमिदान हुआ, जिस प्रकार से मिली हुई भूमि का वितरण हुआ, वह कितना दोषपूर्ण रहा है । बहुत से लोग यह कहने के लिये तैयार हैं कि हमने श्रम भी लगाया और जो जमीन भी हमारे पास थी वह भी हमारे हाथ से निकली जा रही है ।

उसी प्रकार से मैं देखता हूं कि गांधी जी के नाम से कुछ केन्द्रीयकरण सत्तायें उद्योगों का गला काट देंगी । सरकार जो हमारे सामने इस विधेयक को प्रस्तुत करने जा रही है वह यह स्पष्ट करे कि मिल का और इन उद्योगों का अलग-अलग क्या सम्बन्ध है । आप अकबरपुर, टांडा,

[श्री राजनारायण]

वाराणसी आदि में से किसी को भी ले लीजिये, सरकार बताये कि आज वहां के उद्योग क्यों सूख रहे हैं, उनका स्रोत क्यों सूख रहा है? लेकिन इसका कोई कारण सरकार की ओर से नहीं बताया जा रहा है? क्योंकि जब मिलें चलेंगी तो मिलों का कपड़ा सस्ता होगा। गांधी जी ने बार-बार खादी पहनने पर जोर दिया, मगर खादी एक राजनीतिक वेशभूषा तो हो पायी परन्तु सामान्य जनता की वेशभूषा वह नहीं बन पायी। क्योंकि जब खादी की धोती ६ रु० में, ८ रु० में मिलती थी तो उस समय मिलों की धोती जब कि महात्मा गांधी जी जीवित थे और चर्खा चलाने के लिये काफी जोर देते थे, डेढ़ रुपये, पौने दो रुपये और २० आने को मिलती थी। साधारण नागरिक डेढ़ रु०, सवा रु० और १ रु० देकर मिलों की धोती पहनता था पर वह खादी को नहीं अपना पाया। हमारे देश की सामान्य जनता, गरीब जनता, बेकार और अकिंचन तथा दरिद्र जनता खादी को अपनी वेशभूषा नहीं बना पायी, मैं समझता हूं कि इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता है। क्यों नहीं अपना पायी? जब मिलें यहां स्थित होंगी, मिलों में सस्ता कपड़ा पैदा होगा और पैसे की कमी होने की वजह से जनता बाध्य होकर, मजबूर हो कर जायगी और उस कपड़े को खरीदेगी। केवल सब्जेक्टिवली, मस्तिष्क के कार्यकलापों से सारी समस्या का हल हो जाय ऐसी बात नहीं है। जब तक सब्जेक्टिवली और आब्जेक्टिवली दोनों का मेल नहीं होगा, यानी अपने मस्तिष्क से मेल रख करके हम अपने कार्यक्रम और वस्तु स्थिति से मेल कायम कर काम नहीं लेंगे तब तक किसी भी समस्या का समाधान नहीं होगा।

लगातार बुनकरों की ओर से आवाज आती है कि सरकार कुछ कपड़ों को निश्चित कर दे कि मिल उसी कपड़े को तैयार करें और हमारे लिये एक दायरा छोड़ दे ताकि उस दायरे का कपड़ा हम तैयार करें और उनको बेचें तथा सामान्य जनता उसे खरीदे। परन्तु सरकार आज तक इसको कर सकने में असमर्थ है, नहीं कर सकी है। माननीय मंत्री महोदय, बहुगुणा जी जब मिलों को मजबूर नहीं कर सकते हैं कि वे धोतियां न बनावें या औरतों की साड़ियां न बनावें, तो फिर कैसे बुनकर के उद्योग धंधे पनप सकते हैं? वे कह सकते हैं कि प्राइस सपोर्ट स्कीम होगी, प्राइस सपोर्ट स्कीम कैसे होगी, कहां तक कारगर होगी, कहां तक सफल होगी, आज तक उसका कोई सच्चा चित्रण सरकार ने इस सदन को नहीं दिया।

(इस समय १ बज कर ३ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष चले गये और अधिष्ठाता, श्री बेचनराम गुप्त, पीठासीन हुए।)

श्रीमन्, आपके द्वारा मैं यह कह रहा था कि आज सरकार की ओर से इसका उत्तर मिलना चाहिये कि अगर यह बोर्ड गठित हो जायगा तो जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिये जिस प्रकार का विधेयक सरकार यहां लाना चाहती है उससे उसकी पूर्ति कैसे होगी? कैसे बेकारों को काम मिल जायगा, कैसे आज जो दरिद्रावस्था में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं उनको रोजी मिल जायगी? श्रीमन् आपको याद होगा या नहीं, जो लोग चर्खे के कार्यकलापों को अपने सामने रखते हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि पहले ३ आने और ६ पैसे कतिनों को चर्खे की कताई के लिये दिया जाता था, क्या वह कतिनों का शोषण नहीं था? जबरदस्ती कतिनों का शोषण हो रहा था और चर्खा संघ के जरिये शोषण हो रहा था, खादी बोर्ड के जरिये शोषण हो रहा था। उनकी मजबूरी अवस्था में, उनकी असहायावस्था में यह कह कर कि तुम बेकार रहोगे, कोई दूसरा कार-बार या धंधा मिलेगा नहीं, इसलिये दो आने, ६ पैसे लेकर तुम सूत ही कातो, इस तरह से इस परिस्थिति विशेष में औरतों को विवश करके वे चर्खा चलाने के लिये तैयार कर पाते थे। उसमें कोई नैतिकता, कोई आदर्श, कोई आर्थिकता की बात चर्खा चलाने के लिये चर्खा के संस्थापकों ने नहीं की, जो कुछ किया गांधी जी ने किया। आप जरा अपने को १५ वर्ष पीछे ले जायं जब कि कतिनों को ३ आना तक मजदूरी देने की बात आई तो गांधी जी ने कहा कि इन तमाम चर्खा बोर्ड और गांधी आश्रमों को बन्द कर दो और उनसे अगर काम लेना है तो उन्हें ८ आना से कम मजदूरी न दी जाय, ऐसा महात्मा गांधी ने कहा।

उस समय आचार्य कृपलानी तथा दूसरे महानुभावों ने कहा कि इस तरह से तो तमाम गांधी आश्रम बन्द हो जायेंगे अगर आप मजबूर करेंगे कि ८ आना ही मजदूरी कत्तिनों को दी जाय। इस पर फिर महात्मा जी ने कहा कि अगर कत्तिनों का शोषण होता है तो उन आश्रमों से लाभ ही क्या है, उनके खून को लेते हो और उससे उनके शोषण के बाद अगर गांधी आश्रम चलें तो सब बेकार है, इससे मुझे प्रसन्नता नहीं होगी, दुख होगा। अन्त में चन्दा हुआ और जो घाटा हुआ, ८ आना मजदूरी देने से वह पूरा किया और एक साल तक यह घाटा हुआ। जब गांधी आश्रम बन्द होने लगे तो बड़े-बड़े लोगों ने चन्दा दिया और तब जाकर फिर गांधी जी को चुप कराया गया और उनसे कहा गया कि आप न बोलें हम चर्खा उद्योग को चलावेंगे।

आज लोग भ्रम में हैं। महात्मा गांधी ने स्वतन्त्रता संग्राम की रणभेरी बजाई और देश में विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार कराया गया और 'विदेशी वस्त्र का बहिष्कार करो' यह नारा लगा और तब तक बम्बई, पूना, अहमदाबाद और कानपुर के मिल मालिकों ने, जिनके पास गरीबों के खून की कमाई जमा थी, उन्होंने कांग्रेस के संगठन को चन्दा दिया और उन्होंने इस बात को समझ कर दिया कि अगर विदेशी वस्त्र देश में नहीं आयेंगे तो हमारी नई मिलें यहां खुलेंगी और उन्हें वही लोग खोल सकेंगे कि जिनके पास पहले से संचित धन है और वही मिलमालिक बनेंगे। उसके बाद हंडिया तहसील में, रायबरेली में, प्रतापगढ़ जिले में जब यू० पी० की कांग्रेस की तरफ से लगानबन्दी आन्दोलन शुरू हुआ तब इन्हीं पूंजीपतियों ने कांग्रेस संगठन को धन देना बन्द कर दिया। उन्होंने कहा कि अभी तक तो विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार की बात थी जो हमारे हित में थी लेकिन यह लगान बन्दी का नारा तमाम ताल्लुकेदारों और जमींदारों के खिलाफ है। इसी तरह से वह पूंजीपतियों के खिलाफ भी हो सकता है यह सोचकर उन्होंने चन्दा देना कांग्रेस संगठन को बन्द कर दिया। अब कांग्रेस के पास पैसा नहीं रहा और मजबूर हो कर उसे अपना वह आन्दोलन स्थगित करना पड़ा। हमारा बनारस जिला किसी भी स्वतन्त्रता संग्राम में कभी पीछे नहीं रहा। हम जानते हैं बहुत सी जगह की बात को जो लोग कचहरियों में झंडा लेकर भेजे जाते थे या टाउन एरिया के मैदान में जाते थे। उन वालंटियरों को दो दो तीन-तीन रुपया दिया जाता था। आप जरा इस को समझें कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना क्यों हुई? जब सन् ३२ का आन्दोलन स्थगित हुआ उस वक्त बड़े-बड़े लोग नासिक जेल में बन्द थे, उन्होंने समझा कि अब चूंकि बड़े लोगों ने चन्दा देना बन्द कर दिया इसलिये सत्याग्रह बन्द हुआ और यह महसूस किया गया कि अब ऐतिहासिक आवश्यकता की परिस्थितिवश कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, की जरूरत है। इस प्रकार उस पार्टी का जन्म हुआ, और 'समाजवाद क्यों?' नामक जो पुस्तक लिखी गई वह भी सन् ३५ की लिखी हुई पुस्तक है . . .

श्री अधिष्ठाता—माननीय राजनारायण जी, विषयांतर हो रहा है।

श्री राजनारायण—कतई विषयांतर नहीं है। जरा समझने की कोशिश की जाय। यही खादी बोर्ड है, चर्खा की फिलासफी है, खद्दर की फिलासिफी है। हम भी गाना गाया करते थे 'खादी के रेशे रेशे में अपने भाई का प्यार भरा'। हम अब भी चाहते हैं कि वह प्यार हमारा विद्यमान रहे। मगर इस समय वस्तुस्थिति का विवेचन कर रहा हूं। खैर, छोड़िये।

कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का जन्म हुआ, वहीं लिखा है उस "व्हाई सोशलिज्म" नामक किताब में कि दो शर्तों पर कांग्रेस से हमारा सम्बन्ध विच्छेद होगा। पहली यह कि जिस समय कांग्रेस राष्ट्रीय स्वतंत्रता तथा गरीबों की लड़ाई लड़ना बन्द कर देगी, और या अंग्रेजों से दोस्ती कर लेगी।

श्री अधिष्ठाता—इससे खादी बोर्ड से क्या सम्बन्ध है?

श्री राजनारायण—मैं वही बता रहा हूं कि जब कांग्रेस पूंजीपतियों की गोद में सोने लगी तो हमने उससे रिश्ता तोड़ा और सोशलिस्ट पार्टी उससे अलग है। यह सारी की सारी बातें उसमें लिखी हुई हैं।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी—राजा जी के बारे में क्या कहना है ?

श्री राजनारायण—राजा जी को कोई यह न समझे कि वह कांग्रेस के शत्रु हैं। वह या आचार्य विनोबा वगैरह सब कांग्रेस को प्राणदान कर रहे हैं। वह यही तो बता रहे हैं न कि कांग्रेस पार्टी समाजवाद ला रही है, कांग्रेस पार्टी समाजवादी है, मगर जो मौजूदा कांग्रेस है वह समाजवाद नहीं ला सकती, वह असमर्थ है, अनुपयुक्त है। खैर इसको छोड़िए मेरा कहना है कि हम लोग बैठ कर इस पर वादविवाद कर लें। यहां तो प्रसंगवश मैंने कह दिया .....

श्री अधिष्ठाता—आप बहुत विषयांतर हो रहे हैं।

श्री राजनारायण—मैं श्रीमन्, यह कह रहा हूं कि वाराणसी में स्थिति और थी, लखनऊ में और। जब रंगा जी तेलगू में बोलने खड़े हुए तो वाराणसी के हिन्दी प्रेमियों के दिल में भावना आयी कि उन्हें न बोलने दिया जाय। हमने बनारस की जनता को चुनौती दी कि अगर तुम में कुछ शान है तो सम्पूर्णानन्द जी का बहिष्कार करो, क्योंकि श्री गिरि जो राज्यपाल की हैसियत से जब सदन में अंग्रेजी बोलते हैं तो वह उनका साथ देते हैं और हम विरोध स्वरूप जब सदन का त्याग करते हैं तो हमारा साथ सदन में कोई नहीं देता।

श्री अधिष्ठाता—अब आपका समय केवल ५ मिनट का रह गया। आप विषय पर बोलें।

श्री राजनारायण—तो मैं कह रहा था कि माननीय सम्पूर्णानन्द जी, माननीय पंत जी, ने जो कहा है अपने बयान में, वह इसलिये नहीं कि राजा जी के लिये बड़ा प्रेम है, है तो प्रेम, मगर इसलिये कि उसमें अपना स्वार्थ निहित है क्योंकि जवाहर लाल जी या श्री गिरि जी स्वयं अंग्रेजी में बोलते हैं। हमने बनारस की जनता से कहा है कि अगर श्री गिरि या और कोई प्रदेश देश का आदमी अंग्रेजी में बोलता है तो उसको बन्द करो।

मैं इस बोर्ड पर आ रहा हूं खादी के। मैं प्रारम्भ से इस विवाद को सुन नहीं पाया।, इसमें देखा जाय उद्देश्य की पूर्ति के लिये कतई कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार यह करेगी वह करेगी, लेकिन सदन कुछ नहीं करेगा। वह उसकी आलोचना क्यों न करे, एक्सपर्ट लोगों की राय क्यों न ली जाय। अगर यह सरकार सब काम करना चाहती है, यह समझती है कि उसके कन्धे इतने मजबूत हैं, उसकी बाहु इतनी विशाल है और यह सब काम कर डालेगी तो इसी मनोवृत्ति को तानाशाही मनोवृत्ति कहते हैं, इसी मनोवृत्ति को एकाधिपत्य वाली मनोवृत्ति कहते हैं और इसी मनोवृत्ति को सर्वग्रासी मनोवृत्ति कहते हैं। मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि क्या इसका केन्द्रीकरण नहीं हो रहा है ? यह बोर्ड संचालित कैसे होगा ? जब गांधी जी ने या सोशलिस्ट पार्टी ने देश को विकसित करने की कल्पना की है तो कुटीर उद्योग के लिये ही नहीं बल्कि जितने बड़े-बड़े उद्योग धंधे हैं उनके बारे में भी यही कहा है कि कोई एक ऐसा आयोग हो जो सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त हो। उस पर हमने सुझाव भी दिया कि हिसाब-किताब देने के के लिये जो आडिटर नियुक्त होता है वह मजदूर और मिल मालिक दोनों ओर से हो ताकि वहां का उत्पादन देखा जा सके, उसमें कोई छिपाव न हो सके।

खांडसारी के बारे में बराबर उग्रसेन और गेंदा सिंह जी तथा दूसरे सम्मानित सदस्य सवाल उठाते रहते हैं, केन सेस के बारे में सवाल उठाते रहते हैं, गुड़ उद्योग धंधे के बारे में सवाल उठाते रहते हैं, मधु मक्खी उद्योग धंधे के बारे में सवाल उठा है। माननीय बहुगुणा जी श्री गोपाल नारायण सक्सेना जी के पास समय मिलने पर चले जायं। पहले यहां पर मधु मक्खी से शहद निकालने की एक योजना चली थी। जब वे उपनेता थे तो यह योजना एक प्रमुख अंग

थी लेकिन वह योजना सरकारी हस्तक्षेप से सूख गयी। इसलिये मेरा कहना है कि जिन उद्देश्यों के साथ यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है वह सफल नहीं होने का है। सरकार लोगों की दरिद्रावस्था तथा बेकारों को काम देने के लिये जो यह विधेयक लाई है उसको वह कार्य रूप में परिणत करके दिखाये। अगर उसका यह उद्देश्य है तो सरकारी नियन्त्रण से स्वतंत्र किसी आयुक्त के द्वारा वह यह कार्य सम्पादित करती। क्या सरकार तैयार है कि ऐसा बोर्ड बने जिसमें सरकार द्वारा नामजदगियाँ न हों। अगर सरकार द्वारा नामजदगियां होंगी तो पार्टी प लिटिक्स फैलेगी। कोई भी सवाल आये, उद्योग धंधे का, भुखमरी का, विद्यार्थी का सवाल आता है तो यही कहा जाता है कि पार्टी पालिटिक्स के ऊपर ही इसे रखना है लेकिन सरकारी पार्टी पालिटिक्स उसमें इतने प्रगाढ़ रूप से घुसी रहेंगी कि सारा सवाल भ्रष्ट हो जाता है और वह जनहित, राष्ट्रहित तथा समाजहित विरोधी हो जाता है।

मैं चाहता हूं कि माननीय बहुगुणा जी माननीय मोतीलाल जी अवस्थी के संशोधन को स्वीकार करें और इसे समिति में ले जायं और किन-किन उपायों से इसके उद्देश्य की पूर्ति हो सकती है उन पर विचार वहां किया जाय और सरकार हठवादिता का परिचय न दे। अगर वह पास करती है तो बहुमत उसके पास है पास तो वह कर ही लेगी मगर मैं आपको बतलाता हूं कि जिस प्रकार इससे पूर्व संख्या के बल पर सभी बातों को पास कर लिया जाता है और फिर वे फेल होती हैं उसी प्रकार यह भी फेल होगा। यह भी समाज के हित में नहीं जायगा। अब समय कम है, आपने लाल बत्ती न जाने कैसे बार दी।

श्री अधिष्ठाता—जैसे बारी जाती है वैसे ही बार दी।

श्री राजनारायण—इसके पूर्व किसी के लिये नहीं बारी गयी। हमारे लिये ही सारी नयी-नयी व्यवस्थायें होती हैं। और किसी के लिये नहीं बारी गयी। माननीय दीपनारायण मणि ने कौन सा सुझाव दिया जो उनको आधा घंटा तक बोलने दिया गया?

श्री अधिष्ठाता—आपको ऐसा नहीं कहना चाहिये। मैंने पता लगाया तो मालूम हुआ कि माननीय उपाध्यक्ष समय के सम्बन्ध में व्यवस्था कर गये थे।

श्री राजनारायण—हमें नहीं मालूम कि कोई ऐसी व्यवस्था हुई थी।

श्री अधिष्ठाता—थोड़ा समय मैं आपको और दे देता हूं।

श्री राजनरायण—धन्यवाद। तो मैं यह कह रहा था कि इस बोर्ड का गठन कैसा हो, उसके कृत्य क्या हों, उसकी लायबिलिटीज क्या हों, उसकी मर्यादायें क्या हों, वह अपने लिये नियम, उपनियम कैसे बनाये। मैं चाहता हूं कि इस विधेयक में आमूल परिवर्तन हो। जो काम आज सरकार अपने हाथ में लेना चाहती है। मैं चाहता हूं कि माननीय अध्यक्ष के हाथ में वह हो। वह एक दिन नियत कर दें और सारे प्रदेश में जो एक्सपर्ट लोग हों उनके लिये शिक्षा की एक मर्यादा बांध दी जाय कि फलां तारीख को नामांकन हो जाय, उसमें एतराज भी हो जाय, छटनी भी हो जाय। फिर जो तारीख अध्यक्ष महोदय तय करें उसको इस सदन के माननीय सदस्यों द्वारा चुनाव हो एकल संक्रमणीय समानुपातिक ढंग से। उसमें सभी लोग अपनी-अपनी बातों को ठीक ढंग से लेकर चलेंगें और फिर माननीय मंत्री जी को कमरे में बुलाने की जरूरत नहीं होगी। नहीं तो, काम तो करेगी सरकारी कमेटी और केवल एक दिन चाय पानी के लिये न्योता आ जायगा माननीय राजनारायण, पालीवाल जी, झारखंडेराय जी आदि के लिये। अगर केवल मुख्य मंत्री के भाषण से काम चलने वाला होता तो न मालूम कितनी बार विरोधी नेता सम्मेलन हो चुका है और माननीय मुख्य मंत्री जी के बहुत सुन्दर भाषण हम लोग उसमें सुन चुके हैं। तो अगर सदन द्वारा चुनाव होगा और २१ आदमियों का वह बोर्ड बनेगा तो हम समझते हैं कि सभी दलों के लोग या उनके मन के मुताबिक लोग उसमें आ सकेंगे। फिर उस बोर्ड को अपने नियम बनाने का अधिकार हो और उन नियमों में संशोधन करने का अधिकार फिर इस सदन को हो और उस बोर्ड की ४–६ महीने की कार्यवाही पर इस सदन में विचार

[श्री राजनारायण]

विनियम हो, विवाद हो और उसको देखा जाय। इस तरह से करने पर मैं समझता हूं कि कुछ लोगों को हम काम दे सकते हैं। हम निश्चित रूप में मैं चाहते हैं कि उद्योग धंधों का विकेन्द्रीकरण हो, सरकारी हस्तक्षेप से वह मुक्त हों और सरकार उनको आर्थिक सहायता दे। मगर उस आर्थिक सहायता का नियन्त्रण और उसके खर्च करने की विधि सरकार और सरकार के मंत्रियों से अलग हो तब तो कुछ काम हो पायेगा वरना आज तक जितने काम हुए हैं उनका सारे का सारा परिणाम जनहित के विरोध में हुआ है और वही हालत इस विधेयक की भी होगी।

हमारे रामस्वरूप जी वर्मा ने कल कुछ संशोधन ६ बजने में कुछ मिनट बाकी थे तब भेजे थे। वे आज के कार्यक्रम में छपे नहीं हैं। लिख कर पूछा गया तो वहां से यह जवाब आया—"कार्यसूची प्रस भेजने के बाद प्राप्त हुए"। मुझे मालूम है कि एजेन्डे का एजेन्डा परिवर्तित कराया गया है। मुझे मालूम है कि आज आठ बजे के बाद हमें कार्यक्रम मिला है। जब हमने कार्यक्रम बांटने वाले से पूछा तो उसने कहा कि देर से छपकर आ रहा है। जब हमारे संशोधन थे और हमको मजबूर किया जा रहा है कि कल इस पर विचार होगा तो हमारे लिये ४८ घंटे वाली पाबन्दी नहीं हो सकती है।

श्री अधिष्ठाता—राजनारायण जी, उन संशोधनों को मैं ले लूंगा।

श्री राजनारायण—यदि आप ले लेंगे तो ठीक है। जो बातें छूट गई हैं उनको भी हमारे मित्र कह देंगे और मंत्री जी को भी मौका मिलेगा और वह अपने तर्कों को अच्छी तरह से रख देंगे।

श्री अधिष्ठाता—समय का भी ध्यान रखिये।

श्री राजनारायण—श्रीमन्, आप देख रहे हैं कि मैं भाग रहा हूं।

श्री अधिष्ठाता—क्षेपक भी तो शुरू होने लगते हैं।

श्री राजनारायण—क्षेपक हम शुरू नहीं करते हैं बल्कि दूसरे शुरू करते हैं। ग्रामोद्योगों ने हमारे देश की अर्थ व्यवस्था में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण कर लिया है। इससे किसी को मतभेद नहीं होना चाहिये। आगे है कि "जिसका कारण केवल यही नहीं है कि उनसे ग्रामीण क्षेत्रों में आत्म निर्भरता उत्पन्न होती है बल्कि यह भी है कि उनमें पर्याप्त मात्रा में रोजगार प्रदान करने की क्षमता है।" लेकिन यह कब कारगर होगा? जब हम इसके लिये वस्तुस्थिति तैयार करेंगे, जब हम इसके लिये वातावरण तैयार करेंगे। जब यह विधेयक आने वाला था तो क्या मंत्री जी का यह कर्त्तव्य नहीं था कि वह बताते कि आज हमारे शहरों में और देहातों में कितने लोग बेकार हैं और किन-किन लोगों को किस-किस उद्योग में खपायेंगे? जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिये यह विधेयक रखा गया है उसको खोला नहीं जा रहा है। अगर सरकार की ओर से इसको रखा गया होता तो हम देखते कि सही माने में उनको काम मिला है या नहीं। लेकिन इसको रखना सरकार अपना कर्त्तव्य नहीं समझती है।

मैं आपके द्वारा बहुगुणा जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आज जो छोटे-छोटे उद्योगों को कुचलने में मूल भूत कारण बना हुआ है, वह दूर हो रहा है या नहीं। इसको हमें देखना है। अगर इस विधेयक के जरिये यह कारण दूर नहीं हो रहा है तो क्या यह विधेयक सरकार की सर्वभक्षी नीति का परिचायक नहीं हो जायगा? इन शब्दों के साथ माननीय अवस्थी जी के संशोधन का मैं समर्थन करता हूं और चाहता हूं कि जो बातें कहीं गयी हैं उनका सरकार की ओर से समुचित उत्तर हो और किस किस प्रकार के कितने लोगों को खपाने की योजना आई थी जिसके कारण उनका यह विधेयक प्रस्तुत हुआ, इन तमाम बातों को प्रकाश में लाया जाय।

(श्री अधिष्ठाता के माननीय मंत्री जी को बुलाने पर)

*श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)—श्रीमन्, मैं प्वाइंट आफ आर्डर उठा रहा हूं। मैं आपका ध्यान प्रक्रिया नियमावली के नियम १२१ की ओर दिलाऊंगा। इसमें लिखा हुआ है कि "विधेयकों का वित्तीय ज्ञापन और विधेयकों में धन खंड—जिस विधेयक में व्यय अन्तर्ग्रस्त हो, उसके साथ एक वित्तीय ज्ञापन होगा जिसमें व्यय अन्तर्ग्रस्त होने वाले खंडों की ओर विशेषतया ध्यान दिलाया जायगा और उसमें उस आवर्तक तथा अनावर्तक व्यय का भी प्राक्कलन दिया जायगा जो विधेयक के विधि रूप में पारित होने की अवस्था में अन्तर्ग्रस्त हो।"

(२) "विधेयकों के जिन खंडों या उपबंधों में लोक निधियों में से व्यय अन्तर्ग्रस्त हो वे अपेक्षाकृत मोटे अक्षरों या वक्राक्षरों में छापे जायेंगे।

श्रीमन्, मैं व्यवस्था यह चाहता हूं कि इस नियमावली के मुताबिक ज्ञापन होना चाहिये था और इसमें सभी चीजों की पूर्ति होनी चाहिये थी मैं आपको दिखाऊं कि इसमें अनुदान और सहायता देने की व्यवस्था दी हुई है। अगर आप कहें तो पढ़ कर सुना दूं। इसमें यह है—"बोर्ड, अनुदान, आर्थिक सहायता, दान तथा उपहार, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से स्वीकार कर सकता है।" यह भी कहा गया है—"राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये बोर्ड को समय-समय पर ऐसी शर्तों पर आर्थिक सहायता तथा अनुदान दे सकती है जो राज्य सरकार तदर्थ आरोपित करे।" तो यह आर्थिक सहायता दी जायगी और बीच में रुपया देने का प्राविजन किया गया है। हर हालत में धन का व्यय होगा। सरकार देगी और देती रहेगी। ऐसी हालत में हमारे सामने जो विधेयक है इसमें ज्ञापन के वह अंग नहीं पूरे किये गये जो आवश्यक हैं। नियम में स्पष्ट है आवर्त्तक और अनावर्त्तक व्यय का भी प्राक्कलन किया जायगा। इसमें यह भी है कि विधेयकों के जिन खंडों या उपबन्धों में लोक निधियों में से व्यय अन्तर्ग्रस्त हो वे अपेक्षाकृत मोटे अक्षरों या वक्राक्षरों में छापे जायेंगे। जो यह नियम में व्यवस्था है इसका पालन नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में आप अपनी व्यवस्था देवें कि क्या प्रबन्ध होना चाहिए।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—यह ज्ञापन के सम्बन्ध में सदन में प्वाइंट आफ आर्डर उठाया गया था, उसका मैंने उत्तर दिया था कि जितना ज्ञापन आवश्यक था वह दे दिया गया।

श्री अधिष्ठाता—मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान नियम १२१ की ओर दिलाऊंगा। "A Bill involving expenditure shall be accompanied by a financial memorandum which shall invite particular attention to clauses involving expenditure."

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—मैं उसी पर आ रहा था। जहां तक नियम १२१ का सवाल है, यह लागू नहीं होता इस मौके पर, क्योंकि इस बिल में कोई धारा ऐसी नहीं है जिसके मुताबिक सरकार की खर्च करने की स्थिति को आज ठीक-ठीक आंका जा सके। न कोई खर्च आंका जा सकता है और न कोई खर्च आंका जाने की सम्भावना है। एक शक्ति कि बोर्ड को पैसा कहां-कहां से मिलेगा वह हम दे रहे हैं। सरकार से भी मिलेगा। इस लिये यह नियम यहां चस्पां नहीं होता। उस हालत में चस्पां होता जब कि यह लिख दिया जाता कि कि इस काम में हम इतना खर्चा करेंगे, इसलिए ज्ञापन की आवश्यकता नहीं है।

श्री राजनारायण—मुझे माननीय मंत्री जी का स्पष्टीकरण सुनकर आश्चर्य हुआ। माननीय मंत्री का कहना है कि हम अभी कोई खर्चा नहीं आंक सकते। तभी तो आवश्यकता है। वह कहते हैं कि जब हम पूरा बजट बना लेंगे तब हम समझेंगे कि कुछ खर्चा होगा या नहीं। ऐसी बात है नहीं। इसमें बिलकुल स्पष्ट है—"जिस विधेयक में व्यय अन्तर्ग्रस्त हो"। वह अन्तर्ग्रस्त है। इसमें जो बोर्ड बनेगा उसके कार्य संचालन के दो तरीके रखे गये हैं। राज्य सरकार देगी और सेंट्रल खादी बोर्ड देगा। मान्यवर, मैं यह समझाना चाहता हूं कि व्यय अगर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजनारायण]

सरकार नहीं देगी तो यह बोर्ड अपना काम कैसे करेगा? इस बोर्ड में लोगों को तनख्वाह देने की भी व्यवस्था है। सरकारी आदमी भी वहां बैठेंगे। भत्ता उनको मिलेगा। सामान्य विवाद में यह भी आया था कि पांच सौ रुपये से ज्यादा तनख्वाह न मिले।

यह सारी की सारी बातें इसमें आयीं और तब भी सरकारी पक्ष कह रहा है, माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि नहीं इसमें खर्चा कहीं ग्रस्त है ही नहीं। तो २१ को २८ के साथ पढ़ा जाना चाहिये जो कि इस विधेयक की धारा है। इसमें लिखा हुआ है—

"राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये बोर्ड को समय-समय पर ऐसी शर्तों पर आर्थिक सहायता तथा अनुदान दे सकती है जो राज्य सरकार तदर्थ आरोपित करे।

इस अधिनियम के उपबन्धों तथा तदन्तर्गत बनाये गये नियमों और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो राज्य सरकार तदर्थ आरोपित करे, बोर्ड समय-समय पर तथा राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से, खादी लेखा या ग्राम उद्योग लेखा अथवा बोर्ड की किसी अन्य आस्ति की प्रतिभूत पर या अन्य प्रकार से इस अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिये अपेक्षित कोई धनराशि उधार ले सकता है।"

तो वह उधार भी ले सकता है और राज्य सरकार दे भी सकती है। बिना उसके वह चल ही नहीं पायेगा। यह आप खुद ही समझ सकते हैं कि कोई भी बोर्ड बनेगा, पैसे की जरूरत तो उसको पड़ेगी ही। उसी के साथ-साथ आप अगर २७ देखें तो उसमें लिखा हुआ है।

"बोर्ड, अनुदान, आर्थिक सहायता, दान तथा उपहार, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से स्वीकार कर सकता है।"

राज्य सरकार आज्ञा देगी और राज्य सरकार से वह रुपया लेंगे या दूसरे से भी ले सकते हैं। तो यह अगर कहा जाय कि खर्चा इसमें ग्रस्त है ही नहीं, तो मैं समझता हूं कि यह अनर्थ हो रहा है। इसलिये मैं आपके द्वारा निवेदन करूंगा कि माननीय बहुगुणा जी से कि वह तो नवयुवक हैं। नवीन बुद्धि से इसको सोचें और सोचेंगे तो मैं समझता हूं कि माननीय अवस्थी जी ने जो तर्क इसमें उठाये थे, उनसे वह सहमत होंगे। शायद कल इस पर कोई विवाद हुआ हो, लेकिन यह जो नयी बात आज उठी है और वैधानिक प्रश्न किसी भी समय उठ सकता है, तो मैं चाहता हूं कि आप इस पर इस तरह की कोई व्यवस्था करें कि आज इस पर विवाद बन्द हो और सरकार फिर से इसको सोचसमझ कर पेश करे। क्या वह सोच रही है, क्या उसकी कल्पना है, कितना रुपया वह उस बोर्ड को देगी खर्च करने के लिये और कैसे-कैसे खर्च करने के लिये देगी, इन सब बातों के ऊपर विचार करके वह इसे पेश करे और तब हम इस पर विचार आगे करेंगे।

श्री अधिष्ठाता—मैंने माननीय अवस्थी जी का प्वाइंट आफ आर्डर पर विचार किया और बिल की धाराओं को देखा। माननीय राजनारायण जी ने स्वयं जो धारा अब तक पढ़ी है, धारा २८ उससे यह साफ जाहिर होता है कि राज्य सरकार सहायता दे सकती है, ग्रान्ट दे सकती है और जो नियम १२१ है जिसको कि माननीय अवस्थी जी ने आधार माना है वह इस प्रकार है—

"A Bill involving expenditure shall be accompanied by a financial memorandum which shall invite particular attention to clauses involving expenditure and shall also give an estimate of the recurring and non-recurring expenditure involved in case the Bill is passed into law."

तो इस बिल में तो केवल सहायता देने की बात है। इसमें कोई स्कीम सरकार की तरफ से ऐसी नहीं है जो खर्चा करने की स्कीम हो। इस तरह से माननीय अवस्थी जी का वैधानिक प्रश्न १२१ की परिधि में नहीं आता है।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---मान्यवर, जरा समय का कुछ ध्यान रखेंगे। वैसे, २-१५ तक समय था लेकिन श्रीमान् जी अगर २-३० तक टाइम दे दें तो मैं जवाब ठीक तरह से दे पाऊंगा।

श्री अधिष्ठाता---वह अब आप देख लें। ५ बजे तक इसको खत्म होना है।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, सफा ५ को आप देख लें। उसमें क्लाज २१ में यह लिखा है कि (१) बोर्ड प्रत्येक वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में अपनी उस वर्ष की प्राक्कलित प्राप्तियों तथा व्यय का विवरण तैयार करायेगा तथा उसे अनुमोदन के लिये राज्य सरकार को प्रस्तुत करायेगा। (२) वार्षिक वित्तीय विवरण में दिये गये व्यय के प्राक्कलनों में निम्नलिखित पृथक् रूप से दिखाये जायेंगे। उनको राज्य सरकार नहीं रोक सकती है (क) सभापति तथा अन्य गैर सरकारी सदस्यों के भत्ते (ख) बोर्ड के कर्मचारियों की उपलब्धियां तथा भत्ते और बोर्ड के कार्यालय से संबंधित अन्य व्यय (ग) ऋण सम्बन्धी व्यय जिसके लिये बोर्ड उत्तरदायी हो जिसके अन्तर्गत ब्याज, निक्षेप निधि पर व्यय तथा ऋण शोधन व्यय और ऋण लेने तथा ऋण शोधन तथा तत्सम्बन्धी कार्यों से संबंधित अन्य व्यय भी हैं। (घ) किसी न्यायालय अथवा अधिकरण के निर्णय, डिक्री अथवा पंचनिर्णय की पूर्ति के लिये अपेक्षित धनराशियां इनके विवादों के सम्बन्ध में अदालत का निर्णय होगा। जब अदालत का निर्णय होगा तो उसके अनुसार कार्य होगा। निर्णय को इन्कार नहीं किया जा सकता है। अब आप मत दें कि इस अपेक्षित धनराशि के बारे में किस प्रकार से होगा ?

श्री अधिष्ठाता---मैंने आपकी बात को सुन लिया। मैं फिर निवेदन करूंगा कि आप इस पर फिर गौर करें और जो कुछ आपने पढ़ा है उसको देख लें। यह क्लाज २१ की परिधि में नहीं आता है। यही मैं फिर कह रहा हूं।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---मान्यवर अधिष्ठाता महोदय, मैं इस भवन में कल से आज तक, जो इस विधेयक के सम्बन्ध में चर्चा हो रही है, सुन रहा हूं। इससे मेरे दिल और दिमाग पर जो असर पड़ा है उससे मैं यही समझा कि हमारे कुछ साथियों ने शायद दिमाग के सम्बन्ध में ठेका ले लिया है और बाकी के पास कम बुद्धि है और किसी के पास नहीं के बराबर है तो मैं उनके सामने नत मस्तक हूं। तुलसीदास जी ने भी शुरू में यही कहा है कि शुरू में ऐसे लोगों के सामने नतमस्तक होना चाहिये। किन्तु जहां तक मेरा सम्बन्ध है मेरे दिमाग के ऊपर दो असर साफ-साफ पड़े हैं और मैं अपने साथ और अपने इस सदन के साथ ज्यादती करूंगा अगर उन विचारों को इस सदन के सामने न रखूं। एक तो यह असर पड़े कि उस बोर्ड को बनाने के सम्बन्ध में हमारी धारणा को कितना तोड़ा और मरोड़ा गया, हमारे विचारों में कितनी बातों को जबरदस्ती लादा गया इस सिलसिले को मैं समझ नहीं पाया। कितनी कैपेसिटी हममें है ? कपड़े को मरोड़ मरोड़ कर उसको सांप बनाने की शक्ति अगर किसी में है तो वह उधर के बैठने वाले माननीय सदस्यों की वाक्शक्ति की अवश्य है, चाहे और किसी को हो या न हो। काफी कोशिश की गई इस तरह की बातों को कहने की जिससे मेरे दिमाग पर यह असर पड़ा। राजनीतिक दृष्टिकोण कुछ ऐसा हो गया है कि जैसा एक बार गांधी जी ने अंग्रेजों के लिये कहा था कि: "Seeing, they see not, hearing they hear not." तो ऐसी स्थिति हो गई है कि ईश्वर हमारी रक्षा करे। अगर कोई बात न भी हो तो उसको उसी तरह से सोचा जाता है कि दिमाग पर उलटा असर पड़े। इस कदर राजनैतिक लोगों की चर्चा की गयी कि उसके बारे में हमें राजनैतिक लोगों में नहीं जाना चाहिये और अगर जायेंगे तो खतरा पैदा हो जायगा।

मुझे खुशी है कि कम से कम राजनारायण जी ने इस बात को कई बार कहा है कि अगर हमको राजनीतिक लोगों को बाहर रखना है तो फिर यहां क्यों बैठे हैं। यहां से अपना-अपना साधू का लिबास पहनकर राजनैतिक सन्यास लेकर चले जायं। यदि राजनीति का आदमी निकम्मा हो जाता है बकौल उधर के लोगों के कहने के, उसका कोई सिद्धांत नहीं रह जाता, कोई उसूल

[श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा]

नहीं रह जाता, वह सच्चा काम नहीं कर सकता है और वह ऐसा खराब आदमी है तो उस बिरादरी में बैठने वाले लोग राजनीतिक सन्यास लेकर भगुवे कपड़े न सही, किसी और ढंग पर दुनियां के सामने राजनीति को छोड़कर क्यों नहीं बैठ जाते ? यह बात मेरी समझ में नहीं आई इस से भी जो खतरनाक बात हुई वह यह कि मेरे मन में इस बात से एक भय पैदा हुआ । जब हम राजनीतिज्ञों को हल्के दिमाग और दिल से यहां बैठ कर यह कहते हैं तो हम आवाहन करते हैं प्रजातंत्र के विरोधी तत्वों को जो यह कहते हैं कि यह सब के सब निकम्मे हैं। मान्यवर क्षमा करें, इस भवन की प्रतिष्ठा के डर से चाहे कोई कुछ न कहे, लेकिन क्या ऐसी आवाज सुनने में नहीं आती कि यह सारा आपरेटस फिजूल है, हम इस पर फिजूल में खर्च करते हैं । क्या यह बात सुनने में नहीं आती कि बहुत सारे भाई ऐसे हैं कि जिनको मौका मिले तो पकड़कर वापस भेज दिया जाय । तो इस तरह की लचर दलीलें कि राजनीतिज्ञ जहां बैठेगा, बेईमानी करेगा, प्रजातंत्र का गला घोंटने का काम करेगा और मुझे शिकायत और अफसोस तब होता है कि जब इस तरह की बातें इस सदन में होती है उन लोगों के द्वारा कि जो प्रजातंत्र का बड़ा दम भरते हैं और जो बड़ी क्रांति की बातें करते हैं । जाहिर बात यह है कि प्रजातंत्र में भले ही हमारे मन में कितना ही विश्वास हो, कथनी में भले ही उसमें कितना दम भरते हों, करनी में उस पर से हमारा विश्वास मिटता जा रहा है और इस बीच में---कथनी और करनी के बीच में---जब भाई राजनारायण जी की वाक्शक्ति लहर मारती है तो बड़ा गजब हो जाता है और उस समय कोई उपाय नहीं बचता । उसमें बड़ा प्रचंड वेग है, वाल्यूम काफी है और तुलनात्मक दृष्टि से वे यह भूल जाते हैं कि और कई चीजें भी शेष हैं जो उनमें होनी चाहिये । मैंने माना कि यहां सब एक हैं, लेकिन और कहीं न कहीं जो ज्यादा है उस पर वह नहीं जाते । मैं उस बात की तुलना करना नहीं चाहता, उनकी बाबत में केवल इतना कहना चाहता हूं कि बात वह ठीक करते हैं, लेकिन बात करते करते आखिर में जब यह देखते हैं कि खतरा आ गया तो फिर पीछे लौटते हैं और उसी में सब चीजों को एक साथ गुड़मुड़ा देते हैं । जब वह इस बिल पर भाषण कर रहे थे तो उनके विचारों में सफाई नहीं थी और उनके पास पूरे पूरे तथ्य नहीं थे और इस से ज्यादा दुख मुझे उस समय हुआ कि जब उन्होंने इस पूरे बिल पर कुछ नहीं कहा । वह हम को सिखा रहे थे कि राजनीति का इतिहास क्या है । जिन श्रीचरणों में बैठ कर आपने पढ़ा होगा उन्हीं श्री चरणों में बैठ कर पढ़ने वाले अन्य विद्यार्थी भी यहां हैं और अगर आपका पढ़ाने का काम होता तो आप यहां नहीं, कहीं और विराज रहे होते । मैं सोप बाक्स पालिटिशियन आप को नहीं कहता, लेकिन राजनीति और राजनीति के उद्देश्यों और सिद्धांतों को समझने और समझाने वाले आपसे बेहतर लोग इस सदन में बैठे हुये हैं और इसलिये उनको इस विषय की चर्चा करना अधिक शोभनीय नहीं है, उपयुक्त नहीं है ।

यहां ग्रामोद्योग का बिल आया है और आप कांग्रेस का इतिहास बता रहे हैं, पूंजीपतियों से संबंध जोड़ रहे हैं । मार्क्स मानता है कि हर कंट्री में कुछ बुर्जुआ होते हैं और वे प्रोग्रेसिव होते हैं । उसको भी आप कंडम कर रहे हैं । मुझे अफसोस हुआ कि कांग्रेस उनकी गोद में खेलने लगी, उनके गद्दों पर पलने लगी, यह वह सज्जन कह रहे हैं उस कांग्रेस को जिसका झंडा ले कर गली गली घूमने वाले यह राजनारायण उसके एक अदना सिपाही थे । इस तरह की बात कहना उचित नहीं है और मैं समझता हूं कि गलत है ।

एक बात और कही गयी । यह कहा गया कि इस सरकार का यह कायदा हो गया है कि कोई बिल ले आयेगा, बड़ी बड़ी बातें करेगा लेकिन काम कुछ नहीं करेगी । और फिर कुछ ऐसी भगवान की दया है कि कुछ देते ही नहीं । चारों तरफ रात ही रात, गहन रात दिखायी पड़ती है । कहा गया कि छोटे उद्योगों के लिये रुपया मांगा गया और बड़े उद्योगों को दे दिया गया । ऐसा कहा हमारे गेंदा सिंह जी जैसे आदमी ने, जो सदन में क्या बोलना चाहिये यह खूब जानते हैं । "आई चार्ज" कह दिया तो आई चार्ज हो गया । उस भावना से ही मैं उनको चार्ज करता हूं कि इस सदन में जो बात उन्होंने कही है वह असत्य है । उसका सत्य से कोई सम्बन्ध नहीं,

उसका तर्क से कोई सम्बन्ध नहीं, उसका वास्तविकता से कोई सम्बन्ध नहीं। उन्होंने लांछन लगाया है कि छोटे उद्योगों का पैसा बड़े उद्योगों को दिया है और माननीय लाल बहादुर जी ऐसा कहते हैं। 'कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा।' भानुमती ऐसा कर सकती थी तो आप ऐसा क्यों करते हैं ? लाल बहादुर जी ने कब कहा, कहां कहा, उत्तर प्रदेश सरकार ने कब किया, कैसे किया, कुछ पता नहीं, लेकिन चार्ज लगा दिया। इसके लिये एक ही तर्क है। उनको अधिकार है लांछन लगाने का और वह बात सुनने में अच्छी लगती है इसलिये जो कुछ उनके पास था उसे यहां बिखेर दिया। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि मैं तैयार हूं इस सरकार को छोड़ देने के लिये अगर कोई माननीय सदस्य यह बतावें कि हमने फलां छोटे उद्योग के लिये मंजूर रुपये को फलां तरफ तब्दील कर दिया है ।

यहां पर बात हो रही है खादी उद्योग की, स्माल स्केल इंडस्ट्री की, पर लोग जिक्र करने लगे गुड़ और खांडसारी का। यह क्यों ? मैं नहीं कहना चाहता कि कोई साहब इसको पढ़ कर नहीं आये हैं। अगर मैं यह कहूं तो यह मेरा कहना अशोभनीय होगा। लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि बहुत सी बातें ऐसी कह दी गयी हैं जिनका इस विधेयक से कोई ताल्लुक ही नहीं था। हमारा ध्यान केवल लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज की तरफ ही है, यह कहना गलत है। हमारा ध्यान सब तरफ है। हर इंडस्ट्रीज का अपना अपना अलग बोर्ड है और उनके आपरेटस भी अपने हैं। खादी और विलेज इंडस्ट्री के लिये अलग से एक खादी बोर्ड भी बना हुआ है। यह सब बातें हैं पुस्तकों में मौजूद हैं लेकिन फुरसत किसको है जो इन सब बातों को पढ़े। कह देना एक आसान बात होती है, इसलिये जो भी जी में आता है, कह दिया जाता है। यह कहा जाता है कि हम निकम्मे हैं। इससे सस्ता और हल्का और वाक्य ही नहीं। हमने भी सोचा कि हम निकम्मे हैं। किन्तु फिर भी मैं यह कहूंगा कि जो भी हम खादी और विलेज इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं उसका खांडसारी और गुड़ से कोई सम्बन्ध नहीं। मैं माननीय गेंदा सिंह जी से कहना चाहता हूं कि वे जरा पुस्तकों को पढ़ें। जहां तक हमारी सूचना है वह यह है कि कोई पैसा वह कमीशन पावर ड्रिवन मशीनों के लिये देने के तैयार नहीं है। अगर माननीय जगदीश शरण जी को कोई सूचना हो तो वह मुझे बतायें। मेरे पास वह भेज दें, मैं उसको देख लूंगा। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब भी प्रश्नकर्ता कोई प्रश्न करें तो उसके पहले जरा सोच विचार लिया करें। उनको यह देख लेना चाहिये कि वे अपने अधिकार का कितना प्रयोग कर रहे हैं।

पूछा जाता है कि पंचवर्षी योजना के अन्तर्गत आपने कितना रुपया खर्च किया ? तो जितना था वह मैंने बता दिया। पता नहीं आप कैसे कहते हैं कि फलां मद के लिये इतना रुपया था और इतना खर्च किया गया। मेरे कहने का मतलब यह है कि जब तक पूरी पूरी जानकारी आपको न हो जाय तब तक कुछ घटाना बढ़ाना आपको नहीं चाहिये। यह लांछन लगाना कि यह सरकार बड़े बड़े उद्योगों को ही देखती है, ठीक नहीं है। यह कहना भी ठीक नहीं है, गलत है, कि छोटे उद्योगों का पैसा बड़े बड़े उद्योगों को दिया जाता है। आप बड़ी इंडस्ट्रीज किसको मानते हैं ? मैं तो जो १० लाख से ऊपर की लागत की जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनको बड़ी इंडस्ट्री मानता हूं, जो ५ लाख से ऊपर कैपिटल इनवेस्टमेंट करते हैं वे बड़ी इंडस्ट्रीज हैं। जो ५ लाख से कम कैपिटल इनवेस्टमेंट इनवाल्व करती हैं वे छोटी इंडस्ट्री हैं। और खादी और विलेज इंडस्ट्रीज उनको मानें जो गांव में हमारे रा मैटीरियल को लेकर हमारे ट्रेडीशनल और थोड़े बहुत इम्प्रूव्ड मेथड्स के साथ, थोड़े बहुत हुनर के साथ अपने जीवन के निर्वाह के लिये उस काम को निबाहता है उस समय में जो उसके पास समय खाली है ।

श्री राजनारायण ने कहा कि पैसा कम दिया जाता है। साथ ही अगर मुझे ठीक याद है तो श्री मोती लाल अवस्थी ने कहा कि वेतन बढ़ गये हैं इसलिये खादी महंगी होती जा रही है। अब वेतन बढ़ भी गया है, कम भी है इसलिये महंगी है, इन दोनों तर्कों में एक भूल है और वह यह कि खादी और विलेज इंडस्ट्री को अगर इस देश में चलाना है तो उनको सबसिडियरी का इंटरेस्ट बनना पड़ेगा। इन उद्योगों को किसान और मजदूरों के फालतू टाइम का साधन बनना पड़ेगा,

[श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा]

होल टाइम में हम उसको एनवीसेज नहीं करते। होलटाइम एम्प्लायमेंट वह दे नहीं सकते, अगर दें तो उनकी शक्ति के बाहर है। राजनारायण जी ने कहा कि ८ आना, ६ आना, ५ आना, ४ आना और ज्यादा से ज्यादा १२ आना मजदूरी देने की क्षमता नहीं है। तो नहीं है तो क्या करें? बड़े उद्योगों को जल्दी लगा नहीं सकते, छोटे उद्योगों को फैला नहीं सकते, क्या किया जाय?

कल से महात्मा जी का नाम कई बार लिया गया। हम तो खैर, इस बिल के सिलसिले में लेना नहीं चाहते हैं। जिस किसी ने लिया वह उनको मुबारक हो। नतमस्तक हैं उनके सामने, लेकिन वह जो सारा सामाजिक ढांचा बनाना चाहते हैं उसमें जो खादी और ग्राम उद्योग का काम है उसकी अलग अपनी हैसियत है और जिस तरह का सामाजिक और आर्थिक ढांचा हम बनाना चाहते हैं उसमें कुछ मिल मिलाकर थोड़ा परिवर्तन है। तो हम उनकी बात क्यों लावें? खादी की उनकी बात तो समय की आवश्यकता थी। जैसा कि गांधी जी ने कहा था कि अहिंसा में तो हृदय से मानता हूं, लेकिन कांग्रेस ने कहा कि अहिंसा ही इस समय प्रैक्टिकल प्रपोजीशन है, इसलिये हम अहिंसा को मानते हैं, इसके सिवा दूसरा रास्ता नहीं है। इसी तरह खादी और विलेज इंडस्ट्रीज नीड आफ डि टाइम और नीड आफ दि आवर हैं। इसके अलावा बेकारी का मुकाबिला करने के लिये जो कि गांव गांव में फैली हुई है, आधी बेकारी, पूरी बेकारी, एम्प्लायमेंट, अन्डर एम्प्लायमेंट के जो दो स्टेजेज हैं उनका मुकाबिला करने के लिये इन साधनों के अतिरिक्त दूसरा साधन नहीं है। यही नहीं, राष्ट्र के अन्दर जब धन के साधनों को हम जोड़ना चाहते हैं और इन धन के साधनों की कमी है तो हमको गहराई में जाना होगा।

गूदड़ को ले लीजिये। कपड़े पहिनने का देश का ऐवरेज है १८ गज कपड़े का, उसको छोड़ कर अगर ६ गज पर कैपिटा भी रखिये और ३ साल कपड़े की लाइफ मान लें, क्योंकि पहले धोती फटती है तो उसको सिलता है, फिर फटती है तो पेवन्द लगाता है, पेवन्द भी फट जाता है तो गुदड़ी में वह कपड़ा चला जाता है और जब गुदड़ी भी फट जाती है तो वह घूरे पर चला जाता है। उसको घूरे पर नहीं जाना चाहिये, उसका बनना चाहिये कागज। अगर घूरे पर जाता है तो राष्ट्र का नुकसान होता है, राष्ट्र की संपत्ति गायब होती है और अगर वह पल्प बनने के काम आता है तो उससे राष्ट्र की संपत्ति ऊपर होती है कागज की शक्ल में। इतना फैला हुआ जब हमारा देश है तो सब जगह से तो गूदड़ इकट्ठा नहीं कर सकते, इसलिये छोटे-छोटे गांवों में ही कागज बनाने का प्लांट नहीं लगता तो क्या होगा? बड़ी संपत्ति राष्ट्र की निकलती है। तो इस तरह से मैंने जो निवेदन किया कि समय की आवश्यकता है कि गरीब को चारों तरफ से बचाना पड़ता है। वह खर्चे के मामले में पैसा देना अफोर्ड नहीं कर सकता। इसलिये अगर हमको अपने राष्ट्र की संपत्ति को रिकवर करना है तो हमको अपने ग्रामोद्योगों का विकास करने के लिये, फैलाव करने के लिये ध्यान देना पड़ेगा और उसको हर तरह से हमने सोचा विचारा।

एक साहब ने कल कहा कि यह बिल लाने के पहले कोई पायलट योजना एक बनी होती। मान्यवर, कुछ लफ्ज चल चुके हैं और चल जाते हैं। हर समय और हर युग के कुछ नारे और अल्फाज होते हैं जो मीठे लगते हैं। जैसे किसी जमाने में "सत्याग्रह" शब्द बहुत अच्छा लगता था। आजकल "समाजवाद" शब्द हरएक के मुंह में है। तो इस तरह से कोई-कोई शब्द युगवाणी बन जाते हैं। आजकल पाइलट प्रोजेक्ट के शब्द प्लानिंग के बछुवा बन गये हैं। पाइलेट प्रोजेक्ट किसको कहते हैं? मैं बहस क्या करूं, यही कहना चाहता हूं कि जब देश भर ने अनुभव कर लिया, केन्द्र ने खादी ग्रामोद्योग कमीशन बिठाकर उससे सारे देश में काम ले लिया तो फिर पाइलेट प्रोजेक्ट की क्या आवयश्यकता है? उसकी सारी अच्छाई और खराबी देश के सामने है। अगर माननीय सदस्यों को उसकी जानकारी नहीं है तो फिर पाइलट प्रोजेक्ट बना देने के बाद उसको भी नहीं पढ़ेंगे। खादी कमीशन बिठाया गया और अब उसके बाद फिर हम पाइलेट प्रोजेक्ट बनायें तो फिर इस उत्तर प्रदेश का काम सिर्फ पाइलेट प्रोजेक्ट बनाना ही रह जायगा। हमें कुछ काम आगे चलाने की भी बात सोचनी चाहिये।

एक भाई ने कहा कि उत्पत्ति बढ़ाइये। उत्पत्ति कैसे बढ़े? हम और आप जो खादी पहनते हैं, अपने दिल पर हाथ रखकर सोचें, जैसा कि श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी जी ने कहा कि तुम्हारे घर में कितना अंश खादी का है? तुम्हारे बिस्तर, होलडाल, पर्दे, स्त्री के कपड़े, बच्चों के कपड़े, इन सब में तुम खादी में कितनी दूर तक गये हो? आया खादी के समुद्र में तुम ऊपर ही तैर कर चले आये या अन्दर भी प्रवेश किया, यह देखना है। माननीय गेंदासिंह जी का कहना है कि उत्पादन बढ़ाओ, पूरब में जो १०० सेंटर चले थे उनको चलाओ। वह चाहते हैं कि उनका क्षेत्र खादी बनाये और शेष उत्तर प्रदेश खादी पहने और वह न पहनें। आप अपने यहां स्वावलम्बी खादी के केन्द्र खुलवाइये, मैं पूरी मदद करने के लिये तैयार हूं। लेकिन आप चाहते हैं कि कपड़ा आप बनाइये और पहनने वाले विलायत से आयें। रुई से लेकर कपड़े तक तीन चौथाई कार्य आपको अपने ऊपर लेना पड़ेगा, आप खुद बनाइये और पहनिये और कुछ उसमें से बेच दो। बनाई की मदद में जो मदद हम देते हैं वह मिल रही है लेकिन आप कुछ नहीं करते। एक आदत पड़ गई है, खतरनाक आदत और इस प्रदेश का बड़ा दुर्भाग्य होता जा रहा है कि आत्मनिर्भरता के बजाय उनके दिल में भय डाला जाता है कि सरकार कुछ नहीं कर रही है बजाय इसके कि उनको अपने पैरों पर खड़े होने के लिये कहा जाय। बड़े अच्छे अच्छे लोग कहते हैं, मैं उसकी ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता। आज लाखों रुपये वाले आदमी के घर अगर एक चारपाई जल गई तो वह पुलिस में रपट लिखा देता है और चाहता है कि पुलिस मदद दे। तो इस तरह की प्रेरणा इस तरह की बातों से ही मिलती है। उनका मत है कि संविधान के अनुसार खादी के सम्बन्ध में जो सरकार की जिम्मेवारी है उसको हम पूरा करें, हम उसके केन्द्र खोलें। लेकिन लोग उस जिम्मेवारी के एक भाग को भूल जाते हैं, लोग गंगा यमुना को ही देखते हैं और सरस्वती को भूल जाते हैं। उस संविधान में यह भी है कि जन सहयोग और जनबल होना चाहिये। तो जब तक हमें जनसहयोग नहीं प्राप्त होगा, हम इस जिम्मेवारी को पूरा नहीं कर सकेंगे। तो जहां संविधान में यह लिखा हुआ है कि यह हमारी जिम्मेवारी है उसके साथ यह भी लिखा है कि जनसहयोग हमको मिले। जिस हद तक हमें जनसहयोग मिलेगा, हम उसको करेंगे।

श्री मोतीलाल अवस्थी—अगर आप पात्र होंगे तो जनसहयोग मिलेगा।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—पात्र और कुपात्र तो सब भेज दिये गये हैं, उसकी हमारी जिम्मेदारी नहीं है।

एक बात यह कही गई कि इसका सरकारीकरण किया जा रहा है। तब अफसोस हुआ जबकि श्री प्रताप सिंह ने इस बात को कहा और तब अफसोस हुआ जबकि थोड़ा-थोड़ा श्री गेंदासिंह जी ने इस बात को कहा, क्योंकि अगर हम कोई भी बात समझते हैं तो यह समझते हैं कि इन्होंने बोर्ड के उद्देश्यों का और उसके बनाने की बात का स्वागत किया है। सरकारीकरण या अफसरीकरण कैसे होता है, यह मेरी समझ में नहीं आया। हम सब विधायक यहां हैं तो क्या प्रदेश का विधायकीकरण हो गया? पांच अफसर उसमें हैं तो कैसे अफसरीकरण हो गया? हमारे भाई गेंदा सिंह जी हमें समझा देते तो कृपा होती। यहां तो खादी के मामले में उन भाइयों ने भी राय दी जिनका खादी ग्राम उद्योग से सदा से सम्बन्ध रहा है और जो उसमें एक्सपर्ट माने जाते रहे हैं। बैकुन्ठ भाई और करणभाई की राय भी हमें मिली। हमने केवल चार अफसर रखे, और यह बिल हमने खादी कमीशन को दिखा दिया था, उन्होंने कहा कि डेवलपमेन्ट कमिश्नर को इसमें जरूर रखिये क्योंकि प्लानिंग का बहुत काम इसमें आता है। हमने करणभाई से पूछा, उन्होंने कहा कि एग्जीक्यूटिव एजेंसी तुम्हारी डाइरेक्टर आफ इंडस्ट्रीज रहेगी, वरना हम लोगों के पास इतना समय नहीं है। अब मैं उनकी राय को मानूं या गेंदा सिंह जी की राय मानूं? हां, अगर गन्ने वालों की हड़ताल कराने की बात होती तो मैं गेंदा सिंह जी की बात मानता क्योंकि वह उसमें एक्सपर्ट हैं। मेरी गलती यही है कि करण भाई की बात मैंने मानी और इस खूबसूरत गलती को बार-बार करता जाऊंगा। एक्सपर्ट्स का जमाना है, उनकी बात मानना ही उचित है।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा]

यह भी कहा गया कि इसमें लिखा है कि अगर नान-आफीशल मेम्बर पागल हो जायगा तो निकाल दिया जायगा। ठीक है। लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि आफीशल मेम्बर अगर पागल हो जायगा तो उसके लिये कुछ नहीं लिखा है। मेरे भाइयों को कदाचित् मालूम नहीं है कि जब कोई अफसर पागल हो जायगा तो उसका कार्य-काल ही समाप्त हो जायगा। वह अपने घर को जायगा। पागल आदमी होता है, पद नहीं होता है। जो उस पद पर होगा, वही इसमें सदस्य होगा। आज मिस्टर दास हमारे डाइरेक्टर आफ इंडस्ट्रीज हैं, कल को वह किसी दूसरे पद पर चले जावें तो जो दूसरा आदमी उस पद पर आवेगा, वह सदस्य होगा।

एक बात यह कही गई कि हमने अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिये यह बोर्ड बनाने की बात सोची है। मैंने कल भी कहा था और उम्मीद भी की थी कि कम से कम यह सदन मेरे साथ इस बात में उदारता करेगा। हम अपनी जिम्मेदारी से कतई बचना नहीं चाहते हैं और न बच ही सकते हैं।

एक साहेब ने कहा कि यह बिल देर से आया है। माननीय सदस्यों ने अखबारों में देखा होगा। इंडस्ट्रीज विभाग को ज्वाइन करने के १०,१२, दिन बाद ही मैंने कहा था कि स्टैट्यूटरी बोर्ड को हम जल्द से जल्द बनावें। बावजूद इसके अगर देर हुई भी तो इसकी जिम्मेदारी मेरी अकेली नहीं थी। सदन की कार्यवाहों में भी दूसरे प्रायोरिटी के विधेयक थे, जिसके कारण यह बिल पहले नहीं आ सका। पहले तो कहा गया कि तुम इस बिल को देर से लाये और अब कहा गया कि तुम इस बिल को इसलिये लाये हो कि अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहते हो। तो यह तर्क वितन्डा जैसा है जिसमें मैं आ गया हूं उसका जवाब क्या दूं ? इतना ही कहना चाहता हूं कि सरकार ने ईमानदारी के साथ सोचा कि खादी के ऐक्सपर्ट की वह राय जो केन्द्रीय सरकार ने मान ली है हमें भी मान लेनी चाहिये। उनकी राय थी कि खादी के काम में इस तरह से कार्य होगा कि सरकारी ढंग का आडिट करने लगेंगे, और पहले इसकी मंजूरी, फिर उसकी मंजूरी, और इस प्रकार फाइनेंशल कठिनाइयों में इसे डाल देंगे, तो यह कार्य चलने वाला नहीं है। इस बोर्ड को सरकार का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। सच पूछिये तो हमने डाइरेक्टोरेट की सर्विसेज को इसके मातहत कर दिया है। भाई जगदीश शरण जी चाहते हैं कि एक डाइरेक्टोरेट अलग से बन जाय। जैसे हम यहां मिनिस्टर और डिप्टी मिनिस्टर बैठे हुये हैं, वैसे ही बोर्ड के १५ आदमी डाइरेक्टोरेट आफ इंडस्ट्रीज के ऊपर नजर रखने वाले होंगे। इस प्रकार खादी और विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड के १५ मेम्बरों को हम पूरी जिम्मेदारी देना चाहते हैं। यह कहा गया कि एक डाइरेक्टर बढ़ा दो। अजीब मांग है। नदी के पानी में मिट्टी बहुत है, न आदमी देख पाता है और न मछली देख पाती है। एक तरफ तो कहते हैं कि अफसरीकरण हो रहा है और दूसरी ओर कहते हैं कि अफसर एक और बढ़ा दो। यह दोनों बातें मेरी समझ में नहीं बैठीं।

यह भी मांग आई कि किसी की तनख्वाह ५०० रुपये से अधिक न रखी जावे। मेरी व्यक्तिगत राय यह है कि बड़ी और छोटी तनख्वाहों में भेद कम किया जाय, जो इस समय बड़ा अन्तर है उसे घटाना चाहिये। लेकिन खादी कमीशन ही बेचारा अकेला ऐसा नहीं है कि सारी दुनिया की भलाई उसी से शुरू होनी चाहिये। केन कमिश्नर या डायरेक्टर या सी०डी० आई० २,००० रुपये वेतन पावे तो गेंदासिंह जी को ऐतराज नहीं है लेकिन खादी के काम करने वालों पर उनकी कृपा कम है। मेरा मतलब यह नहीं है कि हम उनको कोई बहुत बड़ा वेतन देंगे। जैसा आपको मालूम है, वह बोर्ड अन्वेषण भी करेगा और अगर अपनी गवेषणा के सम्बन्ध में उसे किसी कैमिस्ट को रखने की आवश्यकता हुई और कैमिस्ट ने कहा कि मैं ८०० रुपये से कम नहीं लूंगा, तो क्या काम को रोक दिया जायगा ? तो हम कैसे ५०० रुपये की बात मान लें ?

कहा गया कि इसमें चुने हुये लोग होने चाहियें। राजनारायण जी ने यह भी कहा कि खादी कमीशन के लोग गवें, और इलेक्ट करें इस हाउस से। जिन संस्थाओं के प्रतिनिधियों के लिये वे कहते हैं उनकी तरफ जितनी श्रद्धा भाई राजनारायण जी या गेंदासिंह जी की होगी, उससे कम हमारी नहीं है। गांधी आश्रम का उन्होंने नाम लिया। गांधी आश्रम के प्रवर्तक पूज्य

कृपलानी जी और विचित्रभाई हमारे देश की विभूतियां हैं। उनके प्रति श्रद्धा हमारे मन में किसी से कम नहीं है। हमने सबका सहयोग और राय लेकर ही यह विधेयक भवन में रखा है। गांधी जी ने भी आश्रम के कार्यकर्ताओं से कहा था कि तुम इलेक्शन की पद्धति से दूर रहो। हमारे प्रदेश में रचनात्मक कार्यकर्ताओं की ६७ संस्थायें हैं, १२ बड़ी हैं बाकी छोटी हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे में चुनाव की बात मत डालो। इसे तुम लोग असेम्बली में ही रखो और हमें क्यों चुनाव के झगड़े में डालते हो ? अब हम रखेंगे किसको ? हमारे भाई तिवारी जी तो न जाने कहां कहां के सपने देख गये ! उसमें कोई न कोई हारेगा, कोई न कोई जीतेगा। हारते भी हैं और जीतते भी हैं, लेकिन सवाल यह है कि अभी से यह सोच लेना कि इसमें फलां आदमी रखा जायगा, यह गलत है। मैं सरकार की ओर से यह विश्वास दिला देना चाहता हूं कि इस बोर्ड के मेम्बर खादी और ग्रामोद्योग के प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे, ऐसा वैसा कोई आदमी सरकार नहीं रखेगी। इसके अतिरिक्त हम अनौपचारिक रूप से भी उनसे बातें करेंगे और उनका मशविरा लेंगे जो इस कार्य में दक्ष हैं।

इस प्रदेश में खादी आश्रम ने बहुत बड़ा काम किया है, बहुत सुन्दर काम किया है। उन्होंने खादी का काम किया है लेकिन चमड़े आदि के जो दूसरे काम हैं वे दूसरी छोटी-छोटी संस्थाओं ने भी काफी अच्छे काम किये हैं। उन कामों के लिये खादी भंडार अपना अधिक समय नहीं दे पाया। उन्होंने अपने आपको खादी में ही स्पेशलाइज किया है। इसके अतिरिक्त हमारे पास अन्य ६६ छोटी छोटी संस्थायें हैं। इसके अतिरिक्त हमें और भी सहकारी संस्थाओं का जाल बिछाना होगा और उनके बन जाने के बाद इनकी स्थिति काफी जोरदार हो जायगी। हमारे यहां उत्तर प्रदेश में दिसम्बर, ५९ तक १२५० ऐसी सहकारी संस्थायें बन चुकी थीं और यह क्रम आगे भी जारी है। अब हमें इन संस्थाओं के द्वारा काम करना है। बोर्ड उनके द्वारा काम करेगा न कि वह कोई अपना निजी उत्पादन केन्द्र चलायेगा। हां हो सकता है कभी आवश्यकता पड़ी और बोर्ड को यह निश्चय लेना भी पड़ा तो बोर्ड किसी के मुकाबिले में आने वाला नहीं है, कोई पैरेलल आर्गेनाइजेशन वह न होगा। वह तो इन ६७ संस्थाओं के माध्यम से ही अपना काम चलायेगा। वह उनकी सहायता करेगा न कि उनके कार्य में इंटरफियर करेगा। मेरा विचार है कि इससे बहुत से संदेह दूर हो जायेंगे।

माननीय प्रताप सिंह जी तथा दूसरे सदस्यों ने यह भी कहा कि रुपया मार्च में दिया जाता है। यह बात उद्योग विभाग के बजट के समय भी कही गयी थी। कहीं अच्छा होता माननीय सदस्य इसके बजाय यह बताते कि फलां जिले के फलां ग्रामोद्योग को या कोआपरेटिव सोसाइटी को, जो कि इतने दिनों से फलां काम को कर रही थी, उसको मदद नहीं की। रुपया काटने और छांटने की बात तो कही गयी लेकिन यह नहीं बताया गया कि किसको रुपया नहीं दिया गया। हां, यह अवश्य है कि उत्तर प्रदेश में छोटे ग्रामीण उद्योग के क्षेत्र में हम केवल सहकारी संस्थाओं को ही सहायता देते हैं, किसी भी इंडिविजुअल को इस प्रकार के काम के लिये सहायता नहीं देते। मेरी दावत है माननीय सदस्यों को कि वे एक भी ऐसी सोसाइटी का नाम बता दें, एक भी ऐसी रजिस्टर्ड सोसाइटी का नाम जिसने हमें अप्लाई किया हो और हमने उसको सहायता न दी हो या खादी कमीशन ने न दी हो और तभी यह माना जा सकता है कि हमने सही काम करने के लिये उनको सहायता नहीं दी। वाकया यह है कि गांवों में जो कोआपरेटिव सोसाइटीज हैं उनकी आंख और कान हमारे ये सब लेजिस्लेटर्स हैं। अगर ये आंख और कान न देखें और न सुनें तो उनका काम चलने वाला नहीं है। अतः इन कोआपरेटिव सोसाइटीज को सहायता देने के लिये, मशविरा देने के लिये खादी और ग्रामोद्योग के काम को ठीक से चलाने के लिये, मेरी प्रार्थना है मेम्बर साहबान से कि वे अपने अपने इलाके की एक एक कोआपरेटिव सोसाइटी को एडाप्ट कर लें। अगर उन्होंने ठीक मानों में उसको एडाप्ट कर लिया तो ग्रामोद्योग की भावना को बड़ा बल मिलेगा।

एक बात, मान्यवर, और कही गयी जिसको मैं आखिर में कह देना चाहता हूं। यह कहा गया कि बड़े बड़े उद्योगों पर रोक लगा दी जाय कि वे इस तरह की चीज न बनावें। मैं इस बहस में नहीं जाता जो हैंडलूम के कपड़े के लिये कहा गया, लेकिन मैं इतना बतला दूं कि अब मिलों

[श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा]

द्वारा छींट के कपड़े बनाना बन्द कर दिया गया है, साथ ही बोर्डर वाली धोतियां बनाना भी उनके द्वारा बन्द कर दिया गया है। उसका नतीजा यह है कि हैंडलूम वाले अब काफी कपड़े बनाते जा रहे हैं। यह कहा जा सकता है कि खादी के सिलसिले में हमने यह क्यों नहीं किया? मैं बतलाऊं कि केन्द्रीय सरकार ने कहा कि हम इसके लिये कोई बीच का रास्ता निकालें। अब अगर यह कर दिया जाय कि खादी के सारे कपड़े कुर्त्ते के लिये बनें तो हमारे जैसे आदमी तथा राजनारायण जी जैसे आदमी के लिये जो खादी का पैजामा भी पहनते हैं इससे दिक्कत हो जायगी, इसके लिये तो आवश्यक होगा कि ऊपर से नीचे तक के जितने कपड़े हैं वे सब खादी के ही हों।

जहां तक विलेज इंडस्ट्रीज का सवाल है, चमड़ा उद्योग का सवाल है, अगर माननीय सदस्य अपने-अपने जूते निकाल कर ही देखें तो मालूम हो जाता कि किसका किसका जूता गांवों के चमड़े का है। चाहे यहां पर जितनी बातें कहीं जांय लेकिन केवल बात से ही मुहब्बत नहीं हो सकती है। मुहब्बत के लिये आवश्यक है कि आप उसके कोई उदाहरण पेश करके दिखलावें। हमारे प्रदेश में करीब ६४ सहकारी समितियां हैं जो चमड़े का कारोबार करती हैं। इस मद में १६ लाख रुपया पंचवर्षीय योजना में हमने खर्च किया है। वहां पर सिर्फ मोठ बनते हैं जो पानी की, सिंचाई के काम में आते हैं। मोठ के सिवा वहां कोई और चीज नहीं बनती। अगर माननीय विष्ट जी जैसे आदमी को हम ग्रामीण चमड़े का जूता पहनने के लिये बाध्य करें कि वे अपनी मुहब्बत उसके द्वारा दिखलायें तो उनका पैर कट जायगा और वे कहेंगे कि मैं चमरौधा जूता नहीं पहनूंगा। तो इस तरह से मुहब्बत करने के पहले सब बातों पर अच्छी तरह से विचार कर लें वरना उससे बड़ा नुकशान हो जायगा।

एक बात और कही गयी कि जहां तक इस प्रदेश की सरकार का सम्बन्ध है, इस प्रदेश की सरकार ने ग्रामीण उद्योगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और उनके लिये काफी पैसा खर्च नहीं किया और साथ ही टार्गेट में भी कमी कर दी। श्रीमन्, मैं आपको बतलाऊं कि जब द्वितीय पंचवर्षीय योजना में यह बात सामने आयी कि खादी तथा ग्राम उद्योगों के काम को किस तरह से किया जाय तो केन्द्रीय सरकार ने तय किया कि प्लान आप बाहर से करके बतला दें और एक आयोग जो होगा वह स्टेट गवर्नमेंन्ट के प्राविजन के अनुसार उस काम के लिय पैसा देता रहेगा। इस तरह से खादी तथा ग्रामोद्योग का काम चलता रहेगा। इस प्रदेश में पिछले दो सालों में करीब ५७ लाख रुपया इस मद में लगाया गया है और हम देखते हैं कि दुनिया की तमाम चीजों को छोड़ कर जो ५,६ ग्रामीण उद्योग–धान कुटाई का उद्योग, हाथ से कागज बनाने का उद्योग, ग्रामीण तेल का उद्योग, रेशे का उद्योग, कुम्हारी का उद्योग है इसके लिये सहायता दी गयी है।

एक बात माननीय जगदीश शरण जी ने कही कि हर साल आप एक ही लिस्ट को दोहरा देते हैं। मैं माननीय सदस्यों को बतला दूं कि अगर हम ४७ से फिर लिस्टों को लें तो उसकी तादाद बहुत बढ़ जायगी। गांव-गांव में जो इंटेंसिव काम हुए हैं, उसकी डिटेल धीरे-धीरे सामने आवेगी और पिछले साल में जो काम बढ़ा है उसकी रेखा धीरे धीरे नजर आयेगी तो मालूम होगा कि हमारे प्रदेश की सन्तोषप्रद स्थिति है और हमारे देश तथा प्रदेश की स्थिति और उसकी स्थिति और उसकी परिधि के मुताबिक यदि आप सचमुच गांवों तथा देश की तरक्की करना चाहते हैं तो बड़े उद्योगों को, छोटे उद्योगों को साथ भूल नहीं सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि पूरे पिक्चर को सामने रख कर और पूरी परिधि को लेकर सदन इस पर विचार करेगा।

एक बात माननीय प्रताप सिंह ने कही कि पहाड़ों में जो ऊन की योजना थी, उसको मालूम होता है कि बहुगुणा जी खा ही गये। मैं आप के द्वारा माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वह जरा खादी की परिभाषा पढ़ने की कोशिश करें। उस में साफ लिखा है कि खादी का मतलब है कि ऊन हो, रेशम हो या कपास हो सब से बना हुआ सूत का कपड़ा। तो जब खादी का क्षेत्र इतना व्यापक है तो ऊन का शिडयूल में अलग से लाकर रखना आवश्यक नहीं है, वह उस में

इन्क्लूड करता है। इसलिये कोई भय मेरे भाइयों के हृदय में नहीं होगी चाहिये। पहाड़ों में हिलवूल के सम्बन्ध में आज आवश्यकता है कि वहां के भाई और माननीय प्रताप सिंह जी मदद करें कि वहां बुनकरों की और कत्तिनों की सहकारी समितियां बनें ताकि हम उनके सुपुर्द काम कर के छुट्टी लेकर अपने घर बैठें, इस निर्माण के काम में हम भी अफसरीकरण नहीं चाहते। हिलवूल के काम में कोई अफसरीकरण या सरकारीकरण हम स्वयं नहीं कर रहे हैं। एक बोर्ड बनने वाला है, एक भारी बदलाव और परिवर्तन हम ला रहे हैं और इसके द्वारा हम विकेन्द्रीकरण कर रहे हैं। इस बोर्ड को तमाम कार्यों और कर्तव्यों को सौंप कर हम अपने फर्ज से जो मदद करने का है उस से मुक्ति नहीं ले रहे हैं बल्कि खर्च की जिम्मेदारी ले रहे हैं और डायरेक्टरेट आफ इंडस्ट्री को पूरा सहयोग दे रहे हैं। सारे प्रश्न और समस्या को एक गहरी नजर से देखने के बाद स्थिति स्पष्ट हो जायगी। इसमें कोई बुराई नहीं है, बुराई आंख में है जो बुराई देखने की आदी हो गई है। उस नजर को जरा ठीक करें और उस के बाद मैं आशा करता हूं कि सदन मेरी बात को सुनने के बाद माननीय मोतीलाल के संशोधन को गिरायेगा, वह वैसे भी गिरना चाहिए था, लेकिन प्रिलिमिनरी आबजेक्टिव पर तो मैंने भी विश्वास नहीं रखा। फिर भी जब प्रवर समिति के लिये कोई प्रस्ताव आये तो वह निर्दिष्ट कारणों के साथ आना चाहिये। कल से आजतक की बहस में यह बात नहीं बताई गई कि यह प्रवर समिति में क्यों जाय, लेकिन फिर भी मैं धन्यवाद देता हूं कि जो समय आपने ग्राम उद्योगों को सार्थक बनाने में और खादी आदि की उन्नति के लिये जो सुझाव दिये हैं। मैं सब सदस्यों से आशा करता हूं कि बिना किसी शुबहा के वह इस काम में हमें अपना सहयोग देंगे जिसे हम करने जा रहे हैं, यही मेरी प्रबल इच्छा है।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस समय खादी उद्योग के विकास में और ग्राम उद्योगों के विकास में कितनी समितियां काम कर रही हैं और उन के आंकड़े क्या हैं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—माननीय मोतीलाल जी को बजट साहित्य के सम्बन्ध में एक पुस्तक "उत्तर प्रदेश में उद्योगों का विकास, १९५९-६०" मिली होगी, उसके पृष्ठ ८६ पर खादी ग्रामोद्योग आयोग के सम्बन्ध में दिया है कि विभिन्न खादी ग्रामोद्योगों की अबतक १,२५० समितियां, जैसे हाथ से धान कुटाई की ७४, ग्रामीण तेल ५६१, ग्रामीण चर्म उद्योग २१९, कुटीर दियासलाई १५, गुड़ तथा खांडसारी ७२, ताड़ गुड़ १७, अखाद्य तेलों से साबुन बनाने वाली ३४, हस्तनिर्मित कागज १४, मधुमक्खी पालन १, ग्रामीण मिट्टी के बर्तन २३ तथा अन्य (ऊनी कम्बल, खादी, लोहारगीरी, काष्ठकला) २२०, संगठित हुई हैं।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड विधेयक, १९६० (Uttar Pradesh Khadi and Village Industries Board Bill, 1960) को एक संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जावे जो अपना प्रतिवेदन १ माह में प्रस्तुत कर देवे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड विधेयक, १९६० (Uttar Pradesh Khadi and Village Industries Board Bill, 1960) पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २

२—विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस अधिनियम में— परिभाषाएं।

(१) "बोर्ड" का तात्पर्य धारा ४ के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड से है,

(२) "सभापति" का तात्पर्य बोर्ड के सभापति से है,

(३) "खादी" का तात्पर्य, भारत में हाथ से काते गये रुई, रेशम या ऊन के तागे से अथवा इनमें से किन्हीं दो या सब तागों के मिश्रण से भारत में हथकरघों पर बुने हुये कपड़े से है ,

(४) "सदस्य" का तात्पर्य बोर्ड के सदस्य से है और सभापित भी इसके अन्तर्गत है,

(५) "नियत" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बने नियमों द्वारा नियत से है,

(६) "विनियम" का तात्पर्य धारा ३७ के अधीन बने विनियमों से है,

(७) "सचिव" का तात्पर्य धारा १० के अधीन नियुक्त बोर्ड के सचिव से है, और

(८) "ग्रामोद्योग" का तात्पर्य अनुसूची में उल्लिखित सभी या किसी उद्योग से है और इसके अन्तर्गत ऐसा कोई अन्य उद्योग भी है जो धारा ३ के अधीन विज्ञप्ति के कारण अनुसूची में उल्लिखित किया गया समझा जाय ।

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड २ इस विधेयक का अंग बने ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड ३

३—(१) राज्य सरकार स्वतः या बोर्ड की सिफारिश पर, सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा, किसी अन्य उद्योग को ऐसा ग्राम उद्योग घोषित कर सकती है जिस पर यह अधिनियम प्रवृत्त हो और तदुपरान्त इस प्रकार घोषित उद्योग इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये अनुसूची में उल्लिखित उद्योग समझा जायगा । अनुसूची को बढ़ाने का अधिकार ।

(२) उपधारा (१) के अधीन जारी की गयी प्रत्येक विज्ञप्ति की एक प्रति उसके जारी किये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जायगी ।

***श्री गेंदासिंह**—श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं :—

" खंड ३ (१) में 'राज्य सरकार स्वतः' के बाद तथा शब्द 'या' के बीच 'या गांधी आश्रम' शब्द बढ़ा दिया जावे ।"

आप देखें खंड ३ इस प्रकार है :—

"३—(१) राज्य सरकार स्वतः या बोर्ड की सिफारिश पर, सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा, किसी अन्य उद्योग को ऐसा ग्रामोद्योग घोषित कर सकती है जिस पर यह अधिनियम प्रवृत्त हो और तदुपरान्त इस प्रकार घोषित उद्योग इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये अनुसूची में उल्लिखित उद्योग समझा जायगा ।"

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मैं चाहता हूं जहां पर 'राज्य सरकार स्वतः' लिखा हुआ है उसके बाद गांधी आश्रम रख दिया जाय। बिल की मंशा है कि राज्य सरकार स्वतः या बोर्ड की सिपारिश पर ऐसे उद्योगों को सम्मिलित कर सकती है वहां पर हमारा कहना है, कि गांधी आश्रम की सिपारिश भी रखी जाय और उसकी सिपारिश पर भी कोई उद्योग अगर वह उचित समझें तो उसको भी अनुसूची में जोड़ लिया जाय।

श्री अधिष्ठाता---गांधी आश्रम के पहले एक 'या' को रखना पड़ेगा।

श्री गेंदासिंह---यह तो शाब्दिक संशोधन है आप स्वतः कर देंगे।

अनुसूची में जो उद्योग दिये हुए हैं---मधुमक्खी पालन, कुटीर दियासलाई उद्योग, मिट्टी की वस्तुओं का कुटीर उद्योग, कुटीर साबुन उद्योग आदि-आदि इनको सरकार स्वतः पूर्ण नहीं समझती और उद्योग भी आगे चल कर इस श्रेणी में आ सकते हैं और उनको भी इस अनुसूची में शामिल कर सकती है स्वतः या बोर्ड की सिपारिश पर वहीं गांधी आश्रम की सिपारिश भी मैं चाहता हूं। सीधा सा संशोधन है और ज्यादा विवाद की गुंजायश नहीं है। गांधी आश्रम से हम सभी परिचित हैं, उसकी राय से हमको लाभ ही हो सकता है। अकेले बोर्ड पर इसकी जिम्मेदारी नहीं है बल्कि स्वतः सरकार अगर समझे तो किसी उद्योग को इसमें शामिल कर सकती है, या बोर्ड की सिपारिश पर बढ़ा दे तो वहां गांधी आश्रम की सिपारिश पर भी बढ़ा दे यह मैं चाहता हूं। मंत्री जी ने हमारे लिये आफर दिया है कि वे १०० चर्खे केन्द्र खोलने को तैयार हैं और मेरे क्षेत्र में खास कर और यह जिम्मेदारी मेरे ऊपर आयद कर दी है कि खादी हमें बेचनी होगी। वह जिम्मेदारी मैं लेता हूं। उनको और मुझको दोनों आदमियों को उस खादी को कन्धे पर रख कर कुछ आदमियों के पास चलना होगा और चल कर जब हम दोनों बेचना शुरू करेंगे तो उस वक्त वह खादी भी बिकने से बाकी नहीं रहेगी। जिस वक्त मैं कन्धे पर रख कर खादी बेचने चलता था उस वक्त मैं आज से अपने को ज्यादा सुखी मानता था। आज भी मैं समझता हूं कि वह काम ज्यादा अच्छा है। मैं गांधी आश्रम का बड़ा भक्त हूं। मेरा उस पर बड़ा विश्वास है और मैं समझता हूं कि बहुगुणा जी भी अगर विश्वास करते हैं तो मेरे कथन को स्वीकार करें और फिर आगे का काम देखा जाय।

श्री नागेश्वरप्रसाद (जिला जौनपुर)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, गेंदासिंह जी ने जो संशोधन पेश किया है मैं इसका विरोध करता हूं। मान्यवर, अभी तक विधेयक में जो विधान किया गया है इसके मुताबिक अनुसूची में ग्रामोद्योगी वस्तुओं के नाम बढ़ाये जा सकते हैं, स्वतः सरकार द्वारा या बोर्ड की सिपारिश से। जैसा माननीय गेंदा सिंह जी ने कहा है उनकी बात अगर मान ली जाय तो उसमें एक बात आ कर जुड़ती है। गांधी आश्रम की सिपारिश पर यह काम होगा। प्रस्तुत विधेयक द्वारा अभी तक तो यह था कि ग्रामोद्योग की सूची में कौन कौन सी चीजें ली जांय इसके लिये कोई संस्था या कोई भी व्यक्ति चाहे वह सरकार के माध्यम से या बोर्ड के माध्यम से सुझाव भेज देगा और सरकार मुनासिब समझेगी तो सूची में उसे स्वीकार कर लेगी। लेकिन माननीय गेंदा सिंह जी की बात मान ली जायगी तो प्रान्त के अन्दर खादी तथा ग्रामोद्योग का काम करने वाली करीब ६७ संस्थायें हैं और उम्मीद है कि भविष्य में और हों तो उन सबके लिये गांधी आश्रम का अकेले नाम जोड़ देने से इस बात का प्रतिबन्ध सा लग जाता है। उनकी सिपारिशों की कोई कद्र नहीं होगी और उनको राय देने का अधिकार नहीं होगा। इस तरह से मैं समझता हूं कि उसको आप एक बहुत सीमित दायरे में बांधने जा रहे हैं जब कि अब तक की व्यवस्था के अनुसार वह दायरा बहुत बढ़ा हुआ है। आखिर सूची में ग्रामोद्योगों को सम्मिलित करने का काम तो सरकार करेगी चाहे वह स्वतः करे या बोर्ड की सिपारिश पर करे और इस बात को देखते हुए मैं समझता हूं कि गांधी आश्रम का इसमें नाम ला कर रखना ठीक नहीं है। अच्छा होगा कि व्यापकता की दृष्टि से इसको ऐसे ही रखा जाय और व्यक्ति या संस्थायें सरकार के पास सिफारिश करें या बोर्ड के पास सिपारिश करें और उसके माध्यम से इस सूची को बढ़ाया जाय। इसलिये मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—माननीय गेंदासिंह द्वारा प्रस्तुत किये गये संशोधन के समर्थन में मैं कुछ बोलने की कोशिश करूंगा। अभी माननीय नागेश्वर जी की तकरीर के पहले अंश को सुन कर ताज्जुब हुआ। लेकिन ऐसा भी लगा कि बाद में उनकी समझ में बात आ गयी। माननीय गेंदा सिंह जी ने जो बात कही है वह मेंडेटरी नहीं है। वह सिफारिश की बात है जैसे अदालतों में रिवीजन की बात होती है। अदालत को यह हक होता है कि वह स्वयं भी या किसी के कहने से, किसी डिसीजन को उलट दे या बदल दे। इसी तरह से इस बिल में व्यवस्था है कि सरकार किसी उद्योग को ग्रामीण उद्योग घोषित कर सकती है। इसमें ऐसा प्रविधान नहीं है कि वह निश्चित रूप से ऐसा करेगी। तो मेरी समझ में नहीं आता कि माननीय नागेश्वर जी को इस संशोधन से क्यों विरोध है। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार करेंगे क्योंकि कांग्रेस के गांधी आश्रम को Taboo नहीं करना चाहिये। आज की बहस को सुनकर मैं नहीं समझ पाता कि आखिर उधर के बैठने वाले माननीय सदस्य गांधी आश्रम से इतनी घृणा क्यों करने लगे हैं। माननीय उपमंत्री जी ने स्वयं कहा कि इस बिल को बनाने के लिए "मैंने माननीय करण भाई से पूछा, माननीय बैकुंठ भाई से पूछा" और न जाने किन किन से पूछा। उन्होंने यही कहा कि इसमें विशेषज्ञों की राय लेनी जरूरी थी। तो अगर विशेषज्ञ कोई राय देते हैं कि अमुक गृह उद्योग या कुटीर उद्योग है तो उसका मानना या न मानना तो सरकार के ही हाथ में है। फिर मेरी समझ में नहीं आता कि इस संशोधन को मानने में सरकार को क्या आपत्ति है? अनौपचारिक रूप से तो वह विशेषज्ञों से पूछ लेते हैं, लेकिन अगर नियम में लिख दिया जाता है तो कहते हैं कि ऐसा ठीक नहीं। कौन उद्योग लघु उद्योग होंगे और कौन नहीं होंगे इसको सरकार खुद तय कर सकती है या वह इसे बोर्ड की सिफारिश पर ही तय करेगी। माननीय गेंदासिंह जी ने कहा कि उसमें यह भी लिख दिया जाय कि अगर गांधी आश्रम भी सिफारिश करे तो उस पर भी विचार किया जा सकता है। तो इसमें तो विवाद की कोई बात है ही नहीं। मैं समझता हूं कि बहुगुणा जी इसको समझेंगे और स्वीकर करेंगे।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—अधिष्ठाता महोदय, जब माननीय गेंदासिंह जी ने यह संशोधन पेश किया और उधर से माननीय नागेश्वर जी ने उसका विरोध किया तो बड़ा आश्चर्य हुआ। कभी हमारे बुजुर्गों ने एक बुनियाद डाली थी और आज की नहीं बल्कि करीब करीब ५०–६० वर्ष पुरानी एक बुनियाद खड़ी हुई थी। मगर जब आज इस सदन में उस बापू की धरी हुई बुनियाद पर तामीर करने का वक्त आया तो उधर के माननीय सदस्य का यह कहना है कि नहीं, बुनियाद से अलग तामीर करो। शायद वे यह भूल गये कि हमने और उन्होंने माननीय बापू जी के पकड़ाये हुये पैमाने के अनुसार नाप-जोख कर यह बुनियाद भरी थी और बुजुर्गों की धरी हुई यह बुनियाद है। गांधी आश्रम का निर्माण हुआ सिर्फ खादी ग्रामोद्योग के ऊपर और खादी ग्रामोद्योग के अधीन गांधी आश्रम का निर्माण हुआ। आज गांधी आश्रम के ही ऊपर सारा खादी ग्रामोद्योग निर्भर करता है और आज जब सिफारिश की बात आयी तो उससे उसे अलग रखा जा रहा है। तो यह उसी तरह से है कि बुनियाद भरी हुई है अलग और तामीर की जा रही है अलग। ऐसी तामीर टिक नहीं सकती। इसलिये मैं माननीय नागेश्वर जी से यह दरख्वास्त करूंगा कि हमारे बुजुर्गों की भरी हुई जो बुनियाद है उसके ऊपर जो तामीर की जायगी वह अटल रहेगी। इसलिये मैं आशा करता हूं कि इस संशोधन को माननीय सदस्य स्वीकार करने की कृपा करेंगे।

***श्री ब्रजनारायण तिवारी** (जिला देवरिया)—अधिष्ठाता महोदय, मैं संशोधन का समर्थन करते हुये यह आग्रह करूंगा कि गांधी आश्रम स्वयं उस काम को कर रहा है, उसको अनुभव भी है। जो लोग व्यापार करते हैं उनको यह पता रहता है कि उनके व्यापार को बढ़ाने के लिये कौन कौन सी चीजों की आवश्यकता है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तो इस दृष्टिकोण से ऐसी कोई बात मालूम नहीं पड़ती है कि गांधी आश्रम को शरीक न किया जाय। गांधी आश्रम क्षमता रखता है और उसको इतनी सूझ है कि वह सोच समझ कर सुझाव दे कि यह उद्योग और शरीक कर दिये जांय ताकि ग्रामोद्योगों की क्षमता बढ़ जाय। मैं समझता हूं कि यह कोई ऐसा संशोधन नहीं है जिसको मंत्री जी कबूल करने में हिचकें। इससे उल्टे सरकार को सहायता प्राप्त होगी।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—मान्यवर, मैं एक निवेदन कर दूं कि गांधी आश्रम के लिये प्रेम और श्रद्धा हमारे दिल में कितनी है यह तो हर साल जब हुंडियां बिकती हैं उस समय देखने से मालूम हो सकता है। गेंदासिंह जी ने छोड़ दिया होगा लेकिन मैं इलाहाबाद शहर में महेश भाई की गवाही दिला कर कहता हूं कि जितनी पहले बेचता था उससे ज्यादा बेचने की बात हुई है, कम की नहीं। लेकिन उन्होंने छोड़ दिया है जैसा कि स्वयं उन्होंने अभी कहा। तो इससे स्पष्ट है कि मेरा प्रेम कम नहीं है और उनका भी कम नहीं है। मैं इस बात को मानता हूं कि यह तो एक समुद्र है जहां पर सारी नदियां आकर मिल जाती हैं। लेकिन एक बात की दिक्कत है कि किसी भले आदमी को इंगित कर दिया जाय तो उसके चार दुश्मन हो जाते हैं। मैं सब बातों को सुनकर कह रहा हूं। गांधी आश्रम खादी का एक वट वृक्ष है और उसमें कई जड़ें हैं और हर जड़ आज एक पेड़ बन गई है। आज अगर हम मुख्य तने को ही कह दें कि तुम्हारी बात ही मानी जायगी तो शेष दूर हो जायंगे।

मैं गेंदासिंह जी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि गांधी आश्रम राय देने के लिये मजबूत जगह पर और मजबूत तरीके से होना चाहिये। इस तरह से काम न करके जैसा कि देहात के लोग कहते हैं कि "आम खाना है या गुठली गिनना है" अगर उनकी बात गुठली गिनने की हो तब तो उनका संशोधन ऐसा है कि इसमें भी कमी कर देने वाला है। अगर आम खाने का सवाल है तब तो इसकी व्यवस्था है। इतना मैं और कह देना चाहता हूं कि बिना गांधी आश्रम के प्रदेश में खादी बोर्ड का होना एक मजाक है। लेकिन इस जगह उसका नाम रखना उचित नहीं है। गांधी आश्रम के हित में और हमारे स्नेह के हित में यदि वह इसको प्रेस न करें तो मैं उनका आभारी होऊंगा।

*__श्री गेंदासिंह__—श्रीमन्, माननीय नागेश्वर जी ने जो कहा वह तो हमें ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत सोच समझ कर नहीं कहा। यह हमारा मतलब नहीं है कि गांधी आश्रम सलाह दे तो दूसरों को रोक दिया जाय और न इसका यह अर्थ होगा कभी। यह तो अर्थ का अनर्थ है। जिस तरह से बोर्ड को सरकार को सलाह देने का अधिकार है उसी तरह से हम चाहते हैं कि गांधी आश्रम भी बोर्ड को सलाह दे सके। जहां तक अधिकार देने की बात कि कौन सलाह दे तो उसमें मैं गांधी आश्रम का नाम चाहता हूं। यदि यह रहे तो विधेयक की प्रतिष्ठा के प्रतिकूल नहीं होगा।

जैसा बहुगुणा जी ने कहा कि बिना गांधी आश्रम के प्रदेश में कोई खादी बोर्ड हो तो यह एक मजाक है। उसमें गांधी आश्रम की कोई उपेक्षा हो जायगी यह बात नहीं सोची जा सकती है। लेकिन एक बात उन्होंने कही कि आम खाने से मतलब है या गुठली गिनने से मतलब है। यह ऐनालाजी यहां लगती नहीं है। यह मतलब नहीं है कि अगर गांधी आश्रम का नाम नहीं लिखा जायगा तो उसकी सलाह नहीं मानी जायगी। मतलब यह है कि अगर नाम लिखा जायगा तो गुठली और अगर नाम नहीं लिखा जायगा तो आम। उनके कहने का मतलब यह होता है। मैं समझता हूं कि यह ऐनालाजी यहां पर लगती नहीं है। प्रलोभन मेरा यह है कि आज भी गांधी आश्रम में कुछ लोग ऐसे हैं जो हम से कहीं ज्यादा अक्ल रखते हैं और कार्य क्षमता उनमें है। लेकिन उनको अपने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गेंदासिंह]

वेतन बढ़ाने की चिन्ता नहीं है और वे पांच सौ से नीचे हम को प्राप्त होते हैं। बहुगुणा जी ने कहा कि इस बोर्ड में पांच सौ से ऊपर लोगों को क्यों नहीं रखना चाहते हैं? मैं सचमुच नहीं रखना चाहता हूं। आखिर देश से कहीं विषमता दूर होगी या नहीं? मैं चाहता हूं कि गांधी आश्रम को विधेयक में सरकार द्वारा प्रामिनेंस मिले। उससे सरकार की प्रतिष्ठा बढ़ेगी और यह काम भी आगे बढ़ेगा। फिर जब गांधी आश्रम की सलाह माननी ही है तो लिखने से सरकार को कोई उलझन क्यों पैदा हो? गांधी आश्रम का स्थान दूसरी संस्थाओं का नहीं है। उसकी जिले-जिले में शाखाएं हैं। कोने कोने में उसका संगठन फैला हुआ है। उसकी जितनी जानकारी है उतनी दूसरों की नहीं है। इसलिए अगर उसका स्थान इस विधेयक में हो तो उससे बल ही मिलेगा। इन बातों पर वह विचार करें, लेकिन अगर वह बजिद फिर भी यह कहेंगे कि मैं वापस ही ले लूं तो मैं वापस ले लूंगा क्योंकि वह गिर तो जायगा ही।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—श्रीमन्, गांधी आश्रम को हम बहस की चीज नहीं बनाना चाहते हैं। गांधी आश्रम के सम्बन्ध में इस सदन में वोटिंग हो यह माननीय गेंदासिंह भी शायद न चाहें। अगर इस विधेयक में गांधी आश्रम का नाम आ जायेगा तो उसकी प्रतिष्ठा पर कोई बात आ सकती है। इस विधेयक के बनाने में गांधी आश्रम से शुरू से सहायता मिली है और भविष्य में भी मिलने वाली है। उसके बिना हम इस काम को सफल नहीं कर पायेंगे। लेकिन गांधी आश्रम को इंगित कर जबरदस्ती सरकार पर और गांधी आश्रम पर कटाक्ष करने के लिए लोगों को आमंत्रित नहीं करना चाहिए। इस लिए गांधी आश्रम का नाम नहीं रखा गया। प्रदेश में १२ ऐसी संस्थाएं हैं जो ऊंची चोटी की कहलाती हैं, स्वराज्य आन्दोलन में प्रमुख हाथ रहा उन में गांधी आश्रम अग्रणी है। वह बड़ा भाई है। तो बड़ा भाई यह नहीं कर सकता कि खुद ही खा ले और दूसरों को न पूछे। वह सभी लोगों को पूछ रहे हैं। वह घर के बड़े हैं, छोटों का भी खयाल रख कर चल रहे हैं, ऐसा मैं सभी लोगों को प्रतीत कराना चाहता हूं और ऐसा प्रतीत होना चाहिए। मैंने यह भी नहीं कहा कि गान्धी आश्रम का नाम हटा दिया जाय। मुझे बड़ी खुशी होती अगर मैं गान्धी आश्रम का नाम रख सकता। गांन्धी आश्रम के नाम पर विवाद न होता, मुझे कुछ कहना न पड़ता यह मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात होती। गान्धी आश्रम हम सब लोगों की जिन्दगी से बहुत बड़ा सम्बन्ध रखता है। वह बहुत बड़ी निधि हमारी है और उस निधि के सम्बन्ध में मैं न कहूं तो मुझे खुद तकलीफ होती है, दुख होता है। लेकिन फिर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वास्तविकता को मद्देनजर रखते हुये, गान्धी आश्रम की मर्यादा के विरुद्ध कोई कुछ कह न सके, उत्तर प्रदेश की सरकार को कोई यह न कह सके कि गान्धी आश्रम को हमेशा दूसरी दृष्टि से क्यों देखते हो। अब भी लोग हमारे ऊपर यह लांछन लगाते हैं कि सारा कपड़ा तुम गान्धी आश्रम से ही क्यों खरीदते हो? तो उन बेचारों को बिला वजह इस खींचतान में मैं नहीं लाना चाहता। जैसा मैंने पहले ही कहा इस प्रदेश का बोर्ड बिना गान्धी आश्रम के मजाक होगा। इसलिए गान्धी आश्रम को राय देने का अधिकार भी होगा। मैं आशा करता हूं कि माननीय गेंदासिंह जी अपने संशोधन को वापस ले लेंगे।

श्री गेंदासिंह—मैं गान्धी आश्रम को वोट के सामने नहीं लाना चाहता हूं। इसलिए माननीय बहुगुणा जी के आश्वासन के बाद मैं इस संशोधन को वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड ३ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ४

बोर्ड की स्थापना।

४—सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा एक बोर्ड स्थापित किया जायगा जो उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड कहलायेगा और जो एक सतत अनुक्रम वाला निगमित निकाय होगा। उसकी एक सामान्य मुहर होगी, और उसे इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, सम्पत्ति अर्जित करने, धारण करने और निस्तारित करने तथा संविदा करने का अधिकार होगा तथा उक्त नाम से वह वाद प्रस्तुत कर सकेगा और उसके विरुद्ध वाद प्रस्तुत किया जा सकेगा।

*श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं—

(१) खंड ४ की प्रथम पंक्ति निकालकर उसके स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"विधान सभा उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष की घोषणा द्वारा एक बोर्ड की स्थापना होगी।"

यदि आज्ञा हो तो दूसरा भी मूव कर दूं।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—मैं एक बात कहना चाहता था इस संशोधन के सम्बन्ध में। ३६ घंटे के बाद तो यह प्राप्त हुआ और छपा भी नहीं है।

श्री अधिष्ठाता—मैंने इसे एलाऊ कर दिया है।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—मान्यवर, मुझे सुने बगैर कर दिया है.....

श्री अधिष्ठाता—६ बजने में कुछ मिनट थे, तब आया था। आपके पास उसकी कापी तो पहुंच गई होगी।

श्री राजनारायण—अगर माननीय बहुगुणा जी मान जायं तो आज इसको स्थगित कर दिया जाय और कल ले लिया जाय।

श्री रामस्वरूप वर्मा—श्रीमन्, यदि आपकी आज्ञा हो तो दूसरा भी संशोधन इसी के साथ पेश कर दूं।

श्री अधिष्ठाता—जी हां।

श्री रामस्वरूप वर्मा—मैं यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि खंड ४ की पंक्ति २ में शब्द "सतत अनुक्रम वाला" निकाल दिये जायं और उसके स्थान पर "सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त स्वतः संचालित" रख दिये जायं।

श्रीमन्, जब मैं यह संशोधन प्रस्तुत कर रहा हूं तो इस आशा से कि माननीय बहुगुणा जी ने जो सदन में अपनी वक्तृता देते हुए आश्वासन दिया है उसे वह पूरा करेंगे। श्रीमन्, उन्होंने ने कहा कि यह जो बोर्ड बन रहा है इसमें जिन लोगों को पार्टीबन्दी नजर आती है या कहीं उसकी बू आती है तो वह बहुत गलत है, यह बिलकुल इसके परे है। मैंने माननीय बहुगुणा जी की इस बारे में मदद की है। माननीय अध्यक्ष का पद ऐसा माना जाता है कि निष्पक्ष हैं। किसी से प्रभावित नहीं है। तो मैंने 'सरकार घोषणा करे' के स्थान पर क्योंकि सरकार का तो पक्ष और विपक्ष दोनों होता है, पक्ष में वह लोग बैठे हुए हैं और विपक्ष में यहां हम लोग

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामस्वरूप वर्मा]

बैठे हुए हैं, माननीय बहुगुणा जी जो अपनी राय देते हैं या सोचते हैं वह उसी दिशा में सोचते हैं और दुर्भाग्य से जो विधेयक में खराबी आ गई है वह इसी कारण आयी है, तो मैंने सरकार शब्द हटाकर उसके स्थान पर अध्यक्ष रख दिया है कि अध्यक्ष घोषणा करेंगे और चुनाव होगा।

श्रीमन्, दूसरी बात इसमें और भी है कि यह जो बोर्ड है, मुख्य रूप से प्रदेश में जो ग्रामोद्योग हैं और खादी है उसकी तरक्की के लिये बन रहा है। अब इसकी तरक्की का जिम्मा सारा का सारा सरकार ने ही ले रखा हो ऐसी बात नहीं है। बहुत से हम लोगों के सुझाव हैं, बहुत से हम लोगों के तौर तरीके हैं कि जिनके कारण खादी और ग्राम उद्योग की तरक्की हो सकती है। सरकार अपनी राय में अच्छे आदमियों को चुन कर ही बोर्ड बनायेगी, तो यह सरकार का एकपक्षीय संगठन होगा। मैं उसकी नीयत के प्रश्न पर नहीं जाता, लेकिन सरकार की भी कुछ मर्यादायें हैं, उसकी कुछ हदें हैं। सरकार कैसे सर्वज्ञानी हो सकती है कि किसके मन में क्या है, किस में क्या शक्ति है। यहां तमाम प्रदेश भर के प्रतिनिधि चुन कर आये हैं, सब जानते हैं कि कौन कितना योग्य है, किस की क्या क्षमता है, किसने कहां कितने दिन काम किया है। और इसलिये अगर सदन की राय से कोई बोर्ड बनेगा तो वह ज्यादा अच्छा रहेगा। और इसलिये हमने इसमें माननीय अध्यक्ष महोदय का सुझाव रखा है। इसमें सरकार को कोई आपत्ति नहीं होगी और मैं समझता हूं कि इसको मानने में विरोधी दल को भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

तीसरे, यह सब प्रकार की राजनीति से अलग है। बहुगुणा जी ने भी कहा कि इसमें राजनीति का कोई प्रश्न नहीं है। इस सम्बन्ध में एक पुस्तक है "सेंट पर सेंट स्वदेशी", पूज्य महात्मा जी द्वारा लिखी हुई। मैं उसका कुछ अंश आपकी आज्ञा से पढ़ देना चाहता हूं। लोग यह कह तो देते हैं कि यह राजनीति से ऊपर है और राजनीति इसमें नहीं आनी चाहिये, लेकिन किसी संगठन का एक स्वरूप जब बन जाता है तो फिर हमें यह इन्कार करना मुश्किल हो जाता है कि इसमें राजनीति नहीं है। इसका मैं एक उदाहरण दे दूं। सरकार का भले ही इरादा न हो, लेकिन संगठन की खराबी से ऐसी बातें अक्सर आ जाती हैं और उन से सरकार बच नहीं पाती। सरकार ने एक घोषणा की कृषि विभाग द्वारा कि जो क्राप कम्पटीशन में प्रथम श्रेणी में इनाम जीतेगा उसको हम एक पिस्तौल के लिये लाइसेंस देंगे। एक सज्जन थे कानपुर के जो सोशलिस्ट पार्टी के जिला मंत्री हैं। सम्पन्न व्यक्ति हैं, बन्दूक का लाइसेंस उनके पास पहले से है। उन्होंने इनाम जीता और पिछले ३ साल से बराबर क्राप कम्पटीशन में आ रहे हैं लेकिन उनको लाइसेंस नहीं दिया गया। पता नहीं सरकार ने इस बारे में क्या सोचा, लेकिन उनको लाइसेंस नहीं मिला। अगर उनको केवल सोशलिस्ट होने के नाते ही लाइसेंस नहीं मिला तो सरकार को अपने सर्कुलर में लिख देना चाहिये था कि यदि वह कांग्रेस पक्ष का आदमी होगा तभी हम उसको यह इनाम देंगे। तो यह दोष रह जाता है सरकार पर। काम ठीक होता है। लेकिन उसका जो नतीजा निकलता है वह खराब होता है। हम नतीजों से ही आंकते हैं कि आदमी किस दिशा में जा रहा है, सरकार किस दिशा में जा रही है और विरोधी दल किस दिशा में जा रहा है। मैंने यह एक उदाहरण रखा। अगर सरकार ने बोर्ड बना दिया तो इस तरह के अनेकों उदाहरण सामने आयेंगे। जब वे सरकार द्वारा मनोनीत होंगे तो योग्य व्यक्ति ही होंगे उसके दृष्टिकोण से। बहुगुणा जी ने शिकायत की कि हम को सहयोग नहीं मिलता। संविधान में लिखा हुआ है कि सब लोग सहयोग दें। तीन साल तक क्राप कम्पटीशन में आने के बावजूद, किसी किस्म की शिकायत उसके खिलाफ न होने के बावजूद भी उसको लाइसेंस न मिले और आप उस से सहयोग की अपेक्षा करें, तो ऐसी स्थिति में मैं कहना चाहूंगा कि आप को भी तो सहयोग लेने के काबिल बनना चाहिये। हम उपदेश तो दें लेकिन खुद न करें यह कहां तक उचित है। तो यह सहयोग मिलने की शर्त इसमें तय हो सकती है।

हमारा जो दूसरा संशोधन है उसमें भी हमने स्पष्ट लिखा है कि सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त हो, यह स्वतः संचालित संस्था हो, आटोनामस बाडी हो। बोर्ड क्या करेगा? वह तो

प्रदेश में तरक्की के सब साधन जुटायेगा। उसमें ये सब बहस-तलब जो चीजें हैं वह हल हो जायंगी कि आया खादी पार्ट टाइम वर्क है या पूरे समय के लिये आवश्यक है, और कौन-कौन ग्रामोद्योग के पनपने से कितने सबसिडियरी वर्क के साथ खादी काम करेगी।

श्री अधिष्ठाता—वर्मा जी, मैं आपको रोकता तो नहीं हूं, लेकिन आप समय का भी ध्यान रखें।

श्री रामस्वरूप वर्मा—वह मैं ध्यान रखता हूं। लेकिन यह बड़ा महत्वपूर्ण संशोधन है जिसपर पूरा बिल बेस्ड है। पूरे बिल का नकशा ही बदल जायगा इसके मानने से और जो असली मंशा बिल का है वह सिद्ध हो जायगा।

मैं यह कह रहा था कि जहां तक प्रश्न इस बात का है कि पार्टीबन्दी से परे चलें तो उसके लिये बराबर कहा गया। महात्मा गांधी ने जो सेंट परसेंट स्वदेशी" नामक पुस्तक में लिखा है उसका एक छोटा सा पैराग्राफ पढ़ देना चाहता हूं—

"Naturally they can have nothing to do with politics or political parties. The Congress, in my opinion, did well in making both the Associations autonomous and wholly non-political. All parties and all communities can combine to uplift the villages economically, morally and hygienically."

इसका मतलब यह हुआ कि वास्तव में यह सही है कि जो इस प्रकार के ग्रामोद्योग के तरक्की के काम हैं या खादी की तरक्की के काम हैं ये राजनीतिक पार्टियों से परे होने चाहिये।

(इस समय ३ बज कर ८ मिनट पर श्री अध्यक्ष पीठासीन हुए।)

एक बात उन्होंने लिखी की कांग्रेस ने अच्छा किया कि इस प्रकार के जो दो संघ थे, एक तो अखिल भारतीय चरखा संघ और एक अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघ, इन दोनों को कांग्रेस से अलग करके एक स्वतंत्र संस्था बना दी, जिसमें सभी दलों के लोगों ने हिस्सा लिया, जिससे सब सम्प्रदाय और दल गांव की तरक्की में, आर्थिक, नैतिक और स्वास्थ्य सम्बन्धी तरक्की में हिस्सा ले सके। इस तरह से देखा जाय कि माननीय बहुगुणा जी के हृदय में बड़ा सम्मान है गांधी जी के लिये। मैं बहुत विनम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि इसमें कोई कठिनाई नहीं है अगर वह माननीय अध्यक्ष, विधान सभा, उत्तर प्रदेश के द्वारा बोर्ड के चुनाव को करवाते हैं। वह घोषणा करें कि उनके तत्वा विधान में इस बोर्ड का निर्माण हो, यह बहुत अच्छा है। हम सभी उनको निष्पक्ष मानते हैं। उससे प्रदेश भर के लिये फायदा होगा और सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि तमाम पार्टीज भी आकर उसमें शामिल हो जायंगी और अपने सुझाव देंगी।

एक बात और कह दूं। उन्होंने जैसा कहा कि एक्सपर्ट का सवाल है, ठीक है, एक्सपर्ट की कदर करनी चाहिये। लेकिन जब काम करने से सम्बन्ध हो तब तो एक्सपर्ट की जरूरत होती है, लेकिन जब प्रबन्ध और प्रशासन करना हो तो जरूरत होती है कि एक सामान्य आदमी रहे। इसी सिद्धान्त पर प्रजातंत्र की नींव पड़ी हुई है और मंत्री लोग जो एक्सपर्ट किसी विभाग के नहीं हैं वह उनके लिये बनाये जाते हैं। तो जहां पर यह देखना है कि सीधा असर क्या पड़ेगा जनता पर उसको नान-एक्सपर्ट आदमी ज्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ऐसी संस्थाएं जैसे चरखा संघ है या ग्रामोद्योग संघ है इसमें वह स्वयं सेवा से संचालित हैं, तो वह तो सेवा के लिये बराबर तैयार रहती हैं और तैयार रहेंगी। उनकी सेवा पाने में तो कोई कठिनाई नहीं रहेगी, लेकिन ऐसे आदमी जरूर होने चाहिये जिनका सामान्य ज्ञान भी इस प्रकार का है और समाज की सर्वांगीण परिस्थितियों में जिन्होंने अपने को रख कर सोचा है कि ग्रामों में ग्रामोद्योग और खादी का प्रचार कैसे हो।

हमारा सुझाव यह है कि अध्यक्ष घोषणा करेंगे और दूसरा सुझाव यह है कि जो बोर्ड है वह सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त होगा। बहुगुणा जी ने कहा कि वह तो सरकार बना रही है,

[श्री रामस्वरूप वर्मा]

ठीक तो है लेकिन उसमें सब की कोशिशें होनी चाहिए। वह कैसे संभव होगा जब बहुगुणा जी कहेंगे कि बोर्ड को सरकार बनायेगी ? विरोधी दल कैसे उसमें सम्मिलित होगा ? इसलिये माननीय अध्यक्ष की घोषणा से हो और वह सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त हो जाय।

श्रीमन्, मैं समझता हूं कि हमारा सरकार से विभेद नहीं है इन दोनों संशोधनों से सरकार से इसमें कोई कठिनाई या परेशानी नहीं पा सकती है। इससे दलबन्दी का हद भी होता है और अन्ततोगत्वा इससे ऐसे लोग चुने जायंगे जोकि विभिन्न मतों के होंगे। जिस प्रकार से इस सदन में सत्तारूढ़ और विरोधी दलों के सदस्य आपस में बैठकर विधान बनाते हैं जिसमें सब मत आ जाते हैं उसी प्रकार उस बोर्ड में भी सामूहिक रूप से सभी मत आ जायेंगे। इसकी अपनी जगह पर उपयोगिता भी होती है। इन शब्दों के सथ में सदन से निवेदन करूंगा कि वह मेरे इन संशोधनों को स्वीकार कर ले और माननीय बहुगुणा जी जो कि इसके मंत्री हैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि यह संशोधन बिलकुल दोष रहित और सीधेसादे हैं और उनके सारे विचारों से सम्बद्ध हैं, अतः इनको स्वीकार करने की कृपा करें।

*श्री रामेश्वरप्रसाद (जिला रायबरेली)---माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय वर्मा जी ने अभी जो संशोधन रखे हैं उसमें उन्होंने एक पहला संशोधन जो रखा माननीय अध्यक्ष के बारे में कि इस धारा में माननीय अध्यक्ष को यह शक्ति मिलनी चाहिये कि जो बोर्ड सरकार बनाने जा रही है उस बोर्ड का गठन माननीय अध्यक्ष की घोषणा के द्वारा हो। मैं समझता हूं कि इस सदन का हर व्यक्ति यह महसूस करता है कि माननीय अध्यक्ष जो होते हैं वह एक बहुत ही ऊंचे स्तर के होते हैं और बहुत ही संजीदगी के साथ और इम्पार्शल फैसला देने वाले होते हैं, इसमें कोई दो रायें नहीं हैं।

श्री बालकराम (जिला शाहजहांपुर)---अध्यक्ष महोदय, मेरा खयाल है कि कोरम नहीं है।

(घंटी बजाई गई और गणपूर्ति होने पर कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री रामेश्वरप्रसाद---मैं कह रहा था कि अध्यक्ष के कार्यों के बारे में किसी को सोचने का भी मौका नहीं मिल सकता है और उनके हाथों द्वारा जो कार्य होगा वह वाकई में एक इम्पार्शल और ऊंचे स्तर का होगा। लेकिन जहां तक इस कार्य को माननीय अध्यक्ष के हाथों में देने का प्रश्न है, मैं इस बात का विरोध तो नहीं करता परन्तु मैं बहुत ही डेलीकेट अवस्था में इस बात को वर्मा जी से कहना चाहता हूं कि यह जो बोर्ड बन रहा है इसकी जो और धारायें हैं और बोर्ड के गठन के सम्बन्ध में जो और प्राविजन हैं उसमें काफी जानकारी और समय लगाना होगा, प्रदेश के उन तमाम तत्वों की तरफ और संस्थाओं की तरफ जो इसमें कार्य कर रहीं हैं। मैं समझता हूं कि चूंकि माननीय अध्यक्ष के कंधों पर विधान सभा का ही तमाम कार्य रहता है और इस कार्य को भी अगर उनके कंधों पर डाला गया---सरकार तो इस कार्य को पता लगा कर कर सकती है---तो शायद उनको इस कार्य के करने में दिक्कत पड़े। इसलिये मैं कहना चाहता था कि अगर इस विधान सभा के सदस्यों से ही इस बोर्ड के निर्माण का सवाल होता तो अध्यक्ष महोदय के लिये यह बात बड़ी आसान हो जाती, लेकिन ऐसी बात नहीं है। इसलिये मैं समझता हूं कि कार्य की क्षमता और अधिकता को देखते हुए वर्मा जी को सरकार की मंशा पर किसी तरह का शुबहा नहीं करना चाहिये। किसी भी रचनात्मक कार्य में जिस समय से यह समझ लिया जाता है कि विरोधियों को इसमें नहीं लिया जायगा और एक खास पार्टी के आदमियों को ही उसमें ले लिया जायगा, तभी हम अपने कर्तव्य से नीचे गिर जाते हैं। रचनात्मक कार्य में राजनीति को अलहदा ही रखना चाहिये, यह बात दोनों ओर के लिये और सभी के लिये लागू होती है। सरकार जितने भी सदस्यों को बोर्ड में नामजद करेगी वे सब ऊंचे स्तर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के होंगे। इस बिल में इस तरह का कोई गुंजायश सरकार के लिये नहीं है कि वह जिनको चाहे उसमें रख ले क्योंकि बोर्ड के मेम्बरों के रखे जाने के लिये बहुत कुछ प्रतिबन्ध लगा हुआ है। उसमें लिखा हुआ है कि उसको इस बारे में काफी तजुर्बा हो, दिलचस्पी रखता हो। अतः इस तरह का शुबहा करने को कोई गुंजायश इसमें नहीं है।

श्री मोतीलाल अवस्थी---अध्यक्ष महोदय, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं कि पूर्व निश्चय के अनुसार इस विधेयक के लिये केवल डेढ़ घंटे का समय बाकी है इसलिये या तो आप मेरा समय बढ़ाने का प्रस्ताव ले लें अथवा यदि समय न बढ़ाना चाहें तो वक्तृताओं को सीमित कर दें नहीं तो सारे संशोधन आने भी न पायेंगे और सारा समय खत्म हो जायगा।

श्री अध्यक्ष---अभी तो मेरे सामने यह दूसरी ही स्पीच है इसलिये मैंने यह मुनासिब नहीं समझा। आगे मैं ऐसा ही करने वाला हूं।

श्री रामेश्वरप्रसाद---दूसरी बात यह कही गयी कि बोर्ड पर जो सरकार का नियंत्रण है वह नहीं होना चाहिये। जब सरकार इस बोर्ड को पैसा देगी और उद्योग विभाग के कर्मचारियों का इस बोर्ड के संचालन में काफी हाथ होगा, तब यह बात समझ में नहीं आती कि सरकार बजट का रुपया उनको देकर हिसाब-किताब पर कोई नियन्त्रण ही न रखे। यह चीज उचित न होगी। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मित्र से प्रार्थना करूंगा कि वे अपने संशोधन को वापस ले लें।

श्री अमरनाथ (जिला गोरखपुर)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय राम स्वरूप वर्मा जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। अध्यक्ष महोदय, यह धारा ४ जो बोर्ड की स्थापना के बारे में है, इसमें दो रायें नहीं हो सकतीं कि ज्यादा से ज्यादा अधिकार सरकार अपने हाथ में केन्द्रित करती जा रही है। मैं इस राय के बिलकुल खिलाफ हूं कि सरकार को बोर्ड की स्थापना का अधिकार होना चाहिये। सरकार को इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। अगर विधान सभा को या विधान सभा के अध्यक्ष को यह अधिकार दे दिया जाय। हम समझते हैं कि अगर सरकार बोर्ड को नामजद करेगी तो वह एक ही पार्टी के लोगों को उसमें भर देगी। सरकार का यह मकसद है कि इसमें मेजारिटी पार्टी के ही लोग आयें। अगर ऐसा नहीं है तो सरकार को इस बात को मान लेना चाहिये और इसमें उसको घबराना नहीं चाहिये। क्योंकि अगर विधान सभा की तरफ से बोर्ड बनाया जायेगा तो निश्चय ही सरकार की तरफ से भी बहुत से लोग उसमें आ जायंगे और विपरीत दल के लोगों को भी मौका मिलेगा। साथ-ही साथ अगर आप इसको एक नियमित संस्था बनाना चाहते हैं और बोर्ड को अधिकार देना चाहते हैं, और अगर यह आपका मकसद है, और जैसा कि यह बिल जिस रूप में यहां पेश किया गया है, और जैसा कि उसके उद्देश्य और कारणों में दिया हुआ है तो मुनासिब यही होगा कि अगर सरकार सत्ता के विकेन्द्रीकरण की नीति को अपनाना चाहती है और दरअसल सरकार के दिल में यह बात है तो हम चाहते हैं कि सरकार इस पर आपत्ति न करे कि माननीय अध्यक्ष महोदय इस बोर्ड को नामजद करें। या अगर इसमें भी सरकार को आपत्ति हो तो फिर विधान सभा द्वारा उसका चुनाव हो, जिसमें सरकार की मेजारिटी है, इसमें उसको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये और इस बोर्ड को विधान सभा के द्वारा ही बनाया जाना चाहिये। क्योंकि श्रीमन्, इस बिल में देखा गया है कि सरकार द्वारा ज्यादा से ज्यादा अधिकार अपने हाथ में लेने की कोशिश की गयी है और इस विधेयक में हर जगह यही बात दिखलायी पड़ती है कि बिना सरकारी समर्थन के बोर्ड कोई काम नहीं कर सकता है। तो सरकार क्यों इस तरह का अधिकार हम लोगों से लेना चाहती है अपने हाथ में। हम तो यह देखते हैं कि अगर इस बोर्ड को सरकार द्वारा बनाया जायगा तो निश्चित रूप से उसमें पक्षपात होगा। इस कारण से हम यह चाहेंगे कि इस बिल का अच्छा उद्देश्य होते हुए भी, जो इसकी रूप-रेखा है उसका हम समर्थन नहीं कर सकते हैं।

[श्री अमरनाथ]

हम को उम्मीद है कि इस बोर्ड के बन जाने से जो उद्योग देहातों में हैं वे आगे जरूर फैलेंगे और नये उद्योग-धंधे खुलेंगे। बोर्ड अगर यहीं से यानी विधान सभा से बनेगा तो निश्चित रूप से फायदा होगा। इसलिये सरकार को इसका अधिकार अपने हाथ में नहीं लेना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं इस बात की प्रार्थना करता हूं कि इस बोर्ड को नामजद या तो माननीय अध्यक्ष महोदय करें या विधान सभा इस बोर्ड को बनावे।

(श्री राजनारायण का नाम पुकारे जाने पर)

श्री राजनारायण—माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर माननीय मंत्री जी की प्रथम स्पीच हो जाती तो उसमें हमको मौका होता कि जो बात आवश्यक होती उसी को हम कहते।

श्री अध्यक्ष—लेकिन मैंने तो आपको बुला लिया है।

श्री राजनारायण—बहुत अच्छा, चूंकि सरकार की ओर से जवाब दिया गया है और इस विषय में भी मैं सामान्य विवाद में बोल चुका था इसलिये माननीय बहुगुणा जी ने जो कुछ कहा है उसको ही मैं अपना आधार बना कर कुछ कहूंगा। माननीय रामस्वरूप वर्मा जी ने जो संशोधन पेश किया है, पहले उसको हृदयंगम करना चाहिये। बोर्ड की स्थापना के लिये मूल विधेयक में लिखा हुआ है कि "सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा एक बोर्ड स्थापित किया जायगा"। माननीय रामस्वरूप वर्मा जी अपने संशोधन द्वारा क्या चाहते हैं? वे चाहते हैं कि धारा ४ की प्रथम पंक्ति निकाल कर उसके स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"विधान सभा उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष के द्वारा एक बोर्ड की स्थापना होगी।" उनका दूसरा संशोधन आगे है कि खंड ४ की पंक्ति दो में शब्द "सतत् अनुक्रम वाला" निकाल दिया जाय और उसके स्थान पर "सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त स्वतः संचालित" रख दिया जाय। इसके आगे ज्यों का त्यों रहेगा। अब मैं समझ सकने में असमर्थ हूं कि यदि सही माने में सरकार चाहती है कि एक बोर्ड बने जो ग्राम उद्योग धंधों को विकसित करे, तो सरकार यह क्यों इच्छा रखती है कि जो सरकार द्वारा बोर्ड नियुक्त होगा वही बोर्ड इस काम को कर सकेगा।

कोई भी तर्क सरकार की ओर से अभी तक नहीं पेश किया गया है जो श्री राम स्वरूप वर्मा जी के इस संशोधन को काट सकता हो। एक और संशोधन के द्वारा आगे उसे साफ कर दिया गया है कि यदि माननीय अध्यक्ष द्वारा बोर्ड संगठन की घोषणा हो तो चुनाव कैसे होगा। इसको साफ कर दिया गया है कि जैसे विधान परिषद् के सदस्यों का चुनाव होता है और उसमें बाहर के लोग खड़े हो सकते हैं उसी तरह से विधान सभा द्वारा इस बोर्ड का चुनाव हो। संशोधन द्वारा इस चीज को साफ करने की कोशिश की गयी है और अभी तक सरकारी पक्ष की ओर से जो तर्क रखे गये हैं उनको हम समझ सकने में असमर्थ हैं कि अगर अध्यक्ष की घोषणा द्वारा बोर्ड न बने तो विधान सभा द्वारा बोर्ड का चुनाव क्यों न हो। और नामांकन के लिये यहां तक कहा गया है कि जितने ख्याति प्राप्त कुशल और अनुभवी लोग हैं उन लोगों का नामांकन हम करावें। उन लोगों को चुनवा कर हम बोर्ड में भेजें यही हमारी मंशा है। सरकार की तरफ से जो बराबर सदन में घोषणा होती रहती है कि हम विरोधी दलों से आशा करते हैं कि वह सहयोग दें जितना भी दे सकें और इस सम्बन्ध में आज मंत्री जी ने भी बड़े अच्छे ढंग से वाक्यावली का प्रयोग किया और यहां तक कहा कि बार-बार जो सरकार के विषय में अविश्वास पैदा करने की कोशिश होती है वह उचित नहीं है। मैं भी उस के जवाब में कहता हूं कि बार-बार जो सरकार की तरफ से सत्ता अपने हाथ में लेने की मनोवृत्ति हो गई है और जो इस चीज को कार्यरूप में परिणत करने की कोशिश होती है वह अच्छी नहीं है। बहुगुणा जी कह सकते हैं कि हमने फलां काम नहीं किया, फलां काम नहीं किया। लेकिन एक सांप है अभी वह बच्चा है, आज एक बित्ते का है, कल को दो बित्ते का होगा, परसों ४ हाथ का होगा। वह एक को काटेगा, फिर दो को काटेगा और बहुतों को डसेगा। जितनी अवधि बढ़ेगी उस में तमाम काम सरकार की तरफ से होंगे,

डीड्स भी होंगे मिसडीड्स भी होंगे, अच्छे काम भी होंगे बुरे काम भी होंगे। लेकिन देखना यह होगा कि इन सरकार के कामों का जनता पर क्या असर हो रहा है। मैं निवेदन कर रहा हूं कि अब इस पर विचार न होना चाहिये कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति गिरी है या नहीं, बेकारी बढ़ी है या नहीं, सब लोग आज आंकड़ों से प्रदेश की आर्थिक स्थिति और बेकारी से परिचित हैं और सभी इस बात को मानते हैं कि बेकारी, गरीबी और निराशा बढ़ी है और आशायें मुरझाई हैं। इसलिये सरकार अपनी इस गतिविधि में संशोधन करे। इस अध्यक्ष पर अविश्वास का कारण क्या है अध्यक्ष तो हर दल की निगाह में एक प्रतिभा सम्पन्न, विद्वान्, निष्पक्ष व्यक्ति होता है और वह सब के आदर और सम्मान का पात्र होता है उस की देखरेख में जो चुनाव होगा उस में अविश्वास करने का तर्क और कारण क्या है? अगर सही मानों में सरकार सब का सहयोग चाहती है और ग्रामीण उद्योगों को विकसित करना चाहती है अगर सरकार सारे हस्तक्षेप से मुक्त होकर इन उद्योगों को चलाना चाहती है तो वह इस सीधे-सादे संशोधन को अवश्य स्वीकार करे। इन शब्दों के साथ मैं निवेदन करूंगा कि मंत्री जी किसी संकुचित भाव में न आयें और अपना दृष्टि-कोण व्यापक रखें और वह चाहें तो बीच में माननीय मुख्य मंत्री की सलाह ले लें और बाद में हम इसको ले सकते हैं--कल भी यह आ सकता है और आज स्थगित हो जाय, पार्टी सिस्टम में ऐसा होता ही है, कांग्रेस पार्टी की सरकार है और कोई कुछ भी कहे राजनीतिक पुट तो होता ही है, राजनीतिक दृष्टिकोण की झलक तो होती ही है। पार्टी के कार्यक्रम का समावेश होगा। यह कहना कि राजनीति का समावेश न कराया जाय यह बिलकुल निरर्थक है। इसलिये इस बोर्ड की स्थापना व संगठन विधान सभा के सदस्यों द्वारा कराया जाय जिसमें सब का सहयोग हो।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--अध्यक्ष जी, जो संशोधन श्री रामस्वरूप वर्मा जी ने पेश किया है और जिस पर अभी भाई राजनारायण जी बोल रहे थे उस को मैं कुछ समझ नहीं पाया हूं ठीक-ठीक कि वह संशोधन चाहता क्या है। वह चाहते हैं कि जहां हमने लिखा है कि सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा एक बोर्ड स्थापित किया जायगा उसकी जगह वह चाहते हैं कि विधान सभा के अध्यक्ष की घोषणा द्वारा उस बोर्ड की स्थापना हो। वह सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा स्थापना की बात हटाना चाहते हैं। अब अध्यक्ष महोदय, उसे कैसे बनायें उस के लिये वह कहते हैं कि एलेक्शन होगा। चुनाव का नतीजा कुछ भी हो, लेकिन बोर्ड का बनना एलेक्शन पर ही आधारित होगा ऐसा मालूम होता है। मुझे ऐसा लगता है कि जब वह पहले घोषणा की बात कहते हैं और आगे कहते हैं कि वह घोषणा इस चुनाव पर आधारित होगी यह चीज साफ साफ पहले ही कहनी चाहिये। दूसरे में जो आगे आया है, जिसके अनुसार धारा ५ में संशोधन करना चाहते हैं, जहां हमने लिखा है सरकार नामिनेट करेगी वह चाहते हैं बोर्ड २१ सदस्यों से मिल कर बनेगा जिसका चुनाव अध्यक्ष द्वारा घोषित तिथि पर एकल संक्रमणीय सानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा विधान सभा के सदस्यों द्वारा किया जायगा। तो दो बोर्ड बनते हैं एक तो धारा ५ में और दूसरे जो अभी घोषणा की बात कही जा रही है उससे।

दूसरी बात यह है कि दुनिया में बहुत-सी सरकारें चल रही हैं, उनका काम करने का ढंग अलग-अलग है। जब कभी उस विचारधारा की सरकार आयेगी जो राजनारायण जी कहते हैं तो भगवान जाने उस दिन क्या क्या विधियां स्वीकार की जायेंगी। मगर आज तो यह है कि माननीय स्पीकर और इस सदन ने हमारे ऊपर जिम्मेदारी मंजूर की है सरकार चलाने की और इसलिये हमारी जवाबदेही की पूरी गुंजायश है। अगर यह सदन बना देगा तो उसकी जवाबदेही कौन करेगा। बोर्ड के सारे मेम्बर साहबान को यह सदन चुनकर भेजेगा तो इस बिल की कांसी-क्वेंशियल धाराओं को निकालना पड़ेगा। सारा बिल रिड्राफ्ट करना पड़ेगा। और अगर बिल रिड्राफ्ट करना भी पड़े तो एक नई परम्परा स्थापित होगी। अगर इस परम्परा को मैं अनप्रैक्टि-केबिल कहूं तो गलत न होगा। जो बोर्ड वह चाहते हैं और कहते हैं उसमें विरोधाभास है। एक तरफ तो वह कहते हैं कि यहां सदन में अगर राजनीति की बात न करें तो कहां करें और दूसरी तरफ कहते हैं यहां के सदस्यों को उसमें रखें। राजनीति का तरीका यह है कि बहुमत के हाथ में नीति-रीति का संचालन दिया जाता है। उस नीति को मैं मानता हूं। अगर सब की राय

[श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा]

से फाइलों पर आर्डर होने लगें तो काम नहीं चल पायेगा। सरकार को चलाने की जिम्मेदारी हम पर है इसलिये अध्यक्ष को कन्ट्रोवर्शियल फील्ड पर लाना ठीक नहीं है, इसलिये यह संशोधन स्वीकार करने लायक नहीं है। यों जो आदर का भाव अध्यक्ष पद के लिये माननीय राजनारायण जी ने प्रकट किया है उससे मैं भी सहमत हूं, लेकिन उनको इस काम में लाया जाय यह प्रजातंत्रीय संसदीय पद्धति के विरुद्ध है, अनप्रैक्टिकेबिल है क्योंकि जवाबदेही उस बोर्ड की इस सदन के पास होने का कोई माध्यम नहीं रह जायगा। इसलिये इस संशोधन को अस्वीकार किया जाय।

*श्री रामस्वरूप वर्मा—श्रीमन्, मुझको माननीय बहुगुणा जी की बात को सुन कर बड़ी निराशा हुई कि वह कितनी जल्दी अपने तर्क को इधर-उधर मोड़ देते हैं। उन्होंने कहा था हम ऐसा चाहते हैं कि कोई शंका उत्पन्न न हो। मैंने उनके काम में सहायता करनी चाही और चाहा कि सरकार का चरित्र सीजर्स वाइफ की तरह बियान्ड सस्पिशन हो। मेरा जो संशोधन है उसमें कोई कठिनाई नहीं है। जहां सरकार घोषणा करेगी वहां अध्यक्ष महोदय घोषणा कर देंगे। सिर्फ सरकार की जगह पर अध्यक्ष रख दिया गया है। अभी श्रीमन्, स्वायत्त शासन विभाग से एक बिल बना अंतरिम जिला परिषद् का वह रद्द हो गया। दूसरा चला वह भी गड़बड़ी में आ गया और कहने लगे तीसरा सोचा जायगा। जब सरकार अपने मन का काम न हो तो बड़े बड़े कानून बना कर रद्दी की टोकरी में डाल दे, लेकिन अगर हम उसे संदेह से परे रखना चाहें तो उसे खीज होती है। सरकार एक तरफ दावा यह करती है कि वह निष्पक्ष रहना चाहती है। फिर सरकार यह कहती है कि हमको सहयोग दीजिये तो वह काम करेगी। लेकिन जब हम सहयोग के लिये हाथ फैलाते हैं और अपनी राय देना चाहते हैं कि बोर्ड कौन से काम करे और उसको क्या-क्या अधिकार हों तो उसकी नजर में यह आता है कि बोर्ड बन जाने से सरकार से ताकत छिन जायगी। सरकार तो अपनी जगह विद्यमान है, फिर काहे की फिक्र है। यह ठीक है कि सरकार के पास दूसरे अस्त्र मौजूद हैं जैसे अनुदान देने के, मदद देने के। लेकिन जहां तक चुनने की बात है मेरे संशोधन द्वारा उन्होंने कहीं यह सिद्ध नहीं किया कि चुनने में गड़बड़ी होगी और जो संशोधन है वह अवैध है यह तर्क उन्होंने कहीं नहीं दिया। क्या तर्क माननीय बहुगुणा जी के पास रहेगा जिसकी वजह से चुनना नहीं चाहते। अब इस सुन्दर काम को बहुगुणा जी न करें तो समझ में नहीं आता। मेरे इस तर्क के बाद मुझे यकीन है कि उनके पास कोई तर्क नहीं रहता। सज्जन पुरुषों का नियम है कि कोई आदमी तर्क से हार जाय तो दूसरे की बात मानता है। हमारे तर्क का वे कोई जवाब नहीं दे पाये। मन्त्री होने के नाते जन प्रणाली की वजह से विरोध कर दिया, लेकिन दिल से इस बात को स्वीकार करते हैं और जब उनके पास कोई तर्क न हो तो उन्हें इसे स्वीकार करना भी चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं आदरणीय सदन से निवेदन करूंगा कि वे इस निर्दोष संशोधन को स्वीकार करेंगे और अपनी सरकार का चरित्र सन्देह से परे करेंगे।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खण्ड ४ की प्रथम पंक्ति निकाल कर उसके स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—

"विधान सभा, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष की घोषणा द्वारा एक बोर्ड की स्थापना होगी।"

तथा खंड ४ की पंक्ति २ में शब्द "सतत अनुक्रम वाला" निकाल दिये जायं और उसके स्थान पर "सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त स्वतः संचालित" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ:—

पक्ष में—२४,
विपक्ष में—७७।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ४ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—अब मैं इस विषय में चूंकि अवस्थी जी ने प्रश्न उठाया था कि ५ बजे तक यह खत्म होना है और ३८ खंड हैं, उनके ऊपर राय लेना है और संशोधन भी बहुत काफी हैं, तो मैं यह समझता हूं कि जो प्रस्ताव इस सदन ने पास किया है कि आज यह खत्म होना है उसके साथ सदस्यगण सहयोग भी दें तो अच्छा हो इस प्रकार कि जो महत्वपूर्ण संशोधन हों वही उठायें और जो माननीय सदस्य संशोधन प्रस्तुत करें वही बोलें और उसका जवाब सरकार देदे। इस प्रकार से करीब करीब सब संशोधन उपस्थित हो सकेंगे। अगर ऐसी प्रथा रखें तो साढ़े ४ बजे तक मैं सब संशोधन ले लूंगा और विधेयक समय में खत्म हो जायगा।

खंड ५

बोर्ड के सदस्य।

५—बोर्ड पन्द्रह से अनधिक उतने सदस्यों से मिलकर बनेगा जितने राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा तदर्थ निश्चित करे, अर्थात्:

(क) गैर-सरकारी सदस्य—सभापति, और छः से अन्यून तथा नौ से अनधिक व्यक्ति, राज्य सरकार की राय में जिन्हें खादी तथा ग्राम उद्योगों के विकास से संबंधित मामलों का अनुभव हो तथा जिन्होंने उनमें क्षमता प्रदर्शित की हो, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जायेंगे।

(ख) सरकारी सदस्य—

(१) वित सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार,

(२) उद्योग सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार,

(३) उद्योग संचालक, उत्तर प्रदेश ,

(४) विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश ,

(५) निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश।

*श्री रामस्वरूप वर्मा—माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं निम्नांकित संशोधन प्रस्तुत करता हूं—

"खंड ५ को निकाल कर उसके स्थान पर निम्नांकित रख दिया जाय—

'५—बोर्ड २१ सदस्यों से मिलकर बनेगा जिसका चुनाव विधान सभा, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष द्वारा घोषित तिथि पर एकल संक्रमणीय समानुपातिक प्रणाली द्वारा विधान सभा के सदस्यों द्वारा किया जायगा।"

संक्षेप में सिर्फ इतना कह दूं कि हम फिर उसी बात को माननीय मंत्री से इस सम्बन्ध में कह रहे हैं कि अगर बोर्ड को बनाना ही है तो उसके बनाने में सरकार अपने ऊपर पूरी जिम्मेदारी क्यों लेती है? उन्होंने कहा कि हमको सहयोग नहीं मिलता है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि अगर सरकार बोर्ड बनायेगी तो उसको सहयोग नहीं मिलेगा और अनावश्यक इस प्रदेश का पैसा बरबाद होगा। तो ऐसी परिस्थिति में विधान सभा जो बहुत ही उच्च श्रेणी की जनमत की एक संगठित सभा है उससे अगर राय ले ली जाय तो क्या बुराई है। इसी बात को व्यक्त करने के लिये हमने इस धारा को रखा है और मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी और इस सदन से निवेदन करूंगा कि इसे स्वीकार करें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—श्रीमन्, इस सम्बन्ध में थोड़ा तो मैं पहले कह चुका हूं। सिर्फ दो बातें ही मुझे कहनी हैं। एक तो यह कि माननीय रामस्वरूप जी का कहना है कि सरकार जिम्मेवारी क्यों ले, लेकिन यह खुशकिस्मती है कि हमको जिम्मेवारी मिल गयी है और उसको हम उठायेंगे। रह गया उनका यह कहना कि सहयोग तभी मिलेगा जबकि चुनाव से बोर्ड बनेगा, तो मैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अब तक जितने बोर्ड हमने बनाये हैं उन बोर्डों को जो सहयोग मिलना चाहिये वह उचित मात्रा में मिला है क्योंकि और बोर्डों में जो हम नामांकन करते हैं तो संबंधित इंट्रेस्ट को ध्यान में रखकर करते हैं। इसलिये मैं समझता हूं कि उनका वह भय निरर्थक है। मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमने जो प्रक्रिया रखी है वह सबके अनुभव के आधार पर है और गलत रास्ते पर जाने की बात नहीं है। इसलिये मुझे उम्मीद है कि माननीय रामस्वरूप जी अपने संशोधन को वापस ले लेंगे।

***श्री रामस्वरूप वर्मा**—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि सरकार को जिम्मेदारी मिल गई है उसको उन्हें निभाना है। इस बिल की धारा ४ स्वीकृत हो चुकी है। इसलिये सरकार को २१ सदस्यों का चुनाव कराने में कोई दिक्कत नहीं होगी बल्कि और अच्छी बात होगी। सरकार कहती है कि हमें सहयोग नहीं मिलता है। श्रीमन्, हम इसलिये परेशान हैं कि मंत्री जी ने जाने कितने स्वरूप बदलते हैं। गिरगिट तो ६ महीने में बदलता है, लेकिन मंत्री जी हर समय अपना स्वरूप बदलते रहते हैं। पहले वह एक तर्क रख देंगे और अगर वह उसमें फंस गये तो उसमें से निकल जायेंगे। अभी उन्होंने कहा कि हमने जितने बोर्डों की स्थापना की उसमें सहयोग मिला और सफलता मिली। लेकिन उनको तरक्की में क्यों शुबहा है और दूसरी तरफ वह कहते हैं कि विरोधियों का सहयोग नहीं मिलता है। कई दफा कमेटियां बनीं, बोर्ड बने और अगर सफलता मिली तो फिर सहयोग न मिलने की शिकायत नहीं होनी चाहिये। इसलिये वह अपनी बात से विक्षप्त से नजर आते हैं। उनके सामने कोई रास्ता नहीं रह गया है। मैं प्रार्थना करूंगा कि वह इसको स्वीकार करें और सदन को हक दें कि वह २१ सदस्यों का चुनाव कराये ताकि जनमत तैयार हो सके और अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकें।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ५ निकालकर उसके स्थान पर निम्नांकित रख दिया जाय:—

बोर्ड २१ सदस्यों से मिल कर बनेगा जिसका चुनाव विधान सभा, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष द्वारा घोषित तिथि पर एकल संक्रमणीय समानुपातिक प्रणाली द्वारा विधान सभा के सदस्यों द्वारा किया जायगा।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ :—

पक्ष में—१६,

विपक्ष में—६९।)

श्री अध्यक्ष—अब मैं, इसके पहले कि और संशोधन लिये जायं, फिर सूचना दे देता हूं कि साढ़े चार बजे तक मैं संशोधनों पर बोलने दूंगा। उसके बाद जितने संशोधन और खंड रह जायेंगे, उनके ऊपर मैं नाम बुलाता जाऊंगा और सम्बन्धित माननीय सदस्य खड़े हो जायंगे। उससे यह मान लिया जायगा कि संशोधन उपस्थित हो गया। उसके बाद राय ले लूंगा।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—मेरा एक सुझाव है। कल गैर-सरकारी दिन है उसमें से थोड़ा समय ले लिया जाय। कल हम लोगों का दिन है हम देने के लिये तैयार हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष---जी नहीं। सदन में उसके लिये निश्चय हो चुका है।

***श्री मोतीलाल अवस्थी**---श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड ५ के उपखंड (क) की पंक्ति दो में शब्द "अनधिक" व शब्द "व्यक्ति" के बीच में शब्द "व्यक्तियों में से आधे व्यक्ति" रख दिये जावें तथा उपखंड के अन्त में निम्न शब्द बढ़ा दिये जायें : "और आधे व्यक्ति खादी तथा ग्राम उद्योगों के विकास के लिये स्थापित संस्थाओं द्वारा निर्वाचित होंगे"।

श्रीमन्, जो मेरा संशोधन है इसका अर्थ यह है कि सरकार ने अपने अधिकार में गैरसरकारी सदस्यों के मनोनीत करने का जो अधिकार रखा है उसके मुताबिक ६ से कम और ९ से अधिक नहीं, व्यक्ति नामजद होंगे। मैं यह चाहता था कि इसमें थोड़ा हिस्सा ऐसे लोगों का हो जो निर्वाचित हो कर आयें। अभी माननीय रामस्वरूप वर्मा का संशोधन नहीं माना गया जिसमें उन्होंने चाहा था कि २१ निर्वाचित सदस्य हों। इस लिये मैंने एक बीच का रास्ता निकाला कि इसमें जो गैर-सरकारी सदस्य हों उनमें कुछ भाग ऐसा जरूर हो जो उन संस्थाओं द्वारा निर्वाचित हों जिन का इन उद्योगों से सम्बन्ध है। यह कहा गया कि खादी तथा ग्रामोद्योग के विकास के लिये इन संस्थाओं का संरक्षण करेंगे और सहायता देंगे। जब इन संस्थाओं का संरक्षण करने का दावा करते हैं, तो उनके प्रतिनिधि उनके द्वारा सीधे तौर से चुन कर आने चाहियें। हमें सूचना जो दी गयी है उससे मालूम हुआ कि ६८ ऐसी संस्थायें हैं जो खादी का काम कर रही हैं और बहुत काल से कर रही हैं और उन्हीं का संचालन और संरक्षण बोर्ड करेगा। लेकिन उनमें से कोई व्यक्ति निर्वाचित हो कर न आये उनमें से सरकार ही मनोनीत करे, यह बात जनतांत्रिक भावना के विरुद्ध है। जनतांत्रिक भावना बनाये रखने के लिये यह आवश्यक है कि दोनों प्रणालियां रखी जायं।

मंत्री जी ने जो बताया उससे खादी और ग्रामोद्योग की जितनी संस्थाएं हैं उन सबको मिलाकर देखें तो ढाई हजार संस्थाएं हो जाती हैं। इन संस्थाओं का किसी न किसी रूप में चाहे इनका एक कालेज बनाया जाय, चाहे इनका एक समूह बनाया जाय और इनके द्वारा निर्वाचन प्रणाली बड़ी आसानी से तैयार की जा सकती है। जितने भी हमारे निकाय हैं, इनके चुनाव भी इसी प्रकार से कालेज टाइप बनाकर या समुदाय बनाकर कर लेते हैं, वही चीज यहां भी करनी चाहिये। कोई दिक्कत उसमें नहीं होगी। हां, केवल यह बात साफ रूप में माननी पड़ेगी कि यह जो बोर्ड बने उसमें कुछ अंश ऐसा हो जो कि स्वतः चलने वाली संस्थाओं के प्रतिनिधियों के द्वारा निर्मित हो। मैंने यह भी नहीं रखा है कि सभी निर्वाचित हों। मैंने यह कहा है कि अगर सरकार चाहे तो कुछ हिस्सा उसका अपने मनोनीत करने के लिये भी रख ले और कुछ हिस्सा निर्वाचन का होना चाहिये। इस आशा से मैंने यह बहुत ही नम्र संशोधन रखा है। अगर माननीय मन्त्री जी जरा भी ध्यान इस बात का रखते हैं कि कुछ विपक्ष के लोगों की राय को भी ध्यान से सुनें और अगर कुछ माननीय हो तो मान लें, तो वह मेरी बात मान लेंगे और अगर ऐसा हो कि जो कुछ हम सोचते हैं वही ठीक सोचते हैं और बाकी जितने लोग दुनिया में हैं वह गलत सोचते हैं तो मुझे कुछ कहना नहीं है। लेकिन यह मैं कहना चाहता हूं कि मेरे इस संशोधन को स्वीकार करना प्रजातांत्रिक ढंग को स्वीकार करना और उसे प्रोत्साहन देना है और उसे इनकार करना प्रजातांत्रिक प्रणाली को इनकार करना है। इसी आधार पर मैं अपने इस संशोधन को प्रस्तुत करता हूं और सरकार को चुनौती भी देता हूं, देखना है कि वह प्रजातांत्रिक ढंग को स्वीकार करते हैं या अस्वीकार करते हैं।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---मान्यवर, इस प्रस्तुत संशोधन के सम्बन्ध में मुझे एक बात कहनी है। अभी माननीय अवस्थी जी ने कहा था कि यह बोर्ड इन अक्सर (?) संस्थाओं का संचालन और संरक्षण का कार्य अपने हाथ में लेने वाला है। एक बात मैं यहां यह और बता दूं कि वह ६८ नहीं ६७ हैं। इस तरह से एक उसमें से कम हो गई। लेकिन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा]

इनका संचालन उस बोर्ड के हाथ में नहीं आने वाला है। न तो इनका संचालन ही आने वाला है और न इनके अन्दर कोई उस बोर्ड को अधिकार प्राप्त होने वाला है, उनके इंतजाम का या उनके काम के अन्दर कोई हुक्म चलाने का। ऐसा नहीं होने वाला है। बल्कि जो सहायता इन संस्थाओं को चाहिये उस सहायता की तजवीज इस बोर्ड के सामने वह लायेंगी। बोर्ड उस तजवीज को देखेगा और देख कर मुनासिब और गैरमुनासिब समझकर सहायता देने कि प्रक्रिया निश्चित करेगा, जैसे आज प्राइवेट स्कूलों को गवर्नमेंट ग्रान्ट-इन-एड देती है ठीक उसी तरह सहायता देने का एक फोरम यह बनाया जा रहा है जो अभी तक शुद्ध सरकार के हाथ में था। सचिव, उद्योग विभाग, संचालक, उद्योग विभाग, उद्योग मंत्रणालय इनके हाथ को जो शक्ति थी वह बोर्ड को दी जा रही है।

दूसरी बात यह कही गयी कि करीब २ हजार कोआपरेटिव सोसाइटीज हैं। मैंने यह कहा था कि कुल १,२५० सोसाइटीज हैं जिसका ब्रेकअप आपने पूछा था कि अलग-अलग कितनी हैं, तो मैंने अलग-अलग बताया था। वे सब मिलाकर १,२५० ही हैं। यह मैंने साफ कर दिया ताकि आगे चलकर कोई गलतफहमी न रहे।

तीसरी बात यह कही गई कि प्रजातांत्रिक ढंग पर बोर्ड का संगठन होना चाहिये या कुछ अंश का चुनाव कर दिया जाय और कुछ नामांकित कर दिये जायं। इसमें अनेकानेक कठिनाइयां हैं। इसका विवरण जाने से सामान्य वाद-विवाद के समय में बता चुका हूं। उस पर अब मैं ज्यादा सदन का समय नहीं लेना चाहता हूं। और वह कोई हमारी ही राय नहीं है, जिन लोगों ने जीवन पर्यन्त खादी का कार्य किया है, मैंने नाम भी लिया है, हमारे माननीय विचित्रनारायण जी जो यहां बैठे हुए हैं, एक मिनिस्टर की हैसियत से नहीं बल्कि खादी के क्षेत्र में जो उनकी सराहनीय सेवा है, उस हैसियत से उनकी और कर्ण भाई, देवकर्ण भाई आदि जैसे लोगों की राय भी इसी प्रकार की है। खादी का कार्य करने वाले उन लोगों ने भी इस बिल को देखा है और इस तरह की प्रक्रिया को वह वांछनीय नहीं समझते हैं। हम भी समझते हैं कि इससे जो समस्यायें उत्पन्न होंगी उन समस्याओं के कारण बोर्ड का कार्य कहीं ज्यादा दुरूह और कहीं ज्यादा मुश्किल हो जायगा।

मोतीलाल जी ने एक बात और कही है कि साहब, आप कोई बात तो हमारी मानिए। तो मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं और शायद उनको थोड़ा देर बाद इस बात का सबूत भी मिल जायगा कि कुछ बात उनकी जो अच्छी है उसको मानने को हम तैयारी करके भी आये हैं। लेकिन कई कारणों से यह सम्भव नहीं है कि इस संशोधन को माना जाय। इसलिये मैं उनसे क्षमा चाहूंगा और यह आशा करूंगा कि इस संशोधन को इस दृष्टि से जो मैंने सफाई दी है, वह वापस ले लेंगे।

*श्री मोतीलाल अवस्थी---श्रीमन्, मुझे इस बात की खुशी है कि बहुगुणा जी ने कुछ ऐसे रहस्य प्रकट किये जिनको मैं सुनना भी चाहता था। यहां कुछ यह कहा गया कि कर्ण भाई और दूसरे लोगों की राय हम को मिली है। मैं उनको जानता हूं, मैंने उन के साथ काम किया है और मेरा उनसे परिचय है। लेकिन उन्होंने कह दिया इसलिये सरकार ने मान लिया यह तो हैंड ऐण्ड ग्लोव की पालिसी है। हम तुमको मान लेंगे, तुम हम को मान लेना। माना कि यह लोग सज्जन हैं, उन्होंने ख्याति पायी है, लेकिन मैं यह नहीं सोच पाता कि निकट भविष्य में यह सज्जन वहां के सर्वे-सर्वा रहेंगे। जो आगे आने वाली पीढ़ी है वह उनके कार्यों से संतुष्ट नहीं है। उनके निरंकुश कार्यों से नीचे की श्रेणी नितांत असंतुष्ट है और उनको वहां रखना नहीं चाहती है। इन संस्थाओं के ऊपर जो शान्त राख दिखायी पड़ती है उसके नीचे बहुत अग्नि है और वह किसी भी दिन विस्फोट कर सकती है। वहां जो अनुशासन

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है वह एक प्रकार का टैरेरिज्म है, भय से दबा रखना है। सरकार का यह कहना कि हम और वह एक हैं, सही नहीं भी हो सकता है। आज एक हैं, लेकिन कल दूसरी सरकार आ सकती है जो उनकी राय से, उनकी कार्यशैली से, सहमत न हो। तो यह कहना कि हम काम चला ले जायेंगे यह दूसरी बात है, लेकिन हमें इसमें ऐसे लोग लाने चाहिये कि जिन्होंने मूक रूप से इसमें अपना जीवन लगाया हो, काम किया हो और उनको अधिकार देना चाहिये इसमें जनतांत्रिक तरीके से काम करने का।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि "खंड (५) के उपखंड (क) की पंक्ति दो में शब्द "अनधिक" व शब्द "व्यक्ति" के बीच शब्द "व्यक्तियों में से आधे व्यक्ति" रख दिये जावें तथा उपखंड के अन्त में निम्न शब्द बढ़ा दिये जावें :

"और आधे व्यक्ति खादी तथा ग्राम उद्योगों के विकास के लिये स्थापित संस्थाओं द्वारा निर्वाचित होंगे।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

***श्री गेंदासिंह**--श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत करता हूं :

खंड ५ (क) की पंक्ति ४ के शब्द "की हो" तथा शब्द "राज्य" के बीच निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय--

"परन्तु उनका किसी प्रकार का आर्थिक सम्बन्ध बड़े उद्योगों से न हो"।

श्रीमन्, अब यह खंड इस प्रकार हो जायगा: "गैरसरकारी सदस्य--सभापति, और छः से अन्यून तथा नौ से अनधिक व्यक्ति, राज्य सरकार की राय में जिन्हें खादी तथा ग्राम उद्योगों के विकास से सम्बन्धित मामलों का अनुभव हो तथा जिन्होंने उनमें क्षमता प्रदर्शित की हो परन्तु उनका किसी प्रकार का आर्थिक सम्बन्ध बड़े उद्योगों से न हो, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जायंगे।"

श्रीमन्, यह बड़ा हार्मलेस संशोधन है और ऐसा दूसरा कोई सुझाव हो नहीं सकता। मैं किसी के लिये यह नहीं कहता कि उसका सम्बन्ध बड़े उद्योगों से अवश्य ही होगा, लेकिन अगर यह शर्त रख दी जाय तो उसमें छानबीन कर के ही सरकार किसी सदस्य की नियुक्ति करेगी और वे लोग बोर्ड के कार्यों को अच्छी प्रकार से अंजाम दिला सकेंगे। और अगर उनका सम्बन्ध, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष, बड़े उद्योगों से हुआ तो इसमें कोई शक नहीं कि गड़बड़ हो सकती है और, श्रीमन्, हमें इसमें संदेह नहीं रहना चाहिये कि मनुष्य अर्थ का दास है। उसका कहीं न कहीं असर पड़ेगा, जैसा कि पड़ा है। इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट पर उसका असर पड़ा है। बड़े उद्योगों से चाहे प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष उसका सम्बन्ध है और इसलिये नुकसान पहुंचा है छोटे उद्योगों को। अगर मैं गलत कहता हूं तो मैं आप की आज्ञा से एक ही मिनट लूंगा।

अभी मैनुफैक्चरर्स आर्गेनाइजेशन का अखिल भारतीय सम्मेलन दिल्ली में हुआ था और नेहरू जी ने उसका उद्घाटन किया। उनके ये शब्द अंग्रेजी में हैं, मेरी तरफ से अगर कोई हिन्दी कर देगा तो मैं बड़ी कृपा मानूंगा। वह इस प्रकार है :--

"Pandit Nehru criticised some of the semi-Government agencies for diverting funds, meant for aiding small industries, to big enterprises. Even the aid we give to small and middling industries of the institutions we have created for this aid, are drawn too much towards aiding big shows. The smaller ones often remained unaided or rather were in the background, while the bigger ones got aid. It has surprised me that the very purpose for which we started these organisations is not completely fulfilled."

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गेंदासिंह]

अगर पं० नेहरू का यह कथन है कि छोटे लोगों के लिये जो हमने धन दिया वह बड़े लोग ले गये तो क्यों ले गये ; पंडित जी की इच्छा रहते हुए और उस प्रकार का खयाल करते हुए अगर ऐसा हुआ, तो उसमें यू० पी० की सरकार सुबकदोष अपने को नहीं कह सकती। समय नहीं है कि ऐसी कंट्रोवर्सी में उठाऊं, लेकिन ऐसे उदाहरण और बातें मैं यहां रख सकता हूं। तो मैं समझता हूं कि कहीं न कहीं कोर दबी हुई आदमी की होती है जिसकी वजह से ऐसा होता है। तो ६ आदमी जो नान-आफिश्यल मेम्बर्स होंगे अगर उनके लिये यह योग्यता भी रखी जाय कि शादी-ब्याह का सम्बन्ध हो लेकिन आर्थिक सम्बन्ध बड़े उद्योगों से उनका न हो, मैं समझता हूं कि माननीय उद्योग मंत्री जी इसको जरूर स्वीकार करेंगे।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्तुत संशोधन पेश करने के सिलसिले में गेंदा सिंह जी ने तर्क दिये हैं उनमें उन्होंने पंडित जी के भाषण का तजकिरा किया। उसकी न मेरे पास प्रतिलिपि है और न मैं कह सकता हूं कि उन्होंने क्या क्या वहां पर कहा होगा। मैंने अपने भाषण में थोड़ी देर पहले कहा था कि उत्तर प्रदेश के उद्योग विभाग के ऊपर अगर जबरदस्ती कोई लांछन लगाना हो तो उस पर तो मैं लड़ाई नहीं लड़ूंगा, लेकिन गेंदा सिंह जी जैसे सुलझे हुए आदमी जब कोई बात कहते हैं तो उत्तर की आवश्यकता हो जाती है।

उन्होंने कहा कि हमने छोटे उद्योगों का रुपया बड़ों को दे दिया। वह किस स्टेट और किस जगह के लिये कह रहे हैं, मुझे उसकी कोई जानकारी नहीं है। उत्तर प्रदेश की बाबत मेरा दावा है कि हमारे योजना काल में जो रुपया जिसके यहां जाना था उसके यहां न पहुंचकर अगर औरों को दे दिया है तो वह एक ही उदाहरण दे दें, मैं यह जगह छोड़ दूंगा अपनी। लेकिन अगर वह बात नहीं है तो उस तर्क को इसमें नहीं लाना चाहिये।

दूसरा तर्क यह है कि जब सम्बन्ध बड़े उद्योगों से सदस्यों का होगा तो छोटे उद्योगों की रक्षा होगी या नहीं, यह शुबहे की बात पैदा होती है। अगर होती है तो मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जहां बोर्ड के सम्बन्ध में कहा गया कि खास लोगों का होगा, उनकी क्वालिफिकेशंस भी रखी गयी हैं, उसमें कहा गया है कि वह लोग ऐसे होंगे जो इन छोटे उद्योगों के सम्बन्ध में दक्षता रखते हैं, जानकारी रखते हैं, प्रेम रखते हैं और ऐसे काम करने का उनका कोई सिलसिला है। अहमदाबाद में एक अनुसुइया बैन हैं, अम्बालाल साराभाई की बड़ी बहिन, वह अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन जो कि देश की सबसे बड़ी संस्था है उसकी अध्यक्षा हैं, बड़े उद्योग से उनका सम्बन्ध है क्योंकि उन्होंने अम्बालाल साराभाई की फर्म में जो शेयर्स हैं उनको छोड़ा नहीं है। क्या हम मान लें कि उस तरह की बहिन को इस तरह के काम में न लिया जाय ? अगर यह बात है तो वह कोई मजदूरों के हित में नहीं होगा। यह जरूरी नहीं है कि हम बड़े पूंजीपतियों को मेम्बर बनायेंगे, लेकिन पैसे वालों में से या बड़े उद्योगों में से कोई व्यक्ति अगर बोर्ड के करीब नहीं आ पायेगा तो ऐसी व्यवस्था करने से न तो उससे इस बिल की मर्यादा बढ़ती है और न यह आशा के अनुकूल है। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं।

***श्री गेंदासिंह**--श्रीमन्, मैं ऐसा समझता था कि इस संशोधन का विरोध बहुगुणा जी नहीं करेंगे और अगर पंडित जी के भाषण में उनको कोई भ्रम हुआ, तो मैं यही कह सकता हूं कि जब मैनुफैक्चरर्स आर्गनाइजेशन का आल इंडिया इजलास दिल्ली में हुआ हो और इंडस्ट्रीज मिनिस्टर, उत्तर प्रदेश का उसकी प्रोसीडिंग्स को न पढ़े तो बहुगुणा जी जैसे व्यक्ति के लिये वह कोई शोभा की बात नहीं है। और न मैं उम्मीद करता हूं कि वह नहीं पढ़े होंगे क्योंकि प्राइम-मिनिस्टर साहब इन्डस्ट्रीज के सम्बन्ध में कुछ कहें और यू० पी० के इन्डस्ट्रीज मिनिस्टर उसको न पढ़ें तो मैं समझता हूं कि यह हमारी बदकिस्मती है और सारे प्रदेश की बदकिस्मती है। यह ५ अप्रैल का नेशनल हेराल्ड है, उनकी पार्टी का ही है, इसको मेहरबानी करके पढ़ लें। इसमें मैन्यूफैक्चरर्स आर्गेनाइजेशन की पूरी प्रोसीडिंग्स हैं.....

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—मैंने कहा था कि मेरे सामने नहीं है और किसके लिये उन्होंने यह कहा उसकी मुझे जानकारी नहीं है ।

श्री गेंदासिंह—एक सवाल उन्होंने यह किया कि एक उदाहरण बतला दिया जाय तो वह गद्दी छोड़ने के लिये तैयार हैं । मैं उनकी गद्दी नहीं छुड़ाना चाहता क्योंकि अगले चुनाव तक किसी को गद्दी मिलने वाली नहीं है और अगर कोई खराब आदमी उनकी जगह पर आ गया तो बड़ी खराबी हो जायगी । लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि वह जिस दिशा की तरफ इन्डस्ट्रीज विभाग को चला रहे हैं उसमे मेरे मुंह से यह नहीं निकलेगा कि वह बड़े आदमियों की मदद नहीं कर रहे हैं । अभी चार दिन पहले मैंने सवाल पूछा था तो जवाब मिला कि पहली और दूसरी योजना में ३७ लाख रुपया खाली गुड़ के काम में खर्च होने वाला था जिसमें १९ लाख रुपया ही खर्च हुआ और १८ लाख रुपया खर्च नहीं हुआ । मैं उनसे कहने वाला हूं कि वह जरा पता लगावें कि इन्डस्ट्रीज डिपार्टमेन्ट में गांव वालों से कोल्हू के लिये कितनी दरख्वास्तें पहुंची। श्रीमन्, हजारों की तादाद में दरख्वास्तें आईं लेकिन उनपर इसलिये रकम नहीं दी गई क्योंकि सरकार ने मंजूर करके तकावी नहीं दी । इसलिये चाहे हजार तरह से कहा जाय कि हम बड़े आदमियों की कोई मदद नहीं करते हैं, हम इसको कैसे मान लें । बड़े आदमियों की मदद सिर्फ रुपया देकर ही नहीं होती है बल्कि और तरह से भी होती है । कोल्हू वालों की मदद न करने के भी मतलब हैं कि बड़े आदमियों की मदद की गई । जब हमारे इस सदन से रुपया मंजूर किया गया, तनख्वाहें मंजूर की गईं, फिर भी अगर किसानों के पास पैसा न पहुंचे तो इसका क्या मतलब होता है ? इसलिये मैं समझता हूं कि हमारा संशोधन स्वीकार होना चाहिये ताकि उस बोर्ड की कर्तव्यपरायणता में कोई गड़बड़ी न पहुंचे ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ५ (क) की पंक्ति ४ के शब्द 'की हो' तथा शब्द 'राज्य' के बीच निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय—

"परन्तु उनका किसी प्रकार का आर्थिक सम्बन्ध बड़े उद्योगों से न हो ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया तथा अस्वीकृत हुआ ।)

श्री नारायणदास पासी (जिला फैजाबाद)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन पेश करना चाहता हूं :

"खंड ५ के (क) के अन्तिम पंक्ति के शब्द 'जायेंगे' के आगे शब्द 'जिनमें अधिकतर हरिजन व पिछड़े वर्ग' और 'मोमिन अन्सार वर्ग के योग्य व्यक्ति होंगे' बढ़ा दिये जांय ।"

अध्यक्ष महोदय, भूमि सुधारों के बाद ग्रामोद्योगों के लिये जो पहला विधेयक आया हुआ है इसको बहुत पहले आ जाना चाहिये था लेकिन फिर भी इस समय जो विधेयक आया है वह स्वागत के योग्य है क्योंकि ग्रामोद्योग जो हैं वे इतने पवित्र और शुद्ध हैं, उनका लक्ष्य इतना शुद्ध है कि वह किसी भी राष्ट्र को उच्चस्तर और उन्नति के शिखर पर पहुंचा सकते हैं । यहां पर खादी के साथ में ग्रामोद्योगों को इसलिये जोड़ा गया है क्योंकि खादी एक विशुद्ध चीज है जिससे प्रदेश की गरीबी बहुत कुछ मिट सकती है ।

जहां तक बोर्ड का प्रश्न है, वह एक समिति की तरह से है और उसको कोई विशेष अधिकार नहीं है । यहां का बोर्ड राज्य सरकार को सम्मति देगा और राज्य सरकार खादी आयोग को अपने सुझाव देगी और इस तरह से उनका अनुदान पास होगा । तो ऐसी स्थिति में बोर्ड कैसा हो और उसमें हरिजन पिछड़े वर्गों और अन्सार मोमिनों का क्या स्थान हो, इसपर मैं संक्षिप्त में प्रकाश डालना चाहता हूं । अध्यक्ष महोदय, जब कोई मनुष्य गृहस्थ में आता है तो सबसे पहले उसका विवाह होता है । जिस समय पति और पत्नी विवाह मंडप में बैठते हैं आपने देखा होगा कि हमारे सनातन धर्म में ऐसा है कि पासी वेदी पर सरावन का खम्भा या हल गाड़ देता है, पत्तल, सिन्दूर व डन्डा लाता है

[श्री नारायणदास पासी]

चमार जूता लाता है, कोरी या जुलाहा कोरा थान लाता है, माली पान-फूल लाता है, बढ़ई पीढ़ा और दीवट लाता है, कुम्हार मिट्टी के बर्त्तन, तेली तेल लाता है, लोहार धनुष तीर और मुन्दरी लाता है । इस सबका भाव यह है कि वे लोग जो अपने हाथ से समाज की सेवा करते हैं, जो मानव समाज की रीढ़ हैं, उनमें कोई वर्ग या जाति की भावना नहीं है । हिन्दू समाज में ही नहीं, बल्कि मानव समाज में कोई भेद-भाव नहीं रहता है। पुरोहित जुगल-जोड़ी से कहता है कि तुमने शादी की है । उसमें प्रतिज्ञायें होती हैं कि किसी प्रकार से भेद-भाव न रखा जाय, किसी का शोषण न किया जाय, पति-धर्म और पत्नि-धर्म का पालन किया जाय । इसके साथ सेवा धर्म, स्वदेश-रक्षा, खेती व उद्योगों की रक्षा की प्रतिज्ञा लेनी होती है । जब वे गृहस्थ-धर्म में प्रवेश कर चुके होते हैं तब भोजन तथा वस्त्र आदि की चिन्ता होती है। ऐसी अवस्था में अपने हाथ से काम करने वाले, जो निष्काम भाव से समाज की सेवा करते हैं, वे मानव समाज में कोई भेदभाव नहीं रखते, वे विशुद्ध कर्मी हैं, चाहे चर्खा संघ हो या गांधी आश्रम हो, बिना प्रमाणित हुये खादी नहीं बिक सकती है, वैसे ही हम चाहते हैं कि इस बोर्ड में भी बैकवर्ड क्लास के लोग तथा मोमिनों को रखा जाय । जो दक्ष कार्य कर्त्ता हों अपनी कठिनाई व समाज की गरीबी को बता सकें, बोर्ड के चुनाव में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिये । साथ ही साथ शास्त्र का वचन भी है :

न सौ अस्माकम समिति गच्छेत यों योः न कर्शति हलान् क्षेत्रः अर्थात् जो कोई अपने हाथ से काम करता है, अपने हाथ से हल जोतता है, वही हमेशा वहिष्कृत नहीं रहेगा, बल्कि जो अपने हाथ से खेती या मोटा काम न करता हो वह किसी समिति में न जा सकेगा हमारे बहुगुणा जी का नाम भी बहुगुणा है और जाति के भी ब्राह्मण हैं । मैं उनको इशारा कर देना चाहता हूं कि भारतवर्ष में कपड़े का उद्योग तथा व्यापार इस तरह से नहीं होता था जैसा आजकल होता है । यहां पर अंगुली की अंगूठी में से थान को निकाल लेते थे ।

श्री अध्यक्ष---अब आप अपने संशोधन पर आ जाइये ।

श्री नारायणदास पासी---हमारा व्यापार सारे संसार में फैला हुआ था । जिस समय ब्रिटेन में लंकाशायर ने तरक्की की है उसने यह तय कर लिया था कि कोई भी वहां का आदमी हिन्दुस्तान का कपड़ा नहीं पहनेगा और जो कोई पहनेगा उसे फांसी हो जायगी ।

श्री अध्यक्ष---आप कृपा करके अपना ही स्थान ग्रहण करें ।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---मेरे दोस्त नारायण दास जी का उत्तर देने के लिये ब्राह्मण बहुगुणा की आवश्यकता होगी लेकिन ब्राह्मण बहुगुणा तो उसी समय मर गया जब उसने कांग्रेस आन्दोलन में भाग लिया था, अब तो खाली बहुगुणा बाकी रह गया है । उस बोर्ड में तो हम सब लोगों को लेंगे, उनकी जाति क्या होगी क्या नहीं होगी, इसका कोई खयाल नहीं किया जायगा । इसलिये मुझे दुःख है कि मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं ।

श्री नारायणदास पासी---अध्यक्ष महोदय, मैं श्रम मंत्री बहुगुणा जी से फिर से प्रार्थना करूंगा कि वह हरिजनों, पिछड़े वर्ग और अंसार मोमिन लोगों का ध्यान रखें और जहां तक हो सके उनको लाने का प्रयत्न करें । लेकिन इस संशोधन पर मत लेने के मैं पक्ष में नहीं हूं । मेरा उन पर पूरा विश्वास है ।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया ।)

*श्री गोविन्दनारायण तिवारी (जिला जालौन)—अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मेरा संशोधन निम्नप्रकार है :—

"खण्ड ५ (क) के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबंधात्मक वाक्य जोड़ दिया जाय :

"किन्तु प्रतिबंध यह होगा कि सरकार द्वारा नियुक्त सभापति या सदस्य किसी राजनैतिक दल के सक्रिय सदस्य नहीं होंगे"।

मैं संक्षेप में केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार ने इस नामांकन प्रणाली का सदैव ही दुरुपयोग किया है। चाहे तो वह प्रान्तीय स्तर हो, चाहे वह जिला स्तर हो, हर स्थान पर सरकार ने इस प्रणाली का दुरुपयोग किया है। उसने अपनी पार्टी के आदमियों के अलावा और किसी का नामांकन किया ही नहीं है। इसलिये इससे खद्दर के काम में भी पार्टीबाजी शुरू हो जायगी और इससे खादी के काम को हानि होगी। इसलिये मैं चाहता हूं कि राजनीति के दलदल से इसको बचाया जाय और जैसा कि बहुगुणा जी ने भी कहा कि इस मामले में वे पालिटिक्स को लाना नहीं चाहते हैं, वह मेरे इस बेगुनाह संशोधन को मान लेंगे, ऐसी मेरी आशा है। इससे खद्दर के काम को बहुत सहायता मिलेगी।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक इसी प्रकार का संशोधन है। लेकिन मेरा खयाल है कि वह आ न पायेगा इसलिये मैं माननीय गोविन्द नारायण जी के ही संशोधन का समर्थन करता हूं। जैसा कि माननीय तिवारी जी ने कहा कि ऐसे पवित्र कार्य में राजनीति को नहीं लाना चाहिये। माननीय बहुगुणा जी ने कहा कि आखिर हम राजनीति को Taboo क्यों बनाते हैं। लेकिन याद रखिए हमको लोगों ने चुन कर यहां भेज दिया, विधान बनाने के लिये, लेकिन हमारा यह कहना कि डाक्टर भी हम ही अच्छे, इन्डस्ट्रियलिस्ट भी हम ही अच्छे डाक्टर तथा हर चीज के लिये हम कहने लगें कि हम ही सबकी रामबाण औषधि हैं, तो यह ग़लत बात होगी। अगर हम राजनीति में हैं तो हमको राजनीति अच्छी प्रकार से करनी चाहिये और उद्योगों आदि के अन्य कार्य दूसरे आदमियों को छोड़ देना चाहिये। नहीं तो हम यहां भी अच्छी तरह काम नहीं कर पायेंगे और न वहां अच्छी तरह काम कर पायेंगे। इन शब्दों के साथ, मैं चाहता हूं कि बहुगुणा जी इस पर अच्छी तरह से विचार करेंगे।

रामस्वरूप जी वर्मा ने गांधी जी की एक किताब पढ़ी, उसको माननीय बहुगुणा जी ने भी सुना, जिसमें लिखा है कि कुटीर उद्योगों को राजनीति से परे रखना चाहिए। मैं उनकी उस बात का स्वागत करता हूं। गांधी जी ने कहा कि इन संस्थाओं को राजनीति से अलग रखना चाहिये। बहुगुणा जी कहते हैं कि और प्रान्तों में तो ऐसा है नहीं। मेरा निवेदन है कि आप कहते हैं कि उत्तर प्रदेश आज तक अग्रणी रहा है, हर चीज में। अगर हम इस चीज में कोई अच्छी परिपाटी चला सकते हैं, कोई आदर्श उपस्थित कर सकते हैं तो वह श्रेयस्कर होगा। तब अवश्य ही हमारे पीछे अन्य लोगों को चलना पड़ेगा।

"लोग कहते हैं कि बदलता है जमाना,
मर्द वह हैं जो जमाने को बदल देते हैं।"

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—मान्यवर, इस शेर शायरी के बाद कुछ बहुत ज्यादा कहने को रह नहीं जाता। सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, जो तिवारी जी ने राजनीति की चर्चा करते हुए कहा। जो उन्होंने कहा कि उनके जिले की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता या उनकी बात नहीं सुनी जाती, अगर एसा वे कहते हैं तो कहें, इसका उन्हें पूरा अधिकार है लेकिन अगर मैं उनका उत्तर देना चाहूं तो बिल्कुल चस्पा कर सकता हूं। मैं समझता हूं कि इस तरह की बात कहने वाले तथा इस राय के सदन के बाहर भी बहुत से लोग हैं, फिर यहां पर

---

*वक्ता न भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा]

इस तरह की बात कहना उनके लिये उचित नहीं है। न मालूम उनको क्या भय पैदा हो गया जो उन्होंने ऐसा कह दिया कि आगे चल कर इसमें राजनीति का प्रयोग किया जायगा। साथ ही साथ यह कह देना कि राजनीति में ऐसे लोग जो निकम्मे हैं, जिनकी कहीं पूछ नहीं, उनको इसमें रखा जायगा, अब किसी की नीयत पर शक करना, या किसी को बुरा कहना या किसी के ऊपर अविश्वास करना, इस तरह की चर्चा वे भले ही करें लेकिन उसूलन मैं इस बात को नहीं मानता हूं। जो ग्राम उद्योग को करने वाले लोग हैं, जिनकी उसमें विशेष रुचि होगी या उनको विशेष अनुभव होगा, उन्हीं आदमियों को रखने की कोशिश की जायगी। जिस तरह से है कि "जाति पांति पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई" तो जो ग्राम उद्योग को भजेगा वही उसमें रखा जायगा, ऐसी व्यवस्था है। इसलिये मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री गोविन्दनारायण तिवारी—श्रीमन्, अगर मैं उर्दू में बहुगुणा जी का नाम लूं तो उनको हरफन मौला कह सकता हूं। मगर चूंकि बहस का मौका नहीं है इसलिये मैं सिर्फ इतना अर्ज करना चाहता हूं बहुगुणा जी से कि "आपके वादे का मुझे यकीन नहीं, फिर मुकर जाओगे, कह दोगे मुझे याद नहीं।"

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि "खंड ५(क) के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक वाक्य जोड़ दिया जाय :

'किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि सरकार द्वारा नियुक्त सभापति या सदस्य किसी राजनैतिक दल के सक्रिय सदस्य नहीं होंगे।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

***श्री मोतीलाल अवस्थी**—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन पेश करता हूं कि खंड ५ के उपखंड (ख) का भाग (३) हटा दिया जाय।

इसको हटाने के माने यह हैं कि उद्योग संचालक को हटा दिया जावे। माननीय बहुगुणा जी ने जो अपना भाषण दिया उसमें उन्होंने इस बात को कह दिया कि कर्ण भाई ने इस बात पर जोर दिया कि संचालक उद्योग विभाग को उस बोर्ड में अवश्य रखा जाय क्योंकि हमको इतनी फुर्सत नहीं है, इसलिये उनका रखना जरूरी है। जब पहले से ही उन्होंने मान लिया कि उनको फुर्सत नहीं है तो मुझे भय और शंका है कि वे केवल जो उद्योग संचालक कहेगा, उसमें केवल हां, हूं करने के लिये ही होंगे। यानी कहीं पर आई० का नुक्ता हटा दिया या कहीं टी० को काट दिया। तो ऐसी हालत में मैं समझता हूं कि उद्योग संचालक को वहां रखना उचित नहीं होगा। इसलिये मैं ने जो स्पष्टीकरण के लिये संशोधन रखा है वह उचित रूप में ही है कि उनका उस बोर्ड में रहना उचित नहीं है।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—अध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत सफाई के साथ यह कहा कि हमारे प्रदेश में ग्रामीण उद्योग के काम को जितनी शक्ति रखते हैं उसके अनुसार कर रहे हैं। प्रक्रिया सम्बन्धी हमारी दिक्कत डिपार्टमेंटल काम के लिये अवश्य है जिनको दूर करने के लिये बोर्ड बनाने की जरूरत महसूस की गयी। उद्योग विभाग के जिन अफसरों ने उस फील्ड में रह कर उद्योग के काम को आगे बढ़ाया है और सच्चाई के साथ लगन से उस काम को फैलाया है, उनके खिलाफ किसी तरह की बात कहना उनके साथ अन्याय होगा। मैं आशा करता हूं कि सदन में इस तरह की भावना को नहीं फैलने दिया जायगा तथा जो वाकयात हैं उनके आधार पर इस काम को करने के सम्बन्ध में सोचा जायगा। मुझे अफसोस है कि यह संशोधन स्वीकार करने में मुझे आपत्ति है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ५ के उपखंड (ख) का भाग (३) हटा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ५ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ६

६—(१) बोर्ड के सभापति और उसके अन्य गैर-सरकारी सदस्यों की पदावधि ऐसी अवधि या अवधियों के लिए होगी जो नियत की जायं : सभापति तथा सदस्यों की पदावधि।

प्रतिबन्ध यह है कि कोई भी व्यक्ति दो से अधिक अमिक अवधियों के लिए बोर्ड का सभापति या सदस्य नियुक्त नहीं किया जायगा।

(२) बोर्ड के सरकारी सदस्य की पदावधि उसके अपने पद पर रहने की अवधि तक होगी।

(३) उपधारा (१) में किसी बात के होते हुये भी, राज्य सरकार बोर्ड के किसी ऐसे गैर-सरकारी सदस्य को उसके पद से हटा सकती है।

(क) जो न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित किया गया हो, या

(ख) जो ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष हुआ हो जो राज्य सरकार की राय में नैतिक पतन समन्वित हो; या

(ग) जो शारीरिक या मानसिक रूप से ऐसे सदस्य के रूप में कार्य करने में असमर्थ हो गया हो, या

(घ) जिसने राज्य सरकार की राय में बोर्ड के सर्वोत्तम हित में कार्य न किया हो या जो इस प्रकार कार्य करने में असमर्थ हो गया हो या जिसने सदस्य के रूप में अपनी स्थिति का इस प्रकार दुरुपयोग किया हो कि उसका इस प्रकार बना रहना बोर्ड तथा जनसाधारण के हितों के लिए हानिकर हो गया हो।

(४) कोई गैर-सरकारी सदस्य राज्य सरकार को लिखित नोटिस देकर बोर्ड की सदस्यता से त्याग-पत्र दे सकता है और उसके त्याग-पत्र के स्वीकार किये जाने तथा सरकारी गजट में विज्ञप्ति किये जाने पर उसके बारे में यह समझा जायगा कि वह बोर्ड का सदस्य नहीं रह गया है।

(५) किसी सदस्य के त्याग-पत्र देने या हटाये जाने से अथवा किसी अन्य कारण से हुई आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति राज्य सरकार द्वारा नयी नियुक्ति करके की जायगी और इस प्रकार नियुक्त सदस्य उस शेष अवधि के लिए पदासीन रहेगा, जिसके लिए वह सदस्य, जिसके स्थान पर वह नियुक्त किया गया हो, पदासीन रहता, यदि उसने त्याग-पत्र न दिया होता या वह हटाया न गया होता या कोई और कारण न होता।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ६ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :

१—बोर्ड के सभापति बोर्ड के सदस्यों के द्वारा बहुमत से चुने जायंगे।

२—बोर्ड के सभापति और उसके अन्य सदस्यों की पदावधि दो वर्ष होगी।

३—दि रिप्रेजेन्टेशन आफ पीपुल्स ऐक्ट के अन्तर्गत वर्णित मतदाता होने में अयोग्यतायें होने पर या किसी समय भी किसी बोर्ड के सदस्य में पाई जाने पर वह बोर्ड का सदस्य न होगा या न रह सकेगा।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ६ के उपखंड (३) की उपधारा (१) के खंड घ, के आगे खंड 'च' निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय—

'च—बड़े उद्योगपतियों के हित के सामने छोटे उद्योगों की उपेक्षा की हो।'

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ६ के उपखंड (३) के शब्द "राज्य सरकार बोर्ड से लेकर... असमर्थ हो गया हो, या" निरसित कर उसके स्थान में निम्नलिखित शब्द जोड़े जायं—

"कोई सदस्य बोर्ड की सदस्यता के लिये निम्नांकित एकाधिक बातों के होते हुये अनर्ह होगा:

(क) जो किसी राजनीतिक पार्टी का सदस्य हो।

(ख) जो किसी न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित किया गया हो।

(ग) जो नैतिक पतन समन्वित अपराध के लिये किसी न्यायालय से दंडित हुआ हो।

(घ) जो मानसिक या शारीरिक रूप से ऐसे कार्य करने में असमर्थ हो गया हो।

(ङ) जो कोढ़ी हो।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ६ के उपखंड (५) की लाइन २ में शब्द "द्वारा' व शब्द "नयी नियुक्ति" के बीच में "विधान मंडल की स्वीकृति लेने के बाद" शब्द जोड़े जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ६ का प्रतिबन्ध निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ६ विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ७—८

बोर्ड की बैठकें।

७—(१) बोर्ड की बैठकें ऐसे समय तथा स्थानों पर होंगी और उपधारा (२) तथा (३) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, वह अपनी बैठकों में कार्य-सम्पादन के सम्बन्ध में (जिसके अन्तर्गत बैठकों में गणपूर्ति भी है) ऐसी प्रक्रिया का पालन करेगा जिसकी व्यवस्था इस अधिनियम के अधीन बनाये गये विनियमों द्वारा की जाय।

(२) सभापति, या उसकी अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्यों द्वारा अपने में से चुना गया कोई सदस्य, बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करेगा।

(३) बोर्ड की बैठक में आने वाले समस्त प्रश्नों का निर्णय उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जायगा और दोनों ओर बराबर मत होने की दशा में सभापति या उसकी अनुपस्थिति में अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति को एक दूसरा या निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।

८—बोर्ड का कोई कार्य या कार्यवाही बोर्ड में किसी रिक्ति या उसके संघटन में किसी त्रुटि के कारण ही अवैध न समझी जायगी। सदस्यों के स्थान रिक्त होने या बोर्ड के संघटन में त्रुटि के कारण बोर्ड के कार्य या कार्यवाहियां अवैध न होंगी।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ७ और ८ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ९

९—बोर्ड का कार्यालय लखनऊ में स्थित होगा। बोर्ड का कार्यालय

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ९ में शब्द 'लखनऊ' के स्थान पर शब्द 'कानपुर' रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ९ विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १०—११

१०—(१) इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का निर्वहन करने में बोर्ड की सहायता सचिव करेगा जो राज्य सरकार द्वारा ऐसी शर्तों पर नियुक्त किया जायगा, जो वह उचित समझे। बोर्ड का सचिव तथा अन्य कर्मचारिवर्ग।

(२) उपधारा (३) के उपबन्धों तथा तदर्थ बनाये गये विनियमों के अधीन रहते हुये, बोर्ड ऐसे अन्य अधिकारी तथा कर्मचारी नियुक्त कर सकता है जो वह इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के दक्षतापूर्वक सम्पादन के लिए आवश्यक समझे :

प्रतिबन्ध यह है कि कोई व्यक्ति जिसका मानदेय या अधिकतम वेतन पांच सौ रुपये प्रति मास से अधिक हो राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना बोर्ड द्वारा नियुक्त नहीं किया जायगा।

(३) सचिव, तदर्थ बनाये गये विनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुये या बोर्ड के संकल्प द्वारा उसे तदर्थ प्रतिनिहित अधिकार की आयति तक, ऐसे अन्य कर्मचारी नियुक्त कर सकता है जो वह इस अधिनियम के अधीन बोर्ड के कृत्यों के दक्षतापूर्वक सम्पादन के लिए आवश्यक समझे।

११—सचिव ऐसे अधिकारों का प्रयोग और ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करेगा जो नियत किये जायं, या जो समय-समय पर बोर्ड के संकल्प द्वारा उसे प्रतिनिहित किये जायं। सचिव के अधिकार।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १०(१) की पंक्ति दो में शब्द 'द्वारा' तथा शब्द 'ऐसी' के बीच शब्द 'बोर्ड की सलाह से' रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १० के अन्तिम प्रतिबन्ध को निम्नलिखित रूप में रख दिया जाय—

"प्रतिबन्ध यह है कि कोई व्यक्ति पांच सौ रुपये प्रति मास से अधिक मानदेय प्राप्त न कर सकेगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १० और ११ विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १२–१३

बोर्ड के कर्मचारियों की सेवा की शर्तें और उसके सदस्यों की पदावधियां।

१२—(१) बोर्ड के कर्मचारियों की सेवा की शर्तें वे होंगी जो तदर्थ बनाये गये विनियमों द्वारा व्यवस्थित की जायं।

(२) सभापति तथा अन्य गैर-सरकारी सदस्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये विनियमों के अनुसार यात्रा तथा दैनिक भत्तों के अधिकारी होंगे।

बोर्ड के आदेशों तथा अन्य कारणों का प्रमाणीकरण।

१३—बोर्ड के समस्त आदेश तथा निर्णय सभापति, सचिव या उस सदस्य के, जो बोर्ड द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किया जाय, हस्ताक्षर से प्रमाणित किये जायेंगे, और बोर्ड के पक्ष में या उसके द्वारा अथवा उसकी ओर से निष्पादित समस्त करण सचिव या बोर्ड के ऐसे अधिकारी के, जो उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किया जाय, हस्ताक्षर से प्रमाणीकृत किये जायेंगे।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १२ और १३ विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १४

१४—बोर्ड अपने द्वारा तैयार की गयी योजनाओं का कार्यान्वयन इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, और उसके लिए प्रदिष्ट धनराशियों का उपयोग उद्योग संचालक, उत्तर प्रदेश, के माध्यम से करेगा।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १४ की अन्तिम पंक्ति में शब्द 'उद्योग संचालक' के पूर्व शब्द 'बिना' बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १४ की लाइन ३ में शब्द "उद्योग संचालक, उत्तर प्रदेश" के स्थान पर शब्द "सचिव बोर्ड" शब्द रखे जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १४ विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १५

बोर्ड के कृत्य

१५—(१) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, बोर्ड के कृत्य सामान्यता ये होंगे—खादी तथा ग्राम उद्योगों की आयोजना बनाना तथा उनका संगठन, विकास एवं विनियमन करना।

(२) विशेषतया तथा पूर्वोक्त अधिकार की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बोर्ड कोई ऐसा कार्य कर सकता है जो वह निम्नलिखित के सम्बन्ध में उपयुक्त समझे--

(क) खादी के उत्पादन अथवा ग्राम उद्योगों में लगे हुए अथवा उसमें अभिरुचि रखने वाले व्यक्तियों के प्रशिक्षण की आयोजना बनाना तथा उसका संगठन करना,

(ख) कच्चे माल तथा उपकरणों का एक सुरक्षित भंडार बनाना और उन्हें खादी के उत्पादन अथवा ग्राम उद्योगों में लगे हुए व्यक्तियों को ऐसी मितव्ययी दरों पर देना जो बोर्ड की राय में उपयुक्त हों,

(ग) खादी ग्राम उद्योगों की वस्तुओं के प्रचार तथा क्रय-विक्रय के लिये व्यवस्था करना,

(घ) खादी के उत्पादन की प्रविधि तथा ग्राम उद्योगों के विकास में शोध को प्रोत्साहित करना तथा बढ़ाना अथवा खादी या ग्राम उद्योगों से सम्बन्धित समस्याओं के अध्ययन के लिये सुविधाएं देना,

(ङ) खादी अथवा ग्राम उद्योगों के विकास के लिये स्थापित संस्थाओं का अनुरक्षण करना या उनके अनुरक्षण में सहायता देना,

(च) खादी का उत्पादन अथवा ग्राम उद्योगों का विकास आरम्भ करना, उसमें सहायता देना अथवा उसे प्रोत्साहित करना,

(छ) खादी के निर्माताओं तथा अथवा ग्राम उद्योगों में लगे व्यक्तियों के सहकारी प्रयास को बढ़ाना तथा उसे प्रोत्साहित करना,

(ज) खादी के कार्य तथा ग्राम उद्योगों में लगे हुए व्यक्तियों और संस्थाओं में जिनके अन्तर्गत सहकारी समितियां भी हैं, समन्वय कराना, तथा

(झ) किसी अन्य विषय का कार्यान्वय जो नियत किया जाय।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १५ की पंक्ति २ में शब्द "खादी" के साथ शब्द "गुड़" भी बढ़ा दिया जाय और इसी प्रकार इस खंड में खादी के साथ अन्य स्थानों पर "गुड़" बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १५ विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १६

बोर्ड के कृत्यों की सीमायें।

१६--(१) इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन में बोर्ड ऐसे निर्देशों से बाध्य होगा जो राज्य सरकार उसे दे।

(२) बोर्ड, राज्य सरकार की लिखित पूर्व अनुमति के बिना अचल सम्पत्ति का निस्तारण अथवा अर्जन नहीं करेगा।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १६ के उपखंड (२) की पंक्ति २ में शब्द 'अथवा अर्जन' निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १६ विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १७—२६

कार्यक्रम तथा योजनायें बनाना और प्रस्तुत करना।

१७—बोर्ड का यह कर्त्तव्य होगा कि वह वित्तीय वर्ष में कार्यान्वय के लिए कार्य तथा योजनाओं का कार्यक्रम बनायें और उसे राज्य सरकार को ऐसे आकारों में और ऐसे ब्योरों के साथ तथा ऐसे दिनांक अथवा दिनांकों तक प्रस्तुत करें, जो नियत किये जायें।

अनुपूरक कार्यक्रम तथा योजनायें।

१८—बोर्ड, अनुपूरक कार्यक्रम तथा योजनायें तैयार कर सकता है और उन्हें राज्य सरकार को ऐसे आकारों में तथा ऐसे ब्योरों के साथ प्रस्तुत कर सकता है जो नियत किये जायें।

कार्यक्रमों तथा योजनाओं का अनुमोदन।

१९—राज्य सरकार, यथास्थिति धारा १७ या धारा १८ के अधीन, प्रस्तुत किये गये कार्यक्रम अथवा योजनाओं को अथवा अनुपूरक कार्यक्रमों या योजनाओं को पूर्णतः या ऐसे परिष्कारों के सहित, जो वह उपयुक्त समझे, अनुमोदित कर सकता है तथा इस प्रकार अनुमोदित कार्यक्रम अथवा योजनायें उस वर्ष या अवधि के कार्यक्रम अथवा योजनायें होंगी जिसके लिए वे बनायी गयी हों।

कार्यक्रमों तथा योजनाओं का कार्यान्वय।

२०—धारा १९ के अधीन कार्यक्रमों अथवा योजनाओं या अनुपूरक कार्यक्रमों अथवा योजनाओं के सम्बन्ध में, राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त होने पर बोर्ड उन्हें कार्यान्वित करेगा।

वार्षिक वित्तीय विवरण।

२१—(१) बोर्ड प्रत्येक वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में अपनी उस वर्ष की प्राक्कलित प्राप्तियों तथा व्यय का विवरण तैयार करायेगा तथा उसे अनुमोदन के लिए राज्य सरकार को प्रस्तुत करायेगा।

(२) वार्षिक वित्तीय विवरण में दिये गये व्यय के प्राक्कलनों में निम्नलिखित पृथक रूप में दिखाये जायेंगे :—

(क) सभापति तथा अन्य गैर-सरकारी सदस्यों के भत्ते;

(ख) बोर्ड के कर्मचारियों की उपलब्धियां तथा भत्ते और बोर्ड के कार्यालय से सम्बन्धित अन्य व्यय,

(ग) ऋण सम्बन्धी व्यय जिसके लिए बोर्ड उत्तरदायी हो जिस के अन्तर्गत ब्याज, निक्षेप निधि पर व्यय तथा ऋण शोधन व्यय और ऋण लेने तथा ऋणशोधन तथा तत्सम्बन्धी कार्यों से सम्बन्धित अन्य व्यय भी हैं,

(घ) किसी न्यायालय अथवा अधिकरण के निर्णय, डिक्री अथवा पंच निर्णय की पूर्ति के लिए अपेक्षित धनराशियां,

(ङ) बोर्ड के कार्यक्रमों तथा योजनाओं के कार्यान्वय के लिए अपेक्षित धनराशियां, और

(च) कोई अन्य व्यय जो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए नियत किया जाय।

अनुपूरक वित्तीय विवरण।

२२—यदि चालू वित्तीय वर्ष में किसी विशेष सेवा, कार्यक्रम या योजना पर व्यय किये जाने के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण द्वारा प्राधिकृत तथा राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित धनराशि उस वर्ष के कार्यों के लिए अपर्याप्त पायी जाय

अथवा यदि चालू वित्तीय वर्ष में किसी नयी सेवा, कार्यक्रम या योजना के लिए, जो उस वर्ष के वार्षिक वित्तीय विवरण में अवेक्षित न हो, अनुपूरक व्यय की आवश्यकता उत्पन्न हो जाय तो, बोर्ड दूसरा विवरण तैयार करायेगा जिस में उक्त व्यय की प्राक्कलित धनराशि दिखायी जायगी और उसे अनुमोदन के लिए राज्य सरकार के पास भिजवायेगा।

वार्षिक तथा अनुपूरक वित्तीय विवरणों का राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन।

२३—(१) राज्य सरकार धारा २१ अथवा धारा २२ के अधीन, जैसी भी दशा हो, प्रस्तुत किये गये वार्षिक वित्तीय विवरण अथवा अनुपूरक वित्तीय विवरण का अनुमोदन पूर्णतः अथवा ऐसे परिष्कारों के साथ, जो वह ठीक समझें, कर सकती है।

(२) राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार अनुमोदित वार्षिक वित्तीय विवरण अथवा अनुपूरक वित्तीय विवरण उस वर्ष के लिए बोर्ड का "वार्षिक वित्तीय विवरण" अथवा "अनुपूरक वित्तीय विवरण" होगा।

बोर्ड का व्यय करने का अधिकार।

२४—धारा २५ के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, बोर्ड को इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत प्रयोजनों पर ऐसी धनराशियां व्यय करने का अधिकार होगा, जो वह उचित समझें।

बोर्ड के व्यय करने के अधिकार की सीमायें।

२५—(१) उपधारा (२) तथा (३) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, कोई भी धनराशि बोर्ड द्वारा अथवा उसकी ओर से धारा २३ के अधीन राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित वार्षिक वित्तीय विवरण अथवा अनुपूरक वित्तीय विवरण, जैसी भी दशा हो, के अनुसरण से अन्यथा व्यय न की जायगी।

(२) बोर्ड, वार्षिक वित्तीय विवरण अथवा अनुपूरक वित्तीय विवरण की, जैसी भी दशा हो, सीमाओं के भीतर, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, व्यय के एक शीर्षक से दूसरे शीर्षक में अथवा एक योजना के लिए की गयी व्यवस्था से दूसरी योजना के सम्बन्ध में की गयी व्यवस्था में पुनर्विनियोग को स्वीकृत कर सकता है, परन्तु किसी भी दशा में खादी लेखे से ग्राम उद्योग लेखे में अथवा, ग्राम उद्योग लेखे से खादी लेखे में पुनर्विनियोग नहीं किया जायगा।

(३) बोर्ड, ऐसी सीमाओं के भीतर तथा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये जो नियत की जायं, किसी शीर्षक के अन्तर्गत अथवा उसी शीर्षक के अन्तर्गत आने वाली किसी विशेष योजना के सम्बन्ध में वार्षिक वित्तीय विवरण अथवा अनुपूरक वित्तीय विवरण में व्यवस्थित सीमा से अधिक व्यय तब तक कर सकता है जब तक कि व्यय उक्त शीर्षक के सम्बन्ध में उल्लिखित कुल धनराशि से अधिक न हो।

बोर्ड की संचित निधि।

२६—(१) बोर्ड की एक संचित निधि होगी जिस में बोर्ड द्वारा अथवा उस के लिए प्राप्त समस्त धनराशियां जमा की जायंगी।

(२) बोर्ड की संचित निधि की समस्त धनराशि किसी अनुसूचित बैंक में दो पृथक लेखों के अधीन, जो "खादी लेखा" तथा "ग्राम उद्योग लेखा" कहलायेंगे, ऐसी रीति से जमा की जायगी जो राज्य सरकार आदेश द्वारा निर्देशित करे।

(३) बोर्ड के लेखों का संचालन बोर्ड के सभापति अथवा सचिव द्वारा संयुक्त या व्यक्तिगत रूप से, जैसा कि बोर्ड के संकल्प द्वारा प्राधिकृत किया जाय, किया जायगा।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १७ की पंक्ति ३ के शब्द 'करे' के आगे निम्नलिखित रख दिया जाय:

"जिससे वित्तीय वर्ष के अन्दर अवश्य व्यय हो जाय।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १७, १८, १९, २०, २१, २२, २३, २४, २५ और २६ इस विधेयक, के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २७

बोर्ड द्वारा उपहार, आर्थिक सहायता इत्यादि का स्वीकार किया जाना।

२७—बोर्ड अनुदान, आर्थिक सहायता, दान तथा उपहार, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से स्वीकार कर सकता है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २७ में शब्द "राज्य सरकार" के आगे शब्द "बिना" बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २७ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २८

बोर्ड को आर्थिक सहायता तथा ऋण।

२८—(१) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए बोर्ड को समय-समय पर ऐसी शर्तों पर आर्थिक सहायता तथा अनुदान दे सकती है जो राज्य सरकार तदर्थ आरोपित करे।

(२) इस अधिनियम के उपबन्धों तथा तदन्तर्गत बनाये गये नियमों और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये जो राज्य सरकार तदर्थ आरोपित करे, बोर्ड समय-समय पर तथा राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से, खादी लेखा या ग्राम उद्योग लेखा अथवा बोर्ड की किसी अन्य आस्ति की प्रतिभूति पर या अन्य प्रकार से इस अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए अपेक्षित कोई धनराशि उधार ले सकता है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २८ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २९

विवरण तथा प्रतिवेदन।

२९—(१) बोर्ड, राज्य सरकार को ऐसे समय और ऐसे आकार में तथा रीति से, जो नियत की जाय या जैसा कि राज्य सरकार निर्देशित करे, खादी तथा ग्राम उद्योगों को बढ़ाने तथा उनका विकास करने के किसी प्रस्तावित या विद्यमान कार्यक्रम या योजना के सम्बन्ध में ऐसी, विवरणियों और विवरण तथा ऐसे ब्योरे प्रस्तुत करेगा, जिनकी राज्य सरकार समय-समय पर अपेक्षा करें।

(२) उपधारा (१) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बोर्ड प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् यथासम्भव शीघ्र राज्य सरकार को एक प्रतिवेदन ऐसे आकार में तथा ऐसे दिनांक तक जो नियत किये जायं, प्रस्तुत करेगा जिस में वह पिछले वित्तीय वर्ष के अपने कार्यों, नीतियों तथा कार्यक्रमों का यथार्थ और पूरा विवरण देगा।

(३) उपधारा (२) के अधीन प्राप्त प्रतिवेदन की एक प्रति राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जायगी।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २९ (१) के अन्तिम वाक्य को निम्न प्रकार रखा जाय :

"जिन पर राज्य सरकार समय समय पर कार्य तथा उपेक्षा करे"।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २९ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ३०—३१

३०—(१) बोर्ड अपने कृत्यों के सम्बन्ध में ऐसी लेखा पुस्तकें तथा अन्य अभिलेख ऐसे आकार में तथा ऐसी रीति से रखवायेगा जो नियत की जाय। लेखा तथा लेखा-परीक्षा।

(२) बोर्ड, अपना वार्षिक लेखा बन्द करने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, लेखों का एक वार्षिक विवरण ऐसे आकार में और ऐसी रीति से तैयार करेगा जो नियत की जाय।

(३) बोर्ड के लेखे स्थानीय प्राधिकारी (Local authority) की स्थानीय निधि (Local Fund) समझे जायेंगे और उनकी लेखा परीक्षा स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश द्वारा की जायगी।

(४) बोर्ड के लेखों का वार्षिक विवरण, उस पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सहित, बोर्ड द्वारा राज्य सरकार को ऐसी कार्यवाही के लिए प्रस्तुत किया जायगा, जो वह उचित समझे।

(५) उपधारा (४) के अधीन प्राप्त बोर्ड के लेखों के वार्षिक विवरण की एक प्रति उस पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सहित, राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जायगी।

३१—(१) बोर्ड, ऐसे अधिकारों का प्रयोग करने, ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करने या ऐसे कृत्यों का निर्वहन करने के प्रयोजन के लिए, जो विनियमों द्वारा नियत किये जायें, ऐसी समितियां स्थापित कर सकता है जो वह उचित समझे। समितियां।

(२) बोर्ड द्वारा नियुक्त समिति उतने व्यक्तियों से मिलकर बनेगी जितने बोर्ड उस कार्य के लिए नियुक्त करना उपयुक्त समझे।

(३) बोर्ड की समिति के सदस्य की पदावधि वह होगी जो विनियमों द्वारा नियत की जाय।

(४) बोर्ड की समिति के सदस्य तदर्थ बनाये गये विनियमों के अनुसार यात्रा तथा दैनिक भत्तों के अधिकारी होंगे।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३० और ३१ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ३२

३२—यदि किसी समय बोर्ड के स्पष्टीकरण पर विचार करने के पश्चात् राज्य सरकार का, समाधान हो जाय कि बोर्ड इस अधिनियम द्वारा या इस के अधीन उस पर आरोपित किसी कर्त्तव्य के पालन करने में बार-बार चूक करता है अथवा अपने अधिकारों का अतिक्रमण या दुरुपयोग करता है तो वह सरकारी बोर्ड को विघटित करने का राज्य सरकार का अधिकार।

गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा उस के लिए अपने कारण देकर, बोर्ड को ऐसी अवधि के लिए विघटित कर सकती है जो विज्ञप्ति में उल्लिखित की जाय :—

स्पष्टीकरण—यदि राज्य सरकार ऐसा करना इष्टकर समझे तो आदेश में दी हुई विघटन की अवधि सरकारी गजट में प्रकाशित विज्ञप्ति द्वारा समय-समय पर बढ़ायी जा सकती है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३२ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ३३

बोर्ड के विघटन के परिणाम।

३३—यदि धारा ३२ के अधीन बोर्ड विघटित कर दिया जाय तो निम्नलिखित परिणाम होंगे :—

(क) सभापति सहित बोर्ड के समस्त सदस्यों के सम्बन्ध में यह समझा जायगा कि उन्होंने उस दिनांक पर, जो आदेश में उल्लिखित किया जायगा अपने पद रिक्त कर दिये हैं किन्तु इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार पुनः नियुक्ति के लिए उनकी पात्रता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़ेगा।

(ख) जब तक बोर्ड का पुनः संघटन न हो जाय ऐसा अधिकारी या प्राधिकारी जिसे राज्य सरकार तदर्थ नियुक्त करे, सभापति सहित बोर्ड के अधिकारों का यथासम्भव प्रयोग तथा कर्त्तव्यों का यथा सम्भव पालन करेगा और इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए वह बोर्ड तथा सभापति समझा जायगा।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड ३३ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ३४—३७

बोर्ड के सदस्य तथा कर्मचारी लोक सेवक होंगे।

३४—बोर्ड के समस्त सदस्य तथा कर्मचारी जब वे इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों के अनुसरण में कार्य कर रहे हों या करते हुये भावित हों, इंडियन पीनल कोड, १८६० (ऐक्ट संख्या ४५, १८६०) की धारा २१ के अर्थ में लोक सेवक (Public servants) समझे जायेंगे।

इस अधिनियम के अधीन की गयी कार्यवाही की रक्षा।

३५—इस अधिनियम के अधीन सद्भावना से किये गये या किये गये भावित (Purported) होने वाले किसी कार्य के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या विधिक कार्यवाही न की जा सकेगी।

नियम बनाने का अधिकार।

३६—(१) राज्य सरकार, पूर्व प्रकाशन के पश्चात् और सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

(२) विशेषतः तथा पूर्वोक्त अधिकारों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित, सभी या किसी विषय के लिए व्यवस्था की जा सकती है, अर्थात्

(क) बोर्ड के सभापति तथा अन्य गैर-सरकारी सदस्यों की पदावधि और उनको दिये जाने वाले भत्ते,

(ख) बोर्ड के कर्मचारियों की सेवा की शर्तें,

(ग) सचिव के अधिकार तथा कर्त्तव्य,

(घ) बोर्ड के कृत्यों से सम्बद्ध विषय,

(ङ) वार्षिक वित्तीय विवरण में समाविष्ट किये जाने वाले व्यय,

(च) बोर्ड के कार्यक्रमों तथा योजनाओं से सम्बद्ध विषय,

(छ) बोर्ड के वार्षिक वित्तीय विवरण और अनुपूरक वित्तीय विवरण से सम्बद्ध विषय,

(ज) धारा २९ के अधीन वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करना और प्रस्तुत करना,

(झ) वह आकार और रीति जिसके अनुसार धारा ३० की उपधारा (१) के अधीन बोर्ड के कृत्यों के सम्बन्ध में लेखे तथा अन्य अभिलेख रक्खे जायेंगे,

(ञ) धारा ३० की उपधारा (२) के अधीन लेखों का वार्षिक विवरण तैयार करना और उसे प्रस्तुत करना,

(ट) धारा ६ के अधीन, सदस्य को हटाने में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया,

(ठ) धारा २८ के अधीन धनराशियां उधार लेने के लिए अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया तथा पालन की जाने वाली शर्तें,

(ड) वे शर्तें जिनके अधीन और वह रीति जिसके अनुसार बोर्ड द्वारा या उसकी ओर से संविदे किये जा सकते हैं,

(ढ) कोई अन्य विषय जो नियत किया जाना या नियत किया सके।

(३) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम बनाये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब उसका सत्र हो रहा हो, एक सत्र या एकाधिक आनुक्रमिक सत्रों में कुल चौदह दिन की अवधि के लिए रक्खे जायेंगे और जब तक कि कोई बाद का दिनांक निर्धारित न किया जाय, सरकारी गजट में उनके प्रकाशन के दिनांक से ऐसे परिष्कार या रद्द किये जाने के अधीन रहते हुये प्रभावी होंगे, जो विधान मण्डल के दोनों सदन करने के लिए सहमत हों, किन्तु इस प्रकार कि कोई ऐसा परिष्कार या रद्द किया जाना नियमों के अधीन पहले की गयी किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा।

नियम बनाने का अधिकार।

३७—(१) बोर्ड, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से, इस अधिनियम तथा तदन्तर्गत बनाये गये नियमों से सुसंगत विनियम बना सकता है तथा उन्हें सरकारी गजट में विज्ञापित कर सकता है।

(२) विशेषतः तथा पूर्वोक्त अधिकार की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना बोर्ड निम्नलिखित की व्यवस्था करने के लिए विनियम बना सकता है:—

(क) बोर्ड या उसकी समितियों की कार्य-सम्पादन की प्रक्रिया,

(ख) बोर्ड के कर्मचारियों का पारिश्रमिक, भत्ते तथा अन्य सेवा की अन्य शर्तें,

(ग) बोर्ड के कर्मचारियों के कृत्यों तथा कर्त्तव्यों से सम्बद्ध विषय,

(घ) बोर्ड की समितियों के अधिकारों, कर्त्तव्यों तथा कृत्यों से सम्बद्ध विषय,

(ङ) बोर्ड की समितियों के सदस्यों की पदावधि से सम्बद्ध विषय और उन्हें दिये जाने वाले भत्ते, तथा

(च) कोई अन्य विषय जिसकी व्यवस्था विनियमों द्वारा करनी हो या की जा सके।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ३४, ३५, ३६ व ३७ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ३८

अपवाद

३८---(१) इस अधिनियम की कोई बात किसी ऐसे उद्योग पर प्रवृत्त न होगी और न प्रवृत्त समझी जायगी जिसका संघ द्वारा नियंत्रण, संसद्, विधि द्वारा लोक हित में इष्टकर घोषित करे।

(२) इस अधिनियम के उपबन्ध, खादी तथा ग्राम उद्योगों के सम्बन्ध में तत्समय प्रचलित किसी अन्य विधि के उपबन्धों के अतिरिक्त होंगे न कि उन के अल्पीकरण के लिए।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ३८ का प्रथम उपखंड निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ३८ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुसूची

[देखिये धारा २ (८) एवं ३ (१)]

१---मधुमक्खी पालन।

२---कुटीर दियासलाई-उद्योग।

३---मिट्टी की वस्तुओं का कुटीर उद्योग।

४---कुटीर साबुन उद्योग।

५---खाल उतारना, उसको सुरक्षित करना और कमाना तथा उससे सम्बन्धित अन्य सहायक उद्योग एवं कुटीर चमड़ा-उद्योग

६---घानी-तेल-उद्योग।

७---हाथ से बना कागज।

८---गन्ने का गुड़ एवं खांडसारी शक्कर बनाना।

९---ताड़ का गुड़ बनाना तथा ताड़ से बनने वाली अन्य वस्तुओं के उद्योग।

१०---अनाज एवं दाल की कुटाई, छंटाई और सफाई आदि (Processing)

११—रेशा उद्योग (नारियल की जटा के अलावा)।

१२—लोहारगीरी तथा बढ़ईगीरी [निर्माण और कार्य जिसमें शक्ति (power) का प्रयोग न हो; अम्बर चर्खा तथा उसके पुर्जों के बनाने में शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है]।

श्री अध्यक्ष—इस लिस्ट को माननीय मंत्री मान रहे हैं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—इस लिस्ट के देने की जरूरत नहीं है। बोर्ड पर हम छोड़ रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि "उत्तर प्रदेश खादी ग्राम उद्योग बोर्ड विधेयक, १९६० की अनुसूची के अन्त में निम्नांकित शब्द बढ़ाये जायं:—

(१) ईंट व खपरैल निर्माण,
(२) दर्जीगीरी,
(३) खेल के सामान का निर्माण,
(४) कत्था निकालना,
(५) सीसा व उससे बनने वाली वस्तुओं का निर्माण,
(६) टोकरी व रस्सी निर्माण,
(७) सब्जी व फल संरक्षण,
(८) खिलौना निर्माण,
(९) चूड़ी उद्योग।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुसूची इस विधेयक का अंग मानी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

शीर्षक, प्रस्तावना तथा खंड १

उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड विधेयक, १९६०

उत्तर प्रदेश में खादी तथा ग्राम उद्योगों के विकास के लिए एक बोर्ड की स्थापना तथा उससे सम्बद्ध विषयों की व्यवस्था करने के लिए

विधेयक

भारतीय गणतंत्र के ग्यारहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार तथा आरम्भ।

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड अधिनियम, १९६० कहलायेगा।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) यह धारा तुरन्त प्रचलित होगी और इस अधिनियम के शेष उपबन्ध उस दिनांक से प्रचलित होंगे जो राज्य सरकार, सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा तदर्थ निश्चित करे।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड विधेयक, १९६० (The Uttar Pradesh Khadi and Village Industries Board Bill, 1960) जैसा कि वह इस सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय।

*श्री मोतीलाल अवस्थी—श्रीमन्, जैसा कि यह पारित हुआ है, इस विधेयक का मैं विरोध कर रहा हूं और इसका कारण है बहुगुणा जी की हठवादिता कि उन्होंने इस विधेयक के संबंध में जितनी भी रायें इस पक्ष से दी गयीं चाहे वे कितनी भी अच्छी या उचित रही हों उन्होंने अपनी हठवादिता के कारण एक भी स्वीकार नहीं की। मैं यह भी आशा लगाये था कि देखूं वह कौन सी चीज को मानेंगे, क्योंकि वह कहते थे कि उचित बात को मानेंगे, लेकिन उन्होंने उसको भी स्वीकार नहीं किया। इसलिये यह जो विधेयक है यह मूलतः एक पक्षीय है, सरकार द्वारा प्रस्तावित और संख्यासुर के बल द्वारा पारित है, अतः इसमें विरोधी पक्ष की कोई राय सन्निहित नहीं है। इस आधार पर मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—श्रीमन्, इस बिल की भावनाओं और उद्देश्य का स्वागत करते हुए भी जैसा कि शुरू में हमने कहा था कि सरकार जिस नीयत से यह बिल लायी है वह बड़ी अच्छी है लेकिन हमें दुःख है कि सरकार जनता की भावना कतई भूल जाती है या वह यह सोचती है कि जो कुछ हम लिख कर लाये हैं वह चित्रगुप्त का लिखा हुआ है, उसमें एक कामा, फुलस्टाप तक घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता है। ऐसी ही भावना के कारण गलती हो जाती है और सरकार के बनाये हुए कानून हाईकोर्ट से या सुप्रीमकोर्ट से रद्द हो जाते हैं। सरकार को इतनी जल्दी होती है बिल को पास करने की कि जैसे हैजा आ गया हो। जैसा बिल पास हो रहा है उससे मैं सहमत नहीं हूं।

यहां एक बहुत छोटी सी बात अनुसूची के बारे में कही गयी। हमने खपरैल, गुड़िया, खिलौने कत्थे व लीसे का उद्योग आदि ऐसी छोटी चीजों को उसमें बढ़ाने के लिये कहा मगर उसे भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया। समझ में नहीं आता कि कौन सी दिक्कत इसमें उनको थी....

श्री अध्यक्ष—उन्होंने गुड़ तक नहीं बढ़ाया तो खपरैल क्यों बढ़ायेंगे। (हंसी)

श्री गोविन्दसिंह विष्ट—मैं सोच रहा था कि इसे वे जरूर स्वीकार कर लेंगे क्योंकि ये छोटे-छोटे उद्योग हैं मगर उन्होंने इसके लिये क दिया कि इसका निर्णय वे बोर्ड पर छोड़ते हैं। अगर बोर्ड पर ही उन्हें छ ड़ना था तो १२ चीजों की लिस्ट ही क्यों बनायी गई। हम जानते थे कि शेष उद्योगों को ग्रामीण मानने में मंत्री जी आनाकानी करेंगे इसलिये जो गोविन्द सहाय मूल्यांकन कमेटी या प्रथम पंचवर्षीय योजना में जिन्हें ग्रामोद्योग माना गया है उन्हीं को हमने अ ने संशोधन में रक्खा या उसी तरह की चीजें रक्खी लेकिन हमें दुख है कि मंत्री जी ने फिर भी उसको नहीं माना। न मालूम क्यों मंत्री जी को लीसे के उद्योग से इतनी चिढ़ है। यह छोटा उद्योग है, ३०–४० हजार रुपये में यह पनप सकता है लेकिन मंत्री जी ने इसे अनुसूची में रखने की बात नहीं मानी। जम्हूरियत का उसूल तो यह है कि (Government by discussion) लेकिन मंत्री जी कहते हैं कि "अहं ब्रह्मास्मि"। हम तो जानते हैं कि सरकार मानने वाली नहीं है और वह केवल स्वांग रचती है कि आप सुझाव दीजिये हम उन पर विचार करेंगे, इसलिये हमने सुझाव दिये थे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लेकिन इस तरह मनमानी करना कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है। याद रखिए गलत चीज चाहे अच्छे उद्देश्य के लिये हो फिर भी गलत है। जैसे आजादी की लड़ाई में लड़कों से भी नेताओं ने सत्याग्रह व एजिटेशन कराये थे अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिये। उनसे स्कूल छुड़वाये और रेल तार काटने को कहा, आज वही (Boom rang) बन कर हमारे सिर पर आया है। तो आज सरकार अगर यह कहे कि हम बहुमत में हैं इसलिये हमारी ही बात चलेगी, किसी दूसरे की अच्छे से अच्छी बात भी हम नहीं मानेंगे तो कल को जब सरकार बदलेगी तो लोग इससे ज्यादा (Vengience) से काम लेंगे। इसलिये इन बातों के खयाल से मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

*श्री ब्रजनारायण तिवारी—अध्यक्ष महोदय, मेरा जहां तक अपना अनुभव है घरेलू उद्योग धन्धों के बारे में, मुझे एक शुबहा हो रहा है कि यह सरकार अब उसको भी जड़ से समाप्त करने जा रही है क्योंकि जैसा संशोधन हमारे एक माननीय सदस्य ने रखा था कि जिन लोगों का संबंध ऐसे उद्योगों से है जैसे कपड़ा बुनना, रेशम के कीड़े पालना, या चमड़ा गलाना वगैरह, उन लोगों का बोर्ड में प्रतिनिधित्व हो, इनको उन्होंने स्वीकार नहीं किया है और साथ ही इस बोर्ड को जो अधिकार दिये गये हैं कि वह नेकनीयती से काम करे तो इस विधेयक के द्वारा वह नहीं किये जा सकते हैं। मैं प्रमाण के तौर पर कह सकता हूं कि गुड़ और खांडसारी को इसमें जोड़ लिया गया है लेकिन इस साल जो गन्ना उपकर विधेयक को पास करके व्यवस्था की गई है उसके जरिये उन लोगों पर भी सेस लगा है जो गन्ना खांडसारी में आता था। इसका मतलब यह हुआ कि शुगर कंट्रोल बोर्ड पर मिल मालिकों ने यह दबाव दिया कि यह जो गन्ना खांडसारी के बनाने में चला जाता है इससे राष्ट्र की बरबादी होती है। अगर इससे चीनी तैयार की जा सकती हो तो यह एक अच्छी चीज होगी और सरकार को भी सेस का अच्छा मुनाफा होगा। लेकिन जो गन्ना दूसरी जगह पेरा जायगा उससे सरकार को नुकसान होगा और राष्ट्र का नुकसान होगा। पहले जो कतिनें सूत काता करती थीं तो उसकी उनको मजदूरी दी जाती थी। लेकिन बाद में ऐसा हो गया कि उनको मजदूरी न देकर कपड़ा दिया जाने लगा। सूत जितना वह कातें उसको तुलवा लिया जाय और पैसे न देकर कपड़ा दिया जाय। मैं जानना चाहूंगा कि जिसका पेशा ही सूत कातना है तो वह कपड़ा लेकर क्या करेगा। यही बात रेशम के कीड़ों के संबंध में भी होगी। वह रेशम के कीड़ों का पालन पोषण करे लेकिन कपड़ा नहीं बना सकता है।

मेरा दावा है कि इस ऐक्ट के बन जाने के बाद इसके उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो सकेगी क्योंकि आजकल जो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर का झगड़ा चल रहा है उसमें बड़े-बड़े लोग सरकार को मजबूर करेंगे कि छोटे-छोटे उद्योगों के जरिये काम कराने में ज्यादा खर्चा होता है। इसलिये बड़े-बड़े उद्योगों के जरिये कराया जाय, इससे देश तरक्की कर सकता है और सरकार को भी मुनाफा हो सकता है। इसलिये मैं समझता हूं कि छोटे उद्योग धन्धे पनपेंगे नहीं बल्कि उनका ह्रास होगा। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री अमरनाथ—माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार का इस बिल का ढांचा स्वीकार किया गया है, मैं उससे सहमत नहीं हूं और माननीय बहुगुणा जी ने जो बातें कही हैं उनसे मेरा विरोध है। श्रीमन्, बोर्ड से इस बिल के अन्तर्गत गैर-सरकारी व्यक्तियों के निकालने की व्यवस्था की गई है अगर वह अधिकारों का दुरुपयोग करते हैं। लेकिन ऐसी व्यवस्था नहीं है कि अगर बोर्ड के सरकारी सदस्य अधिकारों का दुरुपयोग करते हैं तो उनको निकाला जाय।

दूसरी तरफ यह भी बात है कि सरकारी निर्देश बोर्ड के ऊपर बाउन्ड होगा और हर मामले में सरकारी निर्देश का पालन जरूरी होगा और उसकी कोई सीमा नहीं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अमरनाथ]

होगी। तो ऐसी असीमित अधिकार को देना अनुचित होगा और प्रतिबन्ध न रखना भी उचित नहीं होगा। तो हम देखते हैं कि इसके बाद इस विधेयक में कुछ नहीं है बल्कि हर मामले में सरकारी निर्देश की बात कही गई है।

दूसरी बात यह है कि इस विधेयक में जिस तरह से नियमों और विज्ञप्तियों के बनाने की बात रखी गई है कि सरकार के बनाने के बाद वह विधान सभा में रखे जायेंगे और यह भी है कि विधान सभा जिस प्रकार का उसमें परिवर्तन चाहे कर सकती है तो दूसरी तरफ़ जब इसी विधेयक में हम देखते हैं कि बोर्ड जो विनियम बनायेगा उसको विधान सभा में रखने की कोई व्यवस्था नहीं की गई है तो हम चाहेंगे कि विनियम भी नियमों और विज्ञप्तियों के समान विधान सभा में रक्खें जायं और उसमें भी जिस प्रकार का परिवर्तन विधान सभा चाहे करे तो अच्छा होगा। और मुझे एक बात और कहना है कि जो सरकारी निर्देश बोर्ड के पास जायेंगे हम समझते हैं कि वह राजनीति से परे नहीं होंगे। सरकार की तरफ से माननीय मंत्री जी ने जो दलील दी उससे पता चलता है कि मंत्री जी स्वयं इस प्रकार की राजनीतिक विचारधारा से परे नहीं हैं और जो ढांचा उन्होंने इस विधेयक में रखा है, उसका वह अपने फायदे और पार्टी के फायदे में ज्यादा इस्तेमाल करेंगे जिसका मुझे सन्देह है तो क्यों न इस विधेयक के स्थान पर दूसरा विधेयक अच्छे रूप में लाया जाय। इन शब्दों के साथ जिस रूप में यह बिल पास किया जा रहा है उसका मैं विरोध करता हूं।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--अध्यक्ष महोदय, ज्यादा कुछ कहने को इसमें है नहीं। दो बातें विष्ट जी ने कही हैं उनके संबंध में कुछ कह दूं।

उन्होंने कहा कि जो अनुसूची उन्होंने प्रस्तावित की उसको मैंने स्वीकार न करके हठवादिता का परिचय दिया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम लोगों ने जो सेंट्रल बोर्ड की अनुसूची है, और जो सेंट्रल ऐक्ट है जिसके मातहत खादी कमीशन बना है, उसके अनुरूप निश्चित करने की कोशिश की है क्योंकि जिन चीजों के लिये वह सहायता देंगे, उन चीजों को रखकर ही हम काम करेंगे ताकि पैसे के लेन-देन में, और काम में कोई दुश्वारी न हो। हठवादिता की कोई बात नहीं है।

नम्बर दो। इसमें एक क्लाज बढ़ा दिया गया है कि अन्य कोई चीज आ सकती है। बोर्ड विचार करके हमको देगा तो बढ़ाया जा सकता है। कमीशन से हमें भी कहने का मौका रहेगा कि बोर्ड की यह राय है।

लीसा की बात उन्होंने कही। लीसा को स्माल स्केल और काटेज इंडस्ट्री के रूप में चलाने की बात है, वह उस तरह से चल रहा है। रानी खेत, कोटद्वार, ऋषीकेश, श्रीनगर, गढ़वाल, इन सभी के संबंध में अगर उनको जानकारी न हो, तो मैं बता दूं, क्योंकि मैं वहीं पैदा हुआ, इसलिये जानकारी है, उनको मदद दे रहे हैं।

एक बात यह कही गयी कि गुड़ और खांडसारी का नाम मंजूर नहीं किया इसलिये मैं विरोध करता हूं। आप देखेंगे कि अनुसूची में रखा हुआ है, आठवें स्थान पर। जब उसमें है तो जो पैसा दिया जायगा गुड़ और खांडसारी उद्योग के लिये भी दिया जायगा। इस ऐक्ट के मातहत जो भी काम करेंगे सबको पैसा दिया जायगा। उसमें खांडसारी और गुड़ भी शामिल है। तो झगड़े की बात कहां आती है? यह कह कर साबित करना कि खांडसारी और गुड़ उद्योग उन्हीं लोगों की बदौलत बना हुआ है और हम लोग उसके विरुद्ध काम कर रहे हैं यह विडम्बना है, अनुचित है और सत्य से परे है। मुझे आशा है कि सदन मेरे प्रस्ताव को स्वीकार करेगा।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड विधेयक, १९६० [Uttar Pradesh Khadi & Village Industries Board Bill, 1960], जैसा कि वह इस सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और विभाजन की मांग होने पर घंटी बजायी गयी ।)

श्री अध्यक्ष--जब तक इसके ऊपर राय न ले ली जायगी तब तक सदन का समय पांच बजे के बाद बढ़ा दिया जायगा । उसके बाद आध घंटे का विवाद आरम्भ होगा ।

(प्रश्न पुनः उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ :

पक्ष में--१२८,

विपक्ष में--१५ ।)

२३ मार्च, १९६० के अपने तारांकित प्रश्न संख्या ४८-४९ पर श्री रामस्वरूप वर्मा द्वारा उठाये गये प्रश्न के विषय में नियम ५० (१) के अन्तर्गत विवाद

*श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)--माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के संबंध में तीन चार बातें बहुत खास हैं । इसके पहले कि मैं आपके द्वारा सदन के सम्मुख इस संबंध में जो अनियमिततायें हुई हैं, जो गड़बड़ियां हुई हैं, उनको रखूं, यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने वाराणसी में इस प्रकार लाखों की संपत्ति का नुकसान होने के संबंध में १-४-६० को एक पत्र तमाम शेड्यूल उसके साथ लगाकर के माननीय स्वायत्त शासन मंत्री के पास भेज दिया था । अब तक उसका उत्तर नहीं मिला है । क्या स्थिति है यह तो अपने उत्तर में माननीय शर्मा जी बतलायेंगे । लेकिन इस संबंध में जो वाराणसी में जी० टी० रोड का ठेका दे दिया गया था उसमें कितनी अनियमितता हुई है और किस प्रकार से वहां के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने पक्षपात करके एक ठेके को कैंसिल करके दूसरा ठेका स्वीकार किया ।

(इस समय ५ बजकर ३ मिनट पर श्री अध्यक्ष चले गये और अधिष्ठाता, श्री बेचन-राम गुप्त, पुनः पीठासीन हुए ।)

इसमें हजारों रुपये का नुकसान हुआ, इस संबंध में दो तीन बातें द्रष्टव्य हैं । मैं आपके द्वारा माननीय शर्मा जी से भी निवेदन करूंगा कि वह इस संबंध में सभी बातें मालूम कर चुके होंगे और आश्वस्त होंगे कि इसमें बहुत भारी गड़बड़ी हुई है ।

श्रीमन्, इसमें दो तीन तर्क हैं । ठेका क्यों कैंसिल किया गया ? जब कैंसिल किया गया तो दूसरे को क्यों दिया गया ? इसका सफाई होनी चाहिये । हमारे प्रश्न के उत्तर में यह कहा गया था कि श्री एस० एन० राय एक ठेकेदार थे । उनका औसत रेट साढ़े दस फुट रोज था जबकि दूसरे सज्जन का ११ फुट से ज्यादा था । मैं बहुत विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं श्रीमन्, कि अगर देखा जाय तो श्री एस० एन० राय ने ५५-५६ में सात महीने काम किया । ८ हजार फुट सीवर लाइन बनायी । ५६-५७ में काम शुरू नहीं हुआ क्योंकि जून ५६ से नवम्बर ५७ तक काम बिलकुल बन्द रहा । इसलिये कि सरकार के पास पैसा नहीं था और समय के अन्दर उसके पास पैसा न होने की वजह से ठेकेदार को काम बन्द रखना पड़ा । इसकी जिम्मेदारी ठेकेदार पर नहीं है । अब इसके बाद ६ महीने के अन्दर ठेकेदार ने करीब-करीब ६० हजार फुट सीवर लाइन डाली होगी । अगर उसका हिसाब लगाया जाय श्रीमन् तो जो हमारे पास रपट है उसके

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

[श्री रामस्वरूप वर्मा]

हिसाब से एस० एन० राय ने ५,२०० फीट सीवर लाइन डाली जो ३० फीट की गहराई तक बनायी गयी थी १२ फीट से लेकर और मुझे यह कहने में हिचक नहीं है कि २,५०० फीट जो सीवर लाइन श्री राय ने डाली ६ महीने के अन्दर वह भी इसमें शामिल है। तो यह मेरी समझ में नहीं आता कि वहां के इंजीनियर के दिमाग में कौन सी बात आयी कि जिसके कारण उसने यह समझ लिया कि ये बाकी की सीवर लाइन नहीं डालेंगे। उसके काम का औसत ३० फीट पड़ता है और उसके बाद जब उस ठेकेदार ने इंजीनियर से निवेदन किया कि उसकी मियाद बढ़ा दी जाय क्योंकि बरसात की वजह से लाइन नहीं डाली जा सकी और इसलिये उसकी मियाद दिसम्बर से अप्रैल तक के लिये बढ़ा दी जाय, तो इंजीनियर साहब ने उस बात को मानने से इन्कार कर दिया और जुर्माना शुरू कर दिया और जनवरी में उसका ठेका कैंसिल कर दिया। जब ठेका कैंसिल हो गया और काम होता रहा तो इंजीनियर महोदय ने कोई टेंडर इनवाइट किये बिना, और अगर किये भी हों तो इतने शार्ट नोटिस पर कोई टेंडर अच्छी तरह से नहीं आ पाये होंगे, एक दूसरे ठेकेदार को वह ठेका दे दिया और क्या रेट्स पर दिया यह देखा जाय। मैंने एक पत्र भी भेजा है और माननीय मंत्री जी का उत्तर मेरे पास है। उस हिसाब से देखा जाय कि ५ फीट से लेकर ३० फीट तक के जो रेट्स दिये गये हैं हजार फीट के हिसाब से, वह पहले ठेके के हैं और इसमें सिर्फ २० से २५ फीट तक की खुदाई और १५ से २० फीट तक की खुदाई दूसरे ठेकेदार को दी गयी है। रेट्स की तालिका इस प्रकार है। ५ फीट से १० फीट तक की गहराई रेट्स ३० रुपया सरकारी रेट है, श्री राय को ठेका दिया गया था। ४० रुपये का टेंडर श्री महन्तसिंह नाम के दूसरे ठेकेदार का था। १० से १५ फीट तक की गहराई का सरकारी रेट ३५ रुपया है। श्री एस० एन० राय का रेट ३५ रुपये का था, श्री महन्त सिंह का रेट ५० रुपया था। १५ से २० फीट तक की गहराई का सरकारी रेट ४० रुपया था, श्री राय का रेट ३७ रुपया था, और श्री महन्त सिंह का रेट ८० रुपया था। २० से २५ फीट तक का सरकारी रेट ४५ रुपया, श्री राय का टेंडर ५० रुपया और श्री महन्त सिंह का १०० रुपये का था। २५ से ३० फीट तक का रेट सरकारी ५० रुपया है, श्री राय का रेट ५५ रुपये का था। तो यह ध्यान देने की बात है। यह जो श्री महन्त को बढ़े हुए रेट पर ठेका दिया गया श्री राय के मुकाबले में इससे हजारों रुपये का सरकार का नुकसान हुआ है।

इसके साथ ही एक और बड़ी चीज है। क्लोज्ड टिम्बरिंग जो होती है दीवालों को गिरने से रोकने के लिये उसमें तख्ते लगाये जाते हैं। उनमें से कुछ तो निकल आते हैं और कुछ उसी में रह जाते हैं। मेरे पास जो आंकड़े हैं उनके हिसाब से एक सौ फीट का सरकरी रेट ३५ रुपया है। उनका ५० रुपये का ठेका श्री राय को दिया गया और १५० रुपये का ठेका श्री महन्त सिंह को दिया गया। जो तख्ते निकलते नहीं हैं काम के पूरे होने पर उनके लिये सरकारी रेट १५० रुपये का है, श्री राय को यह ठेका १३५ रुपये पर दिया गया, लेकिन वही ठेका श्री महन्त सिंह एण्ड सन्स को ५०० रुपये पर दिया गया। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि कौन सी ऐसी लकड़ी थी जो इसमें लगायी गयी थी और उसका दाम ५ रुपये वर्ग फीट के हिसाब से लगाया गया है। मैंने कई इंजीनियरों से पूछा, पता चलाया और यह पाया कि ३ रुपये प्रतिवर्ग फीट से ज्यादा कोई लकड़ी ही नहीं होती। लेकिन इसमें ५ रुपये के हिसाब से रुपया दिया गया। एक बारीकी यह रह गयी कि क्लोज टिम्बरिंग में और खुदाई में ज्यादा ठेका दिया गया। महन्त ऐण्ड संस ने ६ महीने में बनाया, जबकि ४ महीने में पूरा होना चाहिये था। इंजीनियर महोदय ने यही ठेका कैंसिल नहीं किया, और भी उदाहरण मैं दे सकता हूं। बरुणा नदी के कुएं बनाने का ठेका २ वर्ष के लिये एक ठेकेदार को दिया था। ठेकेदार ने समय पर काम नहीं किया। तब उन्होंने दोबारा टेंडर इनवाइट करके उनको ठेका फिर दे दिया। यह चीज यहां भी हो सकती थी, लेकिन जिस बेचारे ने ठेका लिया वह

बहुत कस के लिया तो वह कहां से इंजिनियर साहब का पेट भरे और ओवरसीयर को कहां से रिश्वत दे। तो उसका ठेका गैर-कानूनी ढंग से जबरदस्ती काट दिया गया।

श्री अधिष्ठाता––माननीय सदस्य संक्षेप में ही कहें क्योंकि इसके लिये समय कम है।

श्री रामस्वरूप वर्मा––मैं खत्म ही कर रहा हूं।

आखिरी बात यह है कि यह भी देख लिया जाय कि जो इसमें रेट दिया हुआ है वह भी फिक्टीशस है। खुदाई और टिम्बरिंग का रेट भी नहीं है। ६४ हजार रुपये में इस रेट पर पड़ता, यह बांड में लिखा हुआ है महन्त ऐण्ड संस के, और पेमेन्ट १,२१,५०० कर रहे हैं, ९–१० हजार और करने जा रहे हैं, १ लाख ३० हजार हो जायगा। यह कैसे हुआ? कहा गया कि खुदाई में गड़बड़ी हो गयी। २५ से ३० फीट पर ढाई हजार फीट एस० एन० राय ने खोदा तो उसकी कोई कीमत नहीं, जितना पानी उलीच कर निकाला उससे ज्यादा गहराई पर कोई जरूरत नहीं थी। तो सरकार ने यह काम ऐसे इंजीनियर के सुपुर्द कर दिया जिन्होंने ऐबनार्मल रेट्स बढ़ा करके खूब मुनाफा उठाया। एस० एन० राय को पैसा नहीं मिला, उसका रेट कम हो गया। उसमें बाद में दो आदमी भी मर गये। कहा गया कि यह मजदूरों की जिम्मेदारी है, लेकिन वह इंजीनियरों की जिम्मेदारी थी। अगर ठेके को कम न करते तो यह दुर्घटना भी न होती।

तो इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए और यह ध्यान में रखते हुए कि यह वही इंजीनियर हैं जो हरदोई से इसी तरह की गड़बड़ी के काम में रिवर्ट करके असिस्टेन्ट इंजीनियर बना दिये गये थे, आज वह शान से कमा खा रहे हैं और सरकार को लाख रुपया साल का नुकसान पहुंच रहा है और हजारों रुपया खा रहे हैं? मैंने सूची जो भेजी है उससे स्पष्ट हो जायगा, आखिर ऐसे शख्स के खिलाफ सरकार ने क्या कार्यवाही की वह सरकार बताये।

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)––श्रीमन्, माननीय रामस्वरूप जी का भाषण सुन कर के मैं हैरान था कि किस तरह से भले आदमियों को गुमराह किया जा सकता है। वह अच्छे आदमी हैं, कोमल हृदय है उनका, सज्जन हैं बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं लेकिन अगर उन्होंने थोड़ा-सा भी हमसे पूछ लिया होता तो वह इस गलती में न पड़ते और मैं तो यही कहूंगा कि अंग्रेजी का एक मुहाविरा है। अंग्रेजी से उन्हें नफरत है, लेकिन वह यह है कि

"He is a very unfortunate victim of confidence trick."

उनके भोले भालेपन से सीधे-सीधेपन से नाजायज फायदा उठाया गया है।

उनके कहने का मतलब यह है कि वह भला आदमी था, बहुत अच्छा काम कर रहा था, उससे कुछ काम छीन लिया और एक ऐसे आदमी को दे दिया जिससे पैसा मिल गया और वह इंजीनियर ने खा लिया। श्रीमन्, जो घटनाएं हैं अगर वह मैं सदन के सामने रखूं, मुझे मालूम नहीं कि १५ मिनट में मैं कह भी सकूंगा या नहीं, इसलिए संक्षेप में कहता हूं। बाद में अगर वह प्रश्न पूछेंगे तो डिटेल्स भी पढ़ कर सुना दूंगा।

सात महीने के लिए इन सज्जन को ठेका दिया गया था। एक दूसरे भाई, जिनको कहा जाता है कि उनसे मिल करके पैसा खाया गया है, उनसे भी उसी वक्त टेण्डर (tender) लिया गया था। ये सज्जन ब्लैक-लिस्टेड थे और उनका विवाद हमारे विभाग के साथ महीनों चला, बरसों चला, ३ साल, ५ महीने तक चला। इसके बावजूद उन्होंने फिर नोटिस दी, हमको कोर्ट में जाने की धमकी दी और अब भी शायद जाना चाहें लेकिन उनका केस इतना कमजोर है कि शायद उनकी कोर्ट में जाने की हिम्मत न पड़े। वह छः सात आठ बार मेरे पास आये, न मालूम कितनी तरह से आये, भूदान वर्कर्स की मार्फत आये, सर्वोदय वर्कर्स की मार्फत आये, गांधी आश्रम

[श्री विचित्रनारायण शर्मा]

की मार्फत आये लेकिन सब कुछ देखने के बाद मुझे कोई जान ही नहीं मिली और मैं उनकी मदद नहीं कर सका। कहने का मतलब यह है कि कहा गया कि ठेका मिलने वाले को दे दिया, तो अगर यही नीयत होती तो जैसे सात महीने का टाइम हुआ था उसकी जगह एक-दो महीने और लोगों को धोखा देने के लिये इन्हें दे देते। दूना टाइम दे देते। पर यहां तो ४१ महीने तक उनसे काम कराते रहे और उसके बावजूद फिर भी उनसे कराना चाहते थे। हमारे पास रिकमेन्डेशन आई जिसमें दूसरे ठेकेदार से भी कराने का फैसला किया, उसमें वहां के इंजीनियर्स ने कहा कि इनके रेट्स सस्ते हैं, इनसे भी कुछ काम करा लीजिये, नुकसान नहीं होगा। लेकिन सरकार ने उसे अनुचित समझा क्योंकि जो लास हो रहा था सरकार को वह इनकी मेहरबानी से ही हो रहा था। तीन साल ५ महीने तक लटका कर रखा, सन् १९५५ में ठेका दिया गया और १९५९ में उसको खत्म करना पड़ा। सरकार की चवायस यही थी कि इनसे करायें या दूसरे से करायें। दुर्भाग्य से वे इतने सीधे-सादे नहीं हैं जितना कि रामस्वरूप जी ने उनको समझ लिया है। उनके खत पढ़कर मैं सुनाना चाहता हूं जिसके कारण कि आखिरी वक्त में जाकर राय साहब से काम लेना मुश्किल हो गया। समय की कमी के कारण सिर्फ हवाला ही देता हूं :

"That during the excavation of earth I am encountered with sub-soil water after a depth of 101 from the ground level.

That creates great difficulty in doing the work and I am put to four times more cost than the excavation of pure earth".

उनका कहना था कि चार गुना खर्च करना पड़ रहा है क्योंकि पानी निकल रहा है।

"That I have to bail out sub-soil water and mud from the bed of trenches, upto the ground floor for a depth of 15 feet. I, therefore, request you to pay me extra of Rs.100 per cent Cft. of excavation for the depth from 10 feet to 25' deep."

उनको खयाल ही नहीं था कि इतना नीचे जाना पड़ेगा। जैसे ही पानी आने लगा और पानी में से मिट्टी निकालनी पड़ी तो वह उनसे हो ही नहीं सका।

"I hope that you will take immediate action regarding the approval of the above rate so that I may push on the work otherwise I shall not be able to do the vailing out of sub-soil water and mud without getting extra rate any further.

If the rate is not settled and approved within a week I shall be helpless to continue the work."

इसके दो-चार दिन के बाद फिर उनका खत आता है।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---व्यवस्था का प्रश्न है। दफा ५० के मातहत जो विवाद हो रहा है उसमें ५ मिनट का समय लिखा हुआ है और यह कि मन्त्री जी संक्षेप में उत्तर देंगे और उसके पहले प्रश्न करने वाले का भी संक्षेप में वक्तव्य होगा। तो ३० मिनट में से १० मिनट तो प्रश्नकर्त्ता ने ही ले लिये और १० मिनट मन्त्री जी ले रहे हैं तो फिर बाद में कुछ समय नहीं बचेगा।

श्री अधिष्ठाता---आपका मतलब यह है कि संक्षेप में ही भाषण करते हैं। मैंने पहले ही निर्देश कर दिया था और अब आप भी ५ मिनट बर्बाद कर रहे हैं।

श्री मोतीलाल अवस्थी---आप इस सम्बन्ध में व्यवस्था दें।

श्री विचित्रनारायण शर्मा---श्रीमन्, संक्षेप में भी कहने के लिये भी कुछ समय तो लगता ही।

श्री अधिष्ठाता—मैंने वर्मा जी को पहले ही टोका था कि आप संक्षेप में कहें, उन्होंने कहा कि मैं खत्म कर रहा हूं लेकिन फिर भी उन्होंने १५ मिनट ले लिये।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—श्रीमन्, यह मैं संक्षेप में उनके लेटर से पढ़ रहा हूं :

"I wish to draw your kind attention to the practical difficulties that have disturbed the programme of the above, That from the very start of this work I have been facing some strata of hard soil mixed with kankar and kankar-bajri, for which I have been intimating the authority. As per bond, I have to do earth excavation only and the rate is only for earth work. This hard strata of soil took four times costs and has become a new item. I have asked for different rate in my claim as well as letter dated 10th July, 1956. That from doing excavation work onwards from Alipore Railway, station up to the end of Brick Sewer at Rajghat all along the trenches after a depth of 11 feet sub-soil water begins to come out from the trenches."

उसका उन्होंने हवाला दिया है कि मेरे पास बाल्टी नहीं है, सिर पर लाना पड़ता है, इत्यादि।

अन्त में उनका लास्ट स्ट्रोक है कि :

"This process takes 5 times extra labour than pure earth work."

फिर उनसे टिम्बरिंग के लिये कहा गया कि नजदीक-नजदीक करो, इसके बिना मिट्टी नहीं रुक सकती है। इसे उन्होंने करने से इन्कार किया और २ आदमी दब कर मर गये। उससे उनकी हिम्मत बिलकुल टूट गई। उसके बाद सरकार के सामने सवाल आया कि यह काम किससे कराया जाय। सबको मालूम हो गया कि ठेकेदार पास नहीं आना चाहता है। तीन साल इसमें निकल गये और १९५९ में रेट्स में अन्तर हो गया। यह अपनी टर्म्स डिक्टेट करना चाहते थे। रास्ता हमारे सामने यही था कि हम दूसरे आदमी से करावें जिसके पास साधन हों। वह श्री महन्ती मिले और उनकी यह शराफत है कि उन्होंने १९५९ के दाम नहीं मांगे और १९५५ के दाम जो उन्होंने कोट किये थे वे मांगे। उसी पर उन्होंने काम लिया। उस समय हमारे हिसाब से उसकी कीमत आती थी १,११,०८७ रुपये। अगर हम श्री एस० एन० राय से कराते तो उसकी कीमत आती १,०९,२३१ रुपये। दूसरे, उन्होंने यह मांग की कि आपने ५ फीट का हमको बतलाया है, अब ऊपर से मिट्टी गिरी है, इस सबको नपाइये। इससे हमारा दिवाला निकल जाता। इसलिये हमने कहा कि इस आदमी से काम लेना दिक्कत तलब होगा। मिस्टर महन्ती का था १,२१,९०० रुपये। अगर हम एस० एन० राय से काम कराते तो उनको पैनेलाइज नहीं कर सकते थे।

लकड़ी वगैरह के लिये कोटेशन्स लिये गये। लेकिन चूंकि समय बहुत कम है, मैं उसकी सारी वर्किंग नहीं दे सक रहा हूं। एक-एक चीज टिम्बरिंग की कैलकुलेट करके हिसाब लगाया गया है और ५ रुपये उस टिम्बरिंग के लिये हैं जो कि निकाला नहीं जा सका। फिर, क्यूबिक फुट है, न कि स्क्वायर फुट जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है। बाजार में ६, ७ फुट के तख्ते मिलते हैं। इन्हें ८ फुट २ इंच के तख्ता की जरूरत थी ताकि मिट्टी के बोझ को रोका जा सके। बीच में साल की लकड़ी लगायी जाती है और उन सब की रिसेल वैल्यू (उन तख्तों की) होती है। तख्तों को चार-चार बार यूज किया जाता है। चार बार उनके पानी और मिट्टी रखने के बाद उनकी ऐसी हालत हो जाती है कि उनको वहीं के मजदूर बाद में जला देते हैं। यह सब का ही एक्सपीरियेंस है। इस पर भी १ रुपया ५ आना उनकी वैल्यू लगायी गयी जो कोई ज्यादा नहीं थी।

[श्री विचित्रनारायण शर्मा]

वरुणा के पास की दूसरी बात थी। वहां के स्पेसीफिकेशन्स हमें बदलने पड़े। वहां का सीवर कम चौड़ा था, उसको बढ़ाना पड़ा। सोचा गया कि शहर बढ़ेगा और वहां पर वेट बढ़ जायेगा, इसलिये वहां का सीवर चौड़ा किया गया और स्पेसीफिकेशन्स को बदलना पड़ा। यह ठेका महन्ती को इसलिये दिया गया कि उसी का रेट सबसे कम था। जो पहला काम था उसको वे कम्प्लीट कर चुके थे। ये सब चीजें हैं। इसके बारे में मेरे पास काफी इनफार्मेशन है लेकिन समय कम होने से उनको इस समय बता नहीं सकता हूं। अगर उनको पनिश करने की दृष्टि से यह सब किया जाता तो फिर से उसको काम कराने के लिये रिकमेंड न किया जाता।

श्री रामस्वरूप वर्मा---क्या माननीय मंत्रीजी यह बतायेंगे कि खराब टिम्बर के रेट में जो यह फर्क है कि राय को तो एक डेढ़ रुपया दिया गया और महन्ती को ५ रुपया दिया गया, ऐसा क्यों किया गया ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---वह तो सब हिसाब लगाने के बाद ५ रुपया रेट आता था जो उसको दिया गया। उसमें से कुछ ऐसा होता है जो निकाला ही नहीं जाता और उसका रेट यही आता है।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---प्रश्न स्पष्ट है। टालमटोल करने की आवश्यकता नहीं है। मंत्री जी बतलायें कि एस० एन० राय के तख्ते डेढ़ रुपया और महन्ती के तख्ते ५ रुपये के हिसाब से क्यों लगाये गये, यह अन्तर क्यों था ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---श्रीमन्, अन्तर नहीं हुआ। सारे के सारे स्पेसीफिकेशन प्राप्त किये गये थे। बाद में उसी हिसाब से आता है १ लाख ९ हजार। उसी हिसाब से एक एक आयटम केलक्युलेट किया गया था। महन्ती का १ लाख २१ हजार आता था, एस० एन० राय का १ लाख ९ हजार आता था और सरकार का आता था १ लाख ११ हजार।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---क्या माननीय मंत्री जी, जैसा कि रामस्वरूप जी वर्मा ने कहा कि लकड़ी का रेट ज्यादा दिया गया है, इसकी जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---इसकी आवश्यकता नहीं है। वहां सब कोटेशन्स दिये गये हैं। उन सब को देखने के बाद ही यह बताया गया है।

श्री राजनारायण---क्या यह सही है कि २० फीट से २५ फीट की गहराई जो खोदने में की गयी, उसके लिये राय को केवल ५० हजार रुपया दिया जा रहा था लेकिन बाद को महन्ती को उसी के लिये १ लाख २१ हजार रुपया दिया गया ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---एस० एन० राय ने तो चौगुनी-पांच गुनी कीमत मांगी थी और काम करने से ही इंकार कर दिया था। तभी इसको दिया गया।

श्री रामस्वरूप वर्मा---क्या यह सही है कि एस० एन० राय ने ढाई हजार फीट की सीवर लाइन ३० फीट की गहराई में डाली ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---१५० फीट में कुछ ज्यादा डेप्थ है शेष कम है। उसमें भी उसने ठीक से काम नहीं किया। ९ महीने तक वह काम न कर सका। उसको नोटिस दिया गया। पेनाल्टी उस पर लगायी गयी लेकिन फिर उसको माफ कर दिया गया। अगर उससे काम न कराना होता तो पेनाल्टी उसकी माफ न की जाती।

श्री मोतीलाल अवस्थी---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह जो पेनाल्टी उनसे वसूल हुई, उसके वसूल होने के बाद भी सरकार ने क्या उचित समझा कि दूसरे ठेकेदार को यह दे दिया जाय ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---श्रीमन्, चार बार पेनाल्टी लगायी गयी और चारों बार माफ की गयी। जब अन्त में ठेका ले लेना पड़ा और उसने काम करने से इन्कार कर दिया, उस हालत में फिर यह सोचा गया कि उन्हें पनिश किया जाय।

श्री रामस्वरूप वर्मा---क्या यह सही है कि एक्जीक्यूटिव इंजीनियर जिनके द्वारा यह ठेका दिया गया था और कैंसिल किया गया, इसके पूर्व जब वे हरदोई में थे तो सरकार ने किसी अभियोग में उनको पदावनति करके उनको असिस्टेंट इंजीनियर बना दिया था? यदि हां, तो वे क्या कारण थे और फिर क्यों उनको एक्जीक्यूटिव इंजीनियर बना दिया गया?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---श्रीमन्, इस समय मुझे इसकी कोई सूचना नहीं है। लेकिन इन सारी चीजों का कंट्रोल लखनऊ से हमारे चीफ इंजीनियर और सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर द्वारा होता था। उस गरीब बेचारे का उसमें कोई हाथ नहीं था।

श्री अधिष्ठाता---अब हम उठते हैं, कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बज कर ३१ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
७ अप्रैल, १९६०।

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या २४–२५ का उत्तर पीछे पृष्ठ २७३ पर)

जिला जेल, जौनपुर के गैर-सरकारी निरीक्षकों के नाम	योग्यता
१—श्रीमती सरोजनी देवी सिनहा ..	.. विद्या विनोदिनी
२—श्री मुहम्मद इब्राहिम ..	.. हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण
३—श्री शम्भू नाथ, मुख्तार	.. हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण
४—श्री केशव प्रसाद उपाध्याय, प्रिंसिपल एच० एस० एस० खुदौली, खेता सराय	.. एम० ए०
५—श्री सूर्यमणि दुबे, वकील	.. बी० ए०, एल-एल० बी०

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ४३ का उत्तर पीछे पृष्ठ २७८ पर)

उत्तर रक्षा योजना के अन्तर्गत राज्य में ३१-१२-५९ तक निम्नलिखित स्थानों पर महिलाओं के लिए उत्तर रक्षा गृह तथा जिला शरणालय एवं प्रवेशालय खोले गये हैं—

उत्तर रक्षा गृह	जिला शरणालय एवं प्रवेशालय
१—मेरठ	१—उन्नाव
२—लखनऊ	२—वाराणसी
३—देहरादून	३—सीतापुर
	४—इलाहाबाद
	५—बरेली
	६—गोरखपुर
	७—गाजीपुर
	८—फैजाबाद
	९—अल्मोड़ा
	१०—हल्द्वानी (नैनीताल)
	११—कोटद्वार (गढ़वाल)
	१२—उत्तरकाशी

उत्तर रक्षा गृह, मेरठ में अशोधक (non-correctional) एवं उत्तर रक्षा गृह, लखनऊ में शोधक (correctional) संस्थाओं से उन्मुक्त महिलाओं को प्रविष्ट किया जाता है। उद्धारित महिलाओं के लिये गृह, देहरादून में नैतिक संकट से छुड़ाई गई तथा अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम के अन्तर्गत उद्धार की गई महिलाओं को रखा जाता है। जिला शरणालय एवं प्रवेशालयों में ऊपर वर्णित सभी श्रेणी की महिलाओं को रखा जाता है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५२ का उत्तर पीछे पृष्ठ २८० पर)

क्रम-संख्या	नाम लेखपाल	प्रार्थना-पत्रों की संख्या	शिकायती प्रार्थना-पत्रों की विषय-वस्तु	की गयी कार्यवाही का ब्योरा
१	२	३	४	५
१	श्री शिव नरेश लाल	४	लेखपाल अपने घर के पास के क्षेत्र में काम कर रहा है तथा जनता से नाजायज सहायता लेता है।	तहसीलदार द्वारा जांच कराई जा रही है अभी जांच पूरी नहीं हुई है।
२	श्री गोरखनाथ	१	गलत इन्दराज और लेन-देन की शिकायत।	तहसीलदार द्वारा जांच कराई जा रही है। अभी जांच पूरी नहीं हुई है।
३	श्री जैबुद्दीन	१	गलत इन्दराज और लेन-देन की शिकायत।	तहसीलदार द्वारा जांच की गयी। शिकायत गलत पायी गयी। प्रार्थना-पत्र खारिज किया गया।
४	श्री रामदुलारे चन्द्र	१	खसरे में ठीक इन्दराज न करने की शिकायत।	तहसीलदार द्वारा जांच कराई गयी। शिकायत गलत पाई गयी। प्रार्थना-पत्र खारिज किया गया।
५	श्री बच्चा लाल	१	गलत इन्दराज करने की शिकायत।	तहसीलदार द्वारा जांच कराई गयी। शिकायत गलत पायी गयी। प्रार्थना-पत्र खारिज किया गया।
६	श्री अवध बिहारी लाल	१	पार्टीबंदी में रहने की शिकायत।	तहसीलदार द्वारा जांच कराई गई। शिकायत कुछ अंश तक सत्य पाई गयी। लेखपाल का स्थानान्तरण किया गया है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम-संख्या	नाम लेखपाल	प्रार्थना-पत्रों की संख्या	शिकायती प्रार्थना-पत्रों की विषय-वस्तु	की गयी कार्यवाही का ब्योरा
१	२	३	४	५
७	श्री विन्द्रा प्रसाद	१	पेड़ काटने के बारे में शिकायत।	उप-मंडलाधीश द्वारा जांच की गयी। शिकायत गलत पाई गई।
८	श्री बद्री लाल	१	गलत इन्दराज करने की शिकायत।	शिकायत से पूर्व लेखपाल का स्थानान्तरण कर दिया गया था अन्य कार्यवाही की आवश्यकता नहीं समझी गयी। प्रार्थना-पत्र दाखिल दफ्तर किया गया।
९	श्री नरेन्द्र बहादुर	१	पार्टीबंदी में भाग लेने की शिकायत।	उप-मंडलाधीश द्वारा जांच की गयी। शिकायत गलत पाई गयी।
१०	श्री काशी प्रसाद	१	गलत इन्दराज करने की शिकायत।	तहसीलदार द्वारा जांच की गयी। शिकायत गलत पायी गयी।
११	श्री त्रिवेनी लाल	१	गलत इन्दराज करने की शिकायत।	तहसीलदार द्वारा जांच की गायी। शिकायत गलत पायी गयी।
१२	श्री शंकरदास पान्डेय	१	गलत इन्दराज करने की शिकायत।	तहसीलदार द्वारा जांच कराई गयी। शिकायत गलत पायी गयी।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६१ का उत्तर पीछे पृष्ठ २८३ पर)

नाम टेस्ट वर्क	व्यय की धनराशि
	रु० न० पै०
तहसील सदर—	
(१) चितहरी थूनी बांध	५८,९५७ ३५
(२) भगनें कटसिकरा बांध	२०,५८३ ३५
(३) राजधानी बांध	३९,२९९ ६९
(४) पिपरौली-जैतपुर रोड	१,७६१ १८
(५) भौवापार बांध	४५४ ०३
तहसील बांसगांव—	
(१) सहुवानाला बांध .. .. .. (ददरी और बैरिया के बीच)	३,६५६ ००
(२) कोठा रकहत बांध	२१,७५८ ३५
(३) सहुवानाला बांध .. .. .. (मेसहट से सेमरा के बीच)	७६७ ५०
(४) सहरिया-गजपुर सड़क	१०,२४६ ८३
तहसील महाराजगंज—	
(१) चेहरी बांध	५,३३४ ७१
(२) श्यामदेवरावा बड़हरा बरईपार सड़क	१०० ००
(३) बभनौली बुजरूग खाई	*
तहसील फरेन्दा—	
(१) नगवां बांध	१५,७३० ८७
(२) मखनहां बांध	१५,२५१ ००
(३) बैलसर रिगौली बांध	४,७१० ००
(४) पनघटिया करमैनी घाट बांध	३,१८३ ००
(५) टेढ़ीघाट बांध	*

*इन पर काम को नाप नहीं हो सकी थी। अतः व्यय कितना हुआ यह नहीं कहा जा सकता।

विधान सभा प्रदेश

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६७ का उत्तर पीछे पृष्ठ २८४ पर)

आजमगढ़ जिले में खरीफ १३६७ को अवर्षण के कारण जो हानि हुई है उसका तहसीलवार ब्योरा निम्नलिखित तालिका में दिया हुआ है:

तहसील का नाम	ग्रामों की जिनमें क्षति हुई की मात्रा रुपये में		
	५० नये पैसे या उस से अधिक थी	४० नये पैसे और ५० नये पैसे के बीच थी	४० नये पैसे से कम थी
१—सदर ..	८७५	..	५६
२—फूलपुर ..	१,०४२	..	..
३—लालगंज ..	८४७	..	१३
४—मुहम्मदाबाद ..	६५६	९१	२५४
५—घोसी ..	६०४	१३६	१०६
६—सगड़ी ..	५४१	२१५	२१७
योग ..	४,५६६	४४२	६४६

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या १०३ का उत्तर पीछे पृष्ठ २९० पर)

अनुसूची 'क'

प्रतिलिपि

सेवा में,

माननीय मुख्य मंत्री,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

द्वारा—परगनाधीश, सलेमपुर (देवरिया) ।

महाशय,

जिला देवरिया व तहसील सलेमपुर में खास कर भदई की फसल जिस बृहद् रूप में मारी गई है उसका असली असर आज माघ के महीने से इस रूप में किसानों और मजदूरों के ऊपर पड़ रहा है कि गांव-गांव में भुखमरी व बेरोजगारी छाई हुई है । गन्ने का रस जीवन बसर का मुख्य साधन बन गया है ऐसी फटेहालो में भी सरकार की ओर से सख्ती व जोर जुर्म के साथ मालगुजारी-तकावी व पंचायत-कर की वसूली की जा रही है सरकार ने सहायता व मालगुजारी माफी का वादा किया था वह भी पूर्ण नहीं हुआ । चकबन्दी जिसे मौजूदा स्थिति में पूर्णतः बन्द होना चाहिये था । केवल स्थगित किया है । गन्ने की कीमत पर गन्ना किसानों ने अभूतपूर्व आन्दोलन किया था पर सरकार ने उनकी मांगे निर्दयता पूर्वक ठुकरा दिया और पूंजी परस्त नीति का परिचय दिया है । बाजार में गल्ले की कीमत या अन्य जीवनोपयोगी वस्तुओं की कीमतें चढ़ाव पर है । आज जाड़े के दिन में जब कपड़े की अत्यन्त आवश्यकता है उसकी कीमत में २५ प्रतिशत का चढ़ाव हो गया है । सरकारी दफ्तरों में घूसखोरी, भ्रष्टाचार, पक्षपात तथा बेईमानी पूर्ववत् बना हुआ है ।

एक ओर जब चीन ने देश की सीमा के अन्दर अपना पैर जमा लिया है सरकार ने अब तक ऐसा कोई कदम नहीं उठाया है जिससे जनता में अपना बल साहस देश प्रेम के प्रति विश्वास जगे । सरकारी हरकतों के कारण जनता में अविश्वास व पस्त हिम्मती, अनैतिकता तथा निष्क्रियता बढ़ती जा रही है जो देश के उन्नति व रक्षा के लिये घातक है । इसकी रोकथाम आवश्यक है । सोशलिस्ट पार्टी, सलेमपुर का विश्वास है कि यदि सरकार निम्न कदम शीघ्र उठाये तो उक्त बुराइयां दूर हो सकती हैं अतः राज्य सरकार से मांग है कि शीघ्र निम्न मांगे दें:

१—कल्याणकारी नीति के लिये :

क—गल्ले का दाम दो फसलों के बीच में एक आना सेर या १६ प्रतिशत से अधिक महंगा न हो ।

ख—किसी भी जीवनोपयोगी मिल उत्पादित वस्तुओं का दाम लागत के ड्योढ़े से किसी भी हालत में कम न हो ।

ग—गन्ने व कच्चे मालों का दाम ऐसा तय किया जाय कि उसकी कीमत से लागत व्यय तथा जीवन निर्वाह का खर्च निकल सके । इसलिये गन्ने का दाम २ रुपया प्रति मन व चीनी का दाम ३२ रुपया मन हो ।

२—सार्वजनिक प्रयोग से अंग्रेजी भाषा तत्काल हटाई जाय ।

३—पिछड़े वर्ग अर्थात् औरत, शुद्र, हरिजन, आदिवासी तथा अल्प संख्यकों को स्थानों में कम से कम ६० प्रतिशत दिया जाय ।

४--बिना मुनाफे को खेती से लगान हटाया जाय तथा खेत मजदूरों को हालत सुधारी जाय।

५---भारतीय सीमा सुरक्षा को व्यवस्था की जाय। चीनी अधिकृत क्षेत्र वापस लिया जाय।

६---जब तक किसानों का इन्दराज दुरुस्त न हो जाय, जमीन का बटवारा न हो जाय तब तक चकबन्दी या सहकारी कृषि योजना लागू न की जाय।

७---मालगुजारी-तकावी तथा पंचायत कर की वसूली तत्काल बन्द की जाय तथा खरीफ की मालगुजारी पूरी माफ की जाय जाय एवं १०वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों की फीस माफ की जाय।

आपका:

(ह०)

१---राम लखन, मंत्री, क्षेत्रीय सोशलिस्ट पार्टी, सलेमपुर पूर्वी।

२---राम वचन, प्रधान मंत्री, सोशलिस्ट पार्टी, सलेमपुर पश्चिमी।

३---मोहर, प्रधान मंत्री, सोशलिस्ट पार्टी, सलेमपुर दक्षिणी

४---रामायण।

५---हरिकेवल प्रसाद, सहायक मंत्री, जिला सोशलिस्ट पार्टी, देवरिया,

दिनांक २५-१-६०। ६---उग्रसेन, सदस्य, विधान सभा।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १०४ का उत्तर पीछे पृष्ठ २९० पर)

अनुसूची 'ख'

जिला देवरिया के किसानों ने सोशलिस्ट पार्टी के नेतृत्व में सलेमपुर तहसील के समक्ष २५ जनवरी, १९६० को जो प्रदर्शन किया और उन्होंने सरकार को जो एक मांग-पत्र दिया उस मांग-पत्र में उल्लिखित मांगों के बारे में जो कार्यवाही की गई उसका विवरण इस प्रकार है :

मांग संख्या १ (क)---गल्ले की राज्य व्यापार की योजना का मन्तव्य, जिसके अन्तर्गत गेहूं और चावल की खरीदारी की जा रही है, फसली वर्ष के अन्दर अनाज के दामों में कम से कम अन्तर रखने का है। अतः इस मांग-पत्र पर कोई कार्यवाही करने का प्रश्न पैदा नहीं होता।

(ख) यह मांग ऐसी है जिससे सरकार का कोई सम्बन्ध प्रतीत नहीं होता है, इस कारण इस मांग पर किसी कार्यवाही करने का प्रश्न पैदा नहीं होता है।

(ग) (प्रथम खंड)---इस समय अनाज की कीमतें स्वतः बढ़ी हुई हैं और उनको ठीक स्तर पर लाने के लिये हर प्रयत्न किये जा रहे हैं। ऐसी अवस्था में इस मांग पर इस समय किसी कार्यवाही की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

मांग संख्या २---वैधानिक तथा व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण अंग्रेजी के स्थान पर पूरी तौर से हिन्दी के इस्तेमाल में अभी कुछ समय लगेगा क्योंकि अंग्रेजी का इस्तेमाल शनैः शनैः समाप्त किया जा सकता है। अंग्रेजी का सार्वजनिक इस्तेमाल तत्काल समाप्त करना संभव नहीं है। यह शनैः शनैः ही होगा।

मांग संख्या ४ (प्रथम खंड)---बिना मुनाफे की खेती से लगान हटाये जाने से संबंधित मांग को स्वीकार करना सम्भव नहीं है।

मांग संख्या ५---चीन द्वारा भारतीय सीमा के अतिक्रमण से सम्बन्धित एक प्रस्ताव पर विधान सभा की पिछली बैठक में विचार हो चुका है। इस अवसर पर मुख्य मंत्री जी ने जो भाषण दिया था उसमें उन्होंने इस मामले में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही पर प्रकाश डाला था।

मांग संख्या ७ (प्रथम खंड)---सूखा व बाढ़ से पिछली खरीफ में हुई क्षति के कारण मालगुजारी व तकावी की वसूली उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में ३० नवम्बर, १९५९ तक पहिले ही रोक दी गई थी। बकाया मालगुजारी की वसूली ३० नवम्बर, १९५९ के बाद भी उन खातों में जिनमें खरीफ को आठ आना या उससे अधिक क्षति हुई है पूर्णतया, और उन खेतों में जहां क्षति ६ आना या उस से अधिक और ८ आना से कम थी बकाया के आधे की वसूली रबी १३६७ फसली की वसूली तक स्थगित कर दी गई है। जहां तक ३० नवम्बर, १९५९ के बाद तकावी की मुलतवी का सवाल है जिलाधीश स्वतः मालगुजारी की मुलतवी के आधार पर तकावी की मुलतवी कर सकते हैं।

पंचायत-कर की वसूली को रोकने का जहां तक सवाल है उसका सरकार से कोई सम्बन्ध नहीं है क्योंकि इसके बारे में गांव सभाओं को उचित अधिकार प्राप्त है।

(द्वितीय खंड)---खरीफ की पूरी मालगुजारी को माफ करना सम्भव नहीं है। नियमित रूप से जहां छूट दी जा सकती है, छूट दी जा रही है और दी जायेगी।

नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न १०५–१०६ का उत्तर पीछे पृष्ठ २९० पर)

तहसील लखीमपुर, जिला खीरी के उन ग्रामों की सूची जिनमें १९५९ ई० में ओला पड़ा :

क्रम-संख्या	ग्राम का नाम	क्रम संख्या	ग्राम का नाम
१	२	१	२
१	सैदपुर देवकली	३१	महेशपुर
२	मथाना	३२	भीरा
३	भदनिया	३३	कटनापुर
४	सिकन्दरपुर	३४	सौना खुर्द
५	सकैथू	३५	तिरकौलिया
६	बंजरियां	३६	मुंडा बुजुर्ग
७	पचकुवाँ	३७	बहादुर नगर
८	दवेरिया बसहिया	३८	बरेहिया खेड़ा
९	सिसौना	३९	जगदेवपुर
१०	सहरुवा	४०	शाहपुर
११	मनिकापुर	४१	गढ़िया
१२	अटकोहना	४२	अम्बारा
१३	सैदापुर	४३	गोविन्दापुर
१४	दाउदपुर महेवा	४४	भानपुर
१५	मझारा	४५	राजग्रह
१६	रौलिया	४६	राम लछना
१७	बेलहौरा	४७	बीबीपुर
१८	कोरिया संजर	४८	डिमरौल
१९	लखिया	४९	इतकुटी
२०	चहमलपुर	५०	सोने पीपर
२१	जगसार	५१	पडेरिया तिल्कापुर
२२	सरस्वा	५२	पलहनापुर
२३	सहजानी	५३	ग्रांट अहमदाबाद
२४	मतेही	५४	मलहैवा
२५	तिरकौलिया	५५	मादिर
२६	चैंदी	५६	बगिया खेड़ा
२७	सीतलापुर	५७	रूदपुर गुलरिया
२८	कोयरिया चींट	५८	बस्तोली
२९	बिजुवा	५९	गदयाना
३०	कपथौरा	६०	दौलतपुर

संसद भवन

क्रम संख्या	ग्राम का नाम	क्रम-संख्या	ग्राम का नाम
१	२	१	२
६१	मंझौरा	९९	भनसरिया
६२	जंगल नम्बर ५	१००	रमुवापुर
६३	जंगल नम्बर ६	१०१	सैदापुर भावो
६४	जंगल नम्बर ७	१०२	गनेशपुर
६५	कुंवरपुर खुर्द	१०३	अम्बूपुर
६६	रुकनुद्दीनपुर	१०४	अमकोटवा
६७	धौराहरा	१०५	सेवकहा
६८	कैमहरा	१०६	सेवनरहा
६९	मुंडा बुजुर्ग	१०७	बड़ागांव
७०	फर्दाहां	१०८	गुलहरिया रेंगवा
७१	हुसैनपेर	१०९	बड़यीदेह
७२	बरेहतरनपुर	११०	मुनसारी
७३	मनकापुर	१११	उमरिया
७४	सरैयामफी	११२	पढना
७५	पीरपुर	११३	सलहनापुर
७६	अधंरपुर	११४	वेलवा
७७	कोरैया	११५	जिगनिया
७८	कोरैयाचमरो	११६	नौधां
७९	पिया करमचंद	११७	रौंही
८०	चांदपुरा	११८	वेर्नापुर
८१	लखिमपुर	११९	रूदपुर खुर्द
८२	सैधारी	१२०	बनवारीपुर
८३	उदैपुर	१२१	सिगनिया
८४	वरखेड़वा महेवा	१२२	नवापुर
८५	मंथोरा	१२३	जनकोहना
८६	थोंठा	१२४	भानपुर
८७	नर्दबाल	१२५	दोंवा
८८	खानपुर	१२६	दाउदपुर कौहरा
८९	आदमपुर	१२७	परसिया
९०	एंथापुर	१२८	मीरपुर
९१	बरगडिया	१२९	नौरंगाबाद
९२	करनपुर	१३०	पियारेपुर
९३	उदैपुर	१३१	सलेमपुर
९४	बरखेवा	१३२	लहोरियानगर
९५	पचपेरवा	१३३	पहाड़ःपुर
९६	हरीहरपुर	१३४	सिगरपुर
९७	राजापुर	१३५	सफीपुर
९८	छोंच	१३६	दुर्गापुर

अमर उजाला

क्रम-संख्या	ग्राम का नाम	क्रम-संख्या	ग्राम का नाम
१	२	१	२
१३७	गियानपुर	१४४	पडरिया कलन
१३८	बलूडीह	१४५	कोलहौरी
१३९	उद्राहना	१४६	मौरेना
१४०	महेवा	१४७	ऊंचागांव
१४१	बलहवापुर	१४८	भीकमपुर ग्रांट
१४२	बन्नी	१४९	काकोरी
१४३	खतौसा		

विधान सभा प्रदेश प्रदेश

नत्थी 'झ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १२६ का उत्तर पीछे पृष्ठ २९६ पर)

विवरण-पत्र

रतन फार्म में दिनांक ४/५ फरवरी, १९६० को घटित आग दुर्घटना ग्रस्त परिवारों के व्यक्तियों को अनुमानित क्षति का मूल्य

क्रम-संख्या	क्षतिग्रस्त परिवार के मुख्य व्यक्ति का नाम	क्षति की अनुमानित धन-राशि	क्रम-संख्या	क्षतिग्रस्त परिवारों के मुख्य व्यक्ति का नाम	क्षति की अनुमानित धन-राशि
		रु०			रु०
१	श्री देवेन्द्र नाथ आचार्य	६२४	२७	श्री निशिकान्त हलधर	७६७
२	,, जितेन्द्र नाथ आचार्य	७४२	२८	,, भूवन मोहन मंडल	४०१
३	,, हरिबर राना	४४३	२९	,, अग्नीकुमार हलधर	६७७
४	,, नारायण चन्द्र विश्वास	५१७	३०	,, जगेश्वर हलधर	१६८
५	,, पुलिन बिहारी बैद्य	२७७	३१	,, उपेन्द्र नाथ हलधर	७९८
६	,, जगेश्वर राय	१०५	३२	,, राम चन्द्र ठाकुर	५७६
७	,, निकुन्ज मंडल	४८३	३३	,, साहधर ढाली	३०९
८	,, निरोध बिहारी सिकदर	२६३	३४	,, साधनसू समादर	९५७
९	,, रसिक लाल हलधर	२५५	३५	,, अनन्त चन्द्र विश्वास	४७८
१०	,, आनन्द हलधर	१३५	३६	,, बासी राम सरदार	४८२
११	,, महादेव चरन गाइन	८३६	३७	,, राजेन्द्रनाथ सरदार	१,०२७
१२	,, रास बिहारी मलिक	३९६	३८	,, निबरान मिश्रा	३१८
१३	,, महाजन विश्वास	६४७	३९	,, शरत चन्द्र विपराई	४३६
१४	,, निरंजन बोस	४७८	४०	,, गनेश चन्द्र बाई	४९२
१५	,, गुरुदास राना	२८१	४१	,, निरोनजन बाई	६०३
१६	,, मन्दार मंडल	१,००१	४२	,, महेन्द्र नाथ मंडल	२४२
१७	,, सुरेन्द्र नाथ मंडल	५९३	४३	,, नागेन्द्र नाथ सरदार	९६७
१८	,, सुरेन साना	५७०	४४	,, जितेन्द्र नाथ मंडल	६६६
१९	,, हर्षित बाचर	२५४	४५	,, काली चरन सरदार	२८४
२०	,, मोती लाल मंडल	५२३	४६	,, धीरेन्द नाथ आचार्य	१,१००
२१	,, ललितमोहन मंडल	२८२	४७	,, परिक्षित विश्वास	३५४
२२	,, कार्तिक चन्द्र मंडल	१०२	४८	,, निम चन्द्र बैराई	२६९
२३	,, विश्वेश्वर हलधर	२०४	४९	,, नारायण चिन्द्र विश्वास	९६२
२४	,, नागेन्द्र नाथ मंडल	३४९			
२५	,, कृष्णधर विश्वास	७३			
२६	,, अनिल कुमार राय	२४५		योग	२४,०११

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—२८ एल० ए०—१९६०—८४५ ।